राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-11 आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस संख्या-11

गुरुवार,

दिनांक 13 जुलाई, 1989

राजस्थान विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : मैं क्वेश्चन आॅवर में माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज मैंने देखा कि कुछ ज्यादा क्वेश्चन्स स्थगित हो गये हैं। मैं इसमें अपने सैक्रेटेरियेट से भी बात कर रहा हूं कि सिस्टम में कहां गड़बड़ी है और सरकार से भी बात कर रहा हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप तो सरकार को डांटिये साहब, ये हैं लापरवाह लोग।....(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : बिना रीजन के, No reason at all....

श्री अध्यक्ष : देख रहा हूं। नहीं-नहीं, पहले मेरी सुन लीजिए, मेरी सुनिये।

एक माननीय सदस्य : आदत तो डांट खाने की आपकी हो रही है।

श्री नाथू सिंह : ... except to postpone ...

श्रीमती कमला : आप पहले पता तो करें कि कहां पर कमी है। सरकार के ऊपर ही पहले से आप आरोप लगाते हैं....

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और उसमें बीच में ही, यानि यह बड़ी अजीब हालत है। जो प्रोब्लम है उसको मैं सोल्व करना चाहता हूं, मैं खुद बड़ा चिन्तित हूं लेकिन मेरी भी नहीं सुनना चाहते और बोलने खड़े हो जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन्स का यह है कि दस रोज पहले जाते हैं, एडिट होकर, अप्रूव होकर दस दिन पहले जाते हैं। मैंने देखा कि ये सात तारीख को डिस्पेच हुए, सात

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

तारीख को सैक्रेटेरियेट में मिल गये। यह मैंने डिस्पेच बुक में भी देख लिया लेकिन उसके बाद आठ व नौ की बाकायदा छुट्टी हो गई। दस, ग्यारह, बारह तीन रोज बचे। गवर्नमेंट का कहना था कि साहब तीन रोज बहुत कम रहते हैं, कोई बीकानेर का क्वेश्चन है, कोई सवाई माधोपुर का क्वेश्चन है, मैसेन्जर भी भेजे हुए हैं और फिर आते ही क्वेश्चन को मिनिस्टर को भी देखना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है तो वे कहते हैं इसमें हमको जरा दिक्कत होती है। मैंने देखा कि वास्तव में छुट्टी थी। नहीं, मेरी खुद की धारणा सही नहीं थी कि यह गलत होता है। तो इसको सैक्रेटेरियेट से बात करके मैं ज्यादा से ज्यादा ईज करना चाहता हूं और ईज करके कि हम सफिसियेंट टाइम दें जिससे कि सरकार को यह मौका नहीं मिले, इसको मैं जल्दी से जल्दी कर रहा हूं।

श्री हरि कुमार औदिच्य : जो स्थगित हो रहे हैं यह तो आश्वासन दीजिए कि उनको इसी सेशन में लिया जायेगा, यह आश्वासन दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इसी सेशन में और इसी टेबल पर। मुझे सख्त अफसोस है कि माननीय सदस्यों के क्वेश्चन नहीं आये। मैं यह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, मैं बहुत चिन्तित हूं, मैं करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने सरकार की आलोचना करी है क्या....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सरकार को डांट तो लगा दें....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप डांट की कह रहे हैं, विशेषाधिकार तक के लिए मेरा दिमाग बन गया था लेकिन जब मैंने यह तारीखें वगैरह देखी कि आठ और नौ की छुट्टी है तो भी मैं जरा शांत हो गया, नहीं तो मैं बहुत सीवियर एक्शन लेने वाला था आपकी तरफ से।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार में पानी है तो यही काफी है, आपने जितना कह दिया वह ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पर इनमें पानी है ही नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मोती लाल मीणा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्थगित कर दिया यह तो।

श्री अध्यक्ष : हां, स्थगित किया।

श्री नारायणराम बेड़ा : प्रश्न संख्या 335।

सवाई माधोपुर में सीलिंग अवाप्त भूमि

335. श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में 25 व 30 जून, 1982 में सीलिंग में अवाप्त भूमि का सवाई माधोपुर जिले के ग्राम महस्वा के 365 भूमिहीन परिवारों में आवंटन किया गया था? आवंटियों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सवर्णों की संख्या कितनी-कितनी है ?

(श्री मोतीलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि इस आवंटित भूमि पर से आवंटियों को ग्राम महस्वा के कुछ समाजकंटकों ने खदेड़ दिया है तथा सीमांक खत्म कर आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इन गुण्डा तत्वों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटियों द्वारा उक्त भूमि पर पुनः सीमांकन करने हेतु एवं अतिक्रमणियों को हटाने बाबत तहसील मुख्यालय पर क्रमिक अनशन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अतिक्रमणियों को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अतिक्रमणियों को निकट भविष्य में उक्त भूमि से हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या दिनांक 30 जून, 1989 को प्रशासन गांवों की ओर में जिला प्रशासन ने उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 335 स्थगित किया जाता है....(व्यवधान) माननीय सदस्य, इसी सेशन में आयेगा । मैं सरकार से कहूंगा कि आज जो क्वेश्चन्स स्थगित हुए हैं, वे अगले टर्न पर निश्चित रूप से आ जाने चाहिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय रिक्वेस्ट करेंगे कि स्थगित कर दिया जाय । मंत्री महोदय करेंगे, आप काहे की बोझ लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा सिंह चौहान ।

श्री नारायण राम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ही गांव की सूचना है, एक ही खसरा नम्बर है....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, ठीक है, माननीय सदस्य, मैंने देखा है इसको ।

श्री नारायण राम बेड़ा : मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने यह भी देखा है ।

श्री नारायण राम बेड़ा : क्या चेयर भी इस प्रश्न के स्थगित होने से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है, मेरा सवाल यही है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं है ।

श्री नारायण राम बेड़ा : अगर आप यह समझें कि वास्तव में इसमें विस्तृत सूचना प्राप्त करनी थी इसलिए स्थगित करना पड़ा । आप वाजिब समझते हैं क्या, मेरा सवाल इतना सा है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने सब क्वेश्चन्स को देखा है ।

श्री नारायण राम बेड़ा : नहीं समझते हैं इसका मतलब सरकार बिल्कुल इनएफिसियेंट है और जवाब आ नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बेड़ा जी, सवाल कम और ज्यादा सूचना का नहीं है । सवाल यह है कि वहां मैसेंजर भी गये हुए हैं लेकिन तीन दिन का टाइम मिला है तो उसमें जवाब नहीं आ सका, मैंने इस चीज को भी देखा है ।

श्री नारायण राम बेड़ा : साहब, इन लोगों ने धरना दिया है जमीनों के लिए, अलॉटमेंट दिया है, आपने पैसे जमा करवा लिये, सब कर लिये, आज जमीन नहीं, क्या बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : निश्चित आयेगा, मैं बहुत सीरियस था।

श्री नारायण राम बेड़ा : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीनें दबाई जा रही हैं...

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत सीरियस था। श्री हीरा सिंह चौहान।

श्री हीरा सिंह चौहान : 336।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं कि हमारी असेम्बली, मैं कहता हूं, पिछली बार सेन्शन में भी मैंने कहा था माननीय सदस्य कि अपेक्षाकृत हम इतने शांत चल रहे हैं इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री नत्थीसिंह : यह तो इनको बताओ, आप बिहार बनाना चाहते हैं, इनको बताओ।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बनाना चाहता। न आप बनाना चाहते हैं, न ये बनाना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत को-आपरेट करते हैं।

श्री नाथू सिंह : इरादे क्या हैं आपके ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : बिहार बनाना है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां यह परिपाटी नहीं है।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आपके इरादे नेक है, इसलिए इरादे हमारे भी नेक हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा सिंह चौहान।

अनधिकृत वाहनों से निगम को हानि

336. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में कितने वाहन अनधिकृत रूप से सवारियां लाते ले जाते हैं और उसके कारण कितनी करों की चोरी होती है और राज्य पथ परिवहन निगम को प्रतिवर्ष औसतन कितनी हानि होती है ?

(2) इस अवैध कार्यवाही को रोकने के लिये यातायात विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन उपायों से अवैध वाहनों के चलने पर रोक लगी है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशन वर्मा (यातायात मंत्री) :

(1) जी नहीं।

(2) अवैध वाहन संचालन की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग म्युनिसिपल सीमा में अलग-अलग चैकिंग करते हैं। साथ ही सितम्बर, 1988 में पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त चैकिंग दलों का गठन किया गया। इन दलों

(श्री रामकिशन वर्मा)

द्वारा मई, 1989 तक 19021 वाहनों के चालान बनाये गये जिनमें अवैध वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही भी सम्मिलित है तथा 4372 वाहन सीज किये गये। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने बिना परमिट चलने अथवा परमिट द्वारा निर्धारित प्रकार के अनुरूप नहीं चलने पर राजस्थान मोटर यान करारोपण अधिनियम, 1951 की धारा 4(बी) में संशोधन कर दिनांक 3.2.89 से विशेष पथ कर की अतिरिक्त राशि 100/–रुपये प्रति सीट प्रति ट्रिप देय कर दी है जिस पर दस प्रतिशत सरचार्ज भी देय है।

(3) जी हां। प्रश्न के भाग 2 के उत्तर से स्पष्ट है।

श्री हीरा सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 1 में तीन बातें पूछी गई थीं—क्या विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में कितने वाहन अनधिकृत रूप से सवारियां ले जाते हैं, नम्बर एक। इसी का दूसरा भाग है और उसके कारण कितने करों की चोरी होती है ? नम्बर तीन, राज्य पथ परिवहन निगम को प्रति वर्ष औसतन कितनी हानि होती है जिसका उत्तर आया है—जी नहीं। मेरा निवेदन है कि एक तो अनधिकृत रूप से कोई वाहन नहीं चलते हैं, करों की चोरी नहीं हो रही है और तीसरा पथ परिवहन निगम को कोई घाटा नहीं हो रहा है, तीन बातें सरकार ने एडमिट की हैं लेकिन प्रश्न के खंड दो में इन्होंने उत्तर दिया है कि हमने मई, 89 तक 19021 वाहनों का तो चालान किया है और 4372 वाहन सीज किये हैं....

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न के खण्ड एक में "जी नहीं" में उत्तर दिया है और खण्ड-दो में उत्तर दिया है कि 19 हजार 21 वाहनों के चालान किये गये और 4300 वाहनों को सीज किया है तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है। आपने सब एडमिट किया है अवैध वाहन नहीं चलते हैं, कोई करों की चोरी नहीं होती है। प्रश्न संख्या–1 महत्वपूर्ण था इसका मैं सबसे पहले स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुमान का सवाल है, अनुमान के आधार पर कोई बात नहीं कह सकते हैं। जो गाड़ियां चल रही हैं, पकड़ी जाती हैं उन्हीं की संख्या दी जाती है उसी को अवैध मान रहे हैं क्योंकि अवैध गाड़ियां कोई कह कर के या नम्बर देकर के चलाने के लिए तैयार नहीं है। उनके बारे में कहा है कि जी नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जी नहीं का क्या मतलब ? उन्होंने यह पूछा कि कितने वाहन अनधिकृत रूप से चलते हैं ? आपने कहा नहीं ले जाते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : आपने अनुमान पूछा है।

श्री हीरा सिंह चौहान : संख्या पूछी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आपका कोई अनुमान ही नहीं है।

श्री रामकिशन वर्मा : जो पकड़ी जायेंगी उसकी ही संख्या देंगे। कैसे मान लें कि इतनी चल रही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : चलती है या नहीं चलती है यह तो पता नहीं है।

श्री रामकिशन वर्मा : नहीं चलने का प्रश्न ही नहीं होता है। चलती हैं तभी तो पकड़ी जाती हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने प्रश्न एक के उत्तर में मना किया है कि कोई अवैध वाहन नहीं चलते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप साफ करिये कि चलते हैं या नहीं चलते हैं। आप संख्या दीजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : संख्या हमारे पास नहीं है क्योंकि उनका हमारे यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो पकड़ी जाती हैं जिनको परमिट नहीं मिलता है वह सब अवैध चलती हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जितनी पकड़ी जाती हैं उनकी संख्या तो बताओ आपने कह दिया कि चलती ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवरजी....

(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह चौहान : यह पहला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि अनधिकृत वाहन जो चलते हैं उनकी सख्या बतायें तो उत्तर 'जी नहीं' कुछ भी नहीं चलते हैं। खण्ड—2 में उत्तर दिया कि इतने का चालान किया, इतनों को सीज किया। अब मैं आगे पूछना चाहता हूं कि इसका तो स्पष्टीकरण कीजिए कि राजस्थान में करों की चोरी का सवाल है सरकार हर बार उत्तर देती है कि धन का अभाव है और धन जहां से मिलता है उसको सरकार लेना नहीं चाहती है।

दूसरा उन्होंने उत्तर दिया उसी प्रश्न के खण्ड—दो में कि 3.2.89 में विशेष पथ कर की अतिरिक्त राशि 100 रुपये प्रति ट्रिप कर दी है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कौनसा वाहन कितनी ट्रिप करता है, कितनी ट्रिप नहीं करता है? सीटें आपने तय कर दी, अतिरिक्त कर लगा दिया लेकिन कौन-सा वाहन कितनी ट्रिप तय करता है उसके बारे में आप कैसे अनुमान लगायेंगे?

श्री रामकिशन वर्मा : अभी अनुमान नहीं लगाया है। जो पकड़े जाते हैं या सामने आते हैं जिनका चालान बनता है, वह ही अवैध समझा जाता है।

श्री अध्यक्ष : अब और भी प्रश्नकर्ता हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : न तो अनधिकृत वाहनों का बता सकते हैं न 3.2.89 को कानून में संशोधन किया उसमें कौन सा वाहन कितनी ट्रिप करता है उसके बारे में कोई स्पष्ट है, यह तो बिल्कुल अस्पष्ट उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय, यह बताये कि क्या अवैध वाहनों के चलने के कारण रोडवेज को भयंकर नुकसान हो रहा है, या नहीं हो रहा है? इससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी। रोडवेज जो मुनाफे में चलती थी आज रोडवेज घाटे में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चल रही है। एक दिन ऐसा आ जायेगा कि रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन चुकाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। क्या रोडवेज लाभ में था और अब नुकसान में चल रहा है तो पहले प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। यह 'जी नहीं' बिल्कुल गलत उत्तर दिया है। आपको बताना चाहिये था रोडवेज को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी चोरी हो रही है और कितने अवैध वाहन चल रहे हैं? तीसरा पूछा क्या इन उपायों से अवैध वाहनों के चलने पर रोक लगी है यदि हां, तो किस प्रकार तो उन्होंने कहा कि जी हां प्रश्न के भाग दो के उत्तर से स्पष्ट है। यह भी कोई उत्तर नहीं है कि चालान कर दिया हम ने पूछा कि क्या इस सारे उपायों के बाद अवैध वाहन चलने बंद हो गये? आपको कहना चाहिये कि अवैध वाहन अभी चल रहे हैं। यह आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इससे रोडवेज को भयंकर नुकसान होता है। कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा। मान्यवर, यह प्रश्न बड़े राज्य हित में है। इसलिए इस प्रश्न का गोलमोल ढंग से नहीं, सही जवाब दें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री खंगारसिंह।

श्री खंगारसिंह चौधरी : 3.2.89 में जब यह कानून लागू हुआ कि प्रत्येक सीट पर 100 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। पांच महीने हो गये हैं, आपके विभाग ने कितनी सीटों पर जुर्माना वसूल किया और कितने रुपये वसूल हुए हैं? यह बताइये। यह बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि 3.2.89 से अवैध पथ पर जो 100 रुपये प्रति सीट, प्रति ट्रिप कर दी है। जिस पर 10 प्रतिशत सरचार्ज भी देय होता है। आपके पास इस मामले में कितनी इन्कम हुई, यह बताइये कितनी आमदनी हुई? कितना सरचार्ज वसूल हुआ?

श्री रामकिशन वर्मा : 1 करोड़ 40 लाख रुपया जुर्माने का वसूल किया है। अवैध गाड़ियां चल रही हैं उनसे और टैक्स भी इसमें है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने तो कहा चलती ही नहीं है।

श्री रामकिशन वर्मा : यह नहीं कहा मैंने यह कहा कि उसका अनुमान हमारे पास नहीं है। अवैध गाड़ियां जो चलती थी उनका चालान बनाया है, जो पकड़ी गयी हैं उनको हमने अवैध माना है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कोटा, उदयपुर और जोधपुर जो राष्ट्रीयकृत राज्य-मार्ग हैं, उस पर जयपुर से धड़ल्ले के साथ प्रतिदिन वीडियो कोच चलते हैं? जिसके बाजारों में विज्ञापन लगे हुए हैं। जयपुर से उदयपुर तक वीडियो कोच सेवा, इतने का टिकिट। यहां से चलती है। तो क्या यह आंखों में धूल झोंक रखी है सरकार ने जो इन विज्ञापनों को नहीं देखती है।

श्री शोपतसिंह : परमिट भी दे रखे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज बसें चलती हैं वहां यह अवैध वीडियो कोच चलते हैं, स्थान भी

(8)

(श्री कालीचरण सराफ)

लिखा हुआ होता है। विज्ञापन में उसके बाद भी उनके खिलाफ इस कारण कोई कार्यवाही नहीं होती है कि इन वीडियो कोच के मालिक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेसी बड़े नेता हैं इसलिए इन पर कार्यवाही नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्याजी।

श्री सी. पी. जोशी : यह गलत है। यह सब बी. जे. पी. के हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कौन-कौन हैं ? नाम बताइये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : सारे शहर के अन्दर विज्ञापन लगे हुए हैं। जयपुर से उदयपुर इतने रुपये किराया फिर भी कार्यवाही क्यों नहीं होती है इसका क्लियर मतलब है कि वह कांग्रेस के मंत्री, विधायकों के हैं ... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नाम बतायें....(व्यवधान)

उदयपुर में जितने कोचेज हैं वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके मन में राज्य हित नहीं कांग्रेस हित है।

श्री रतनलाल ताम्बी : कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है विपक्ष के सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आपकी बसें हैं, आप चलाते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरी बसें हैं, मैं धन्धा करता हूं, कायदे से चलता हूं। माननीय सदस्य, मेरी एक भी वीडियो कोच बस चलती हो तो बतायें।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक ताम्बीजी की बसें चलती हैं इसके कारण रोड़वेज की बसें वहां नहीं चलती। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सदस्य, अगर मेरी एक भी वीडियो कोच कहीं चलती हैं तो आपको भेंट कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं गाड़ी का परमिट लेकर, कायदे से धन्धा करता हूं, इसका लाइसेंस वगैरह कायदे का है। (व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आपकी चलती है देवली से भीलवाड़ा तक....

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपको भेंट कर दूंगा आप नाम बताओ। (व्यवधान)

सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों की चलती हैं, उदयपुर से जितनी वीडियो कोच चलती हैं। वह सब आपके लोगों की चलती हैं। मेरा चैलेंज है कि मेरी वीडियो कोच कोई चलती हो और पकड़ी गई हो तो आपको भेंट कर दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा। गलत आरोप

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगाते हैं। जो बोलता है उसके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके मन में राज्य हित नहीं है कांग्रेस हित है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सारे देश का सोना खा गये, अनाज जनता के राज में खा गये....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सारे देश को खा गये, आप तो सारे प्रदेश को खा गये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गिरधारी लालजी, ताम्बी जी, आर्डर प्लीज। माननीय विद्याजी।

श्री सी. पी. जोशी : क्या यह सही है कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप विद्या जी का नाम पुकार चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : विद्या जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक तो इसमें नाम नहीं लिखा। प्रश्नकर्ता जिनके नाम इसमें शामिल हो....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से....

श्री अध्यक्ष : अगर किसी प्रश्न को खत्म करना हो, उसका मैस करना हो तो किसी पर चार्ज लगा दीजिए, वह सब मैस हो जायेगा। यह भी कर सकते हैं कि अगले प्रश्न नहीं आयें और मुझ से कहें कि अगला प्रश्न क्यों नहीं आया यह भी है, यानि करें आप और कह रहे हैं अगला प्रश्न नहीं आया है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस के मंत्री और विधायक शामिल नहीं हैं तो कौन लोग शामिल है उनके नाम बतायें। अगर वे कहते हैं कि वे नहीं हैं तो जो लोग शामिल है उनके नाम बतायें....

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह इतनी इन्सेन्सिविटी हाउस में क्रियेट हो जाती है यह हम सभी सदस्यों के लिए तो विचारणीय बात है ही और आप भी उसमें थोड़ा कन्ट्रोल करें आखिर इतना क्या सेन्सिटिव होना? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि आपके राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से 3500 टैक्सीज, जीपें और 5 हजार दूसरे वाहनों को परमिट दिया हुआ है और 10 हजार ऐसे अवैध वाहन हैं जो परमिट शुदा नहीं हैं और वह टैक्स भी नहीं चुकाते हैं। आपके पास तो सिर्फ 31 सौ वाहन हैं, आपके आर.एस.आर.टी.सी. के पास 31 सौ वाहन की रिक्वायरमेण्ट है, 10 हजार अवैध चल रहे हैं। 5 हजार जो दूसरे वाहन हैं वे चल रहे हैं। 35 सौ टैक्सीज चल रही हैं और इनके टैक्स की चोरी जो होती है वह मैं अपने आँकड़े बता रही हूं, आपके विभाग के बता रही हूं पता नहीं आपके विभाग ने क्यों नहीं बताये? जो स्पेशल रोड़ टैक्स है उसकी चोरी होती है। साढ़े बीस करोड़ रुपये प्रति वर्ष हानि होती है आर. एस. आर. टी. सी. की यह डिपार्टमेण्ट को होती है, गवर्नमेण्ट

(श्रीमती विद्या पाठक)

को साढ़े बीस करोड़ रुपये वार्षिक हानि है 1 अरब 28 करोड़ 29 लाख रुपये वार्षिक राजस्व की हानि होती है यानी करीब डेढ़ अरब दोनों को मिलाकर आपको हानि हो रही है और आप कहते हैं अवैध वाहन ही नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय आपको बताऊं यह दोनों बातें मेरी नहीं है ना वाहनों के आंकड़े और ना टैक्सीज के या रेवेन्यू का लोस, यह मेरा बताया हुआ नहीं है। यह आपके विभाग के लोगों ने विभिन्न पत्रकार सम्मेलनों में हाल ही में, 89 में बताया है। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने इतने वाहनों की चैकिंग की है और उससे इतनी आय हुई। आप सिर्फ आय में इन्ट्रेस्ट लेते हों, क्वान्टिटी या क्वालिटी दोनों को सुधारने के लिए बसें ज्यादा हो, सस्ती हो, अवैध वाहनों को सजा दी जाये और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाये। आपको जनता का लाभ करने में, सुविधा बढ़ाने में रुचि नहीं है आप इतने में प्रसन्न हैं कि आप इतना वसूल कर लें, क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : उजला जी।

श्री शोपत सिंह : जवाब तो देने दें अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जितने वाहन कम हैं और जितने अवैध चल रहे हैं उनकी संख्या को अनुमानित करके, क्या अनुबन्धित वाहन ले करके चला करके वैधता देने की कृपा करेंगे इस प्रदेश में और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी पिछले सत्र में एक प्रश्न स्थगन के माध्यम से आपको किया, एक रोड़ पर 27 अवैध वाहन जो कि भड़भड़ाते चलते हैं जमुवारामगढ़ रोड़ पर आर. आर. बी. 8072, आर. एल. टी. 2254, आर एस. एल. 3979, आर. एस. एल. 8805, आर. एल. पी. 2528, आर. एस. एल. 4584, आर. एम. पी. 333....

श्री अध्यक्ष : दे देना आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस तरह से मैंने 27 वाहनों के अवैध के नम्बर आपको दिये और आपने उनको आज तक बन्द नहीं किया। आप इन अवैध वाहनों को चला कर प्रदेश में क्या अपनी प्रमाणिकता देना चाहते हैं कि आप असमर्थ हैं, चोरी को प्रोत्साहन देते हैं, राजस्व को घाटा कराते हैं आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वश्चन को किस तरह से चला रहे हैं आप---- (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मिनिस्टर से जवाब नहीं दिलवा के इसको परपज लेस बनाना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय, आपका नाम लिखा हुआ है।

श्री शोपत सिंह : आप आधे घंटे से सप्लीमेन्टरी की इजाजत दे रहे हैं, यह हो क्या रहा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, आपको बिन्दु बता करके प्रश्न पूछे हैं उनके कृपा करके उत्तर दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : मेरे दो प्रश्न हैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से। नं. एक, नेशनल परमिट का जो वायोलेशन हो रहा है राजस्थान में उस नेशनल परमिट के वायोलेशन के सम्बन्ध में आपने भारत सरकार का क्या ध्यान आकर्षित किया? नं. दो—नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद जो अवैध वाहनों की परिभाषा बदल जायेगी उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रिकाशनरी मेज़र्स दिये हैं जिससे अवैध वाहन नहीं चलें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : क्या यह सही है कि अवैध वाहन चलने से रोडवेज़ ने 17 करोड़ का अनुमानित घाटा लगाया है और क्या यह भी सही है कि आपका केवल यातायात विभाग ही उन अवैध वाहनों की चैकिंग कर सकता है और रोडवेज नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में एक डिसीजन दिया कि एक ओपरेटर दूसरे ओपरेटर की चैकिंग नहीं कर सकता तो रूल्स में प्रोविजन नहीं होने के कारण रोडवेज चैकिंग नहीं कर सकती तो क्या इन रूल्स में आप प्रोविजन करेंगे कि रोडवेज भी चैकिंग कर सकती है? दूसरा मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, क्या आप जो अवैध वाहन पकड़े जाते हैं उन अवैध वाहनों को रोकने के लिए उस ड्राइवर का लाइसेन्स 5 साल या 10 साल के लिए सस्पेण्ड करेंगे? तीसरा अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह जो अवैध वाहन चल रहे हैं यह अवैध वाहन कुछ प्रभावशाली लोगों के हैं इसलिए रोडवेज़ के आगे-आगे चलते हैं और रोडवेज की बसें पीछे-पीछे खाली चलती है? क्या यह सही है इस तरह आपको उदाहरण मिले हैं और अध्यक्ष महोदय, यह अवैध वाहन नहीं चलें क्या इसके लिए आप फ्री लाइसेन्सिग प्रणाली शुरू करेंगे?

श्री सी. पी. जोशी : आपके सारे प्रश्न इर्रिलेवेन्ट हैं कोई भी आदमी लाइसेन्स.... (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : इसलिए लागू होने के बाद, फ्री होने के बाद जो रोडवेज के अन्दर अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए भी चलते हैं कि रोडवेज ने अनुबन्धित बसें ले रखी थीं पहले और अनुबन्धित बसों पर मन माने ढंग से कि उसके पैसे नहीं दिये इसलिए उनको छोड़ दी और छोड़ने के कारण वह अवैध वाहन चलने लग गये तो इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द जी।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसका जवाब आने देंगे या नहीं आने देंगे, इसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। अभी चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ ने यह एक आरोप लगाया था कि वीडियो कोच अवैध रूप से चल रही है उसमें मेरा नाम लिखा बताया गया है कि वीडियो कोच चल रही है इसलिए मैं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहता हूं आपके मार्फत राजस्थान या देश में कोई वीडियो कोच मेरे नाम की अवैध चलती है तो या तो माननीय सदस्य साबित करें ... (व्यवधान)

कायदे से उसका टैक्स हर महीने भरता हूं इसके अलावा कोई वीडियो कोच मेरे नाम से साबित कर दे तो या तो माननीय सदस्य इस्तीफा दे या मैं दूं। और कहीं पकड़ी गई हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं मैं यह चाहता हूं कि इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय साफ कीजिए या तो वह इस चेलेन्ज को स्वीकार करें या अपनी बात वापस लें।

श्री अध्यक्ष : बस आपने स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां स्पष्टीकरण साहब, यह तो बात गलत है, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द जी। (व्यवधान) नोट अलाउड, नो डिस्कशन।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय सदस्य जवाब चाहते हैं इसलिए दिला दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय कालीचरण जी सराफ ने जो आरोप लगाये हैं या तो वह माफी मांगें या अपने आरोप वापिस लें। वह इस प्रकार से किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री नत्थीसिंह : आप केवल डिले कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस बसें चलती हैं और कांग्रेसियों को लाभ देने के लिये रोडवेज को घाटे में ले जाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब, माननीय भार्गव साहब। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत परिपाटी है और इससे बड़ी तकलीफ हाउस को होगी। चार्ज है तो मुझे लिखकर के दें, उसका कुछ सब्सटेन्स होना चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई व्यक्तिगत चार्ज ही नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, आप बैठ जाइये। आपके लिये भी कोई कह दे तो ख्वामख्वाह की बात करते हैं आप। बहुत गलत सिस्टम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया अवैध वाहनों

(श्री रामकिशन वर्मा)

का कोई एक कारण है नहीं, जो पकड़े जाते हैं हम उसी को अवैध मानते हैं। उनका अनुमान नहीं लगाया गया है, कोशिश कर रहे हैं हमने कई पार्टियां भी लगा रखी हैं, हमारे पास जितने साधन हैं, जितने हमारे पास तौर तरीके हैं उनके द्वारा तो हम पकड़ सकेंगे और जो पकड़े जाते हैं उसके अन्दर चाहे वह कांग्रेस के लोगों की हो, चाहे भाजपा की हो, पकड़ने के बाद हम किसी के साथ रियायत नहीं करते हैं।

दूसरा मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्यों ने पूछा कि रोडवेज को कितना घाटा लग रहा है, मैं तो ऐसा मानकर चलता हूं कि यह अनुमानित की बात यह लोग सोच सकते हैं हम तो अनुमानित की बात नहीं सोचते। लेकिन हमारी एक और भी समस्या है कि कई प्राइवेट गाड़ियां जो कि रोड़ टैक्स नहीं देतीं, अवैध के नाम से चलती हैं उनके पास कान्ट्रेक्ट कैरियर के परमिट हैं उनकी वजह से जब पकड़ते हैं तो उसके बहाने वह छूट जाते हैं और कई दफा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कि हमारे निगम के लोग रोडवेज को किसी प्रकार से पकड़ने में सक्षम नहीं है उसको भी यह कहा गया कि आप भी एक प्राइवेट आपरेटर के नाते ही आप इसकी कार्यवाही करें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई विशेष बात माननीय सदस्य बतायें कि यह कोई बोर्ड लगे हैं, कई बातें हैं हम तो यह कह दें कि हमारे सामने जो भी आती है उसको पकड़ने में हम नहीं चूकते क्योंकि दो पार्टियाँ म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर हमारे यातायात विभाग और पुलिस इसके बाद जो भी जाती है उनको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो नेशनल परमिट के और नेशनलाइजेशन रूट के ऊपर जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं न हम उनको छोड़ते हैं न कोई बात है। हमने तो आज रात को ही बहुत सी गाड़ियां पकड़ी हैं। हम इस मामले में कोई रियायत नहीं करते। पकड़ने के बाद पता लगता है कि किसकी गाड़ी है। यह आप अलग से कभी प्रश्न पूछोगे मैं इनका जवाब भी दे दूंगा, नाम पूछोगे लिखकर नाम भी भेज दूंगा। चाहे कोई व्यक्ति हो, हमारी कभी यह मंशा नहीं है सरकार की कि किसी को बचाया जावे या किसी की अवैध गाड़ी चलाई जाये। जो पकड़ी जायेगी वही अवैध गाड़ी हम मानते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छीपाबड़ौद एवं छबड़ा क्षेत्र के मंदिर की भूमि

337. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छीपाबड़ौद व छबड़ा तहसील क्षेत्र के किस-किस मंदिर के खाते में कितनी कितनी भूमि है ? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के मन्दिरों की भूमि पर मन्दिरों के पुजारी काबिज हैं ? यदि नहीं तो कितने, कहां-कहाँ के नहीं हैं और किस कारण से ?

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(3) क्या जिन मन्दिरों की भूमि पर उस मन्दिर के पुजारी काबिज नहीं हैं अथवा जिन मन्दिरों की भूमि की आय से मन्दिरों को कोई लाभ नहीं है तथा जिस भूमि को दूसरे जोत रहे हैं क्या सरकार उन लोगों से भूमि लेकर मन्दिरों के कब्जे में दिलाने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 337 स्थगित किया जाता है।

श्री शोपत सिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 जून, 1989)

हरा चारा की मशीनों की खरीद

4. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़) एवं **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा हरा चारा पैदा करने वाली मशीनें खरीदी गयी हैं अथवा केन्द्र से उपलब्ध हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी, कब व कितनी राशि की, तथा इन्हें कहाँ-कहां पर लगाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक इन मशीनों से कितना हरा चारा कहां-कहां पैदा किया गया ?

(3) हरा चारा पैदा करने वाली मशीनों के गन्तव्य स्थान तक पहुंचने पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) राज्य सरकार द्वारा स्वयं के साधनों से विभाग में कोई हरा चारा पैदा करने वाली मशीनें नहीं खरीदी गई हैं। हां, राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कुल पांच करोड़ की राशि सूखा राहत के लिए उपलब्ध हुई थी, जिसमें से भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने बीस लाख की राशि दो मशीनें खरीदने के लिए विभाग को उपलब्ध कराई थी और इस राशि से ही दो मशीनें विभाग द्वारा खरीदी गई थी। इन मशीनों की कुल कीमत 13.60 लाख रुपये थी तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 5(5) कृषि-11/सम.सी./88 दिनांक 23-6-88 के आदेशानुसार व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एक मशीन केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, आविकानगर, डिग्गी के पास (मालपुरा) जिला टोंक में तथा दूसरी केन्द्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर में स्थापित की गई।

(2) इन मशीनों को दोनों केन्द्रों पर अगस्त, 1988 के तीसरे सप्ताह में लगाया गया था। मालपुरा में इस मशीन द्वारा चारा उत्पादन 0.72 से 0.93 टन प्रतिदिन रहा तथा बीकानेर में 0.81 से 0.94 टन प्रतिदिन रहा।

(3) विभागीय पत्र संख्या एफ. 42(2) ग्रुप--8/88/332 दिनांक 5-7-88 द्वारा मशीनों की सप्लाई हेतु जो आर्डर दिया गया था उसमें प्रत्येक मशीन की एफ. ओ. आर. डिलीवरी आविकानगर एवं बीकानेर बताई गई थी और यह भी साफ लिख दिया गया था कि गंतव्य स्थान तक पहुंचाने

(श्रीमती कमला)

का व्यय अलग से देय नहीं होगा। इसलिये मशीनों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में अलग से कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि चारा मशीनें खरीदते वक्त क्या आपने इसकी उपयोगिता का कोई विश्लेषण नहीं किया या किया कि यह हमारे लिये उपयोगी है कि नहीं है।

यह आपने कहा कि बीकानेर में ऊंट के लिए चारा पैदा कर रहे हैं, यह ऊंट का चारा, किस किस्म का कौनसा चारा पैदा कर रहे हैं इस मशीन से ?

अभी क्या आप अनुभव करते हैं कि यह मशीनें आपके विभाग के लिये उपयोगी है या नहीं ?

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही गलत है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी उपयोगिता का विश्लेषण और इसका उपयोग हमारे स्तर पर नहीं किया जाकर के आई. सी. ए. आर. जो है उसने इसका विश्लेषण करके आई. सी. ए. आर. को यह निर्देशित किया कि सैण्ट्रल फार्म्स जो आविका-नगर और बीकानेर हैं उन पर इन मशीनों को स्थापित कर दिया जाये।

जहां तक ऊंट के चारे का सवाल है वह एक ही प्रकार का चारा तैयार करते हैं जौ से, जौ को पहले वह भिगो देते हैं फिर उस जौ को ट्रे में डालते हैं फिर दिन में चार बार उसमें पानी छिड़कते हैं और फिर वह जौ 20 से 22 सेंटीमीटर तैयार हो जाता है फिर उसको काटकर के इसको दूसरे चारे के साथ ऊंट को भी खिलाते हैं और भेड़ों को भी खिलाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जितना चारा प्रोडक्शन में जितना पैसा खर्च होता है वह लागत ज्यादा आती है और जो बेचते हैं उसकी लागत कम है।

दूसरा क्या यह सही है कि आई. सी. ए. आर. ने राज्य सरकार पर इसलिए दबाव डाला कि आई. सी. ए. आर. के ऊपर + + + क्या यह सही है कि + + + राज्य सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह जी, आपके पास कोई चीज है ?

श्री नाथू सिंह : मैं पूछ क्या रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : जबानी नहीं, यह गलत बात है। बिना प्रूफ के नहीं। यह नोट नहीं करेंगे।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह 26 मशीनें राजस्थान में लगाने की इसलिए परमिशन दी गयी कि संजीवनी फाडर को 1 करोड़ 69 लाख रुपये का ऋण दिया गया। लेकिन उनमें से एक भी मशीन राजस्थान में चारा पैदा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथू सिंह)

नहीं कर रही है, यहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है चारे का क्योंकि उनमें से चारा मशीन लग नहीं पायी हैं राजस्थान में। क्या यह सही नहीं है कि एक करोड़ 69 लाख रुपये का लोन राज्य सरकार को चुकाया नहीं जा रहा है और कुछ दिन पहले उनके प्रतिनिधियों ने आकर राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की है ? क्या यह सही है कि जिसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी में साढ़े तीन करोड़ रुपये का चूना लगाया है, छूट दी है....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं कस्टम्स ड्यूटी का, दैट इज नाट ए स्टेट सब्जेक्ट।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि + + +

श्रीमती कमला : इस तरह के बेबुनियाद और बिना किसी प्रमाण के...

श्री अध्यक्ष : यह लिखा नहीं जायेगा। चार्ज नोट नहीं करेंगे। कोई सब्सटैंस दीजिएगा मुझे।

श्री नाथू सिंह : 26 मशीनें आपने खरीदी हैं। जैसलमेर के अन्दर 14 मशीनें लगनी थीं, क्या लग गयीं ? 12 मशीनें बंगरू में लगनी थीं, क्या लग गयीं ? दो मशीनें आई. सी. ए आर. में भेजी थीं टैस्टिंग के लिए कि इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या रिजल्ट रहा, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंहजी। पहले, शोषत सिंहजी।

श्री शोषत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल पूछा था वह मन्त्री महोदया ने बताया नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि अब आप उसकी क्या उपयोगिता समझते हैं ? हमारा ट्रेडिशनल चारा पैदा करने का जो तरीका है वह सस्ता है या यह सस्ता है ? यह आपने कोई हाथी तो नहीं बांध लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंहजी।

श्री नवरंग सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि यह जो मशीनें खरीदी गयी हैं, क्या यह बात सही है कि भारत कृषक समाज के जो अध्यक्ष हैं, नाम लेने पर आप एतराज करेंगे वर्तमान में, क्या उन्होंने राज्य सरकार को कोई इस तरह का पत्र लिखा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके भाई हैं।

श्री नवरंग सिंह : भाई हैं, उसमें कोई फर्क थोड़े ही है, बोलने में मेरा तो खुद का भी है लेकिन एतराज हो तो यह चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : नहीं, आई सी. ए. आर. का कह दिया।

श्री नवरंग सिंह : क्या यह बात सही है, जैसा कि चर्चा में है कि भारत कृषक समाज के अध्यक्ष + + + ने राज्य सरकार को पत्र लिखा ? जैसा राजस्थान को लिखा

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नवरंग सिंह)

वैसा दूसरी स्टेट्स को भी लिखा ? उसी पत्र के कारण, दबाव के कारण राजस्थान सरकार ने इनको खरीदा, जबकि इसका कोई उपयोग नहीं था ? मन्त्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज उसका न बीकानेर में ऊंटों के लिए उपयोग है और न मालपुरा भेड़ों के लिए उपयोग है। जो नैचुरल चारा प्रकृति से पैदा होता है वही चारा काम में आता है। ऊंट तो मुख्यतः आप परिचित हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न कर चुके आप।

श्री नवरंग सिंह : कि ज्यादातर लूंग और फलसी का ही उपयोग करता है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा, मेरे सवाल का जवाब बतायें कि यह जो पत्र लिखा इस पत्र के कारण, दबाव के कारण आपने यह काम किया है।

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा ...

श्री शोपत सिंह : पहले यह जवाब आने दें कि कितना उपयोगी समझते हैं। प्राकृतिक चारा पैदा कर रहे हैं वह ठीक है या इस मशीन का चारा ठीक है, इसका जवाब दो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या यह सही है कि इस मशीन पर जो छूट मिली हुई थी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से उस छूट का भी राज्य सरकार द्वारा पेमेण्ट किया गया ? नम्बर दो, क्या अपन ने जो लोन दिया उतनी मशीनें नहीं दीं। क्या अपने पास यह रिपोर्ट आयी है कि इनका हमारे पास कोई उपयोग नहीं है ? नम्बर तीन, क्या यह सही है कि ऊंट जौ का चारा कभी नहीं खाता, इसलिए आपने सदन को जानबूझकर इस सम्बन्ध में गुमराह किया है ? ऊंट का तो नवरंग सिंहजी जानते हैं, क्या खाता है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : घनश्यामजी, आपने कभी ऊंट चराया है क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, चराया है मैंने और ऊंट पर बैठा भी हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय तोसावड़ाजी, बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चराया क्या अभी चरा रहा हूं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मैंने चराया है, मेरे पास तो रहा है ऊंट, इसलिए कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय तोसावड़ाजी, कृपया इण्टरप्ट न करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरे पास बकरी, भेड़ नहीं है बाकी गाय, भैंस, ऊंट सब हैं मेरे पास इसलिए मुझे मालूम है। आपको पता नहीं है ऊंट क्या खाता है।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आप और हमने तो बकरियां चरायी हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : केवल विधान सभा के अन्दर ही असत्य बात

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

रखते हो आपने ऊंट चराया ही नहीं कभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इन मशीनों के लिए जो लोन दिया वह + + + के कारण दिया गया ? यह मशीन वाले ब्रूनो और बाण्डी + + + जिनके कारण से राज्य कोष को डेढ़ करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया।

श्री अध्यक्ष : क्या उनको ऋण दिया, बस इतना ही। यह नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, ऋण दिया और + + + नुकसान हुआ।

श्री अध्यक्ष : बस और कुछ नहीं, + + + नहीं चलेगा।

श्रीमती कमला : आपके पास सिफारिश पत्र की प्रतिलिपि है क्या ? बताइये आप, है तो जरूर मैं आपकी बात मानूं। वर्ना इस तरह से जबानी कोई बात कहकर आप किसी पर लांछन नहीं लगा सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभी समाचार पत्रों में छपा है। सी. ए. जी. से जाँच कराने की बात थी, सी. ए. जी. से जांच कराने को भी आप लोक सभा में तैयार नहीं हुए। वहाँ सारे पत्र लोक सभा के पटल पर रखे हुए हैं, यही आपको ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, कृपया बैठिये। श्री सम्पत सिंह।

श्री नाथू सिंह : यह रही कापी, + + + जो पत्र लिखा उसकी कापी यह रही।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह। नो-नो।

श्रीमती कमला : मुझे आप दीजिए पत्र की प्रतिलिपि।

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउड।

श्री नाथू सिंह : आप कहें तो यह पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं अलाउ करूंगा, अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + + स्वीकार किया है कि मैंने पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष : अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिए उन्हें, नॉट अलाउड।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या अलाउ नहीं कर रहे हैं ? एक लैटर है, कोई चार्ज नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : कैसे अलाउ नहीं कर रहे आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई चार्ज लगाते हैं पहले मुझे कहें।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

I will look into it. I will examine and then I will give the permission. Not at him. I will give you permission surely, if you believe me. यह नहीं, अचानक नहीं चलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : परमिशन किस बात की ? एक लैटर है।

श्री अध्यक्ष : कायदा है, नियम हैं, नियमों से लगायेंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है कि नाथू सिंहजी के पास कोई इस प्रकार का लैटर है क्या जिसमें सीधे रूप में दबाव डाला हो ? राय दी जा सकती है। लैटर के अन्दर दबाव डाला हो कि इसको आपको खरीदना पड़ेगा, क्या ऐसा लिखा हुआ है ? यदि ऐसा नहीं लिखा है तो असत्य बात बोल रहे हैं। लैटर तो कई लिखे जा सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, लैटर आने दीजिए।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : लैटर तो कई आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह लैटर गलत है। आप और हम लैटर लिख सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं। उनकी भाषा के अन्दर टाइप करवा कर दे सकते हैं। खाली अखबारों की कटिंग कोई सच्ची नहीं मानी जाती।

श्री अध्यक्ष : माननीय तोसावड़ा जी, कृपया मानें। श्री सम्पत सिंह। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह लैटर क्यों नहीं पढ़ा जा सकता ? यह समझा दीजिए, आप, यह एक लैटर ही तो है।

श्री अध्यक्ष : चार्ज लगाने के लिए नियमों में जो है, आप देख लीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो लैटर है वह पढ़ा जायेगा। लैटर क्यों नहीं पढ़ा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नियम में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या नियमों में है ?

श्री अध्यक्ष : 273 में है। किसी पर चार्ज बिना नोटिस के नहीं लगा सकते।

श्री यदुनाथ सिंह : + + +

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कार्य संचालन के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, स्पष्ट प्रावधान है....

श्री अध्यक्ष : छोड़ो इसे।

श्री रघुनाथ परिहार : जब तक नियमों के अन्तर्गत नोटिस नहीं दें कोई आरोप नहीं लगाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय, इम्पोंटेन्ट क्वश्चन।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई चार्ज नहीं, उनका खुद का लैटर है। वही पढ़ रहे हैं। क्या चार्ज है उसमें ? खुद का लैटर पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवरजी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : है कहां लैटर ?

श्री सी पी. जोशी : कहां है लैटर, लैटर बताओ। है तो फिर हाउस के पटल पर रख दो। आप इसको ले करो, क्या तकलीफ है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लैटर बता रहे हैं उसका भी जवाब मैं दे दूंगी, कृपया शान्ति रखिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया इसको अलाउ नहीं करूंगा। मुझे देंगे आप।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यहां रख दें मेज पर।

श्रीमती कमला : यदि उनके पास लैटर है तो सदन की मेज पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : मुझे दीजिए मैं देखूंगा। इसका जवाब मिलेगा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : केवल सदन को गुमराह नहीं करें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह विदेश की कौनसी फर्म थी, कौन सी कम्पनी थी जिसकी मशीनें यहां लायी गयीं, जिनको मंजूरी दी गयी, चाहे राज्य सरकार ने दी, चाहे + + + केन्द्र सरकार ने दिलायी, किसी ने दिलायी। इस फर्म का क्या नाम है ? इसने कोई बिजनैस पहले आपरेट किया था हिन्दुस्तान में या राजस्थान में ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हरा चारा उगाने की मशीनें, हरा चारा उगाने की प्रवृत्ति वहां उपयोगी है जहां जमीन कम हो, पानी, बिजली, जमीन, तीनों की व्यवस्था नहीं हो। अकाल के वक्त में हमारे राजस्थान के किसानों ने हरा चारा उगाने के लिए तमाम दरख्वास्तें दी थीं कि हम हरा चारा उगायेंगे, हमको बिजली के कनेक्शन दो। तब तो आपने जिले में पांच कनेक्शन से ज्यादा देना मंजूर नहीं किया। अब क्या वजह आ गयी कि जमीन होते हुए, बिजली होते हुए, पानी होते हुए हरा चारा उगाने के लिए छोटे किसानों को तो मोहलत नहीं दी गयी और इस मशीन के लिए इतनी प्रिविलेज, इतने प्रिफरेंस क्यों दी गयी ? यह मशीनें फिर राजस्थान से आन्ध्र प्रदेश को चली गयीं, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नत्थी सिंहजी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जितनी मशीनों की इजाजत इस संजीवनी फाडर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दी गयी थी उसके अलावा पाँच मशीनें स्मगल करके लायी गयी थीं और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने दो मशीनें 12 लाख में और एक मशीन साढ़े

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नत्थी सिंह)

छः लाख रुपये में टूल अन्वेषण इन्स्टीट्यूट ने स्मगल्ड मशीनों में से खरीदी ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या संजीवनी फोडर प्रोडेक्शन प्राइवेट लिमिटेड को जो 1 करोड़ 60 लाख 90 हजार का कर्जा राजस्थान सरकार ने दिया वह विदेशी मुद्रा में दिया गया ? और यह विदेशी मुद्रा में जो कर्जा दिया गया वह कृषक समाज के अध्यक्ष महोदय, +++ मुख्यमन्त्री जी को कोई उन्होंने चिट्ठी लिखी क्या, इस पर दिया गया है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मानिक जी।.... मैं दूंगा, वन-बाई-वन।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष जी, मैं 4 सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं—बीकानेर और डिग्गी में यह मशीनें किस-किस तारीख को स्थापित की की गयी और स्थापित होने के बाद साल में यह कितने दिन चली ? क्या यह मशीनें एक शिफ्ट में चल रही हैं, दो शिफ्ट में चल रही हैं या तीन शिफ्ट में चल रही हैं ? और आपने जो 7 से 9 क्विंटल और एक जगह 8 से 9 क्विंटल के करीब प्रतिदिन का प्रोडक्शन बतलाया, उसमें कितना बीज लगा जिससे कि हरा चारा पैदा हुआ ? हरा चारा कौन-कौन सा उगाया गया और जो बीज उन मशीनों में उपयोग में आया वह कितने हैक्टेयर जमीन में पैदा होता है, राजस्थान के कितनी हैक्टेयर जमीन में प्रति-दिन जो उसमें बीज डालते हैं जिससे वह हरा चारा पैदा होता है और आपका प्रशासनिक खर्चा इन मशीनों को दोनों जगह चलाने का कितना-कितना है ? यह भी आप बतलायें। और इसके साथ यह भी बतलायें कि प्रति क्विंटल, प्रति टन इसकी आपकी कास्टिंग क्या होगी और राजस्थान के हरे चारे से यह सस्ता है या मंहगा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजेन्द्रपालसिंह जी।

श्री विजेन्द्रपालसिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, जब से यह कन्ट्रोवर्सी शुरू हुई है। उसके बाद में जब यह मशीनें मालपुरा के अन्दर 10 किलो मीटर दूर वहां पर लगायी गयीं, मैं जाकर देखकर आया हूं और मैंने वहां पर लोगों से बात-चीत भी की है, उन्होंने मुझे यह बताया कि यह बिल्कुल इकोनॉमिकली वायेबल नहीं है और जितनी घास निकलती है वह बहुत कम तादाद के अन्दर निकलती है और यह बिलकुल इकोनॉमिकली वायेबल नहीं है, इसका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरीशजी।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब आने दीजिये, सप्लीमेन्ट्री का जवाब आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है....

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पसन्द नहीं करते हैं कि कोई जवाब आये, आप जवाब तो आने दीजिये।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मैं दे रहा हूं....

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह मशीनें किन शर्तों पर उपलब्ध करवायीं गयीं और इन मशीनों के लिए आपने जो लोन दिया वह किन शर्तों पर दिया और कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया ? यह आप बता दीजिये।

अध्यक्ष : माननीय विद्या जी खतम करिये।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से मैं पूछना चाहूंगी, इन 50 मशीनों के अलावा यह अनकाउन्टेड मशीनें आयीं उनमें से राजस्थान ने 3 मशीनें खरीदीं–आपने डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए 6 लाख रुपये प्रति मशीन के हिसाब से 2 मशीनें खरीदीं और एक मशीन केवल रिसर्च इन्स्टीट्यूट राजस्थान ने साढ़े 6 लाख में खरीदी, यह इतना अन्तर होने का क्या कारण है ? एक जगह राजस्थान में आप 6 लाख में ले रहे हैं और दूसरी जगह साढ़े 6 लाख में ले रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो आपकी शेयर मनी से चलता है रीको, उसने 78.9 लाख रुपये की बगरु में 12 मशीनें खरीदी उनमें से सिर्फ एक पार्शली चल रही है और जैसलमेर के लिये खरीदी वह तो एक भी पहुंची ही नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि 1 करोड़ 24 लाख रुपये का आपका इन्टरेस्ट बनता था रीको का उसमें से भी सिर्फ उन्होंने 2 लाख रुपया दिया, इतना लोस उठाने का शौक राजस्थान गवर्नमेंट ने क्यों फरमाया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि उत्पादन का खर्च और बिक्री की कीमत कितनी होती है ? सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो उत्पादन किया जाता है। यह सैन्ट्रल फार्म में ही उपयोग हो जाता है, इसकी बाहर कोई बिक्री नहीं होती है। उत्पादन खर्चा इसका 72 पैसे के करीब आता है और अगर हम दूसरा हमारा चारा चाहे रिजका है चाहे चरी है। वह अगर जमीन पर बौ कर उत्पादित करें तो उसका खर्चा इससे कम आता है, वह करीब 20 पैसे या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा आता है अलग-अलग जमीनों और सुविधाओं के हिसाब से।

दूसरी बात, इसकी क्या उपयोगिता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो आइटम्स हैं, वह अलग-अलग हैं हम उनको एक साथ मिला रहे हैं इसलिये कुछ भ्रान्ति पैदा हो रही है। एक आइटम वह है जो डिमास्ट्रेशन के लिये, परीक्षण के लिये भारत सरकार ने लेना पसन्द किया और उनको कुछ-कुछ कालेजेज या रिसर्च सेन्टर्स के ऊपर भेजा वह 6 लाख 80 हजार के अन्दर एक मशीन हमने ली और दो मशीनें ली हैं। हमने कोई तीसरी मशीन नहीं ली है....

श्रीमती विद्या पाठक : 2 मशीनें 6 लाख में ली हैं और तीसरी....

श्रीमती कमला : 6 लाख 80 हजार में ली है मैं बता रही हूं....

श्रीमती विद्या पाठक : सारी मशीनें यूनिफार्म रेट पर....

श्रीमती कमला : तीन मशीनें कोई नहीं ली हैं···आप विराजें ना, मैं बता रही हूं 3 मशीनें हमने नहीं ली हैं हमने सिर्फ दो मशीनें भारत सरकार के निर्देश पर उन्होंने जहां कहा, वहां स्थापित करने के लिये उन्हीं के पैसे से खरीदी और एक-एक मशीन 6 लाख 80 हजार में खरीदी है इसलिये उसका कोई सवाल ही नहीं है, तीसरी न तो कोई स्मगल्ड खरीदी और न कोई बिना स्मगल्ड खरीदी।

जहां तक बगरु और जैसलमेर का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग मुद्दा है क्यों संजीवनी फोडर प्रोडक्शन या जो भी उसका नाम है उसने यह अपनी यूनिट एक इण्डस्ट्री के तौर पर लगाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, रीको से लोनिंग लिया और 12 मशीनें बगरु में और 12 मशीनें जैसलमेर में लगाने का प्रस्ताव किया। 12 मशीनें बगरु में उन्होंने लगा दीं और तेरहवीं मशीन डिमान्स्ट्रेशन के लिये वहां गांव में भेजते हैं। वह सिर्फ 300–400 किलोग्राम चारा वह अभी तैयार कर रही हैं लेकिन वह भी कोई इतने से लोग खरीदने के लिये तैयार हुए हैं दूसरे कोई खरीद नहीं रहे हैं। यानि प्राइवेट सैक्टर में उसको खरीदने की अभी उनके पास कोई व्यवस्था, कोई इन्सेन्टिव लोगों के पास नहीं है इसलिये उसकी कोई खरीद बिक्री की आज मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता रही हूं, जैसलमेर में लगाना चाह रहे थे उसके लिये उन्होंने कहा कि जगह उपयुक्त नहीं है इसलिये हम स्थान बदलना चाहते हैं। अब यह सारा रीको से सम्बन्धित मामला है, संजीवनी को कितना लोनिंग दिया, किन टर्म्स व कन्डीशन्स पर दिया, कैसे उसकी रिकवरी होगी, क्यों उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लिया? यह अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न किया जाना चाहिये यह उस विभाग से ताल्लुकात रखता है इसलिये मैं इसका जवाब देने में समर्थ नहीं हूं।

जहां तक इन दो मशीनों का सवाल है और यहां पर यह पूछा गया कि ऊंट क्या ज्वारे खाता है? हां, आज के युग में खा रहा है....(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : ऊंट, आप देख कर आयी है क्या?

श्रीमती कमला : आप जाकर बीकानेर में देख कर तो आयें पहले आप इस बात से आश्चर्यचकित हो जायेंगे....

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऊंट ज्वारे नहीं खा सकता है यह जो आप बता रही हैं जो ऊंट नहीं खाता है....

श्रीमती कमला : आप बिना देखे कह रहे हैं। जो दूसरा चारा ऊंट खाता है। उसके अन्दर मिलाकर दे रहे हैं और ऊंट उसे आराम से खा रहा है और भेड़ भी खा रही है....(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : आप बता दीजिये कि जो ऊंट का चारा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिये, माननीय शोपतसिंह जी।

श्री शोपतसिंह : जौ भेड़ और ऊंट का चारा नहीं है, क्या बात कह रही है आप ? (व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सरासर असत्य बोल रही हैं राजस्थान का ऊंट यह चारा नहीं खाता है। माननीय मंत्री महोदय, कांग्रेस का ऊंट खाता हो तो मैं नहीं कह सकता, आपका ऊंट खा रहा होगा....

श्रीमती कमला : नहीं विपक्ष का ऊंट भी खा रहा है आप जाकर देख सकते हैं....

श्री नाथू सिंह : यह 21वीं सदी के ऊंट खा रहे हैं राजस्थान में.... (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : 12 मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं....

श्रीमती कमला : बीसवीं सदी का ऊंट खा रहा है, विपक्ष का ऊंट भी खा रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी 15 मई तक बगरु में एक मशीन भी काम नहीं कर रही थी....

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता से आपसे निवेदन कर रही हूं मैं कोई गलत बयानी सदन के सामने नहीं कर सकती हूं इसलिये मैं बिल्कुल सही उल्लेख कर रही हूं.... (व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुन लीजिये आप बिराजें तो अच्छा रहेगा। ऊंट अकेला यह ज्वारे का फोडर नहीं खाता है, दूसरे जो उसके ट्रेडिशनल फोडर हैं उनके साथ मिला कर के, काट कर के उनको दिया जाता है और वह खाते हैं.... अब आप रहने दीजिये, आप जाकर देख आइये पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चारे में क्यों मिलावट करती हैं मंत्री महोदया ?

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब सुन लीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न यह पूछा, माननीय सदस्यों ने कोई+ + +पत्र की प्रतिलिपि पेश करने का मन किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह सिर्फ डिमान्स्ट्रेशन मशीन के लिये उन्होंने भारत कृषक समाज की तरफ से लिखा हो सकता है लेकिन इसकी यूनिट्स लगाने के लिये, इनको लोन देने के लिये, इनकी यह मदद कीजिये मैं समझती हूं इससे उनका न तो कोई ताल्लुक है और न उन्होंने ऐसा कोई लिखा होगा। इसलिये इस मामले में आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा माननीय सुराना जी ने यह पूछा कि जितना एक किलो सात सौ ग्राम एक ट्रे के अन्दर जो बीज डाला जाता है, उसमें लगता है अगर उसको धरती पर बोया जाय तो उससे कितना पैदा किया जा सकता है ? कितना पैदा किया जा सकता है। यह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी नहीं किया। आप वह चाहेंगे तो मैं केलकूलेट करके बता दूंगी।

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : यह संजीवनी बूटी है कांग्रेस सरकार के लिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह मशीनें तो मंगा ली गई लेकिन किसानों को हरा चारा उगाने के लिये मोहलत क्यों नहीं दी गयी? इसका जवाब तो दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराना : यह भी जवाब दीजिये कि दो शिफ्ट चली है, तीन शिफ्ट चली है। कन्टीन्यूअसली दो चल सकती है या तीन चल सकती है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि चार बार उनको पानी दिया जाता है। शिफ्ट तो राउण्ड दी क्लॉक चलती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां मशीनें लग गयीं अगस्त–सितम्बर के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी। प्रश्न काल समाप्त हो गया। (व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त होता है। नाट अलाउड। (व्यवधान)

श्री हंसराज मिढ़ा : मैं सरकार को चैलेन्ज करता हूं कि इन मशीनों का पैसा गंगानगर में उधर फ्लड का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है उस पर लगा दिया जाय तो एक लाख किलो चारा हम ज्यादा पैदा कर सकते हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–1 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 436

(स्थगित)

जिला सीकर में कृषि कूप कनेक्शन

437. श्री केशर देव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि कूप कनेक्शन के कुल कितने आवेदन-पत्र कब से लम्बित हैं? विवरण पंचायत समितिवार, वर्ष वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष उक्त क्षेत्रों में किस-किस गांव के लिए कितने-कितने कृषि कूप कनेक्शन्स दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य निर्धारित करने हेतु क्या आधार बनाया गया है?

(3) विचाराधीन शेष आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए क्या योजना है?

(4) मार्च, 1989 तक लक्ष्मणगढ़ (सीकर) नगरपालिका क्षेत्र में कितने कृषि कुओं के नये कनेक्शन का लक्ष्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये था कितने कृषि कुओं को नये कनेक्शन दिये गये और कितने को नहीं?

उत्तर

(1) सीकर जिले में पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में कृषि के क्रमशः 1190 व 450 आवेदन-पत्र लम्बित हैं जिनका ग्रामवार वर्ष वार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जिलेवार, पंचायत समितिवार एवं श्रेणीवार लक्ष्य निर्धारण अभी विचाराधीन हैं। अतः निश्चित रूप से इस विषय में कुछ कहना अभी संभव नहीं है।

(3) विचाराधीन शेष आवेदन-पत्रों को राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप ही आगामी वर्षों में वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किये जाने वाले लक्ष्यों के अनुसार ही निपटाया जा सकेगा।

(4) नगरपालिका क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि कनेक्शन के अलग से कोई लक्ष्य 1988–89 में प्रस्तावित नहीं थे। लक्ष्यों का निर्धारण पंचायत समितिवार ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में किया जाता है और शहरी क्षेत्र में कनेक्शन वरीयता के आधार पर अन्य कनेक्शनों की भांति किये जाते हैं। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 2 कनेक्शन अनुसूचित जाति के दिये हुये हैं तथा अनुसूचित जनजाति का एक भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

गांव पीसांगन से पिचौलिया (अजमेर) तक पक्की सड़क का निर्माण

438. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पीसांगन से पिचौलिया गांव तक कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर ने पक्की सड़क का निर्माण करा रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह सड़क जगह-जगह से उखड़ गई है जिसके कारण आवागमन में बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंडी समिति इस सड़क का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सड़क मंडी समिति ने नहीं बनाई है, अतः पुनः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता। विद्यमान सड़क यदि उखड़ गई है तो उससे आवागमन में असुविधा स्वाभाविक है।

रानी बाजार (बीकानेर) इण्डस्ट्रियल एरिया

439. **श्री उम्मेद सिंह** (शिव) : एवं

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर स्थित रानी बाजार इण्डस्ट्रीयल एरिया की भूमि राज्य सरकार ने रीको को कब हस्तान्तरित की थी ?

(श्री उम्मेदसिंह)

(2) उक्त भूमि किस ग्राम, किस खसरा नम्बर मय बीघा की थी व कितनी बीघा भूमि दी गई ? ब्यौरा मय नक्शा व जमाबंदी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि जिलाधीश, बीकानेर ने अवाप्त की थी ? यदि हां, तो अवाप्त भूमि का क्षेत्र, खसरा नम्बर तथा किस ग्राम की थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भूमि का मुआवजा राज्य सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को, कितने क्षेत्र के लिए तथा कितने रुपये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर स्थित रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र की भूमि राज्य सरकार (उद्योग विभाग) ने रीको को वर्ष 1979-80 में हस्तांतरित की थी।

(2) उपरोक्त भूमि ग्राम शिवबाड़ी की पूर्व में आगोर तालाब के नाम से दर्ज थी। यह भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में होने के कारण जमाबन्दी नहीं बनती थी। नकल गिरदावरी (परिशिष्ट क) व नक्शा (परिशिष्ट ख) संलग्न है।

(3) उक्त भूमि ग्राम शिवबाड़ी के ख. नं. 1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, ख. नं. 2 रकबा 1.2 बीघा, 3 रकबा 3.3 बीघा, ख. नं. 4 रकबा 3.13 बीघा, 6 रकबा 9.3 बीघा 8 रकबा 174.1 बीघा, 11 रकबा 3.3 बीघा, 12 रकबा 2.11 बीघा एवं ख. नं. 13 रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा की कुल 257 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी जो पूरी ही दी गई।

उक्त भूमि राजकीय भूमि होने के कारण अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(4) राजकीय भूमि होने के कारण मुआवजा देने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(नकल, गिरदावरी व नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सम्पर्क सड़कों का निर्माण

440. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त ही कृषि उपज मण्डी समिति सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराती है ?

(2) क्या प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में भी कृषि उपज मण्डी समिति सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवा सकती है ? जयपुर-अहमदाबाद सड़क से कृषि उपज मण्डी यार्ड डूंगरपुर तक सम्पर्क सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(कृषि मंत्री)

(2) जी नहीं। उदयपुर–अहमदाबाद सड़क से कृषि उपज मण्डी डूंगरपुर तक की सड़क नहीं बनाई गई है। डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली सड़क से मुख्य मण्डी यार्ड को जोड़ने हेतु 1.5 कि.मी. एप्रोच रोड के निर्माण हेतु दो लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निदेशक द्वारा दी गई है। स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

कृषि उपज मण्डियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

441. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सेवा नियमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में 12½% कोटा निर्धारित किया गया है ?

(2) यदि हां, तो कृषि उपज मण्डियों में उक्त कोटे को अभी तक 10 प्रतिशत ही रखे जाने के क्या कारण हैं तथा अभी तक संशोधन नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशालय कृषि विपणन ने उक्त सन्दर्भित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक आदेश जारी किये जाने में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

(4) अब कब तक उक्त आदेश मण्डी समितियों में लागू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी-कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में 12½% कोटा निर्धारित किये जाने हेतु राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियमों में संशोधन हेतु प्रस्तावित प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां।

(3) उक्त नियमों को लागू करने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(4) उपरोक्त निर्णय होने के उपरान्त संशोधित नियमों को लागू कर दिये जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या 442

(स्थगित)

कृषि कुओं को विद्युत् कनेक्शन की नई नीति

443. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

एवं **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या इस वर्ष राज्य में कृषि कुओं को विद्युत् कनेक्शन देने की नई नीति घोषित की है ? यदि हां, तो क्या ? प्राथमिकताएं किन-किन को किस प्रकार से दी जावेगी ? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की

(श्री रामदेव चौधरी)

प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष कितने ग्रामों को और कितने कुओं को विद्युतीकृत किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हों, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989-90 के लिये राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के 17,000 कुओं के सापेक्ष 30,000 कुओं के विद्युतीकरण की घोषणा की है तथा आदेश क्रमांक प. (69) ऊर्जा/89 दिनांक 11.5.1989 के द्वारा कृषि कुओं के विद्युतीकरण हेतु श्रेणीवार लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण विषयक निर्देश जारी किये हैं। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) इस वर्ष (1989-90) राज्य में 2,000 ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 30,000 कृषि कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि कुओं के संबंध में उक्त आदेश दि. 11.5.1189 को प्रसारित हुआ है जिसकी प्रति संलग्न कर दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

चूरू जिले के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

444. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू हैं तथा उन्हें कौन-कौन चला रहे हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन केन्द्रों का कब-कब अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया तथा किस-किस अधिकारी ने निरीक्षण किया ?

(3) क्या चूरू जिले जितने में भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र मंजूर हैं वे सभी वर्तमान में चालू हैं ?

(4) क्या ग्राम पंचायत, घानोरी बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू के ग्राम घानोरी बड़ी, ग्राम डुमकी, ग्राम न्यागल बड़ी एवं ग्राम न्यागल छोटी में सभी प्रौढ़ शिक्षा आज भी नियमानुसार चालू हैं ? यदि हां, तो इन्हें कौन-कौन संचालित कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में 700 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू हैं तथा इन केन्द्रों को चला रहे अनुदेशकों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) इन केन्द्रों का, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। इनके द्वारा किये गये निरीक्षण सम्बन्धी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। चूरू जिले में 700 केन्द्र स्वीकृत हैं एवं सभी वर्तमान में चालू हैं।

(3 व 4) ग्राम पंचायत घानोरी बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू के ग्राम घानोरी

(शिक्षा मन्त्री)

बड़ी, दुमकी व न्यागल में चल रहे प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अनुदेशक का नाम
1.	घानोरी बड़ी	सलोचना
2.	घानोरी बड़ी	सुनहरी
3.	दुमकी	राजवाला
4.	दुमकी	राजवाला जाट
5.	न्यागल छोटी	पेमा राय
		मायापति
		दुर्गा देवी
		राम प्रसाद
6.	न्यागल बड़ी	कोई नहीं

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पाली जिले के गरीब काश्तकारों को अनुदानित सामग्री का वितरण

445. श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), पाली द्वारा वर्ष 1988–89 में रबी वृहद् प्रदर्शनों का आयोजन कर गरीब काश्तकारों में उर्वरक, बीज एवं दवाइयां अनुदान स्वरूप वितरित की गई? कृपया ऐसे काश्तकारों की सूची मय नाम, गांव एवं प्रदर्शित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डा. जे. के. जैन, सहायक निदेशक, कृषि (वि.) पाली के विरुद्ध फर्जी काश्तकारों की सूची बनाकर हजारों रुपये हड़पने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो ऐसी शिकायत का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि डा. जैन के विरुद्ध इस प्रकार के घपले की कई शिकायतें हैं? कृपया डा जैन के सेवाकाल में इस तरह के घपलों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार डॉ. जैन को तत्काल निलम्बित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने व हड़प की गई राशि को वसूल करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रबी में वृहद् प्रदर्शनों के आयोजन का विवरण निम्न प्रकार हैं—

उप जिला पाली	लाभान्वित किसानों की संख्या	राशि जो ली गई
1. सरसों बीज मिनिकिट	1277	निःशुल्क
2. (अ) वृहद् प्रदर्शन सरसों	94	(शत प्रतिशत अधिकतम 600 रुपये)
(ब) ,, ,,	56	(50 प्रतिशत अनुदान पर)
3. बिखरी जनजाति क्षेत्र के गेहूं की खड़ी फसल में उर्वरक प्रदर्शन उपयोग।	69	निःशुल्क

इतने अल्प समय में कृषकवार सूची देना सम्भव नहीं है।

(कृषि मन्त्री)

(2) जी हां। शिकायत की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। डा. जैन के विरुद्ध उनके सेवाकाल में पहले भी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका ब्योरा निम्न हैं:—

(क) वर्ष 1981–82 में जब डॉ. जैन जिला कृषि अधिकारी, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित थे तो उस काल में एक कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति अनियमित रूप से इनके द्वारा की गई थी।

(ख) वर्ष 1988 में डा. जैन द्वारा पाली जिले में खाद के वितरण में कई प्रकार की अनियमिततायें किये जाने के फलस्वरूप विभाग में इनके विरुद्ध एक जांच विचाराधीन है। शिकायतों के आधार पर प्रारम्भिक जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है एवं डा. जैन से उर्वरक निरीक्षक की शक्तियां वापिस ले ली गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) इन शिकायतों की जांच रिपोर्ट आने पर उसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 446
(स्थगित)

पाली जिले में अधिगृहित भूमि के विचाराधीन दावे

447. **श्री भोला राम सैनी** (गुढ़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिले में गत दस वर्षों में सीलिंग कानून में अधिगृहित भूमि के सम्बन्ध में मुआवजे सम्बन्धी कितने दावें विचाराधीन हैं? क्या मुआवजे की राशि के भुगतान सम्बन्धी उपखण्ड स्तर पर व्यवस्था है? विचाराधीन मुआवजे के दावों को कब तक निर्णित किया जायेगा?

उत्तर

पाली जिले में गत दस वर्षों में सीलिंग कानून में अधिगृहीत भूमि के सम्बन्ध में मुआवजे सम्बन्धी 140 मामले विचाराधीन थे इनमें से 100 दावों का निस्तारण कर दिया गया है व 40 मामले निस्तारण से शेष है। मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु उपखण्ड स्तर पर समुचित व्यवस्था है। सीलिंग कानून के अन्तर्गत विचाराधीन मुआवजे के दावों के भुगतान हेतु कार्यवाही सम्पादित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया बनी हुई है जिसके अन्तर्गत आवश्यक जांच व रेकार्ड के सत्यापन के पश्चात् ही नियमानुसार निर्णय लिया जाता है। जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।

नागौर जिले में 33 के. वी. ए. के विद्युत् सब स्टेशन

448. **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में कहां पर 33 के. वी. ए. के विद्युत् सब स्टेशन इस समय बने हुए हैं? पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) कौन-कौन से सब स्टेशन पर कितना-कितना लोड है और उनकी क्षमता क्या-क्या है ?

(3) सब लोड के हिसाब से कहां-कहां पर उक्त सब स्टेशन बनने चाहिये और कहां-कहां पर इस वर्ष प्रस्तावित है और कब तक बना दिये जायेंगे ?

(4) मौजूदा सब स्टेशनों की आपस में कितनी-कितनी दूरी है और नये प्रस्तावित सब स्टेशन बनने के बाद कितनी दूरी रहेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिले में ग्यारह के. वी. ए. की सबसे लम्बी लाइन कौनसी है और नियमानुसार कितनी लम्बी हो सकती है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की वांछित सूचना खण्डवार पंचायत समिति दर्शाते हुए तालिका "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त संलग्न तालिका "अ" में वांछित सूचना दर्शाई गई है।

(3) प्रस्तावित सब स्टेशनों की सूची तालिका "ब" में संलग्न है। इस वर्ष (1989-90) का कार्यक्रम अभी विचाराधीन है।

(4) मौजूदा सब स्टेशनों की दूरी 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन से तालिका "अ" में दर्शाए अनुसार है तथा प्रस्तावित सब-स्टेशनों की दूरी तालिका "ब" में दर्शाई गई है।

(5) जिले में सबसे लम्बी 11 के. वी. लाइन नागौर मे धौलिया डेर की लम्बाई 90 कि. मी. है। किसी भी 11 के. वी. लाइन की लम्बाई उस पर जोड़े गये भार व तार की माप के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

आर. ए. एस. में अनुसूचित जाति/ जनजाति का आरक्षण

449. **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ), **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/ जनजाति का आरक्षण कोटा अब तक पूरा नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा वर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल कितने अधिकारी कहां-कहां किस पद पर कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन वर्गों के अधिकारियों को रोस्टर के अन्तर्गत पदोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा सका है, क्योंकि वर्ष 1987-88

(कार्मिक मंत्री)

में पात्रता सूची में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे ।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) केवल वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में कुछ पद रिक्त हैं जिसके कारण निम्न हैं:—

1. वर्ष 1987–88 में आरक्षण कोटे में पात्र सूची में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उपलब्ध नहीं थे ।
2. वर्ष 1988–89 की विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक सीधी भर्ती व पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता के मध्य विवाद उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण सम्पन नहीं हो सकी है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें ।)

बानसूर (अलवर) में कृषि उपज मण्डी या सब यार्ड

450. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बानसूर में कृषि उपज मण्डी या सब यार्ड बनाने का विभाग के पास कोई प्रस्ताव प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसके लिये विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

उत्तर

जी नहीं । कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के अन्तर्गत बानसूर गौण मण्डी यार्ड स्थापित है ।

कृषि उपज मण्डी (खैरथल) द्वारा सड़कों का निर्माण

451. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील में कितनी व कौन-कौनसी सड़कें कृषि उपज मण्डी खैरथल द्वारा बनाने की स्वीकृति सरकार से मिल गई है ?

(2) कितनी सड़कें व पुलियां प्रस्तावित हैं या मंजूरशुदा हैं ? विभाग कब तक कार्य शुरू करा देगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, खेरथल के अन्तर्गत बानसूर तहसील में निम्न सड़कें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है—

1. मौराड़ी घृतपुरी इशाका बाद बेबेडी 3 कि.मी., 6.00 लाख
2. नयाबास से "बास शैखावत बास फरवानत 6 कि.मी., 12.00 लाख
3. नवलपुरा से रसनाली फूटा जोहड़ 6 कि.मी., 12.00 लाख
4. नारायणपुर से लेकड़ी रोड़ का डामरीकरण 2 कि.मी.

(कृषि मन्त्री)

(2) कोई नवीन सम्पर्क सड़क स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है। हाजीपुर से चूला एवं आलमपुर मुर्दरा, झेंड़ा पुलियायें मंजूरशुदा हैं। जिनके निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कुचामन सिटी व नावां में कृषि विद्युत् कनेक्शन

452. **श्री हरीश कुमावत** (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुचामन सिटी व नावां ए.ई.एन. कार्यालय क्षेत्र में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में अनुसूचित जाति के कितने कृषि विद्युत् कनेक्शन हुए? सूची मय गांव इनके पास होने वाली भूमि का रकबा व खसरा नम्बर बतावें।

(2) चालू वर्ष में अनुसूचित जाति के लोगों के नावां व कुचामन सिटी ए. ई. एन. क्षेत्र से कितने कनेक्शन अब करने प्रस्तावित हैं? उनकी प्राथमिकता सूची मय गांव, भूमि का रकबा व खसरा नम्बर सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुचामन सिटी व नावां सहायक अभियन्ता कार्यालय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कृषि विद्युत कनेक्शन वर्ष 1988-89 व 1989-90 (जून, 89 तक) निम्नानुसार दिये गये हैं:—

क्र.सं.	नाम सहायक अभि. कार्यालय	अनुसूचित जाति के कृषि कार्य हेतु दिये गये कनेक्शनों की संख्या	
		88-89	89-90 (जून, 89)
1	2	3	4
1.	कुचामन सिटी	30	—
2.	नावां	18	1

वांछित सूचना दर्शाते हुए परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) चालू वर्ष का कार्यक्रम अभी विचाराधीन है।

(वांछित सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

श्री जवाहर विद्यापीठ, कानोड (उदयपुर) के संचालक द्वारा दौरे

453. **श्री कुबेर सिंह** (फलासियां) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री जवाहर विद्यापीठ कानोड, जिला उदयपुर के वर्तमान संचालक के पद भार ग्रहण करने से 31 मार्च, 1989 तक कुल कार्य दिवसों में से कितने कार्य दिवस संस्था के कार्य हेतु दौरे पर एवं कितने कार्य दिवस निजी कार्य हेतु बाहर दौरे पर कहां कहां कब-कब रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह)

(2) क्या इनको दौरे पर बाहर जाने पर उक्त संस्था कोई टी. ए., डी. ए. देती है ? यदि हां, तो पद भार ग्रहण करने से 31 मार्च, 1989 तक कितना टी. ए. व डी.ए. संस्था से उठाया ? कृपया इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये यात्रा भत्तों के बिलों की 31 मार्च, 1989 तक 3 माह की सत्य प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्यापीठ एवं इसकी शाखा श्री पं. उदय जैन महाविद्यालय, कानोड जिला उदयपुर में विगत पांच वर्षों में बॉयज फण्ड में कितनी-कितनी राशि जमा हुई ? इनमें से कितनी-कितनी राशि कब-कब किस-किस मद पर व्यय की गई ? प्रत्येक शाखा का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नियमानुसार उक्त राशि को छात्रों के विकास पर ही खर्च करनी होती है ? क्या इस राशि को इस संस्था ने छात्रों के विकास पर खर्च नहीं कर अन्य मद में व्यय किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस प्रकार की घोर अनियमितता करने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। 27105.33 रुपये का टी. ए., डी. ए. उठाया गया। बिलों का विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(3) विद्यापीठ द्वारा संचालित विविध शाखाओं के गत 4 वर्षों के छात्र कोष मद में निम्न प्रकार से आय एवं व्यय रहा। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

आय

वर्ष	मा. वि.	उ. मा. वि.	प्रा.वि.	कन्या
84–85	34346	52617	1476	427
85–86	31928	50942	1515	652
86–87	33154	65200	1144	737
87–88	30267	59668	1698	739

व्यय

वर्ष	मा. वि.	उ. मा. वि.	प्रा.वि.	कन्या
84–85	18575	23864	2078	550
85–86	21878	22006	2192	526
86–87	15014	29347	2163	952
87–88	10708	38210	2395	754

वर्ष 88–89 के खातों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ है।

(4) जी हां, छात्रों के विकास में खर्च की जाती है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार को अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण

454. श्री मोटाराम (सिवाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सिवाना समदडी मार्ग एवं समदडी बालोतरा सड़क मार्ग को राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) इस मार्ग की राष्ट्रीयकरण की योजना विद्यमान में विचाराधीन नहीं है। नये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत नियम बनाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार किया जावेगा।

नागौर में निगम का बस स्टेण्ड

455. श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर में पथ परिवहन निगम बस स्टेण्ड बना हुआ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक बना दिया जायेगा ?

(2) बस स्टेण्ड के अभाव में यात्रियों को क्या सुविधाएं किस प्रकार से दी जा रही हैं ?

(3) क्या बस स्टेण्ड बनाने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कौन से स्थान का तथा निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में संचालन नगरपालिका के द्वारा निर्मित बस स्टेण्ड से किया जाता था। अब दिनांक 29.4.1989 से निगम स्वयं के बस स्टेण्ड से संचालन प्रारम्भ कर दिया है जिसका लगभग चार माह में निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

(2) नये बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु बुक स्टाल, कैन्टीन, प्याऊ, पट्टियां लगाकर छाया की व्यवस्था उपलब्ध कराई हुई है। शौचालय/मूत्रालय निकट ही निगम के आगार कार्यालय में उपलब्ध है जिनका यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

(3) जी हां। निगम की कार्यशाला के पास स्थित रिक्त भूमि पर बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य का कार्यादेश दि. 18.5.89 को जारी कर दिया गया है।

न्यायिक अधिकारियों की मांग

456. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान न्यायिक अधिकारियों की मांगों के विषय में क्या राज्य सरकार के पास कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब ? प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिरदमल सिंघवी)

(2) राज्य सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है? इन मांगों पर कब तक निर्णय पूर्ण कर लिया जावेगा?

(3) क्या केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन के पश्चात् राज्य के अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में भी संशोधन किया गया मगर न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन अभी तक नहीं हो पाये हैं?

(4) क्या यह सही है कि पड़ोसी राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन हो चुके हैं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को राजस्थान न्यायिक अधिकारियों की मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 14-4-89 को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मध्य परामर्श हेतु यह मामला विचाराधीन है व निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है।

(3) जी नहीं। अभी किसी भी कर्मचारी के वेतनमान में केन्द्र के समान संशोधन नहीं किया गया है।

(4) पड़ोसी राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश की सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(प्रतिवेदन की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

कृषि उपज मण्डी, निवाई

457. श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निवाई नगर कृषि उपज मण्डी की वर्ष 1988-89 में कुल कितनी आय हुई एवं किस-किस मद से कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी द्वारा आज तक ग्रामीण कृषकों के हित में क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं? यदि नहीं करवाये गये हैं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में कुल आय 27.40 लाख हुई, जिसका मदवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) कृषकों के हित में मण्डी समिति द्वारा कृषक विश्राम गृह, जल व्यवस्था, पशु विश्राम गृह, प्याऊ, पशु खेल, नीलामी चबूतरे, सम्पर्क सड़क, आदि निर्माण कार्य कराए गए हैं। **(परिशिष्ट-8 अ)**

जयपुर जिले में मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय

458. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर जिले में मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कुल कितने न्यायालय हैं तथा उनमें कितने-कितने दीवानी व फौजदारी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

फौजदारी मुकदमे विचाराधीन हैं ? संख्या सूची पृथकशः सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर जिले में मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कुल 7 न्यायालय हैं। उनमें विचाराधीन दीवानी व फौजदारी मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

फिल्मों को मनोरंजन/विज्ञापन कर से मुक्ति

459. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में किस-किस फिल्म को कब-कब कितने समय के लिए राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 से मुक्त किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त करने के सम्बन्ध में कब से क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

(3) कर मुक्ति से पूर्व के कारणों की किस प्रक्रिया व किन-किन से जांच करवाई जाती है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में कुल 29 फिल्मों को राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है। विवरण संलग्न है।

(2) मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा–7 (2) के अधीन राज्य सरकार को किसी भी चलचित्र को मनोरंजन कर से मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार ने कुछ विशिष्ठ फिल्मों को लोकहित में युक्तियुक्त आधार विद्यमान होने पर मनोरंजन कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 1 अप्रेल, 1988 के द्वारा एक स्कीम जारी की थी। इस स्कीम के अधिक्रमण में एक पुनरीक्षित स्कीम अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 द्वारा जारी की गई है। इन दोनों अधिसूचनाओं की प्रतियां संलग्न है।

(3) संलग्न स्कीमों में प्रक्रिया व जाँच की विधि दर्शाई गई है।

(अधिसूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में भू-राजस्व से छूट

460. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1985 से 1988 तक किस-किस जिले में अकाल की स्थिति रही ?

(2) इस अकाल के कारण प्रत्येक जिले में कुल राजस्व राशि कितनी स्थगित रखनी पड़ी ? जिलावार वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(3) क्या यह सही है कि तीन वर्ष लगातार अकालग्रस्त घोषित क्षेत्रों में प्रथम वर्ष का भू-राजस्व माफ होता है ? यदि हां, तो उपरोक्त तीन वर्षों में किस-किस जिले की किस-किस तहसील में प्रथम वर्ष का भू-राजस्व माफ किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि काश्तकारों से जहां उपरोक्त तीन वर्षों में लगातार अकाल पड़ा है या अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? वहां पर पहिले प्रथम वर्ष का भू-राजस्व वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों उसे रद्द किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1985 से 1988 तक अकाल की स्थिति निम्न प्रकार रही:—

वर्ष	जिले
1985-86	धौलपुर के अलावा समस्त जिले
1986-87	समस्त जिले
1987-88	समस्त जिले

अकाल के कारण स्थगित राशि का वर्षवार जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) जी हां, लगातार तीन वर्ष अकाल घोषित होने पर घोषित क्षेत्र के प्रथम वर्ष का भू-राजस्व नियमानुसार माफ किया जाता है। तीन वर्ष तक लगातार अकाल की स्थिति रहने के कारण।

(3) वर्ष 1985-86 में 4,25,000, 1986-87 में 4,56,000, 1987-88 में 31 लाख 17 हजार रुपये की भू-राजस्व राशि माफ की गई है। प्रश्न के उत्तर हेतु उपलब्ध अल्प समय अवधि में राज्य की समस्त तहसीलों के बाबत चाही गई सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है अतः इस समय उपलब्ध कराने की असमर्थता है।

(4) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के सामने नहीं आया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

निगम में वातानुकूलित बसें

461. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम में वातानुकूलित बसें निगम की हैं या कॉन्ट्रेक्ट पर ली हुई हैं ? यदि कान्ट्रेक्ट पर ली गई हैं तो कितनी, और किन-किन दरों पर ? कृपया दरों, मार्गों व मालिकों के नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है जयपुर-दिल्ली मार्ग पर भी वातानुकूलित बसें चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो यह निगम की हैं, या अन्य व्यक्तियों की ? कृपया नाम मालिक किस दर से और कब से चल रही हैं का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 28-6-86 को जयपुर-दिल्ली मार्ग पर

(श्री दिग्विजय सिंह)

सायं 4.00 बजे चलने वाली बस नं. डी.बी.पी.1445 को वातानुकूलित संयंत्र नहीं चलने की शिकायत यात्रियों द्वारा शिकायत पुस्तिका में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस वातानुकूलित बस की शिकायत कई दफा की गई पर निगम प्रबन्धक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, निगम द्वारा 4 वातानुकूलित बसें अनुबंध पर ली हुई हैं। इन बसों को दी जा रही दरों, आबंटित मार्ग व मालिकों के नाम, पते दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हाँ। ये बसें निगम के साथ अनुबंध पर संचालित हैं। मालिक का नाम, दी जा रही दरें एवं संचालित दिनांक दर्शाते हुए वांछित ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी हां। यात्रियों को यात्रा समाप्ति से पूर्व वातानुकूलित चार्जेज का भुगतान कर दिया गया है तथा नियमानुसार वाहन स्वामी को चालक के व्यवहार एवं वाहन का वातानुकूलन संयंत्र ठीक से कार्य न करने के सम्बन्ध में दिनांक 2-7-89 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वाहन स्वामी का उत्तर प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) पूर्व में भी इस बस के वातानुकूलन संयंत्र एवं वीडियो नहीं चलने के सम्बन्ध में 10-11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनके सम्बन्ध में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं वाहन के वातानुकूलन संयंत्र/वीडियो सही स्थिति में करके मार्ग पर भिजवाने हेतु नोटिस के जरिये निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधि रचना अधिकारी व वरिष्ठ विधि रचनाकार के पद

462. श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधि एवं न्याय विभाग में विधि रचना अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि रचनाकार के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त पदों के कृत्य क्या हैं और इन पदों पर नियुक्ति हेतु क्या योग्यताएं निर्धारित हैं ? कृपया इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों के नाम, मय धारित योग्यता के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग में इन पदों में से कुछ पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त हैं जो निर्धारित योग्यता की पूर्ति नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसे पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधि एवं न्याय विभाग में विधि रचनाधिकारियों के 6 पद और वरिष्ठ विधि रचनाकारों के 9 पद स्वीकृत हैं।

(विधि मन्त्री)

(2) उक्त पदों के कृत्य हैं :—

अंग्रेजी में बनी विधियों तथा अन्य सामग्री के विधि रचनाकारों द्वारा किये गये हिन्दी अनुवाद की संवीक्षा करना ।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित नियमों से विधि रचनाकार के पद का 5 वर्ष का अनुभव होना ही वांछित है। शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है ।

इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों के नामों व योग्यता की सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है ।

(सूची के लिए परिशिष्ट-12 देखें ।)

पंचायत समिति, पीसांगन एवं श्रीनगर में विद्युत कनेक्शन

463. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति पीसांगन एवं श्रीनगर के कितने ग्रामवासियों ने अपने घरों में तथा लघु उद्योग के लिए विद्युत सम्बन्ध लेने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में पत्रावलियां जमा करवा रखी हैं ?

(2) किस-किस गांव की कितनी-कितनी पत्रावलियां कब तक जमा करवाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने घरों में तथा लघु उद्योग पर विद्युत् कनेक्शन देने के लिए कोई पाबन्दी बोर्ड पर नहीं लगाई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों पंचायत समितियों के ग्रामवासियों की पत्रावलियां बड़े लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पत्रावलियों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पीसांगन एवं श्रीनगर के अन्तर्गत आने वाले सहायक अभियन्ता कार्यालय में घरेलू एवं उद्योग के विद्युत सम्बन्ध लेने हेतु नीचे दी गई तालिकानुसार पत्रावलियां जमा हैं :—

क्र.सं.	सहायक अभि. कार्यालय	पंचायत समिति	लम्बित आवेदन पत्र	
			घरेलू	उद्योग
1.	नसीराबाद उप-खण्ड	पीसांगन	1493	184
2.	अजमेर ग्रामीण उप-खण्ड	,,	177	18
3.	विजयनगर ओ. एण्ड एम.	,,	3	2
4.	नसीराबाद ओ. एण्ड एम.	श्रीनगर	597	35
5.	अजमेर ग्रामीण ओ. एण्ड एम.	,,	599	125
6.	किशनगढ़ ग्रामीण	,,	7	6
7.	किशनगढ़ ओ. एण्ड एम.	,,	36	1

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। सीमित वित्तीय साधनों के अनुसार एवं वर्षवार योजनामद में उपलब्ध राशि के अनुरूप ही नियमानुसार लम्बित आवेदनों का निस्तारण सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नागौर जिले में निगम की बसें

464. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में कुछ मार्गों पर रोडवेज कीं बसें चलाने की जनता की मांगें रोडवेज के पास हैं परन्तु बसें नहीं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्ग पर और कब से और क्यों? और बसें कब तक चलाई जायेंगी?

(2) क्या यह भी सही है कि नागौर से जयपुर डीलक्स बस नहीं चलाई जा रही है और इसके लिए बराबर मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्यों नहीं चलाई जा रही है? जबकि करीबन सारे जिला मुख्यालयों पर से डीलक्स बसें चल रही हैं? यह बस कब तक चलाई जायेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि जो बसें नागौर से मेड़ता सिटी होती हुई जाती हैं उनमें से कुछ बसों को मेड़ता रोड होते हुए चलाये जाने की मांग है? यदि हां, तो उक्त मांग की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले के जिन मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने की मांग है, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रेषित है। इन मार्गों पर बसों का संचालन नहीं किये जाने के कारण प्रत्येक मार्ग के सामने अंकितानुसार हैं।

(2) जी हां। नागौर-मकराना-जयपुर मार्ग पर डीलक्स बस का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यदि पर्याप्त सीधा यात्री भार उपलब्ध हुआ तो संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(3) जी हां। नागौर से मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी वाया मुण्डवा-खजवाना-रूण-सिरादना फाटागागूड़ा मार्ग की कुल दूरी 80 कि.मी. है जिसमें से मूण्डवा तक 18 कि.मी. तक का भाग राष्ट्रीयकृत है एवं शेष 62 कि. मी. तक का भाग निजी वाहन स्वामियों का मार्ग है। निगम द्वारा इस मार्ग पर 3 : 6 का स्कोप वृद्धि कर निगम को 2 अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर को दिनांक 7-6-89 को आवेदन किया गया है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन हैं निगम को आवेदित अनुज्ञा पत्र स्वीकृत हो जाने पर उक्तानुसार वाहन सेवाओं का संचालन संभव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

सूरतगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल

465. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में सूरतगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल में कमरों की छतें क्या सही हालत में हैं? यदि नहीं, तो क्यों? इन्हें कब तक सही करवा दी जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ गर्ल्स स्कूल में पिछले वर्षों में छतें गिर चुकी है? जिससे छात्राओं को चोटें भी आई थीं? क्या अब इसकी स्थिति सही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ कालेज की भी बिल्डिंग पहले एक बार गिर चुकी है? क्या अब भवन सही हालत में है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु तेज वर्षा में कभी-कभी छतें टपकती है, जिनकी मरम्मत के लिये इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि स्वीकृत कर दी जावेगी।

(2) जी हां। केवल दो कमरों की मरम्मत शेष है, जिनको ठीक करवाए जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(3) जी नहीं। मात्र एक कमरे की छत गिरी थी। वर्तमान में एक कमरा क्षतिग्रस्त है।

पोषाहार केन्द्र खोलने का मानदण्ड

466. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या महिला बच्चे पोषाहार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पोषाहार केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) चूरू जिले के विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पोषाहार केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह केन्द्र निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही खोले गये हैं? यदि नहीं, तो किस कारण?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पोषाहार केन्द्र खोलने के कार्यक्रम को समाप्त करने जा रही है परन्तु समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं, जिन्हें खोलने के आधार निम्नानुसार हैं :—

1. ग्रामीण व शहरी परियोजनाओं में 1000 की जनसंख्या पर एक केन्द्र खोला जाता है।
2. जनजाति क्षेत्र की परियोजनाओं में 700 की जनसंख्या पर एक केन्द्र खोलने का प्रावधान है।
3. पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों की फैली हुई बसावट को ध्यान में रखते हुए छोटी ढाणियों, जिनकी आबादी 300 है, उनमें भी आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है।

(पोषाहार राज्य मन्त्री)

(2) सूची सदन की पटल पर रख दी है।

(3) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

सब्जी मण्डी (बयाना) का निर्माण

467. श्री बिजेन्द्र सिंह (बयाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बयाना द्वारा निर्माणाधीन सब्जी मण्डी का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? कार्य कब से चल रहा है ?

(2) क्या नवनिर्मित सब्जी मण्डी की दुकानों का सरकार आबंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत निर्माणाधीन सब्जी यार्ड का कार्य वर्ष 83–84 में शुरू कराया गया था। इसमें नाली निर्माण एवं टॉयलेट ब्लॉक के कार्य को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

(2) जी हां। नवनिर्मित सब्जी मण्डी, बयाना की दुकानों का आबंटन तीन माह में कर दिया जायेगा।

अन्ता सब तहसील की क्रमोन्नती

468. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अन्ता और मांगरोल अलग-अलग तहसील थी ? यदि हां, तो इनको कब मिलाया गया और अन्ता को नायब तहसील कौन से वर्ष में बनाया गया ?

(2) यदि उस समय तहसील अन्ता को तोड़कर मांगरोल तहसील में मिलाया गया तो किन कारणों से मिलाया गया ? सब तहसील अन्ता में लगने वाली ग्राम पंचायतें तहसील मुख्यालय मांगरोल से कितने-कितने कि.मी. की दूरी पर हैं ?

(3) क्या नायब तहसील अन्ता क्षेत्र के काश्तकारों को मुख्यालय तहसील मांगरोल पर आने जाने के लिए दो दिन लगता है ? यदि हां, तो अन्ता सब तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की क्या कार्यवाही चल रही है और इसे कब तक तहसील का रूप दे दिया जावेगा और अन्ता-मांगरोल दोनों क्षेत्र की रेवेन्यू की क्या-क्या आय है ?

उत्तर

(1) अन्ता और मांगरोल, रियासत कोटा के समय अलग-अलग तहसीलें थी। अन्ता तहसील को वर्ष 1962 में तोड़ी जाकर तहसील मांगरोल में सम्मिलित किया गया था। अन्ता में नायब तहसील स्थापित करने की तिथि का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(2) वर्ष 1962 में मितव्ययता व प्रशासनिक कारणों से तत्कालीन अन्ता तहसील को तोड़कर तहसील मांगरोल में सम्मिलित किया गया था। अन्ता सब-तहसील की ग्राम पंचायतें तहसील मुख्यालय

(राजस्व मन्त्री)

से लगभग 55 से 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

(3) जी नहीं। मांगरोल तहसील एवं अन्ता उप तहसील का वार्षिक राजस्व क्रमशः 4,96,000/– एवं 2,50,201/– रुपया है। अन्ता उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का कोई प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

करौली में पाठ्य पुस्तक मण्डल के अन्तर्गत रीजनल डिपो

469. श्री शिवचरण सिंह (करौली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाठ्य पुस्तक मण्डल के अन्तर्गत पुस्तकों के डिपो कहाँ-कहां पर हैं ?

(2) डिपो कितने प्रकार के हैं व उनके खोलने का क्या मापदण्ड है ?

(3) क्या यह सत्य है कि करौली में मौजूदा डिपो की बिक्री काफी है और वहां बड़ा डिपो होना चाहिए।

(4) यदि हां, तो वहां रीजनल डिपो कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 43 पुस्तकों के डिपोज स्थापित हैं। सूची संलग्न हैं।

(2) (अ) डिपोज पांच श्रेणी के हैं। गत तीन वर्षों की वार्षिक शुद्ध बिक्री के आधार पर डिपोज का निम्न वर्गीकरण किया जाता है:—

क्र.सं.	श्रेणी डिपो	गत तीन वर्षों की शुद्ध बिक्री
1.	श्रेणी "अ"	रुपये 10 लाख प्रति वर्ष औसत शुद्ध बिक्री से अधिक
2.	श्रेणी "ब"	रुपये 7 लाख से 10 लाख प्रति वर्ष औसत शुद्ध बिक्री से अधिक
3.	श्रेणी "स"	रुपये 4 लाख से 7 लाख प्रति वर्ष औसत शुद्ध बिक्री से अधिक
4.	श्रेणी "द"	रुपये 3 लाख से 4 लाख प्रति वर्ष औसत शुद्ध बिक्री से अधिक
5.	श्रेणी "ई"	रुपये 3 लाख प्रति वर्ष औसत शुद्ध बिक्री से कम

(ब) स्थानीय माँग व बिक्री के पूर्वानुमान के आधार पर शासी परिषद् की स्वीकृति उपरान्त डिपो खोले जाते हैं।

(3) (अ) जी हां। डिपोज के वर्गीकरण उपरान्त करौली डिपो की वार्षिक शुद्ध बिक्री निम्न प्रकार रही है:—

क्र सं.	वर्ष	वार्षिक शुद्ध बिक्री
1.	1987-88	रुपये 8.71 लाख
2.	1988-89	रुपये 8.93 लाख

(शिक्षा राज्य मन्त्री)

(ब) करौली डिपो को क्रमोन्नत करने बाबत अगले सत्र से पूर्व शासी परिषद के समक्ष अन्य डिपो के साथ इसका भी प्रस्ताव रखा जावेगा।

(4) रीजनल डिपो क्रमोन्नत करने हेतु गत तीन वर्षों की शुद्ध ओसत बिक्री रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष से होना आवश्यक है, अतः करौली के रीजनल डिपो बनने की कोई संभावना नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

सिवाना व समदड़ी (बाड़मेर) में कृषि मण्डी यार्ड का निर्माण

470. **श्री मोटाराम** (सिवाना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार सिवाना व समदड़ी (जिला बाड़मेर) में कृषि उपज मण्डी के माध्यम से कृषि मण्डी यार्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोटा का डी. सी. एम. उद्योग

471. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में स्थित डी. सी. एम. उद्योग ने कुछ बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हाँ, तो कितनी भूमि पर किस जगह ? यह कब्जा कब किया ? इस कब्जे को छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(2) डी. सी. एम. कोटा के जे. के. उद्योग ने भी कुछ बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो कब से तथा कितनी भूमि पर ?

(3) क्या यह सही है कि उद्योगपतियों द्वारा अवैध कब्जे करने के बावजूद भी सम्बन्धित अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कोटा में स्थित डी. सी. एम. उद्योग द्वारा ग्राम रायपुरा के खसरा नं. 319 की 171 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से 110 बीघा पर अतिक्रमण किया हुआ है, उक्त भूमि में से 50 बीघा पर रेस्ट हाऊस व 60 बीघा पर रामलीला मैदान बनाकर अतिक्रमण किया है, यह अतिक्रमण सं. 2042 में किया है और उक्त भूमि कब्जे से छुड़ाने के लिए भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग द्वारा 102 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे उद्योग हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में पत्रावली जेरकार है।

(2) कोटा में जे. के. उद्योग ने ग्राम कंसुवा की खसरा नं. 25 की 4 बीघा 9 बिस्वा किस्म गै. मु. तालाब एवं तेखड़ा की ख. नं. 364 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै. मु. पठार पर वाटर पम्प लगाकर

(राजस्व मन्त्री)

सन् 1978 से अतिक्रमण किया है, इसके अतिरिक्त ग्राम बड़गांव में ख. नं. 650 की 0.10, 659 की 0.08 है. व 660 की 0.65 कुल 0.83 है. किस्म नहरी प्रथम भूमि पर सन् 1985 में कृषि कार्य हेतु अतिक्रमण कर लिया है, जे. के. उद्योग के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही जेरकार है।

(3) यह सही नहीं है। उक्त डी. सी. एम. व जे. के. उद्योग द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवारी जेर-कार है।

मारवाड़ मूण्डवा (नागौर) का निजी संस्कृत विद्यालय

473. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ मूण्डवा, जिला नागौर में एक निजी संस्कृत विद्यालय चल रहा है? यदि हां, तो कब से, किस कक्षा तक तथा इसमें छात्र संख्या कितनी है और कितने अध्यापक हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा इस संस्था को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और कितना प्रतिशत? गत तीन वर्षों में कुल दिये गये अनुदान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालय को बन्द किया जा रहा है और सरकार को इस सम्बन्ध में कई पत्र मिले हैं? यदि हां, तो इसे क्यों बंद किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां, सनातन धर्म उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के नाम से यह संस्था चल रही है। इसकी स्थापना सन् 1942 में हुई थी इसका स्तर 1965 से प्रवेशिका तथा 1973 से वर्तमान तक उपाध्याय स्तर है। सत्र 88–89 में छात्र संख्या 278 है तथा अध्यापक संख्या 13 है।

(2) जी हां, संस्था को 1970–71 से अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। गत तीन वर्षों में निम्नानुसार अनुदान दिया गया है :—

1986-87 में	1,19,710/-
1987-88 में	1,19,964/-
1988-89 में	1,32,000/-

वर्ष 1988-89 का अनुदान प्रोविजनल अन्तिमीकरण होना शेष है।

(3) जी नहीं, कतिपय व्यक्तियों ने संस्था बन्द होने की शिकायत राज्य सरकार को की है, किन्तु संस्था के व्यवस्थापक ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि हम संस्था बन्द नहीं कर रहे हैं। कतिपय अवांछनीय तत्वों ने संस्था बन्द होने का दुष्प्रचार किया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 473
(स्थगित)

झुन्झुनू के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

474 श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनू जिले में प्रौढ़ शिक्षा के कितने केन्द्र चल रहे हैं और कब से तथा इनकी क्या प्रगति है, पंचायत समितिवार सूची व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हाल में जो केन्द्र खोले गये हैं उनको पहले तो नवलगढ़ के दक्षिणी खिरोड और ग्रामों में खोलने का एलान करवाया, परन्तु वास्तव में खोले नहीं और इससे वहां की जनता में रोष है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ और अब कब तक इन ग्रामों में केन्द्र खोले जावेंगे ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले में वर्तमान में 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं। जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 78–79 में 100 थी जिनकी संख्या 79–80 से निरन्तर 300 हो गयी थी। केन्द्रों पर से लाभान्वितों की कुल संख्या इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्र	लाभान्वितों की संख्या
1.	1978-79	100	2200
2.	1979-80 से 1988–89	300 प्रत्येक वर्ष	91419

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(2) इसी वर्ष नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र खोले जाने की मांग थी। पंचायत समिति के गांवों में सर्वेक्षण भी किया गया था, जिसमें दक्षिणी खिरोड़ सहित अन्य गांव भी सम्मिलित थे। चूंकि पूरे जिले के लिए 300 केन्द्र ही स्वीकृत थे। अतः अभी नवलगढ़ पंचायत समिति में 40 केन्द्र ही खोले गये हैं। शेष गांवों में आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र खोले जाने के प्रयास किए जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

बारां (कोटा) उपखण्ड की बंजर भूमि पर वन

475. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में बारां उपखण्ड में बंजर भूमि पर वन लगाने हेतु पिछले 5 वर्षों में कुल कितनी जमीन आवंटित की गई तथा कितने व्यक्तियों को ? सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें :–

आवंटन तिथि, नाम एलोटी, पता, गांव जहां जमीन है, ख. नं, रकबा.

(2) उक्त एलाटमेंट की क्या-क्या शर्तें थी तथा क्या उनकी पालना की गई ?

(3) यदि नहीं, तो क्या एलाटमेन्ट निरस्त किये गये ? यदि हां, तो कितने तथा किसके और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के बांरा उप खण्ड में अकृस्य बंजर भूमि पर निजी वन लगाने हेतु निजी वन विकास हेतु आवंटन नियम के अन्तर्गत कुल 515 व्यक्तियों को 5762 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटन की गई। व्यक्तिशः वांछित सूची संलग्न है।

(2) ऐसे एलोटमैन्ट की मुख्य शर्त वृक्ष लगाना है, उपरोक्त आवंटियों में से मात्र 7 व्यक्तियों ने पालना की है।

(3) 508 व्यक्तियों द्वारा आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया जाना पाए जाने पर उनको किए गये आवंटन को निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मालवीया क्षेत्रीय अभियान्त्रिक महाविद्यालय, जयपुर

476. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : एवं **श्री मांगीलाल** (पाटन) : क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में स्थित मालवीया रीजनल अभियांत्रिक महाविद्यालय में कौन-कौन से विभाग के तहत अध्ययन कराया जाता है और कौन-कौन-सा विभाग नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि कैमिकल इन्जीनियरिंग, प्रोडक्शन इन्जीनियरिंग टैक्टाइल्स इन्जीनियरिंग, माइनिंग इन्जीनियरिंग तथा कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग के विभाग महाविद्यालय में नहीं हैं और इनका अध्ययन नहीं करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विभागों को प्रारम्भ करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, तथा कब तक प्रारम्भ कर दी जायेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग, मैकेनिकल इन्जीनियरिंग, केमिकल इन्जीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग, एन्वायरनमेन्टल इन्जीनियरिंग आदि विषयों का शिक्षण नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और कब से देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मालवीया रीजनल अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स, मिटालार्जी, आरचीटेक्चर तथा केमिकल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में डिग्री स्तर का अध्ययन कराया जाता है।

इसके अलावा पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम का अध्यापन सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल में कराया जाता है।

(2) केमिकल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है। प्रोडक्शन इन्जीनियरिंग मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन कोटा इन्जीनियरिंग कॉलेज में चालू है। टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम एम.

(शिक्षा मन्त्री)

आर. ई. सी. में नहीं है, लेकिन एम. एल. वी. टैक्सटाइल संस्थान, भीलवाड़ा में चालू है। कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम एम. आर. ई. सी. में नहीं है, लेकिन कोटा इन्जीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है तथा माइनिंग इन्जीनियरिंग एम. आर. ई. सी. में नहीं है, लेकिन एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में चल रहा है।

एम. आर. ई. सी. में कोई भी कोर्स प्रारम्भ करने से पूर्व भारत सरकार की एवं ऑल इण्डिया कौंसिल फॉर टेकनीकल एज्यूकेशन की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

कोई भी नया पाठ्यक्रम उस राज्य में जनशक्ति की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए ही प्रारम्भ किया जाता है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम्प्यूटर का पाठयक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एवं केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नोनफेरस ग्रुप का पाठ्यक्रम चालू है। इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग में पॉवर सिस्टम का कोर्स स्नातकोत्तर स्तर का चालू है। एन्वायरनमेन्टल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम का कोर्स स्नातकोत्तर स्तर का भविष्य में चालू करने का प्रस्ताव है। एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम चालू है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा में भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर का प्रस्ताव है।

भीनमाल में इन्डस्ट्रीज लगाने हेतु भू-आवंटन

477. श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या हरिनारायण पुत्र श्री केसरी मल अग्रवाल को इन्डस्ट्रीज लगाने हेतु भीनमाल में सन् 1969 में जमीन आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि हरिनारायण जमीन आवंटन के बाद अमेरिका चला गया व वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली ?

(3) क्या राज्य सरकार इस इन्डस्ट्रीज की जमीन रद्द करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या व यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जमीन का आवंटन निम्न शर्तों पर किया गया :–

(1) प्रार्थी आवंटित भूमि का हस्तान्तरण या आगे किराये पर नहीं दे सकेगा।

(2) 50 पैसे प्रतिवर्ग गज के हिसाब से सम्पूर्ण भूमि की राशि जमा कराने पर भूमि का कब्जा दिया जायेगा।

(3) उक्त भूमि में से उप-अधीक्षक, आरक्षी, भीनमाल के सरकारी निवास के लिये सड़क हेतु खाली भूमि छोड़ते हुए यह भूमि आवंटित की जावेगी।

51

(उद्योग मन्त्री)

(4) प्रार्थी उक्त शर्तों का एग्रीमेंट निष्पादित करेगा।

(2) जी हां। श्री हरिनारायण अग्रवाल अमेरिका चला गया था, लेकिन अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करने के सम्बन्ध में उद्योग विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। आवंटित भूमि को निरस्त करने के आदेश दिनांक 16-12-71 को जारी किये गये थे, परन्तु आवंटित द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका दायर कर दी गई थी। उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 13-7-78 को भूमि आवंटन आदेश निरस्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

किसानों को निःशुल्क पास बुक

478. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने खातेदार काश्तकार है तथा उनमें अब तक कितने खातेदारों को पास बुक वितरित कर दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि पास बुक जारी करने का शुल्क पांच रु. प्रति खातेदार काश्तकार है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में किसानों को निःशुल्क पास बुक देने का सरकार विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में लगभग 50,87,231 खातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रेल, 1989 तक 30,67,507 खातेदार गैर खातेदार काश्तकारों को पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं।

(2) जी हां। किसानों को निःशुल्क पासबुकें दिये जाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

झुन्झुनू जिले की ढाणियों को राजस्व ग्राम का दर्जा

479. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में अनेक बड़ी ढाणियां हैं, जिनको अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने से वे मिलने वाले लाभ से वंचित हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया जावेगा ?

(2) तहसील नवलगढ़ में कौन-कौन सी ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का मामला विचाराधीन है और कब से ? विवरण व सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मार्च 1986 में जिला कलक्टर, झुन्झुनू को तहसील नवलगढ़ की 23 ढाणियों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से निम्न ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है :—

1. केमरी की ढाणी।
2. गढ़वालों की ढाणी।

(राजस्व मन्त्री)

3. कानका की ढ़ाणी।

4. ढ़ाका की ढ़ाणी।

5. सैनीपुरा (पीपल की ढ़ाणी)।

6. बासदूदाना।

तीन ढ़ाणियों अर्थात् नेहरों की ढ़ाणी, पुरोहितों का बास एवं भरड़ों की ढ़ाणी को परीक्षण के पश्चात् निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के योग्य नहीं पाया गया।

(2) निम्नांकित 14 ढ़ाणियों के प्रस्ताव अभी जिला स्तर पर परीक्षणाधीन है तथा इनके नक्शे तैयार करवाये जा रहे हैं। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जावेगा।

1. रामपुरा, 2. पुरोहितों की ढाणी, 3. चाराका बास, 4. चारण की ढ़ाणी, 5. पुजारी की ढाणी, 6. परसरामपुरा नया 7. जयसिंहपुरा, 8. एमन की ढ़ाणी, 9. सेवादास की ढ़ाणी, 10 गोसाई की ढ़ाणी, 11. डूड़ियों की ढ़ाणी, 12. मुण्डों की ढ़ाणी, 13. खेदड़ों की ढ़ाणी, 14. बलवन्तपुरा।

भाग–1 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

बानसूर तहलील के ग्राम चान्दोली का मिडिल स्कूल

480. श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर): क्या शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बानसूर तहसील के ग्राम चांदाली में कब से मिडिल स्कूल खोला गया है? उस स्कूल के लिए स्वीकृत स्टॉफ कितना है तथा अभी कितना स्टॉफ कार्यरत है?

(2) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) बानसूर तहसील के ग्राम चान्दाली उच्च प्राथमिक विद्यालय सत्र 87-88 से प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में एक प्रधानाध्यापक तथा दो अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) नोर्म्स के अनुसार एक पद कम हैं। प्रतिबन्ध हटने पर पूर्ति हो सकेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 481
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 482
(स्थगित)

आंगनबाड़ी केन्द्र योजना

483. श्री माणक डाणी (ब्यावर): क्या महिला बच्चे पोषाहार राज्य मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति जवाजा में आंगनबाड़ी केन्द्र योजना लागू कर दी गई है। यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अब यह योजना पंचायत समिति जवाजा में कब तक लागू कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में 237 पंचायत समितियां हैं, जिसमें से 88 पंचायत समि-

(राज्य मन्त्री, पोषाहार)

तियों में यह कार्यक्रम चल रहा है। धीरे-धीरे इस कार्यक्रम का विस्तार हो रहा है और उसके अनुसार शेष पंचायत समितियों में भी इस कार्यक्रम का विस्तार भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार किया जा सकेगा :–

1. जनजाति बाहुल्य की जनसंख्या वाले क्षेत्र।

2. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र।

3. सूखा संभावित क्षेत्र।

4. अनुसूचित जाति की बाहुल्यता वाले क्षेत्र।

5. पोषाहार की कमी वाले क्षेत्र।

6. सामाजिक सेवाओं में कम विकसित क्षेत्र।

7. शहरी परियोजना 2 लाख की जनसंख्या वाले कस्बों में खोली जाती है।

8. विशेष पोषाहार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती हैं।

(2) इस वर्ष 26 नई परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।

उद्योग रहित जिले

484. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कौन-कौन से जिले उद्योग रहित हैं ?

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में गत तीन वर्षों में जीरो इन्डस्ट्रीज का लाभ किस-किस किस्म के उद्योगों को किस-किस प्रकार दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लाभ से कितने बड़े उद्योगों को लाभान्वित किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही एवं चूरू जिले उद्योग रहित घोषित हैं।

(2) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में उद्योग रहित जिलों का लाभ रीको द्वारा किसी भी इकाई को नहीं दिया गया है। उद्योग विभाग एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये लाभ की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची 'अ' में दर्शाये गये सभी नए उद्योगों को लाभान्वित किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें।)

बीकानेर में खाद्य तेल कारखाना

485. श्री उम्मेद सिंह (शिव) : एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बीकानेर में सहकारी क्षेत्र में खाद्य तेल कारखाना लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) उपरोक्त तेल कारखाने में उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा व इस पर अनु-

(श्री उम्मेद सिंह)

मानित व्यय क्या होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कारखाने की स्थापना होने पर स्थानीय रोजगार की क्या सम्भावनाएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में बीकानेर जिले में कितनी तेल मिलें चालू हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर में राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा 150 मै. ट. प्रतिदिन क्षमता की तेल मिल 6-2-86 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तृतीय विश्व बैंक सहायता परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार तेल मिल का उत्पादन 1990 के अन्त तक आरम्भ होने की सम्भावना है। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 1632 लाख रुपये होने की सम्भावना हैं। अनुमानित लागत के विवरण की सूची सदन के पटल रख दी गई है।

(3) परियोजना रिपोर्ट के आधार पर इस तेल मिल में लगभग 178 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा इनमें मुख्यत: स्थानीय व्यक्ति होंगे।

(4) बीकानेर जिले में कुल 68 तेल मिलें लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। जिनमें से 1 इकाई बन्द है, जिसे राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जैसलमेर जिले में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी की हत्या

486. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : क्या महिला शिशु पोषाहार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी कार्यक्रम में कार्यरत कर्मचारी महिलाओं पर बलात्कार व मारपीट व हत्या की घटना घटित हुई हैं ? यदि हां, तो जैसलमेर जिले में हुई हत्या के मामले में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं हैं कि राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी कार्यक्रम में कार्यरत कर्मचारी महिलाओं पर बलात्कार व मारपीट व हत्या की घटना घटित हुई हैं। जैसलमेर में श्रीमती मन्जू भदोरिया, महिला पर्यवेक्षक की जलने से मृत्यु हुई थी। उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस महिला के साथ इस घटना के कुछ दिन पूर्व श्री के. एस. यादव द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच के उपरान्त उक्त अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी

487. श्री माणक डागी (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अधिनियम 1957 की धारा 21(1) के अन्तर्गत सहायक सचिव या इसके समकक्ष पदों को भरने का अनुमोदन सरकार से प्राप्त किया जाता है ?

(2) वर्तमान में सहायक सचिव या इसके समकक्ष सहायक निदेशकों के पदों पर कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कार्यरत सहायक सचिव/सहायक निदेशक के कुल पदों पर कार्यरत अधिकारियों में से मात्र दो पदों का अनुमोदन ही राज्य सरकार से प्राप्त किया गया है एवं शेष पदों का नहीं, ऐसा क्यों ?

(4) जब पूर्व में दो सहायक निदेशक के अतिरिक्त पदों को भरने का अनुमोदन सरकार से प्राप्त नहीं किया है तो क्या वर्तमान में बोर्ड द्वारा चाहे गये तीन सहायक निदेशक के पद का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जावेगा ? कृपया बिन्दु एक से चार तक की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समकक्ष पदों के लिए भी आदेश 3.2.1987 के अनुसार अनुमति लेना आवश्यक है।

(2) सहायक सचिव तथा इसके समकक्ष अन्य पदों पर 18 अधिकारी बोर्ड में कार्यरत हैं।

(3) जी नहीं।

(4) सहायक निदेशकों के 4 पदों के लिए पूर्व में ही अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:—

1. श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के ग्राम देलवाड़ा के घटियान व रामनगर पाड़ा में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरासिंह चौहान, श्री रमजान खां, श्री चुन्नीलाल मेघवाल, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री खंगारसिंह चौधरी और श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में देशी मदिरा की दरें एक समान करने के सम्बन्ध में।

3. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में निर्धारित समय में भी पूरे दबाव से जल वितरित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री ग्रध्यक्ष)

4. सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जोधपुर जिले के रेल्वे स्टेशन पर दिनांक 11.7.89 को 251 डाउन गाड़ी के डिब्बे में 40 जवानों द्वारा मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती उजला ग्ररोड़ा, सदस्य, विधानसभा की ग्रोर से दिनांक 10 जुलाई, 1989 को डी.एस.पी. (जी. ग्रार. पी.) द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत श्रीमती विद्या पाठक, श्री फूलचन्द, श्री चम्पा लाल बांठिया, श्री किरोड़ी लाल मीणा, श्री परसादी लाल मीणा, श्री रमजान खां, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री नाथू सिंह, श्री कालीचरण सराफ, श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल, श्री दिग्विजयसिंह, श्री हरजीराम बुरडक, श्री रघुवर दयाल गोयल ग्रौर श्री गिरधारी लाल भार्गव।

माननीया विद्या पाठक।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव था कि राज्य में जो देशी शराब, जिसकी रेट घटाकर 12, 14 ग्रौर 28 रुपये प्लेन, गुलाब ग्रौर केसर है, ग्राज धड़ल्ले से 50, 60 ग्रौर 80 रुपये की विभिन्न दरों पर विभिन्न जगहों पर बिक रही है। देशी शराब के ठेकेदार, जो ग्रुप में हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं। लाखों रुपयों का मुनाफा लेकर खुलेग्राम लोगों की जेब काटी जा रही है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय ग्रध्यक्ष जी, मैंने ग्राज से चार रोज पूर्व 295 के विशेष उल्लेख के जरिये मदन लाल बाकोलिया की पेंशन का मामला उठाया था।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में शराब की बिक्री में लाखों रुपयों का घपला हो रहा है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या यह चलता रहेगा? 12 रुपये की बोतल के 40 रुपये ग्रौर 14 रुपये की बोतल के 50 रुपये, चार गुणा, दस गुणा, 20 गुणा मुनाफा कमाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मगर मैं तो नशा रोकने की बात कर रही हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं खुद जानकारी करूंगा। मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लूटने का लाइसेंस दे रखा है इस गवर्नमेंट ने। जगह-जगह पर मन्दिरों के पास, स्कूल के पास, बस स्टैण्ड पर चाय की होटलों की तरह शराब की बिक्री हो रही है। सार्वजनिक जगह पर....(व्यवधान) यह क्या कल्याणकारी राज्य है? कांग्रेस की नीति में है क्या यह?

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : मेरा एक 295 के सवाल का जवाब आपको आज देना था। तीन रोज का समय दिया था, आज चौथा रोज है। मदन लाल बाकोलिया को उसकी सेवानिवृत्ति के 11 साल बाद में पेंशन नहीं मिल रही है। आपने, माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को पाबन्द किया था कि तीन रोज में वे जवाब दें। आज चौथा रोज हो गया अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चैम्बर में मिलें, जरूर देखूंगा। (व्यवधान) नहीं, देखूंगा। दिक्कत हो रही है इसलिए मैं मंगाऊंगा। जल्दी मंगाऊंगा आप मिल लें। मैं एक्शन लूंगा। आप मुझसे मिल लें। मैं इमीजिएट एक्शन लूंगा। जैसा चाहोगे।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : जवाब तो यहीं देना था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मैं पीता नहीं हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है लेकिन हीरासिंह चौहान, नाथूसिंह, रमजान खां इनको जो दिक्कत हो रही है कि जयपुर में दो सौ रुपये में बिक रही है और बगरु में शराब इतनी सस्ती है। इस मामले में इनकी समस्या का समाधान कराओ, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैं खुद रेट की जानकारी करूंगा। (व्यवधान) आप सब सलाह कर लें, वैसे ही कर दूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : राज्य में यह खुली लोगों की जेब काटी जा रही है, खुली लूट की जा रही है। क्या यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? इसके लिए व्यवस्था दीजिए। क्या एक समान दर नहीं हो सकती? यहां पर 50 रुपये और पड़ौस में 20 रुपये, कहीं पर 30 रुपये और कहीं पर 40 रुपये और इनको लाइसेंस सरकार देती है।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं आपको, यहां देशी शराब की बोतल 44 रुपये की, मेरे यहां वही बोतल 22 रुपये की।

श्री अध्यक्ष : मैं रेट की जानकारी खुद करूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : इसकी अविलम्ब पांच दिन में जानकारी लें आप।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, चीनी की महंगाई की तो कोई बात नहीं करता, शराब महंगी हो गई तो सब को चिन्ता हो रही है। (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सदस्यों को सस्ती दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री नाथूसिंह (टोड़ारायसिंह) : इस पॉलिसी को चेंज करते समय अध्यक्ष महोदय,

(श्री नाथूसिह)

मैं माननीय मंत्री जी से मिला था। यहां के जो केन्द्र में मंत्री बैठे हुए हैं उनका दबाव पड़ा सरकार पर, सरकार ने सौदा किया। (व्यवधान)

उसका परिणाम यह हुआ कि आज उपभोक्ताओं की लूट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्या पाठक। (व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा। यह जो कह रहे हैं कि यहां कुछ बिक रही है, दूसरी जगह कुछ बिक रही है। कृपया इसको देख लें, डिफरेंस है इससे बड़ी गलती रहती है। रेट एक हो और जरूरत हो तो माननीय सदस्य से सलाह करें कि कहां क्या रेट हैं? अगर जानकारी नहीं है। यह एक दूसरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समानान्तर भाव होना चाहिए।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : सार्वजनिक जगह पर नहीं लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं लगना चाहिए। माननीय विद्या पाठक।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, 11.7.89 को लूनी में 40 जवानों ने जनता को, कलक्टर को, जी. आर. पी. की पुलिस को मारा बुरी तरह से और 11 तारीख को, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जानकारी कर रही है। सरकार को स्वयं जानकारी देनी चाहिए थी इस सदन में।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी, एक निवेदन करता हूं कि यह फिर भी ऐसा सेंसिटिव क्वश्चन है।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं स्वयं जाकर आई हूं लूनी में, अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति इतना गम्भीर है बाबूलाल विश्नोई जिसके पूरे शरीर पर जूतों की छाप पड़ गई है जैसे डाई बनाई हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी, इसमें जरा देख लें। सेंसिटिव है। जरा आज इसकी जल्दी हो रही है और जानकारी कर रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : तो आप टाइम मुकर्रर कर दें तीन बजे-चार बजे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज तो नहीं। मैं कल जानकारी कर लूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख के मसले को आज सदन में आप जानकारी के लिए भेजें तो सरकार को डूब मरना चाहिए। शर्म की बात है इस सरकार के लिए। अगर 11 तारीख को कोई हादसा हो जाय लालगढ़ के पास लूनी में यह दूसरा हादसा है। इस तरह के हादसे से, अध्यक्ष महोदय, अगर इनका रिपीटीशन होता रहे तो राजस्थान कहां चला जायेगा? क्या आप आर्मी और जनता में राजस्थान में कंफ्लिक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम ट्रेनों में जायें तो....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस तरह की नौबत नहीं आये कि कंफ्लिक्ट हो जाय। यह सेंसेटिव है इसलिए इसकी जानकारी कर रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सेंसेटिव है तो क्या मतलब है ? सेंसेटिव है तो इसके क्या मायने हैं ?

श्री शोपतसिंह : उम्र निकाल दी। आप कहते हैं कि सेंसेटिव है। क्या सेंसेटिव है ? क्या परमिट दे दिया आपने ? परमिट में लोगों को मारो, आम जनता को पीटो ? (व्यवधान)

नहीं, आपने परमिट दे दिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं परमिट किसी ने नहीं दिया।

श्री शोपतसिंह : परमिट देना चाहते हैं आर्मी को कि मारो, पीटो कचूमर निकालो लोगों का ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार इस तरह के हादसों को बड़ी लाइटली ले रही है लेकिन इसके परिणाम गम्भीर होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी।

सुश्री पुष्पा जैन : आप अधिक से अधिक टाइम मुकर्रर कर दें। हमको समय चाहिए। कोई भी समय मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी चाही है, इतनी जल्दबाजी नहीं करें। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : सदन में बयान आ गया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आते ही इस पर प्रकाश डाला है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप चाहें मालूम कर लें पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि कल गृह मन्त्री स्वयं को सुओ मोटो बयान देना चाहिए था लेकिन नाम नहीं लिया। आज स्थगन प्रस्ताव देने के बाद अगर आप यह कहते हैं कि सरकार की जानकारी के लिए भेजा है तो ऐसी गूंगी, अज्ञान सरकार का हम क्या करें ? क्या कहना है ऐसी सरकार का ? लालगढ़ के बाद सरकार को एलर्ट होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। अब बिराजें। विद्याजी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : कल सारे दिन जोधपुर में थे।

सुश्री पुष्पा जैन : जोधपुर में थे लेकिन लूनी नहीं गये। कुछ पता नहीं कहां घूम रहे थे। राष्ट्रपति जी के साथ जाना जरूरी था लेकिन लूनी में जाकर पीड़ितों की पूछताछ करना जरूरी नहीं था, गृह मन्त्री महोदय के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या वास्तव में बड़ी गम्भीर है। आप भी इसको बड़ी सेंसेटिव मानते हैं। अभी लालगढ़ की घटना हुई उसके तुरन्त बाद यह दूसरी घटना हो गई। सरकार को निश्चित रूप से कोई न कोई बात कहनी चाहिए। माननीय सदस्या ने अगर यह स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप उसमें केवल यह फर्मा दें कि उसका जवाब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मंगाया जायेगा तो यह सन्तोष की बात है।

श्री अध्यक्ष : सरकार से कह दिया कि जानकारी दें....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन की लगातार छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज मान लीजिये आप स्टेटमेण्ट नहीं दिलवा पा रहे हैं तो तारीख फिक्स कर दीजिये, सोमवार को कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने चैम्बर में ही कह दिया है कि जल्दी दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सोमवार के लिए ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी जानकारी देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : सोमवार के लिए है तो ठीक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा एक छोटा-सा, मामूली-सा प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेज दिया। राजस्थान में मानसून आया, पर मानसून बरस नहीं रहा। जयपुर शहर में गर्मी ज्यों की त्यों पड़ रही है। निर्धारित समय में जो लोगों को पानी का प्रेशर मिलना चाहिए उसमें कमी आ गई। हैण्ड पम्प खराब हो गये। राज्य सरकार ने, दुर्भाग्य है कि इस साल जयपुर शहर में पेयजल की समस्या होते हुए भी एक भी हैण्ड पम्प की स्वीकृति नहीं दी है। जयपुर शहर में 500 नये हैण्ड पम्प लगाये जावें। आपने जैसे अन्य प्रस्तावों पर व्यवस्था दी उसी प्रकार इसमें दें। मानसून पता नहीं आयेगा या नहीं, जयपुर का तो यह दुर्भाग्य है कि बादल ऊपर घुमड़ते हैं लेकिन सारी बात हो जाने के बाद बारिश जयपुर में हो नहीं रही। इसलिए जयपुर शहर की यह पेयजल की समस्या है.... (व्यवधान)

निर्धारित समय में जयपुर शहर में पेयजल का वितरण हो।

जयपुर शहर में निर्धारित समय कर दें, इसके लिए आप राज्य सरकार को डाइरेक्शन दें। दूसरी बात मुझे कहनी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये, एक-एक करके।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): मेरा कहना यह है कि जब पूरे प्रदेश में हैण्ड पम्प लगाने की घोषणा की गई तो जयपुर में इस बार एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा इसका क्या कारण है ? जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उनमें पांच पर्सेण्ट खराब पड़े हैं। उनको ठीक किया जाय और 500 हैण्ड पम्प जयपुर में और लगाये जायं। आप निर्देश दीजिये सरकार को।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये, भार्गव साहब। विद्याजी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सरकार को इतना-सा कहिये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया यह देखें पेयजल की अगर कमी है कि समस्या नहीं रहे, हैण्ड पम्प लगाये जायें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और निर्धारित समय में पानी मिले ।

श्री हीरासिंह चौहान : लूनी के मामले में जो घटना हुई उसमें बयान देने की तारीख निश्चित करें । आपसे प्रोटक्शन चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने वहीं कह दिया ।

श्री हीरासिंह चौहान : घटना विशेष है और निवेदन करते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैंने जानकारी के लिए कह दिया ।

श्री हीरासिंह चौहान : तारीख निश्चित कीजिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जो लोग महलों में बैठते डरते हैं....
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विद्याजी (व्यवधान)

आप कह चुके हैं, मैंने मान लिया ।

श्री हीरासिंह चौहान : आप तारीख निश्चित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा, मैंने मान लिया ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप सरकार को कह दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार को मैंने कहा है । कृपया जल्दी जानकारी दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी का कोई मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मेरे चेम्बर में भी आप मिल लें । (व्यवधान)

अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी का मतलब क्या है, तिथि तय कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है ।

एक माननीय सदस्य : चार दिन हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप कह दीजिये, सोमवार को तैयार होकर आवें ।
(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टिकट लेना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जल्दी का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप तारीख तय नहीं करेंगे । सबसे पहला नम्बर दें ।
(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : इन्होंने स्वयं तो डर के मारे अपना रिजर्वेशन कैंसल करा लिया और प्लेन से आये । बाकी यात्रियों का क्या होगा ? आप तो हवाई जहाज से आ सकते

(सुश्री पुष्पा जैन)

हैं। लोगों को भी यात्रा करनी है, रेलगाड़ी से, बस से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बहुत हो गया। मैंने कहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप क्यों नहीं इनको आदेश देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इनको आदेश दे दिया।

सुश्री पुष्पा जैन : आपसे प्रोटक्शन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में भी दे दिया, यहां भी दे दिया और क्या मुझसे लिखकर लेना चाहती हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : आप हमारे हितों की रक्षा करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कर रहा हूं और चेम्बर में की है मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी का तो कोई मतलब होता नहीं। जब तक आप तिथि तय नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप तिथि तय कर दीजिये, सोमवार, मंगलवार।

श्री अध्यक्ष : वहां करूंगा, यहां कैसे कह दूं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कल भी हवाला आया था। (व्यवधान) विद्या जी, कृपया।

सुश्री पुष्पा जैन : चेम्बर प्रेक्टिस बन्द करो।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : अब आपसे आज्ञा चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अनुशासित बैठी हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्यादा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुलिस के डी. वाई. एस. पी. ने एक महिला पर कुत्ता छोड़ दिया। उसके बच्चे का और उसका पेट फाड़ दिया। उसका मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा। क्यों पुलिस वालों को सिर पर चढ़ाते जाते हो ? पड़ौस में रहोगे तो कुत्ते छोड़ूंगा। इसको भी जानकारी के लिए भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : क्या करता ?

श्री कालीचरण सराफ : उस पुलिस अधिकारी ने पहले भी उस पर हमला किया, उस पत्रकार पर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह चौथी बार हमला है उसका।

श्री अध्यक्ष : जानकारी ले रहा हूं, समय तो दूंगा या नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चौथी बार हमला है। वह तो पत्रकार है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है। कानोडिया कॉलेज की लेक्चरार है। बिना पढ़ी-लिखी नहीं है। किंवाड़ बन्द करने पर उस पर अल्सेसियन कुत्ते छोड़ दिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : बिना पढ़ी-लिखी पर आप कुत्ते छोड़ेंगी ?

(12.15 अपराह्न)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। श्रीमती विद्या पाठक। (व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई हंसने की बात है ? मैं गम्भीरता से कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : महिला-महिला के राइट्स पर कुठाराघात न करें। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से कह रही हूं। इस तरह तो कोई भी किसी के ऊपर कुत्ते छोड़ देगा। और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ? कोई हद तो होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठें। हर चीज की हद होनी चाहिए। आप भी हद कर रही हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : एक डी. वाई. एस. पी. स्तर का व्यक्ति चार बार हमला कर दे किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये कहते हैं मैंने तो ऊपर तक लाखों रुपया दिया है और जब तक मैं रहूंगा, सबकी छाती पर मर्जी आयेगी वैसा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, प्लीज। श्रीमती विद्या पाठक।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295 के अन्तर्गत नोटिस है कि राज्य व राज्य के मार्फत देश में नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार फैल रहा है पर सरकार कदम नहीं उठा रही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31 अगस्त, 1988 को देश की लोक सभा ने एक बिल पास किया—Prevention of Illicit Traffic and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Bill के नाम से, जिसके द्वारा देश में योजनाबद्ध तरीकों से नशे के पदार्थों जैसे-कोका, अफीम, भांग, केनाबिस (हेरोइन) का उत्पादन, भण्डारण, बेचना, खरीद-फरोख्त और अपने आधिपत्य में रखना, छिपाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने आदि को दंडनीय अपराध बना दिया गया।

भारत में नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार तस्करी गत 10-12 वर्षों में ही बेहद ज्यादा बढ़ गयी है। इसमें भी विशेष तौर पर पाकिस्तान के रास्ते भारत में आता है। मार्च, 88 में नई-दिल्ली में Narcotic Drug Services के इण्टरपोल और Inter-Regional Head की तीन दिवसीय बैठक

(६५)

(श्रीमती विद्या पाठक)

हुई जिसमें बताया गया कि भारत में 1987 में जितनी अफीम पकड़ी गयी उसका 84 प्रतिशत पाकिस्तान से आया। भारत एक **Major Transit place** नहीं होकर स्वयं नशेबाजों का भी अड्डा बनता जा रहा है जिसमें अफीम, चरस, ब्राउन शुगर, स्मैक आदि नशे के लोग भारी संख्या में आदी होते जा रहे हैं। यह ट्रैण्ड गत 10 वर्षों में बेहद बढ़ा है। देश में आज 70,00,000 नशेबाज हैं। स्लम्ज के बच्चे 10,000 स्मैक के आदी हैं। इनमें ड्राइवर, विद्यार्थी, ठेले वाले, दुकान वाले और सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। नशे के साथ अपराध भी जुड़े होते हैं अतः अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। स्मगलर्स और आतंकवादी इन्हीं की प्रोड्यूस हैं।

"**Italian connection in drug trafficing.**" एक इटेलियन महिला को जून 89 में पकड़ा, उसने यह रहस्य खोला। इस सिलसिले में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में और फ्रेंकफर्ट में कई गिरफ्तारियां कीं। कोटा संभाग के भवानीमण्डी कस्बे में तो स्मैक एक कुटीर उद्योग बन गया है जिसकी जानकारी जिला प्रशासन, रेल्वे पुलिस, नारकोटिक्स विभाग आदि को भी है। भवानी मण्डी के गरोठ कस्बे में छापा मारकर डेन्टिस्ट के कारखाने से एक करोड़ की हेरोइन जब्त की गई थी। अब झालावाड़ अफीम और संतरे की मण्डी के अतिरिक्त हेरोइन और स्मैक का बड़ा अड्डा बन गया है जिसका व्यापार देश-विदेश में चल रहा है। हाड़ौती नशाखोरी और अपराधों का अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया है। स्मैक के इस कारोबार में फुल टाइम एम्पलाइज भी हैं और यह रिहायशी मकानों में दिन-पर-दिन बढ़ रहा है। इस स्मैक व्यापार और कुटीर उद्योग की एनसीलरी के रूप में भवानी मण्डी में अब रेगजीन की बिक्री भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि इस वाटरप्रूफ, स्मैलप्रूफ शीट में लपेट कर मजदूरों की मार्फत यह माल सुरक्षित दीगर शहरों में भेजा जाता है। जहां सिगरेटों व चिलम में इस घातक पदार्थ स्मैक या ब्राउन शुगर का लोग सेवन करते हैं। इस व्यापार के कारण लोग मालामाल हो रहे हैं। इनका गिरोह अब माफिया बन गया है और इसकी पहुंच बहुत बड़े व ऊंचे लोगों तक है। शासन व प्रशासन में भी है। भवानी मण्डी से 125 किलोमीटर दूर कोटा संभाग का मुख्यालय है जहां पुलिस के उप-महा-निरीक्षक व संभाग आयुक्त बैठते हैं। वेस्टर्न रेल्वे का चैकिंग स्टाफ, जी. आर. पी., नारकोटिक्स, उसकी गुप्तचर एजेन्सी आदि तक भी हैं परन्तु इस स्मैक माफिया को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। उनके पास अवैध हथियारों का जखीरा है और वाहनों की कतारें हैं। हत्या उनके लिये मामूली बात है। इसके स्मगलिंग के नायाब तरीके का एक उदाहरण यह है कि जी. आर. पी. का वर्दीधारी सिपाही एक मुल्जिम को हथकड़ी लगाकर रेल द्वारा मद्रास ले गया। मद्रास पहुंच कर सिपाही व अपराधी ने अपने साथ की अटैची की अफीम तस्कर को दी व हथकड़ी खाली अटैची में डालकर ले आये। किसको शक हो? यहां टांका नामक नशीला पदार्थ भी बनाया जाता है जिसकी भी बहुत मांग है।

मुझे मार्च, 87 में विधान सभा में प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि प्रदेश में 125

(श्रीमती विद्या पाठक)

रजिस्टर्ड अफीमची हैं और यह अफीम यू.पी. के गाजीपुर के कारखाने से मंगवा कर दी जाती है। अब नये अफीमची पंजीकृत भी नहीं किये जाते। वैसे अफीम सेवनकर्ता 23 हजार 232 के करीब हैं।

इस साल मार्च में लोक सभा में मंत्रीजी ने बताया कि राजस्थान के अफीमचियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। मामला वही है, हाउस एक स्टेट का है और एक दिल्ली का लेकिन दोनों का उत्तर भिन्न है, ऐसा क्यों? प्रशासन मंजूर करता है कि जालौर के गांवों में इसकी खपत प्रतिदिन 1 किलो से लेकर करीब 3-4 किलो तक है और यह चित्तौड़ व मेवाड़ से यहां लाई जाती है। इसके अतिरिक्त जोड़े का सेवन भी जालौर में बहुत अधिक है। इसके बिना तो अनेक लोगों का जीना भी मुश्किल है। इनमें युवा महिलायें व वृद्ध सब शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान में 50,000 से अधिक लोग रोज अफीम का सेवन करते हैं और इसके बिना इनका गुजारा नहीं। केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय के अनुसंधान ने यह जानकारी केन्द्र को दी। अफीम न मिलने पर लोग मर भी जाते हैं।

लगभग 6 करोड़ बोतल शराब, 1 करोड़ बीयर और 400 क्विटल भांग की खपत राजस्थान में प्रतिवर्ष है। यह आंकड़े तो आबकारी विभाग के हैं। वास्तविकता तो इससे कहीं अधिक है।

राज्य में अनेक सुदूर जिलों में ही क्यों सरकार की नाक के नीचे गांजे की अवैध खेती अलवर, बांसवाड़ा और स्वयं जयपुर के सरकारी सीवरेज फार्म पर होती है पर सरकार इसके प्रति जानकर भी बेखबर है। हाल ही में 30 मई, 89 को एक प्राइवेट व्यक्ति सुरेश के फार्म पर भांग व गांजे की अवैध खेती पकड़ी गई है। मगर सरकार इनको ढूंढने की कोशिश नहीं करती। शिकायत हो तो हाफ हार्टेड कार्यवाही करती है।

इसके अतिरिक्त राज्य में नशीली वस्तुओं का सेवन बढ़ रहा है राजस्थान में लगभग 50 हजार लोग अफीम का सेवन करने लगे हैं। इनमें से केवल 23 हजार के पास परमिट हैं बाकी अवैध रूप से खरीदते हैं। बाड़मेर जिले में हेरोइन का उपभोग भी किया जाता है। अब तो जयपुर नगर परिषद् के सीवरेज फार्म पर भी अवैध भांग व गांजे की फसल बरामद हो चुकी है। गत वर्ष सितम्बर में फर्जी आयात परमिटों से राजस्थान में विदेशी शराब लाई गई। कुछ लोगों ने 88 फर्जी आयात परमिट बनाये और उनके जरिये जम्मू-काश्मीर तथा कर्नाटक से 50 हजार बोतल विदेशी शराब लाई गयी। इसमें 16 लाख रुपये के आबकारी शुल्क की चोरी की गई।

राज्य में अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवा के नाम पर 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत अल्कोहल युक्त द्रव्य बेचे जाने की शिकायतें आयी हैं। गत अप्रेल माह में जयपुर के जनता बाजार में एक लड़के के पास केप्सी-कम द्रव्य की चार बोतलें मिलीं जिसमें 60 प्रतिशत अल्कोहल होता है। इसके अतिरिक्त अशोका लिक्विड एक्सेट्रेक्ट आई. पी. की 52 बोतलें मिलीं जिनमें एल्कोहल 48 प्रतिशत से 52 प्रतिशत बताया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

89 में अश्वगंधा लिक्विड एक्सट्रैक्ट और अशोका नामक दवाइयों की जांच राजकीय लैब में की गई। इन आयुर्वेदिक दवाइयों में अश्वगंधा और अशोका के स्थान पर 50 प्रतिशत अल्कोहल तथा शेष गलूकोज है। यह घटिया तथा मिलावटी दवायें शहर में खुलेआम बिक रही हैं। राज्य के प्रमुख नगरों में मृत संजीवनी सुरा व अन्य आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर शराब बिक रही है। शराब में अल्कोहल की मात्रा 40 प्रतिशत होती है परन्तु इन दवाओं में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है। अकेले जयपुर शहर में 1 लाख 50 हजार ऐसी बोतलें बिक रही हैं। चिकित्सा एवम् आयुर्वेद विभाग का दायित्व है कि वह ऐसी नशीली दवाओं की बिक्री को रोके। ये दवाइयां हरियाणा और दिल्ली से भारी मात्रा में आ रही हैं। विशेष बात यह है कि ये हरियाणा में ज्यादा बनती हैं परन्तु वहां की सरकार ने अपने राज्य में इनकी कडी पाबन्दी लगा रखी है। परन्तु इसके निर्माताओं को वहां पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं। राजस्थान में भी लोगों ने लाइसेंस मांगे हुऐ हैं इसलिये दवा निर्माता राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश व दिल्ली से इसे सप्लाई कर रहे हैं। हरियाणा में करीब 200 फार्मेसी इस प्रकार का निर्माण कर रही हैं। इन दवाइयों की बिक्री पर यद्यपि कोर्ट से भी आदेश हुए हैं और सरकार ने नाम के लिये प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की है पर साइकिल की दुकानों पर और छोटी जगह परचूनी की दुकान, किराना की दुकान पर यह सब चीजें मिल रही हैं।

कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि जिस नारकोटिक्स की चर्चा मैंने की....

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही आपका बहुत बड़ा प्रस्ताव है....

श्रीमती विद्या पाठक : अवैध हथियारों की मैंने चर्चा की, तस्करी की चर्चा मैंने की और विदेशी संगठनों के अवैध रूप से रहने की चर्चा मैंने की, यह सबसे बड़ा सिक्योरिटी हेजार्ड है। परसों मांगीलालजी के एक प्रश्न के उत्तर में कम से कम 20 करोड़ की हेरोइन एक ही जगह पकड़े जाने का कहा है। बेनजीर बाहर गई हुई हैं माफिया ग्रुप इतना तगड़ा है कि उनकी भी स्पाइंग कर रहा है। राजस्थान कोई प्रोजेक्ट प्लेस थोड़े ही है ? इसको बरबाद नहीं करना है तो बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूल चन्द जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीम का थाना पुलिस की लापरवाही से हुए राजू शर्मा के जघन्य हत्या काण्ड के क्रम में नियम 295 का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, दिनांक 8-7-89 को जब नीम का थाना में शादियों की धूम मच रही थी कुछ असामाजिक तत्वों ने रात्रि के ग्यारह बजे आम रास्ते में एक पच्चीस वर्षीय नौजवान राजू शर्मा को सरेआम धारदार हथियार से मार डाला। हत्यारों ने रास्ते की लाइटों को गुल कर दिया। उस रात्रि में राजू के मकान मालिक की पुत्री की

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

शादी थी। घर में बारात जीम रही थी। वहीं से कुछ दूरी पर उस युवक को हत्यारे मार कर फरार हो गये। यह खबर नगर में तुरन्त फैल गई। नगर में भय व आतंक का वातावरण बन गया। किसी ने टेलीफोन से थाने को तुरन्त सूचना दी कि सड़क पर हत्या हो गई है, परन्तु महोदय उस समय थाने में शराब का जश्न मनाया जा रहा था। इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और जब पुनः फोन किया गया, जनता का भयंकर दबाव पड़ा तब कहीं पुलिस मौके पर पहुंच कर लाश की चौकीदारी करने लगी। महोदय, धारदार वस्तु से मस्तिष्क पर प्रहार होने के बाद भी राजू शर्मा लगभग एक घण्टे तक मौत से जूझता रहा था। गुण्डों के भय के कारण उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया तथा हत्यारे सरे आम जनता के सामने से चले गये। महोदय, आश्चर्य होता है कि उक्त हत्या काण्ड की जगह से बहुत थोड़ी दूर पर ही पुलिस की चौकी है। कहा जाता है कि जब राजू को हत्या की धमकी दी गई थी तो वह काफी डरा हुआ रहता था। उसकी सूचना उसने थाना प्रभारी तक को दी बताते हैं परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर स्वयं ही धमकी देने वालों से समझौता करने का उसने भरसक प्रयास किया था।

हत्यारों ने योजनाबद्ध तरीके से पूर्व में बाजार की लाइट बंद करके उसके बाद उसको घर से बाहर बुलाकर हत्या कर दी। अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो घेराबन्दी करके हत्यारों को पकड़ सकती थी लेकिन पुलिस की अकर्मण्यता से हत्यारे फरार हो गये। जब 10 तारीख तक जान-बूझकर पुलिस मुल्जिम को न पकड़ पायी तो नीम का थाना बंद का आह्वान नागरिक समिति ने किया। बंद के दौरान करीब पांच हजार लोगों ने जुलूस निकाल कर थानेदार का घेराव किया। उप जिलाधीश को ज्ञापन देकर हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार करने की मांग की गयी। नागरिक समिति ने चेतावनी दी है कि हत्यारों को जल्दी ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो नीम का थाना अनिश्चित काल के लिये बंद करके थाने का घेराव किया जायेगा। नगर में भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है। अपराधियों के डर से वारदात क्षेत्र के निवासी, जिन्होंने वारदात देखी, चुप्पी लगाकर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण नगर में गुण्डागर्दी बढ़ गई है। सरे आम रात्रि को गल्ले लूटकर दुकानदारों के सामने से भाग जाते हैं, चोरियां हो रही हैं परन्तु जब से थाना प्रभारी श्री सूरतसिंह आये हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है तथा गुण्डे बदमाश सरे आम थाने में शराब पीकर जश्न मनाने में मस्त रहते हैं। थाना प्रभारी नशे में धुत रहते हैं तथा हरी लकड़ियों के ट्रकों से चौथ वसूलने में लगे रहते हैं। नगर में गुण्डों व बदमाशों का राज है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल मुझे भी उस घर में जाने का मौका मिला था। मृतक के माँ और बाप ने बुरी तरह से रोते हुए बताया कि उनके एकमात्र पुत्र था। इसी परिवार में कुछ दिन पहले उसके चाचा की हत्या कर दी गई थी। शादी में से बुलाना और रोड के ऊपर सरे आम मार कर चले जाना और हत्यारों को न पकड़ना ताज्जुब

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

की बात है। हत्यारे उन्हीं के पड़ौस के रहने वाले हैं जिन्होंने धमकी दी थीं। नवज्योति अखबार में उनके नाम आये हैं। वहां आतंक फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन ठप्प हो गया है। वे चौथ वसूल करने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह पुलिस कार्यवाही करती रहेगी तो जनता के जान और माल की सुरक्षा नहीं होगी। जनता कहां जायेगी? वहां के सारे लोगों ने, नागरिक समिति ने तय किया है कि अगर न्याय नहीं होगा, सख्त कार्यवाही नहीं की जायेगी और हत्यारों को नहीं पकड़ा जायेगा जो जनता सख्त कार्यवाही करेगी।

अतः मैं नियम 295 के तहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि इस मामले में सख्त कार्यवाही की जाये। पुलिस प्रशासन की लापरवाही और सम्बन्धित थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर सजा दी जाये। मैं यह भी मांग करता हूं कि उस थाने में दस-दस साल से कांस्टेबल बैठे हुए हैं जो बदमाशों से मिले हुए हैं, इसलिये उन्हें तुरन्त वहां से हटाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री फूलचन्द गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भयंकर काण्ड हुआ है। सारा नगर तबाह हो रहा है। लोगों में भय का वातावरण है। आप इस मामले को सीरियस लेकर कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : सीरियस नहीं होता तो हम पढ़ने नहीं देते। Government may take note of it. (व्यवधान) गवर्नमेन्ट को कह दिया है। Government is here. Please sit down.

श्री फूलचन्द गुर्जर : तीन दिन से नगर बंद है, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनता कहां जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : Government has taken cognizance of it. श्री चम्पालाल बांठिया। (व्यवधान) व्यवस्थाकर दी है। कह दिया है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : जब तक व्यवस्था नहीं की जाती है हम वहां नीम का थाना में कैसे जा सकते हैं ? मैं भी धरने पर बैठता हूं अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है, पुलिस कार्यवाही नहीं करती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह बात कहां से सीख ली है ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : सरे आम शादी के बीच में मार डाला।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने गवर्नमेण्ट को कह दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सदस्य जो मामले यहां सदन में उठाते हैं उनका रिटन रिप्लाई भेजा जाता है। गृह मंत्री को इस बारे में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बता दिया जायेगा और हमने इन बातों का पूरा कोग्नीजेंस लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Please be satisfied.

श्री फूलचन्द गुर्जर : मेरा यह निवेदन है कि यह इतना सीरियस मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : सीरियसली लिया है। आप सीरियसनेस को खतम कर रहे हैं। गवर्नमेन्ट ने कहा है कि उसने कोग्नीजेंस लिया है।

श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान आवासन मण्डल में भयंकर धांधली, सेवाओं में उदासीनता एवं भ्रष्टाचार की चर्चा करना चाहता हूं और सरकार से यह अपेक्षा रखता हूं कि वह इसकी रोकथाम के लिये, इसमें सुधार के लिये कोई कदम उठावे।

राजस्थान आवासन मंडल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के मकान सस्ते और शीघ्र बनाने की घोषणाएं एवं प्रचार कर राजस्थान की जनता की आँखों में धूल झोंक रहा है। समय-समय पर मण्डल द्वारा जारी सारणी एवं शर्तों पर बिना किसी सूचना के भूमि कम कर दी जाती है, कीमत बढ़ा दी जाती है और किश्तों की राशि बढ़ा कर सुविधाएं कम कर दी जाती हैं। बहाना निर्माण सामग्री के भावों में बढ़ोतरी का लिया जाता है। भावों की बढ़ोतरी एक छोटा कारण हो सकता है लेकिन अनावश्यक देरी, अन्धाधुन्ध प्रशासनिक व्यय एवं भयंकर भ्रष्टाचार इसके मुख्य कारण हैं।

श्रीमन्, जयपुर में इन्होंने करोड़ों की लागत से मुख्य कार्यालय भवन बनाया जिसमें अनावश्यक पद सृजित कर अधिकारियों की भरमार कर दी। उनके वेतन-भत्तों व सुविधाओं का सारा भार उस गरीब आवेदक पर पड़ता है। फिजूलखर्ची और दिखावे की कोई सीमा नहीं है।

इतना होने के पश्चात् भी किसी भी आवश्यक पत्रावली अथवा दस्तावेज का यहां सुगमता से पता नहीं चल पाता। यदि आपके पास रकम जमा कराने की रसीद सुरक्षित नहीं है तो समझ लो कि पैसा गया। अनेक पत्रावलियाँ गायब हैं। अनेक पत्रों के उत्तर सही नहीं मिलते। मुख्यालय का विभागीय और क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क सूत्र भी ठीक नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारियों की एक गैंग है जो बिना पैसा लिये कोई काम नहीं करना चाहती।

जयपुर में अलग-अलग बस्तियों में जिन लोगों ने 1984, 1985, 1986 में मकानों के लिये रकम जमा कराई उनको जब यह मालूम हुआ कि मण्डल ने हमसे अधिक धन ले लिया है, रिफण्ड के लिये लोग चक्कर काट रहे हैं। आवासन मण्डल उन्हें संबंधित बैंकों में भेजता है कि आपकी रसीद की तस्दीक कराके लाओ। बैंक वालों का कहना है कि हमने खाते का विवरण आवासन मण्डल को भेज दिया है।

महोदय, बालोतरा में जिन लोगों ने 1978-79 में आवेदन पेश किये उन्हें

(श्री चम्पालाल बांठिया)

1985 तक मकान आवंटित नहीं किये गये तब विवश होकर लोगों ने अन्य व्यवस्था की। मगर उन्हें रकम लौटाने में आनाकानी की जा रही है, चक्कर कटवाये जा रहे हैं। एक श्री रमाकान्त दत्ते हैं, दूसरे श्री ओम प्रकाश चौपड़ा हैं जिनसे रसीदें लिखवाकर ली गई कि पूर्व ग्रहण राशि भरपाई, लेकिन पैसों का पता नहीं। रिसीट ले ली है, लेकिन दो साल हो गये, चैक का पेमेन्ट नहीं हुआ। चैक नहीं भेजा गया है। इस प्रकार की व्यवस्था है। एक श्री विक्रम चन्द भण्डारी जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय अधिकारी हैं। बहुत अधिक प्रतीक्षा के बाद भी जब मकान नहीं बना तो उन्होंने जीवन बीमा निगम से उधार लेकर अपना मकान बना लिया। उनको भी पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है।

जयपुर के केन्द्रीय कार्यालय से बार-बार जोधपुर उपायुक्त को लिखने पर कि अमुक पत्रावलियों को तीन दिन में भेजें, पत्रावलियों को जयपुर भेजें, कोई उत्तर नहीं मिलता। जोधपुर से 2-3 महीने बाद लिखा जाता है कि पत्रावलियां भेज दी गई हैं लेकिन यहां पत्रावलियाँ पहुंचती ही नहीं। गरीबों का शोषण कर खिलवाड़ किया जा रहा है।

मूल में बालोतरा में कमजोर आय वर्ग के लोगों को सवा पांच बाई आठ मीटर भूमि पर मकान बनाकर देने की योजना थी। उस मकान की साइज काटकर अब पौने चार बाई सवा आठ मीटर कर दी गयी। अनुसूचित जाति के लोगों को यह मकान 8000 रु. में देने का कहा था अब 12,000 मांगे जा रहे हैं। 125 वर्ग फुट जमीन काट ली गई। इसी प्रकार मण्डल द्वारा मध्यम आय वर्ग में साढ़े सात बाई 15 मीटर भवन निर्माण के साथ-साथ दो कमरे, एक बहुउद्देश्यीय बरामदा, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर तथा आगे पीछे खुली जमीन का प्रावधान था लेकिन उसमें भूमि की कटौती कर दी गई। समय पर भवन बनाया नहीं और घटिया किस्म का मकान बना कर उससे अब 25,000 के स्थान पर 57,900 रु. लिये जा रहे हैं और दरवाजे, टांडें एवं क्षेत्रफल कम कर दिया गया। एक अच्छी वर्षा होने पर ये सबके सब धराशायी हो जायेंगे। इसकी किश्त भी 255) रुपये माहवार थी, अब इसकी किश्त आपने 620) रुपये कर दी। गरीब आदमी जिसकी आमदनी ही 600) रु. है वह कहां से जमा करायेगा? जमा राशि वापस माँगते हैं तो ब्याज का सवाल ही नहीं वरन् 20 प्रतिशत काटकर रकम देने की बात की जाती है। वह रकम भी नहीं दी जा रही है।

इसी प्रकार हर आय वर्ग के मकानों में क्षेत्रफल कम करके सुविधाएं कम कर दी गई। घटिया निर्माण कराया गया है। किश्त की राशि बढ़ा दी गयी। साधारण वर्ग के साथ यह खुला खिलवाड़ एवं धोखा-धड़ी व बेइमानी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा और इस पर अविलम्ब कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग करते हुए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय का विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किरोड़ी लाल। (अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल मीणा (अनुपस्थित)

श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर जिले की पंचायत समिति लालसोट के गांवों का विद्युतीकरण करने एवं जो गांव विद्युतीकरण की स्वीकृति के अभाव में शेष हैं उनको विद्युतीकरण की स्वीकृति के लिये माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर जिले की कई पंचायत समितियों के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है लेकिन पंचायत समिति लालसोट के सबसे कम गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और यह 50 प्रतिशत से भी कम है। यह सरकार तथा विभाग द्वारा लालसोट के गांवों के साथ विद्युतीकरण करने में भेदभाव किया गया है। पंचायत समिति लालसोट के 100 से भी अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है जबकि जयपुर जिले की कई पंचायत समितियों के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। पंचायत समिति लालसोट के 76 गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति का मामला सरकार के समक्ष काफी समय से विचाराधीन है लेकिन अब तक शेष गांवों को स्वीकृति विद्युत विभाग द्वारा नहीं दी गई है। पंचायत समिति लालसोट के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये अन्य पंचायत समितियों के मुकाबले अधिक गांवों का प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया जावे जिससे पंचायत समिति लालसोट के गांवों का विद्युतीकरण अन्य पंचायत समितियों के मुकाबले तेजी से किया जा सके जिससे किसानों को कुओं पर विद्युत कनेक्शन देकर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकें।

अतः पंचायत समिति, लालसोट की ग्राम पंचायत लालपुरा, महारिया, खेड़ला खुर्द, काकेरिया, गांगलियावास, श्रीमा, शिवासिंहपुरा, पालून्दा, डोब, खटूमर, श्यामपुरा आदि के सभी शेष 76 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए स्वीकृति दी जाकर शीघ्र से शीघ्र विद्युतीकरण किया जावे जिससे जिले की अन्य पंचायत समितियों के मुकाबले पंचायत समिति लालसोट के गांवों का विद्युतीकरण किया जा सके।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आप सरकार से पंचायत समिति लालसोट के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर तहसील का नारायण सागर बांध, जो जालिया सैकण्ड के पास बना हुआ है 40 वर्ष पुराना है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्व. बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने इसका शिलान्यास किया था। यह बान्ध बनने के बाद 30 वर्षों में केवल एक बार भरा था जिससे थोड़ी बहुत जमीन की सिंचाई हुई थी, इसके अलावा यह बान्ध

(श्री रमजान खाँ)

अधिकतर खाली ही पड़ा रहता है। सिंचाई विभाग ने इस बान्ध के नीचे आने वाले 12 गांव जालियां सैकन्ड, खुड़िया, सूती-खेड़ा, आसन, पाटियां का खेड़ा, बरल, विजयसागर, बाडी, इन्द्रगढ़, केसरपुरा, लोडियाना, सथाना की सभी प्रकार की कृषि भूमि को कमान्ड एरिया में घोषित कर दिया है जबकि उपरोक्त गांवों की अधिकांश जमीन में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जब इन गांवों को पानी नहीं पहुँच रहा है तो इन्हें कमान्ड एरिया में रखना सही नहीं है। इतना होने के बाद भी रेवेन्यू विभाग ने गैर खातेदारों की जमीन को भी कमान्ड एरिया से मानते हुए इस पर 300/- रु. प्रति बीघा रेवेन्यू टैक्स (वाटरलेवी) लगाने के प्रस्ताव बना दिये हैं जिससे काश्तकारों से राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा यह भी कहना है कि राज्य सरकार ने कमान्ड एरिया में आने वाले खातेदार काश्तकारों को छूट दे रखी है जबकि गैर खातेदार काश्तकारों पर डिमाण्ड कायम की गई है जो कि न्यायसंगत नहीं हैं क्योंकि आज का गैर खातेदार नियमानुसार 10 वर्ष बाद स्वत: ही खातेदार बन जायगा।

(समय 12.47 अपराह्न)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

यदि सरकार गैर खातेदारों को किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना चाहती है तो नियमों में संशोधन करे जैसा कि पूर्व में हुआ करता था, कि गैर खातेदार से 10 वर्ष का लगान एक साथ वसूल करके उसको खातेदारी के अधिकार दे दिये जाते थे। इसी भांति मौजूदा समय में भी यह प्रावधान लागू किया जाना चाहिये। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से निम्न प्रश्नों पर स्पष्टीकरण चाहूंगा :—

1. क्या यह सही है कि 30 वर्षों में नारायण सागर बान्ध केवल एक बार ही भरा था ?

2. नारायण सागर बान्ध से अब कोई जमीन की पिलाई नहीं होती है तो इन गांवों को कमान्ड एरिया में क्यों घोषित कर रखा है ? इसके क्या कारण हैं ?

3. क्या सरकार खातेदारों की भांति गैर खातेदारों से भी यह रेवेन्यू राशि वसूल नहीं करने का निर्णय लेगी ?

4. क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश, अजमेर ने भी अपनी राय कायम करके राज्य सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गैर खातेदार काश्तकारों पर वाटरलेवी जारी करने के कारण वहां के काश्तकारों में भारी असन्तोष व्याप्त है इसलिये सरकार को शीघ्र गैर-काश्तकारों पर की जा रही डिमान्ड को समाप्त कर इन गांवों को कमान्ड एरिया से निकालने की शीघ्र कार्य-वाही करें।

सभापति महोदय, नारायण सागर बांध जालिया प्रथम के पास है। इतना छोटा है कि एक गांव की जमीन की भी पूरी पिलाई नहीं होती है। 12 गांव को कमान्ड

(श्री रमजान खां)

एरिया में घोषित करके अन्याय किया जा रहा है... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह आपने लिख दिया है, इसमें है ।

श्री रमजान खां : सभापति महोदय, इन पर तीन-तीन सौ रुपया प्रति बीघा की राशि वसूल की जा रही है, जो न्याय-संगत नहीं है । सभापति महोदय, इस ओर विशेष ध्यान दिलाने के लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीन-तीन सौ रुपये की वाटरलेवी को समाप्त किया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैं अपने 295 के अन्तर्गत जो उल्लेख कर रहा हूं वह हमारे जयपुर शहर की पुरानी बस्ती....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज लगता है, बहुत अध्ययन करके आये हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहां देख लिया ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अभी देख रहा था आपकी तैयारी में ।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखते हैं आप पर क्या असर होता है ?

श्री कालीचरण सराफ : अध्ययन करने के बाद उस पर एक्शन लो आप तब तो मजेदारी है ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप सीखिये इनसे ।

श्री सभापति : कृपया बोलें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : महोदय, सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवावें और चिकित्सा के लिये वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जो एक सुव्यवस्थित चिकित्सालय के लिये आवश्यक होती हैं । जयपुर शहर के बसने के साथ ही बसी पुरानी बस्ती शहर के मध्य में होने के बावजूद भी चिकित्सा की पूर्ण सुविधा से वंचित है । पुरानी बस्ती व चौकड़ी सरहद को मिलाकर इसकी आबादी एक लाख से ज्यादा है । ज्यादातर इन बस्तियों में मध्यम वर्गीय परिवार व अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों के लोग भी काफी संख्या में हैं । वैसे सरकार ने चिकित्सा के नाम पर इस चौकड़ी में एक चिकित्सालय खोल रखा है जो काफी पुराना है । किन्तु जब से यह चिकित्सालय खुला है तब से इसकी दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं आया है । इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से महिलाओं की काफी संख्या होने के बावजूद इस चिकित्सालय में महिला चिकित्सक नहीं है जिससे महिलाओं को भारी परेशानी होती है । महिला चिकित्सा के नाम पर इस चौकड़ी में एक परिवार कल्याण केन्द्र भी खोल रखा है जिसमें भी सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । कई बार महिला रोगियों की हालत बिगड़ने पर अन्य चिकित्सालयों में भेजना पड़ता है जिससे रोगियों को भारी असुविधा होती है व गंभीर बीमारी में वे उलझ जाती हैं । चौकड़ी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पुरानी बस्ती व सरहद के अलावा इसी क्षेत्र में जुड़ी हुई एक और चौकड़ी है मोदीखाना, जिसकी आबादी भी काफी है। वहां तो नाममात्र की भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां के नागरिकों को चिकित्सा के नाम पर काफी दूर जाना पड़ता है। चौकड़ी मोदीखाना के नागरिकों ने कई बार सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव किया कि अगर सरकार उनको भूखण्ड उपलब्ध करवा दे, जो यहां है भी, तो वह जन सहयोग से एक बड़ा चिकित्सालय बना कर सरकार को दे सकते हैं जिससे यहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

यह पी. डब्ल्यू. डी. आपके पास है, ऐसे कई वहां पर भवन हैं, वह अगर आप दे दें तो सरकार को दिक्कत नहीं है, जनता के काम आ सकता है। तो आप कुछ वायदा करेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 295 में कोई वायदा नहीं किया जाता है। आप अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं इसको दिखवा लूंगा। यदि हमारे पास कोई भवन वगैरह होगा तो मैं विचार करूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप देख लेंगे, यह तो उत्तर ऊपर से ही आता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, देख नहीं लेंगे, आपको जवाब दे देंगे। देख क्या लेंगे, हम लिखकर जवाब दे देंगे आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : जवाब नहीं चाहिये, मुझे भूखण्ड चाहिये। चाहे पुरानी बिल्डिग ही सही।

श्री मानिकचन्द सुराना : जवाब क्या देंगे ? जवाब इनके पक्ष में देंगे कि इनके विपक्ष में देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, बैठेंगे हां पक्ष में, जवाब ना में देंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : जो भी जनहित में होगा वही करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : या जवाब सहानुभूतिपूर्ण देंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : और जवाब ना में देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऐसा लगता है भंवरजी के चेले बहुत हो गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां चेले नहीं होते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कालीचरणजी पीछे से कह रहे हैं, मैं इनका चेला हूं। अब ऐसा है तीन-चार चेले खड़े हो गये हैं, ऐसा लग रहा है यह अपना बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यह मेरे को क्या कहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी बनना चाहें तो बन सकते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भी होंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो हूं और निश्चित रूप से हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज जो अखबारों में पढ़ा है उस हिसाब से आप चेले नहीं हो सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : देखिये, मैं इनका चेला हूं, राजनीति सिखाने वाले यही हैं। लेकिन आप तो शिक्षा मंत्री बाद में बने हैं, यह शिक्षा मंत्री पहले थे इसलिये आपको भी इनका चेला बनना चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये शिक्षा मंत्री थे तो राजस्थान में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेवजी जोशी जो आज गवर्नर हैं वे भी इन भंवरलालजी की तारीफ करते थे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जो गांव डिजर्व करते हैं वहां पर स्कूल खोलें। उनका तो पक्षपात से खोलते हैं स्कूल।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके यहां खोला हैं स्कूल।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने कुछ नहीं किया, कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके यहां बहुत खोले हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने कोई आर्डर नहीं किया। हमेशा कागजों में दबाते रहे। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्ला साहब, आपने क्या तीर मार लिये ?

श्री सभापति : आपने छेड़ा इनको इसलिये जवाब दे रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय भंवर लालजी शर्मा जब शिक्षा मंत्री थे उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने स्कूल खोले, उनके आर्डर पहुंच गये, इन्होंने आने के बाद सारे वहां पर निरस्त कर दिये। खोलना तो अलग चीज है, खुले हुए स्कूलों को आपने बंद कर दिया। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जोशीजी ने कहा है कि इन्होंने निष्पक्ष रूप से काम किया है। हमारे समय में जो काम हुए हैं वह तो ऐतिहासिक हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्ला साहब जब शिक्षा मंत्री थे इन्होंने एक काम नहीं किया। ताम्बीजी जब स्वायत्त समिति के अध्यक्ष थे, मेरे मकान की चिटखनी तक नहीं सुधरवाई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ढाई साल में एक स्कूल नहीं बना; हायर सैकण्डरी स्कूल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह किसने कह दिया, नहीं बना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरे राजस्थान में एक हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं बना।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपके लिये तो गिरधारी लालजी और कालीचरणजी ने मना कर दिया था....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या मना कर दिया था ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यह हर साल बहुत काम कराती हैं, इस साल काम मत करना इनका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषय तो क्या चल रहा है, आप किस विषय पर आ गये सब लोग।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हरिदेव जोशी ने इनको प्रमाण-पत्र निष्पक्षता का दिया है, आप पूछ लीजिये चाहे। वह तो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपसे।

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, देखिये, यह ब्राह्मणों का त्रिकोण बन रहा है। आप सभापति ब्राह्मण, वे बुलाकीदासजी ब्राह्मण और ये भी ब्राह्मण। यह त्रिकोण बन गया है, अब आप इससे आगे निकलिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब ब्राह्मण वाद का चक्कर है, कल यह सरवाद का चक्कर था।

श्री सभापति : त्रिकोण नहीं बना है, चौकड़ी है। भार्गव साहब भी ब्राह्मण हैं, ये भी शामिल हो गये हैं इसमें। भार्गव साहब भी ब्राह्मण हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये तो रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, इनको पूरा पढ़ने दें आप।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : ये फिर ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं आप सब मिल करके। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी हमारे चेले हो, आप कौन से दूर हो। भारद्वाजजी, आज इस समय अकड़ रहे हो क्या उधर बैठ करके ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं चेला बनाता हूं, बनता नहीं हूं। आपके जैसे बुजुर्ग को तो चेला भी बनाना मुश्किल है इसलिए मैं आपको चेला नहीं बनाऊंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो चेले नहीं वह भी बनाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया पढ़ें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, अब मेरे सामने दो संकट आ गये। एक तो माननीय कल्लाजी ने मेरे खिलाफ उस समय जब मैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री था तो एक चार्ज लगाया है। उसका उत्तर देना भी मेरा कर्त्तव्य है और 295 भी पढ़ना है मुझे। तो पहले किसकी अनुमति देते हैं आप ?

श्री सभापति : आप तो पहले एक्सप्लेनेशन दे दें, कोई बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, आपने कहा, एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। यह केवल आपका अज्ञान है। इसलिये अज्ञान है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कैसे है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे है, अजी सुनो पूरी बात। उस समय दस जमा दो की स्कीम आ रही थी इसलिये हमने कहीं भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। एक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भी नहीं खोला था। पक्षपात तो नहीं हुआ, एक बात।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुन लो बात। समझे नहीं, क्यों नहीं खोला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अज्ञान-विज्ञान की बात मुझे सब पता है। मेरे को सब जानकारी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल यह नहीं खोल सके, अब इसको छिपा रहे हैं। मेरे को सब ज्ञान था, 10+2 स्कीम तो उसके बाद लागू हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी पूरी बात करने दो। जनता पार्टी के राज में सबसे पहले हमने यह तय किया कि जहां चार सौ की आबादी सन् 1971 में है वहां प्राइमरी स्कूल खोला जाय, जहां दो हजार की आबादी है वहां मिडिल स्कूल खोला जाय और जहां तीन हजार की आबादी है वहां सैकण्डरी स्कूल खोला जाय। इस योजना के तहत आपके कार्यकाल में कांग्रेस के राज में चार साल में 11 स्कूल अपग्रेड किये थे, मिडिल से मैट्रिक, चार साल में 11, हमने ढाई साल में 793 किये थे। चार साल में 11 और ढाई साल में 793 मिडिल से मैट्रिक कर दिये हमने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम एक साल में चार सौ कर रहे हैं। चार सौ कर रहे हैं एक साल में हम।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बात तो सुनो। हमारे 793 और आपने चार साल में 11 किये थे। अब आप कहते हो शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ, तो आप यह भी तो कहते कितने स्कूल खुले हैं हमारे। हायर सैकण्डरी स्कूल इसलिये नहीं खुले....

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि पिछले चार साल में आपने सैकण्डरी स्कूल कितने खोल दिये ? सिर्फ आप तो इतनी ही जानकारी दे दें कि सैकण्डरी आपने कितने खोल दिये ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह प्रश्न काल नहीं है। हम इस साल 600 खोल रहे हैं और तीन हजार प्राइमरी खोल दिये, 600 मिडिल खोल दिये, इस साल फिर खोल रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : यह तो चुनावी घोषणाएं हैं। यह तो थोथी घोषणाएं कर रहे हैं आप।

श्री मानिकचन्द सुराना : पिछले चार सालों में कितने खोले ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : लूणकरणसर के अलावा जो चार लिफ्टें थी उन लिफ्टों का एक काम नहीं किया। एक आर. डी. का काम नहीं किया। इन्होंने सब जो विकास के काम चल रहे थे उन पर ताले लगा दिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब तो आप शिक्षा मंत्री नहीं हैं। आप अयोग्य रहे इसलिये शिक्षा विभाग आपसे छीना गया अब तो यह कहो, आपने सड़कें कितनी खोलीं ? अब तो शिक्षा विभाग आपके पास नहीं है। आप अयोग्य रहे इसलिये शिक्षा विभाग ले लिया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हर दो दिन में एक गांव को जोड़ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या कर रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हर दो दिन में एक गांव को जोड़ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब तो यह बताओ, आपने सड़कें कितनी खोलीं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं ना, हर दो दिन में एक गांव को जोड़ रहे हैं। अब शिक्षा विभाग क्यों ले लिया और नहीं ले लिया, यह आपके बस की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर की कौनसी सड़क ठीक है, यह बता दें आप। चांदपोल बाजार में आ जाओ, जौहरी बाजार में आ जाओ, कोई-सा बाजार ले लो....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो भी सड़कें हैं वह सही कंडीशन में हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सारी खराब हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब ठीक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप आ जाओ, चलो मेरे साथ, चुनौती है आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बता देना मेरे को। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विधान सभा के सामने जो रोड है इसी को ठीक करवा दें आप तो। बस में यहां तक आते हो तो हिचकोले खाते हुए आते हो; जगह-जगह खड्डे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : इनको सिर्फ जयपुर ही दीखता है, जयपुर के अलावा कुछ नहीं दीखता। आप तो बीकानेर की सड़कों को ठीक करवायें लेकिन जैसी बीकानेर में करवाई है, जितना नियोजन आपने वहां किया है उतना आपने राजस्थान के 5 बड़े नगरों में नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बराबर किया हैं। आपको जानकारी नहीं हैं, मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी के प्रश्न के जवाब में कहा है, उसमें बीकानेर में कई जिलों से और कई डिवीजन हैड क्वार्टर से कम है। उनको मैंने सूची दी है।

श्री मानिकचन्द सुराना : वह बैंक लॉग तो पूरा करना ही चाहिए उसको पूरा करना आपका फर्ज है। मैं जब वित्त मंत्री था तो मैंने भी बैंक लॉग पूरा किया था लेकिन आप अभी उसके मुकाबले में आ नहीं पाये हैं इसलिए आप कुछ और करिये और इनसे डरिये भी नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम करेंगे और इनसे बिलकुल नहीं डरेंगे ।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, यह क्षेत्रवाद चल रहा है, बीकानेर के ही दोनों सदस्य बात कर रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय कल्लाजी, मैं आपसे आशा करता था कि सच बात कहेंगे । मेरे उस समय के कार्य-कलाप को आपने यह ठीक से रखा होता तो आप यह कहते कि हमारे समय में हजारों ही तो मिडिल स्कूल खुले, हजारों ही प्राइमरी खुले और 900 के करीब सैकेण्डरी स्कूल हमने खोले ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जब बहस ही हो गई है तो निर्णय कर लेंगे । हमारे वक्त में तो पिछले साल तीन हजार और इस साल तीन हजार कुल छः हजार प्राइमरी स्कूल खुले हैं । आपने ढाई साल में यदि छः हजार प्राइमरी स्कूल खोले हों तो बता दीजिए निर्णय हो जाएगा ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, बी सीरियस, अब बैठें, काहे में फंसे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो पक्ष-पात करते हो । जनता पार्टी के राज में पक्षपात तो हुआ नहीं । सभी कांस्टीट्यू-एंसीज में खुले और आप केवल अपने-अपने क्षेत्र में खोलते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विषय पर आ जायें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी एप्रोप्रिएशन बिल आएगा उस वक्त तैयार होकर आइये लेकिन अब विभाग तो छीन लिया, लाएंगे कहां से आंकड़े कौन घुसने देगा ? फिर भी आप ले आइये ।

श्री कालीचरण सराफ : अयोग्य सिद्ध हुए इसलिए शिक्षा विभाग खोस लिया । प्राब्लम यही है अयोग्य और अक्षम सिद्ध हुए इसलिए खोस लिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत है, ऐसी बात नहीं है । मेरे को ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं ।

श्री सभापति : हां, ऐसी कोई बात नहीं है मैंने कह दिया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब पी. डब्लू. डी. भी जाने वाली है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, हमारी नकल करके शिवचरण माथुर ने दो सौ ढाई सौ के ऊपर स्कूल खोले....

श्री सभापति : आप फिर छेड़ रहे हैं उनको, आप छेड़ेंगे तो यही क्रम चलता रहेगा शाम के चार बजे तक ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कह रहा था कि चौकड़ी मोदीखाना के नागरिकों ने कई बार सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव किया कि अगर सरकार उन्हें भू-खण्ड उपलब्ध करवा दे, जो यहां है भी, तो वह जन सहयोग से एक बड़ा चिकित्सालय बना कर सरकार को दे सकते हैं जिससे यहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके । किन्तु सरकार ने आज तक, विशेष कर कल्ला साहब ने, इसे गम्भीरता से नहीं लिया ।

80

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह लिखा हुआ नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पुरानी बस्ती में भी अपने सहयोग से नागरिक अस्पताल बनाना चाहते हैं, किन्तु भूमि के बिना ऐसा सम्भव नहीं हो रहा है। पुरानी बस्ती में स्थित चिकित्सालय में न तो खून, मल, मूत्र व एक्सरे की सुविधा हैं और न ही कोई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा है। अगर रात को कोई बीमार हो जाये तो उसे भाग कर सवाई मानसिंह अस्पताल जाना पड़ता है। आपातकालीन सुविधा तो शहर के किसी भी चिकित्सालयों में नहीं है। बजट अभाव के नाम पर इस चिकित्सालय में लिखी गई छोटी-छोटी दवाइयां भी बाजार से खरीदनी पड़ती हैं जिससे गरीब रोगियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो राज्य सरकार ने पेन्शनरों को चिकित्सा सुविधा के नाम पर प्रतिवर्ष 500 रुपये की औषधियां उपलब्ध करवाने की बात की है किन्तु यह राशि भी सेवारत कर्मचारियों के वेतन में से प्रतिमाह काटी जाती है। सरकार की ओर से तो इसके नाम पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार इस योजना के नाम पर जो औषधियों की सूची जारी की जाती है उसमें न तो ताकत की दवाई और न ही खांसी की दवाई की सूची दी गई है जब कि वृद्धावस्था में यह औषधियां आवश्यक होती हैं। इस सूची में जो औषधियां हैं वे ज्यादातर स्थानीय व घटिया स्तर की व अधिक कीमतों वाली होती हैं। कमीशन के लालच में चिकित्सक पेंशनर को एक ही बार इतनी दवा लिख देते हैं कि उसकी 500 रुपये की राशि पूर्ण हो जाती है। इसमें एक बात समझ में नहीं आती कि राशि तो कर्मचारी देते हैं और इस योजना में राशि भी प्रतिवर्ष की निर्धारित है। फिर सरकार ने सूची के अनुसार दवाइयां लिखने को चिकित्सक को पाबन्ध क्यों कर रखी है? होना यह चाहिए कि चिकित्सक को कोई भी दवा लिखने की छूट होनी चाहिए जिससे इस योजना का सही लाभ मिल सके। सरकार को तुरन्त सूची प्रणाली हटा लेनी चाहिए जिससे 500 रुपये में ही पेन्शनर अपना इलाज करवा सकें।

सरकार ने पिछले वर्षों में जयपुर में सेटेलाइट अस्पताल खोल कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही है और यह भी आश्वासन दिया था कि अब लोगों को बड़े अस्पताल पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। किन्तु पुरानी बस्ती, चौकड़ी सरहद मोदीखाना या चार दिवारी के भीतर ऐसा आपातकालीन अस्पताल नहीं खोला गया है जिसके कारण यह क्षेत्र आबादी में बहुसंख्यक व घनी आबादी होने के बावजूद व अधिकतर गरीब एवं मध्यम श्रेणी के नागरिक इस सुविधा से वंचित हैं।

अतः राज्य सरकार को तुरन्त पुरानी बस्ती, मोदीखाना में एक सेटेलाइट अस्पताल खोलना चाहिए अगर सरकार अपने स्तर पर ऐसा नहीं कर पाती तो उसे अस्पताल के नाम पर भूखण्ड उपलब्ध करवाना चाहिए जो इन चौकड़ियों में पी. डब्लू. डी. के बड़े भवन के रूप में खाली पड़े हैं ताकि यहां के निवासी जन-सहयोग से भवन बना कर सरकार के सुपुर्द कर सके। चौकड़ी मोदी-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

खाना में तुरन्त एक चिकित्सालय खोला जाना चाहिये। राजकीय चिकित्सालय पुरानी बस्ती में महिला चिकित्सक को नियुक्त किया जाना चाहिए तथा अन्य सुविधाएं बढ़ाई जावें।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, आपने अक्षर गिन लिये थे क्या ? 500 से ज्यादा लगते हैं।

श्री सभापति : अक्षर नहीं शब्द 500 से ज्यादा नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह डेढ़ पेज हैं कुल लेकिन फिर भी आपको यह लगता है तो अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। और कल्ला जी, फिर आपको कहता हूं कि आपने बातचीत में भाग लिया और अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रदर्शन किया। अब तो इसको खोलने के लिए हमको बिल्डिंग देंगे तो हम समझेंगे कि आपने वास्तव में कुछ किया है वरना वह जो अयोग्यता का प्रमाण दे रहे हैं वह आप पर लगेगा।

श्री सभापति : माननीय नाथूसिंह। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं यहां संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न मामला सदन में रखना चाहता हूं:—

मैं आपका ध्यान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के पवित्र उद्देश्य हेतु की गई थी। लेकिन आज इस वर्ष 17 जून को जब बोर्ड अपनी 15वीं वर्षगांठ मना चुका है। पिछले 15 वर्ष का अगर विवेचन किया जाय तो ऐसा लगता है कि हम किसान को तो भूल चुके हैं बोर्ड का एक मात्र उद्देश्य निर्माण कार्य रह गया है, उपभोक्ता और किसान की पूर्ण उपेक्षा की जा रही है और व्यापारियों एवं मण्डी अधिकारियों की मिलीजुली ताकत के आगे किसान को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है।

पहली मण्डी समिति की स्थापना कोटा जिले के बारां कस्बे में 2 मार्च, 1964 को हुई थी और इस वर्ष रजत जयन्ती मनायी जा चुकी है लेकिन आज तक 25 वर्ष में सरकार ने मण्डी समितियों के चुनाव समय पर नहीं करा पायी है। किसान प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपना एक सपना रह गया है। मण्डियां एवं बोर्ड को अफसरशाही के हवाले छोड़ दिया है, जिन्होंने सिर्फ पैसा बटोरने के अलावा कुछ नहीं किया। मण्डी नियमन को समझते नहीं किसान का भला किस प्रकार से हो सकता है ये क्या सोचेंगे ?

आज बोर्ड में चल रहे व्याप्त भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मंत्रियों की चलती नहीं, ऊंची दरों पर टेण्डर स्वीकृत किये जा रहे हैं और बोर्ड में भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट अधिकारियों का काकस बना हुआ है। पिछले एक वर्ष में पहले तो टेण्डर ऊंची दर के कारण निरस्त किये जाते हैं फिर बाद में उन्हीं टेण्डरों को ऊंची दरों पर स्वीकृत कर दिये जाते हैं अलवर मण्डी में टेण्डरों

(श्री नाथूसिंह)

की दर 44–45 प्रतिशत अबव थी ठेकेदारों से पूरी सौदेबाजी चलती रही। सौदेबाजी नहीं होने के कारण 12–13 प्रतिशत रेट डालने के बाद भी बोर्ड ने टेण्डर रिजेक्ट कर 25 से 29 प्रतिशत अबव पर दुबारा टेण्डर कराये। लालकोठी फल सब्जी मण्डी के एक सीमेण्ट की रोड की दरें 17.25 पर्सेण्ट बिलो आई। जिसे रिजेक्ट कर दुबारा टेण्डर करा कर 7.40 बिलो पर टेण्डर स्वीकृत किया। इसी प्रकार लालसोट मण्डी के टेण्डर तीन बार कराये गये पहली बार 3 प्रतिशत ऊंची आई। दो बार री-टेण्डर कराने के पश्चात् 34 प्रतिशत अबव पर टेण्डर स्वीकृत किये गये। यदि साल भर पहले टेण्डर हो जाते तो मण्डी समिति को लाखों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इसी प्रकार सूरजपोल मंडी समिति, जयपुर में एक महीने के अन्दर में एक टेण्डर 10 प्रतिशत ऊंची दर पर, दो अन्य वर्क 24 प्रतिशत ऊंची दर तथा तीसरा 28 प्रतिशत ऊंची दर पर स्वीकृत किया। इससे मण्डी समिति को सीधे ही लाखों रुपये का नुकसान कर दिया गया। इसी प्रकार जालौर, जोधपुर, गंगानगर व बीकानेर के कई टेण्डर पहले तो ऊंची दर के कारण निरस्त किये और बाद में ऊंची दर पर स्वीकृत किये गये। पिछले एक वर्ष में विभिन्न मण्डी समितियों के टेण्डर स्वीकृत कर लाखों रुपयों का नुकसान मण्डी समितियों को खुले आम दिया जा रहा है।

सीमेण्ट व डामर बोर्ड ठेकेदारों को देता है लेकिन वसूल नहीं करता। आज अकेले जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर एवं कोटा में करीब 20 लाख से ज्यादा राशि ठेकेदारों से वसूल करना बाकी है लेकिन बोर्ड के अभियन्ताओं की खुली साजिश के कारण यह राशि वसूल नहीं की जा रही है। बोर्ड द्वारा आज तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। ठेकेदारों से उनके हर्जे-खर्चे कराये गये कार्यों की लाखों रुपये की वसूली बकाया है लेकिन अधिकारी वसूल नहीं कर रहे हैं। अकेले जयपुर डिविजन से लगभग 10 लाख की मशीनरी गायब है और यहां तक कि एक रोड रोलर गायब है लेकिन विभाग सो रहा है।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य काफी घटिया किस्म के हैं। जोधपुर डिविजन के कार्यों की जांच करवाएं तो निर्माण कार्यों के स्तर की पोल खुल जायेगी। बोर्ड के पास निर्माण कार्यों पर बढ़ रहे खर्च की रोक की कोई प्लानिंग नहीं है। बोर्ड द्वारा बनाये गये निर्माण कार्यों की उनकी अनुमानित लागत का दुगुना खर्च हो रहा है। जयपुर की फल-सब्जी मण्डी का उदाहरण सामने है जिसमें एक भूतपूर्व मंत्री ने अपने पार्टनर लालपुरिया को 35 लाख का वर्क आर्डर दिलवाया और उसे फायदा पहुंचाने के लिए एक्सट्रा व एक्सेस आइटम के नाम पर 85 लाख रुपये का भुगतान किया गया। आज हालत है कि केन्द्र सरकार से सब्सिडी लेने के चक्कर में बोर्ड ने ग्रामीण हाट पर 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया लेकिन सारे हाट बाजार बेकार पड़े हैं। यही हाल मण्डी यार्ड का है जो बना दिये गये लेकिन व्यापार आज भी नहीं हो पा रहा है। शिवगंज, बांसवाड़ा, डूंगरपुर,

(श्री नाथूसिंह)

जयपुर के सब यार्ड बगरु व शाहपुरा आज भी व्यापार के लिये तरस रहे हैं।

पिछले वर्ष सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति की गई लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति की रिजर्व पोस्ट पर सामान्य वर्ग के लोगों को पदोन्नति दे दी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को परेशान करने के लिये चार्ज शीटें दी गई।

सभापति महोदय, ये ऐसे गम्भीर मामले हैं जिनकी जांच होनी आवश्यक है मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सब मामलों की जांच करायी जाय और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय कालीचरण सराफ। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सूरजपोल नागतलाई में ई. डब्ल्यू. एस. क्वाटर्स के विकास कार्य की समस्याओं को पूरा न किये जाने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको से वित्तीय सहायता प्राप्त कर लगभग 26 लाख 36 हजार रुपये उक्त कालोनी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। कालोनी को अपूर्ण छोड़ कर 171 क्वाटर्स में से 109 क्वाटर्स आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं, लेकिन निम्नलिखित बिन्दु जो कि मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं एवं जिसके समाधान के लिए आवंटियों द्वारा एवं मेरे द्वारा प्राधिकरण एवं मुख्य मंत्री महोदय को लिखित में देने के पश्चात् भी आज तक प्राधिकरण द्वारा समस्याएं ज्यों कि त्यों छोड़ी हुई होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के मनोबल को गिराया है एवं उनको सुविधाएं भी राज्य सरकार की नीति के अनुसार उपलब्ध नहीं करवायी गई हैं—

(1) क्वाटरों की किश्तें जो कि पूर्व में 4.27 प्रतिशत की ब्याज दर से लगाई गयी थी वह अब 6.07 प्रतिशत की दर से लगाकर 120 रुपये की गई है जबकि ये किश्तें 101 रुपये प्रति माह होनी चाहिए थी।

(2) फार्म जमा कराने की अन्तिम अवधि समाप्त होने के बाद भी डेढ़ वर्ष तक फार्म बिना कोई विज्ञापित सूचना के जमा किये गये। अन्तिम अवधि तक के आवेदकों को हाउसिंग बोर्ड के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन की राशि पर नियमानुसार डेढ़ वर्ष का ब्याज न दिये जाने के कारण अन्तिम तिथि के जमा आवेदकों की एवं बाद के जमा आवेदकों की लाटरी डेढ़ वर्ष पश्चात् एक साथ निकाली गयी, जबकि सुविधा एक ही समान है एवं एक ही बस्ती के निवासी है।

(3) बालू मिट्टी को समतल कर बनाई गई कालोनी में आज तक पक्की सड़क न बनाने से इस वर्षा के मानसून से जगह-

(श्री कालीचरण सराफ)

जगह रोड कट कर मकानों को खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। दो वर्ष से सिर्फ पत्थर बिछा कर उस पर मोहरम बिछाई है जो आज जगह-जगह से पत्थर निकल कर खड्डे होते जा रहे हैं।

(4) कालोनी के मकान की दीवारें अभी से ही जगह-जगह से फटने लग गई हैं लेकिन जांच के बाद भी प्राधिकरण ने कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा।

(5) हुडको से अनुमोदित प्लान के अनुसार कालोनी में सूरजपोल गेट से सीधा 20 फीट का रोड जाना था लेकिन प्राधिकरण की मन्द एवं कछुवा गति से रोड नहीं बनाया गया है एवं निचले क्षेत्र में बने कच्चे रोड को स्थानीय निवासियों द्वारा बरसात के इन दिनों में पानी निकालने हेतु जगह-जगह से खोल भी दिया है परन्तु इस बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण ने कोई ध्यान नहीं दिया।

(6) वर्तमान में 62 क्वाटर्स खाली पड़े हैं एवं इसके विरुद्ध में आवेदकों ने फार्म भरे हैं यानी फार्म भरे पर 62 क्वाटर्स आज तक खाली पड़े हैं उनका अलाटमेण्ट नहीं किया वहीं दूसरी ओर अवैध लोगों द्वारा निरन्तर उक्त क्वाटरों में कब्जे किये जा रहे हैं, लिखित सूचना होने पर भी प्राधिकरण न तो उक्त क्वाटर्स की लाटरी निकाल रहा है एवं ना ही अवैध कब्जेधारियों को वहां से हटा कर स्थानीय जनता में सामाजिक एवं जान-माल की सुरक्षा का वातावरण बना पा रहा है। यानी 62 क्वाटर्स खालीपड़े हैं, अलाटमेण्ट के लिए लोगों ने आवेदन दे रखें हैं ...

श्री सभापति : कृपया लिखा हुआ पढ़ें।

श्री कालीचरण सराफ : परन्तु आवेदनकर्ता को दिये नहीं, लाटरी निकाली नहीं, अलग से लोगों ने कब्जे कर लिये उनसे खाली भी नहीं करा पा रहे हैं। इतना सब कहने के बाद भी....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पढ़ लो, हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : पढ़ रहा हूं, सभापति जी इनको क्यों तकलीफ हो रही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति जी सब समझते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वह बहुत होशियार हैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : आप तकलीफ मत पाओ, सभापति जी सक्षमहैं गाइड करने में। आप तो जवाब ही देना, अभी तो बिराजो।

क्वाटर्स अलाट किये हुये एक वर्ष होने के बाद भी प्राधिकरण उस एकांत में बनी कालोनी में विद्युत विभाग से विद्युतिकरण करवाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से कालोनी के पार्क को समतल कर पेड़-पौधे उपलब्ध कराने बाबत भी आज तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने कोई कार्यवाही नहीं की है। दिल्ली के बाइपास जो कि लगभग इस कालोनी से 400 मीटर की दूरी पर है, उसको रोड से

(श्री कालीचरण सराफ)

मिलाने बाबत भी कोई कार्यवाही जे. डी. ए. ने अभी तक नहीं की है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्री, जे.डी.ए आयुक्त, प्राधिकरण निदेशक, वित्त एवं अभियांत्रिकी, अधिशाषी अभियन्ता सब को पत्र लिखे हैं कि आप द्वारा उक्त कालोनी की समस्याओं का निराकरण कर स्थानीय आवंटियों को हुडको के प्लान के अनुसार विकसित कालोनी पूर्ण बना कर राहत प्रदान की जावे, लेकिन समस्याओं को प्राधिकरण से यथावत् बनाये हुए रखा हुआ है। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिये मैं माननीय महोदय, आपके माध्यम से 295 के विशेष उल्लेख के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सब सुविधाएं जल्दी पूरी करवाई जायें, जो खाली मकान पड़े हैं, उनका अलाटमेंट किया जाये, सड़क बनाई जाये—इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय श्री प्रभुदयाल मीणा।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सदन में चर्चा हेतु उठाना चाहता हूं।

रिक्त पदों पर भर्ती पर लगी रोक के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पद किसी भी विभाग में नहीं भरे जा रहे हैं। जबकि राज्य सरकार एवं भारत सरकार की नीति है कि अब तक जिन विभागों में निर्धारित अनुपात में यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को नियुक्ति नहीं दी गयी है, तो अब अविलम्ब रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर लगाये जावें। लेकिन इस नीति की क्रियान्विति में भर्ती पर रोक बाधक है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में भारी निराशा व्याप्त है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा विकलांग की भर्ती पर लगी रोक हटा कर अविलम्ब आरक्षित पदों पर नियुक्ति दी जावे। हम यह रोज पढ़ रहे हैं, पर इसका जवाब हमारे पास नहीं आता है। 295 का जवाब भी मंगवाया जाय। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : जवाब मिलेगा आपको। श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत एक विशेष उल्लेखनीय मुद्दा रख रहा हूं।

महोदय, अजमेर के अरबन-को-आपरेटिव बैंक के लेखापाल, जिनको कि निलम्बित किया गया था, उक्त लेखापाल ने बचाव हेतु काफी हाथ-पांव मारे, मगर सफल नहीं हुए। इन्हीं लेखापाल महोदय ने अदालत में एक याचिका रखी और उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। मगर पता नहीं, किस तरह श्री हनुमन्त सिंह कच्छावा, लेखापाल ने बहाली के आदेश प्राप्त कर लिये। उनका पद नान-गजटेड में आता है। बैंक के एक सदस्य श्री नेमीचन्द गुप्ता ने

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

आरोप लगाया है कि उक्त लेखापाल द्वारा लगभग 40 हजार रुपया सत्ता के दलालों को दिया गया है। इनकी बहाली के बाद 4 मई, 1986 को बैंक के जनरल मैनेजर श्री बी.बी. यादव ने 150/– रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिया गया, सभापति महोदय, इनके द्वारा पांच माह की अवधि में जिनको ऋण दिया गया, उसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि एक अली मोहम्मद जिसको 19.8.1986 को एक ही दिन में मात्र 1,66,852.97 रुपये के ऋण का भुगतान किया गया है, जबकि अनेक श्रेणी जिन्होंने कई दिनों से, कई महीनों से जो आवेदन किया हुआ था, सब को कूड़े की टोकरी में डाला गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निलम्बित हुए, उसके बाद अदालत ने इनकी रिट को खारिज कर दिया, उसके बाद भी किस तरह से यह व्यक्ति बहाल हुआ, बहाली के आदेश किस प्रकार प्राप्त किये ? क्या यह माना जाये कि सारे नियमों और कानून को ताक पर रख कर इस भ्रष्ट अधिकारी हनुमन्त सिंह कछावा को वहां वापस नौकरी में लिया गया। मैंने इस विशेष उल्लेख के जरिये कहा, कि उक्त लेखापाल का यह मसला गये विधान सभा सत्र में माननीय कालीचरण जी सराफ ने उठाया था, उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि उक्त व्यक्ति दोषी है और इसको निलम्बित किया गया है। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरीके से इस पद पर मौजूद है, यह मेरी समझ से बाहर है।

श्री सभापति : समाप्त हो गया आपका ?

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : इनकी लापरवाही की वजह से बैंक का जो लाखों रुपया बकाया है, अब तक नहीं आ रहा है, इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को तुरन्त बर्खास्त किया जावे, इनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंह....(व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकारा इसको और यह कहा कि करोड़ों का गबन करने वाले के खिलाफ खाली सस्पेण्ड करने से क्या होता है ? यह बहुत गम्भीर मामला है, करोड़ों का गबन करने वाले को सस्पेण्ड करने के बाद वापस ले लिया गया।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आप इसका जवाब दिलवाइये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपने कह दिया है, आप बीच में कहां आ रहे हैं ? सरकार कार्यवाही करेगी। मैं कह रहा हूं सरकार से, कार्यवाही करे, मैंने कह दिया।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : विधान सभा में आश्वासन दिया गया था आसन से, उसका क्या हुआ ? विधान सभा में आश्वासन में कहा गया कि यह व्यक्ति भ्रष्ट है चोर है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो फिर क्या कार्यवाही हुई ? कोई कार्यवाही नहीं हुई, उस आदमी को सस्पेंड कर दिया। सदन में स्वीकार किया गया है इस चीज को और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और फिर वापस ले लिया गया और

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

वह व्यक्ति आज भी उसी पद पर बैठा हुआ है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसकी गंभीरता को माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने स्वीकारा है कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, करोड़ों का गबन करने वाले को फिर ले लिया गया।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से कह रहा हूं सरकार कार्यवाही करेगी। श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं पंचायत राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत राज को सबल बनाने की एक तरफ बात करते हैं और किस तरह से पंचायत राज के अन्दर प्रधान या वहां के स्थानीय लोग मनमानी कर रहे हैं। मैं 295 के अन्तर्गत, विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक के प्रधान श्री कल्याणमल मीणा अपने मन-माने ढंग से पंचायत समिति की बैठक आमन्त्रित करते हैं और जिलाधीश, टोंक द्वारा दिनांक 12.5.1989 की बैठक को स्थगित किये जाने के बाद भी उसी दिन समिति की बैठक की और वर्ष 1989–90 का बजट पारित किया। जो गलत था। इस प्रकार से ही, दिनांक 12.5.1989 की बैठक जिलाधीश, टोंक, ने स्थगित कर दी थी और सब सदस्यों को भी पूर्व में सूचना कर दी थी, फलस्वरूप कई सदस्यों ने भाग नहीं लिया और अनुपस्थित रहे। प्रधान श्री कल्याणमल मीणा ने जानबूझ कर इन आदेशों की अवहेलना करते हुए एक अलग से बैठक उसी दिन की और बजट 1989-90 का पारित किया, जबकि सदस्य उपस्थित नहीं थे। आश्चर्य इस बात का है कि कार्यरत विकास अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा साफ तौर पर जिलाधीश, टोंक के आदेशों की अवमानना की।

श्री कल्याण मल मीणा के इस कृत्य के विरुद्ध मेरे द्वारा भी इस कार्यवाही का विरोध करते हुए जिलाधीश, टोंक व विकास अधिकारी, पंचायत समिति को पत्र लिखा गया और मांग की गई कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के तहत जिलाधीश को अधिकार है कि वे ऐसे प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1989–90 का बजट जो पारित किया गया है वह विधिनुसार न्याय संगत नहीं है और खर्च करना वित्तीय नियमों के विपरीत है। मैं पंचायत व सामुदायिक मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेंगे और दुबारा से पंचायत समिति की बैठक बुलाकर वर्ष 1989–90 का वैधानिक तौर से बजट पारित करायेंगे और कार्यरत तत्कालीन विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेंगे। अतः मैं नियम 295 के माध्यम से पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए विशेष उल्लेख करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के जरिये विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं। निवेदन है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा काश्तकारों के खेतों में बैंकों से ऋण दिलाकर नलकूप खोदकर उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम चल रहा है और नलकूप लागत और बैंक राशि में जो अन्तर रहता है उसको काश्तकारों से पहले जमा करा लिया जाता है। परन्तु अभी हाल ही में परियोजना निदेशक, जिला नागौर ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा काश्तकारों के नलकूप बनाना बन्द कर दिया गया है और यह कह रहे हैं कि अब यह योजना बंद कर दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत जिन काश्तकारों से पूर्ण राशि जमा करा ली है उनके भी नलकूप नहीं बनाये जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्राम मेड़ता रोड के दो काश्तकारों क्रमशः श्री भीखाराम पुत्र श्री रमजीराम व श्री भीखाराम पुत्र श्री छोटा राम के 1,24,000 एवं 85,000 रुपये जमा कराये हैं और ग्राम गंगारड़ा के शंकर राम ने 75,000 रुपये जमा कराये। इनकी राशि जमा कराने के लिए परियोजना निदेशक ने 23 मार्च, 89 को काश्तकारों को चिट्ठी लिखी। राशि हाथों-हाथ जमा करा दी गई और 1 अप्रेल को यह कह दिया गया कि स्कीम बंद हो गई। यह उनके साथ सरासर अन्याय है।

इसके अलावा बहुत से काश्तकारों ने जमानत की राशि जमा करा रखी है जिनकी संख्या सैंकड़ों में हैं। यह काश्तकारों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। यदि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस योजना को बंद कर दे तो काश्तकारों के साथ अन्याय होगा क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर यह योजना चालू की गई थी उसका कृषकों को लाभ मिलना बन्द हो जायेगा तथा दूसरी तरफ हम देखें तो इस योजना के बन्द होने से कृषि उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः विशेष उल्लेख के जरिये सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना को बन्द नहीं किया जाय, जिन काश्तकारों से पूरी लागत नलकूप हेतु जमा करवा रखी है उनके नलकूप प्राथमिकता के आधार पर खोदे जायें। यह किसानों से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः कृषकों के हितों की रक्षा की जायें।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवर दयाल गोयल।

श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपने विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान आकर्षित करूं, कुछ कागजात ऐसे हैं जो मेरे इस विशेष उल्लेख को प्रमाणित करेंगे इसलिए आज्ञा चाहूंगा कि उनको पेश कर दूं।

श्री सभापति : कृपया पढ़े आप।

श्री रघुवर दयाल गोयल : उसकी आज्ञा दीजिये।

श्री सभापति : आपने क्या चाहा है ?

श्री रघुवर दयाल गोयल : मैं विशेष उल्लेख के जरिये जो आपको बता रहा हूं उसके प्रमाण स्वरूप दो-तीन सत्य प्रति मेरे पास ऐसी हैं जो मेरे विशेष उल्लेख को प्रमाणित करेंगी।

श्री सभापति : वह आप सदन की टेबल पर रख दें बाद में, मैं अलाऊ करता हूं।

श्री रघुवर दयाल गोयल : मेहरबानी है। सभापति महोदय, प्रक्रिया संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं बिजली विभाग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

अलवर जिलान्तर्गत पंचायत समिति, रामगढ़ स्थित ग्रामीण विद्युतिकरण अधिकरण, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत है। इस विभाग द्वारा इस क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं का शोषण और परेशान किया जाना दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहां के सेवारत अधिकारीगण बिजली विभाग को अपनी निजी दुकान समझ कर चला रहे हैं। चूंकि बिजली पर एकाधिकार है और सरकार की समुचित देखभाल नहीं है अतः मनमर्जी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिये भी कि उच्चाधिकारी और सरकार कोई हस्तक्षेप पता नहीं किन अदृश्य, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण कारणों से बिल्कुल भी नहीं कर रही है। नियम, उपनियम अधिकारीगण अपनी मर्जी से बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। बिजली कनेक्शन चाहे घरेलू हो, कृषि हेतु हो, औद्योगिक हो या फिर व्यापारिक हो, व्यावसायिक हो, यहां प्रायर्टी नाम की चीज बिल्कुल नहीं चलती। किसी को भी बिजली देना, बिजली काटना, मीटर की कीमत किसी से लेना, किसी से नहीं लेना, गर्ज यह है कि आज बिजली के ये अधिकारी पूर्णतया स्वच्छन्द और बिजली विभाग की कीमत पर खुद कीमती ही नहीं, अति कीमती बनते जा रहे हैं। वन पोल स्कीम के अन्तर्गत इस पंचायत समिति में जो भी कृषि कनेक्शन दिये गये हैं उनमें से अधिकांश वन पोल की निश्चित दूरी से काफी ज्यादा है। यह मेरा आरोप व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर तथा तथ्यात्मक है कि यह सब पैसे लेकर किया गया है। उदाहरण के तौर पर शमशेर खां चोरोटी पहाड़ को दिये गये वन पोल कनेक्शन की दूरी को जिसका प्रायर्टी एग्रीकल्चर नं. इकतीस, पांच एच. पी. का है, यदि इसको नापेंगे तो एस्टीमेट में उल्लिखित दूरी से कम डेढ़ी दूरी पर वन पोल पायेंगे। इसी प्रकार नौगांवा में एक ही पार्टी को चार कनेक्शन वन पोल स्कीम के अन्तर्गत दिये हैं। इन चार कनेक्शन्स के देने में स्थानीय इन्जीनियर्स ने अपनी उच्च कार्य क्षमता का दिग्दर्शन कराया है। चारों कनेक्शन प्रार्थना पत्र देने के समय से कनेक्शन करने के समय तक एक माह से भी कम समय लगाकर चारों कनेक्शन करके उच्चतम कार्य शैली प्रदर्शित की है। यह चारों कनेक्शन और किसी आम किसान के नहीं बल्कि उस दिल्ली की एक पार्टी के हैं जो फ्रेण्ड्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहां इस गरीब इलाके में आई है और कई सौ बीघा जमीन खरीद की है। उधर दूसरी ओर बहुत से ऐसे भोले किसान हैं कि जिनके कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन मार्च में किये हुए कागजों में दिखा रखे हैं। लेकिन वास्तव में अभी तक लट्ठे भी वहां नहीं गाड़े हैं। मुबारिकपुर के दो किसान ऐसे हैं उनके कनेक्शन की जांच की जा सकती है। वहां आज भी लट्ठे तक नहीं गड़े हुए हैं। गूजरपुर के लल्लूराम एवं किशनचन्द नामक व्यक्ति उन बिजली उपभोक्ताओं में से हैं जिनका एकाउन्ट नं क्रमशः 27 एवं 20 है उनके बिना बिजली कनेक्शन किये ही छह माह के समय से बिजली के बिल आ रहे हैं। सहायक अभियन्ता को कहा गया तो

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

उनका जवाब बिल्कुल कोरा था। रामगढ़ के एक दीपक कुमार शिक्षित बेरोजगार जिन्हें स्वरोजगार हेतु ऋण स्वीकृत बिजली विभाग की सहमति से हुआ जिसका डिमाण्ड नोटिस नं. 1599/22.5.89 जारी हुआ। जिसमें दीनदयाल इण्डस्ट्रीज के नाम की बकाया राशि जमा कराने की शर्त और भी दर्ज थी। प्रार्थी दीपक कुमार ने डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के प्रयत्न किये और इसके लिए सहायक अभियंता को 17.6.89 को प्रार्थना पत्र पेश किया कि दीनदयाल इण्डस्ट्रीज से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। शिक्षित बेरोजगार हूं, डिमाण्ड नोटिस जमा करायें। 17.6.89 की दरखास्त पर सहायक अभियन्ता ने मेरे कई बार कहने के बाद 20.6.89 को इस दरखास्त पर विशेष नोट बनाया। वह उनकी भावनाओं को स्पष्ट करता है कि उनकी भावना किस प्रकार लालचपूर्ण थी।' डिमाण्ड नोटिस में केवल दीनदयाल इण्डस्ट्रीज की बकाया जमा कराने की शर्त और इस पर दरखास्त पर चार और खातों की बकाया रकम जमा कराने की शर्त और दर्ज की गई।

सभापति महोदय, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि इस दीनदयाल इण्डस्ट्रीज पर कोई बकाया नहीं है, उसके मालिक के बार-बार हिसाब पूछने पर और दिखाने के लिए कहने पर बिजली विभाग हिसाब बताता नहीं। मैंने स्थानीय सहायक अभियन्ता का लिखित उत्तर इस सम्बन्ध में देखा है जिसमें इस तथाकथित बकाया राशि वाली फाइल को दीमक खाने का कारण दर्ज है और इस कारण इस फाइल को नहीं मिलना लिखा है। दूसरा कारण डिमाण्ड नोटिस जमा नहीं कराने का लिखा है कि यह इण्डस्ट्रीज उस जगह ही लग रही है जहां दीनदयाल इण्डस्ट्रीज की ओर बोर्ड के पैसे बकाया हैं। बोर्ड का नियम यह बताया गया जिस स्थान पर लगे बिजली विभाग के कनेक्शन का कोई बकाया हो वहां दूसरा कनेक्शन नहीं दिया जाता जब तक कि पहला पैसा जमा नहीं हो जाता। यह नियम भी रामगढ़ के ए.ई.एन., जे.ई.एन. ने पूर्व में भंग किया हुआ है। दीपक कुमार के पिता श्री मदन लाल प्यारेलाल के नाम पर आज तक बिजली विभाग के खातों के अनुसार दोहली गांव के अकाउन्ट नम्बर 10–11 के पैसे बकाया हैं किन्तु इन दोनों कुओं पर, जो खाता नम्बर 10–11 के हैं. वहां दूसरों के नाम से बिजली चालू है। स्पष्टतया भ्रष्टाचार और लूट-खसोट का इन उदाहरणों से बढ़कर और क्या उदाहरण हो सकता है? प्रशासन गांवों की ओर में लगे कैम्प नौगांवा में 16.6.89 को बिजली विभाग की भ्रष्ट और मनमानी कार्यवाही का गांव वालों ने कैम्प अधिकारी, उप जिलाधीश को मौके पर दिखाया कि किस तरह बिजली विभाग के अधिकारियों ने बल्लियों पर लाइन देकर उस खास उपभोक्ता को रात-दिन बिजली की सुविधा दे रखी है जो नौगांवा में और किसी को भी नहीं है। यह उपभोक्ता और कोई नहीं बाहर से आये कृषि-खेती की जमीनों के बड़े और असरदार व्यापारी हैं जिनका मुख्य धन्धा जमीन का व्यापार है। बिजली के मीटर्स से हर तरह की गड़बड़ी करना-कराना इन अधिकारियों का रोज का काम है।

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

किसी से मीटर की कीमत लेना, न लेना, रीडिंग में हेराफेरी, सील में हेराफेरी यह आम बात है। अलवर जिले के सर्वोच्च बिजली अधिकारी की जानकारी में भी यह तथ्य हैं। मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से बिजली बोर्ड और राजस्थान सरकार के बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बिजली बोर्ड में की जा रही हानि को रोकने, हानि पहुंचाने, मनमानी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। ऐसा मैं चाहता हूं कि जिससे आम उपभोक्ता राहत अनुभव कर सके। आपने समय दिया उसके इसका लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय सभापतिजी, मैं राजस्थान की ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर शहर मेरा आधार होगा।

महोदय, मैं जयपुर शहर में जल का उपयोग व्यापारिक कार्य में नहीं होने पर भी 29.9.1984 से जल उपभोक्ताओं से व्यापारिक दर वसूल करने और 20 प्रतिशत सिवरेज टैक्स के बाद 13 प्रतिशत सिवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट चार्ज उन उपभोक्ताओं से भी 5.7.1987 से वसूल करने का जिनका कनेक्शन सिवरेज ट्रीटमेण्ट से नहीं है, राज्य सरकार ने वाटर सप्लाई नियम, 1967 में संशोधन किये बिना पानी की दरों में एक आदेश क्रमांक एफ 3/ए/227/374, दिनांक 27.10.1984 निकाल कर प्रासंगिक पत्र में लिखा है कि यदि किसी परिसर में जल सम्बन्ध लिया हो वह उस परिसर में व्यापारिक कार्य होता हो तो व्यापारिक दर वसूल करना आवश्यक है। जल का उपयोग व्यापारिक कार्य में होता हो अथवा नहीं, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं एक मिनिट अपने विषय से हटकर के उस पत्र को भी पढ़ना चाहता हूं यह क्रमांक एफ 3ए/227/374 दिनांक 27.10.1984 का है पानी की दरों के क्रम में आपका पत्र 5013 दिनांक 29.7.1984 उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में लिखा है कि यदि किसी ने जल सम्बन्ध लिया हुआ है व उस परिसर में व्यापारिक कार्य होता हो, प्रोफिट मेकिंग एक्टीविटी होती हो तो व्यापारिक दर वसूल करना आवश्यक है। जल का उपयोग व्यापारिक कार्य में होता हो या नहीं होता हो इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि दोनों बातें लिख दीं। यदि उस दुकान से कोई पानी का कनेक्शन हो तो ही आप व्यापारिक दर ले सकते हैं और यदि दुकान में, या व्यापार में एक बूंद भी पानी काम में नहीं आता है तो उस दुकान से और पूरे के पूरे मकान से व्यापारिक दर लेना गलत है। यह उस पत्र का आधार है यह बात मैंने आपसे कही है। जल का उपयोग व्यापारिक कार्य में होता है अथवा नहीं इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है यह भाषा बिल्कुल गलत है।

यह गलत गैर कानूनी, जनता को परेशान व धन लूटने वाला अनुचित तरीके से मकान के किरायेदारों में विवाद बढ़ाने वाला और जिस व्यवसाय में एक बूंद भी पानी काम में नहीं आता है जैसे मूर्तिकारों का व्यवसाय, जौहरी व्यवसाय, परचूनी का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दुकानदार, साइकिल व टाइप की दुकान, स्वेटर बुनाई केन्द्र, वकील व डाक्टरों का चैम्बर, समाचार-पत्रों की एजेन्सियों का कार्यालय या अन्य व्यवसाय जिसमें एक बून्द पानी भी व्यवसाय की आमद में बढ़ोतरी करने के काम में नहीं आता है उनसे यह व्यवसायिक दर वसूल करना घोर अन्याय है। वाटर सप्लाई नियम, 1967 में आज तक रेट के लिए संशोधन व परिवर्तन नहीं किया गया है।

मान्यवर, मेरे पास यह वाटर सप्लाई रूल्स की भी कापी मौजूद है, इसमें अभी तक किसी का कोई अमेंडमेन्ट नहीं किया गया है कि व्यापारिक दर किस प्रकार से वसूल की जायेगी और जब तक इसमें अमेंडमेण्ट नहीं हो जाता है केवल परिपत्र के आधार पर व्यापारिक दर वसूल करना गलत है। इसी आधार पर मैं इन अवैध आदेशों को हाई कोर्ट में एक रिट याचिका द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपनी एक विज्ञप्ति एफ/एफ ए एण्ड सी ए ओ 84-85/1672-1772, दिनांक 5.7.87 प्रसारित कर सितम्बर, 87 के बिलों से अर्थात् 1 जुलाई, 87 के बिल में 20 प्रतिशत सिवरेज टैक्स के अतिरिक्त सिवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट चार्ज 13 प्रतिशत की दर से और जोड़ कर जहां पर सिवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट की कोई सुविधा नहीं दी हुई है। यानी गटर लाइन भी नहीं डाली हुई है वहां भी सिवरेज टैक्स लगा दिया।

जयपुर के जल उपभोक्ताओं पर 100 रुपये पर 33 रुपये टैक्स वसूल करना प्रारम्भ कर दिया है। यानी आप देखिये कितना घोर अन्याय है। 100 रुपये का पानी प्रयोग करेंगे और 33 प्रतिशत टैक्स है जबकि फ्लेट रेट मौजूद है राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र निकाल रखा है कि जो ज्यादा पानी खर्च करेगा तो उसको ज्यादा रेट के आधार पर देना होगा तो जब यह घोषणा कर रखी है, कि ज्यादा पानी की ज्यादा रेट देनी पड़ेगी तो मैं समझता हूं कि यह कामर्शियल दर नहीं लगानी चाहिए। आपकी आज्ञा से मैं आगे पढ़ रहा हूं।

जबकि कई कालोनियों में तो वह लगा हुआ है जहां पर गटर लाइन तक नहीं डली हुयी है यह और लूटने वाला अन्याय का आदेश है। राज्य सरकार ने इसी आदेश के अन्तर्गत घरेलू उपयोग जो न्यूनतम दर 16 रुपया 80 पैसे थी उसे नये आदेश में बढ़ा कर 22 रुपया 48 पैसे कर दिया है और सिवरेज टैक्स 20 प्रतिशत के साथ 13 प्रतिशत ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट चार्जेज लगाकर 33 प्रतिशत कर दिया है यह घरेलू पानी उपयोग में लाने वाली जनता के साथ घोर अन्याय है। इसी प्रकार फ्लेट रेट में भी वृद्धि की है तथा कामर्शियल उपयोग की दरें हैं 15000 लीटर तक एक रुपया 88 पैसे की बजाय 2 रुपया 50 पैसे, 15 से 50 हजार लीटर तक 2 रुपया 25 पैसे के बदले 3 रुपया तथा 50 हजार लीटर से एक लाख लीटर तक के लिए अब नई दर 3 रुपये 75 पैसे तथा एक लाख लीटर से ज्यादा के लिए 4 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर की नयी दर लागू कर दी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि इन व्यवसायिक दरों में जो बढ़ोतरी की गयी है उसका असर जयपुर के प्रत्येक जल उपभोक्ता पर जो विज्ञप्ति जल का उपयोग व्यापारिक कार्य

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में होता हो अथवा नहीं दिनांक 27.10.84 को जो प्रसारित की है, हो रहा है क्योंकि किसी न किसी मकान में दुकान या व्यापारिक कार्य जिसमे एक बूंद भी पानी काम में नहीं आता है होता है चाहे मकान किसी भी बस्ती में बना हुआ है। इसी प्रकार और औद्योगिक उपयोग के लिए जहां राज्य सरकार उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता दी जानी चाहिये थी उसके बजाय 15,000 लीटर के लिये 2 रुपया 50 पैसे के बदले 5 रुपये 15 से 50,000 लीटर के लिये 3 रुपये के बदले 6 रुपये 50 हजार में एक लाख लीटर के लिये तीन रुपये के बदले 6 रुपये 75 पैसे व एक लाख लीटर से अधिक की खपत पर 9 रुपये की दर लागू की गयी है। उल्लेखनीय है कि यह दरें होटल व ढाबों के लिये भी लागू की गई हैं क्योंकि यह भी उद्योग की सूची में आते हैं।

इसलिए मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की सप्लाई नहीं, मन्दा पानी देंगे, प्रेशर से देंगे नहीं, लोगों को पानी मिलेगा नहीं, मिलता है तो मल-मूत्र का मिलता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए जो यह कामर्शियल दर जिसमें एक बूंद भी पानी काम में नहीं आता है, यह लगाना जयपुर शहर की जनता के लिये एक घोर अन्याय है। इसलिये राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारिक दर जो लगायी है वह वापस ले, क्योंकि जब ज्यादा पानी....

श्री सभापति : आपने कह दी अपनी बात ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : काम में लेते हैं तो उससे ज्यादा दर लेते हैं तो इसको समाप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : माननीय भार्गव साहब ने सही बात कही हैं मैं निवेदन करूंगा कि आप आसन की ओर से सम्बन्धित विभाग को निर्देश दें कि इस तरह से लोगों पर घोर विपत्ति आ गयी हैं उसके निराकरण के लिये इसको समाप्त करें।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं सरकार विचार करे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप पर भी लागू होता है।

श्री सभापति : मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर लग रहा है सारी जनता के ऊपर लगा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एम.एल.ए. जो बैठे हैं उनके ऊपर भी है चाहे विधायक का बोर्ड आपने लगा रखा है फलां जोबनेर के एम. एल. ए., जैसलमेर के एम. एल. ए. यदि घर में भाभीजी ने एक भैंस भी पाल ली है, छोटी-मोटी स्वेटर बुनाई की मशीन या ब्यूटी पार्लर आजकल तो बाल काटने, लिपस्टिक लगाने का फैशन हो गया है तो मेरा निवेदन करना है कि होल मकान कामर्शियल हो जायेगा। इसलिये मैं तो सारे विधायकों और जनता के लिए जो बात है वह आपके सामने कही है।

श्री सभापति : मैंने आसन की ओर से कह दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसको गम्भीरता से लेंगे। आप परिवार में जाकर आदरणीय भाभीजी से भी पूछेंगे तो वह भी कहेंगी कि भार्गव साहब ने यह बात बिलकुल सही कही है।

श्री सभापति : मैंने आसन की ओर से कह दिया कि सरकार उस पर पुनर्विचार करे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर जिले की विभिन्न तहसीलों के भू-भाग के खारी होने एवं रेगिस्तान की स्थिति बनने से उत्पन्न स्थिति.

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत भरतपुर जिले के डीग के सम्पूर्ण भाग, नगर कामां, नदबई, वैर, बयाना तथा बयाना रूपवास तहसीलों का एक भारी भू-भाग खारी हो गया है और तेजी से हो रहा है, पूरा भरतपुर जिला रेगिस्तान हो रहा है, के सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जिस समस्या की ओर विवरण लेना चाहा है और उसका समाधान करना चाह रहे हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयत्न किये गये या किये जा रहे हैं उनके बारे में मैं उनको अवगत कराना चाहती हूं।

राज्य में कुल लगभग 7.3 लाख हैक्टेयर क्षारीय और लवणीय भूमि है। इसमें से भरतपुर एवं धौलपुर जिले में सर्वेक्षण के आधार पर लगभग एक लाख हैक्टेयर भूमि क्षारीय एवं लवणता से प्रभावित है। क्षारीय एवं लवणीय भूमि होने के प्रमुख कारण वैसे तो आप भी जानते हैं लेकिन फिर भी भूमि गत जल का क्षारीय एव लवणीय होना, पानी का उचित निकास नहीं होना, नहरों का ऐसे क्षेत्रों से गुजरना जहां मृदा में अधिक लवण पाये जाते हैं जो घुल कर सिंचाई के साथ खेतों में पहुंच जाती है। नहरों का तल भूमि के सतह से ऊपर होने से अपसरण की प्रक्रिया अधिक हो जाती है।

भरतपुर में तश्तरी के आकार में भूमि है अतः पानी का समुचित विकास नहीं हो पाता है इसलिए भी भूमि के नीचे पाये जाने वाले लवण पदार्थ पानी में घुल कर ऊपर आ जाते हैं और भूमि उनसे प्रभावित होती है। इसके साथ-साथ भरतपुर जिले के क्षेत्र में अधिकतर भूमिगत जल में लवणीयता है जिसके कारण भूमि लवणीय होती रहती है। ऐसा अनुभव है कि भू-जल में लवणों की सांद्रता अधिक होने से वहां की मृदा सतह में भी लवणों की वृद्धि अधिक हो जाती है। भू-जल स्तर की विभिन्न गहराइयों में भी यह स्थिति बनी रहती है। अतः मृदा में क्षार व लवणता को कम करने के लिए, जिन कारणों से वह बनती है उसका निराकरण करना अतिआवश्यक होता है।

(1.52 म. प.)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

लवणीय एवं क्षारीय भूमि के सुधार हेतु जो उपाय आवश्यक है वह इस प्रकार है।

(श्रीमती कमला)

सतही पानी के निरन्तर उचित निकास की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। दूसरा, लवणीय एवं क्षारीय भूमि के सुधार हेतु मृदा विश्लेषण के आधार पर खेत की आवश्यकता का 50% जिप्सम डालना चाहिए। सामान्यतः एक हैक्टेयर में औसतन 5 टन जिप्सम वर्षा से 2–3 सप्ताह पूर्व एक-दो बार में डालना चाहिए। इसे डालने के बाद मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए। जिप्सम लगाने का व्यय लगभग 15 सौ से दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तक आ जाता है।

तीसरा, क्षारीय एवं लवणीय भूमि सुधार के लिए इसके साथ-साथ अधिक मात्रा में गोबर का खाद और जैविक खाद का प्रयोग किया जाना अधिक उपयुक्त रहता है। भरतपुर क्षेत्र के लिए दोनों उपचारों के बाद ट्रेन्च की हरी खाद का प्रयोग सर्वाधिक लाभप्रद रहा है। खेत में जो जिप्सम डाला जावे वह काफी बारीक होना चाहिए। जिप्सम डालने के बाद खेत को समतल कर देना चाहिए व खेत को मेड़ द्वारा छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। इनमें कुछ समय तक वर्षा का पानी भरे रहने के बाद पानी को योजनाबद्ध तरीके से निकास पद्धति द्वारा निकाल दिया जाना चाहिए। भरतपुर जिले में किसानों के खेतों की मृदा परीक्षण के लिए एक भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की हुई है जो मिट्टी के नमूनों की जांच के आधार पर जिप्सम डालने का सुझाव भी देती है। भरतपुर के लिए वर्ष 1979-80 में व उसके पश्चात् कुम्हेर व पार्वती क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से जिप्सम उपलब्ध कराने के लिए ऋण दिये जाने की योजना स्वीकृत की गई। इसके अन्तर्गत 400 हैक्टेयर के लिए लगभग 3.01 लाख रुपये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से मृदा के लिए ऋण के लिए प्रावधान था। इसी तरह पार्वती कमाण्ड क्षेत्र के लिए 3.08 लाख रुपये ऋण राशि का प्रावधान वर्ष 84-85, 85-86 में किया गया था। इन दोनों योजनाओं से लाभान्वित कृषकों को कृषि विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत कराया जाना था। जो राशि प्राप्त नहीं होने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। सामान्य किसानों द्वारा निजी स्तर पर ऋण या स्वयं की राशि से सुधार का काम करने पर यह बहुत महंगा पड़ता है। वर्ष 85-86 से राज्य में लवणीय और क्षारीय भूमि सुधार के लिए विशेष प्रयास शुरू किये गये हैं। इसके अन्तर्गत किसानों को रियायती दर पर जिप्सम उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना की अवधि में 8 हजार हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1988-89 में 400.40 हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनाई गई जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान का दिया गया। वर्ष 1989-90 में इस मद के लिए 12.50 लाख रुपया रखा गया है इसमें से भरतपुर के लिए रुपये डेढ़ लाख तथा धौलपुर के लिए 50 हजार रखा गया है। भरतपुर एवं धौलपुर में जो पूर्व में कार्यक्रम लिया गया और उसके तहत जो भूमि तय की गई या जो भूमि उसके अन्तर्गत सुधार में आई और जो प्रावधान किया गया धनराशि का वह इस प्रकार है—भरतपुर में 1985-86 में 1760 इसमें जो उपचारित

(श्रीमती कमला)

क्षेत्रफल तय किया गया है वह 26.06 हैक्टेयर था और इसके लिए जो धनराशि उपलब्ध करायी गई वह 17,604.60, 1986-87 में 30,433, 1987-88 में 48,058, 1989-90 में 1 लाख 9 हजार, 1989-90 के लिए 1 लाख 50 हजार यह भरतपुर का है। उसमें एरिया जो सलेक्ट किया गया था वह 26 हैक्टेयर था फिर 61 हेक्टेयर था, फिर 57 हैक्टेयर था और इसके अनुसरण में जो विशेष रियायत दी गई थी वह यह थी जो विशेष केटेगिरी के फार्मर्स थे, स्माल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, एस. सी. और एस. टी. इनको 75% की रियायत दी गई और जो जनरल फार्मर्स थे दूसरे उनको 50% की रियायत दी गई। इसी तरह धौलपुर के अन्दर 1987-88 के अन्दर 48,698 और भूमि 25.42 एकड़, 1988-89 में 50 हजार और 1989-90 में फिर 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

भरतपुर जिले के लिए लगभग 38.07 लाख रुपये की लागत से एक 3 वर्ष के लिए योजना बना कर तैयार की गई है इस योजना में तीन प्रकार की व्यवस्थाओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है—इसमें जिप्सम 5 टन प्रति हैक्टेयर जैविक खाद का उपयोग एवं उचित फसल प्रबन्ध की व्यवस्था, निकास व्यवस्था एवं बंडिंग आदि। अनुमानत: इन तीनों व्यवस्थाओं में सम्मिलित रूप से प्रयोग करने पर लगभग 52 सौ रुपया प्रति हैक्टेयर व्यय सम्भावित है। यह योजना कुछ समय पूर्व तैयार की गई है। सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। अनुदान की राशि लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 75% प्रस्तावित है एवं अन्य के लिए 50% प्रस्तावित है।

माननीय सभापति महोदय, यह जितना सा प्रयत्न है वह दरअसल में समस्या की विशालता और गम्भीरता को देखते हुए बहुत कम है। दूसरी तरफ, खास तौर से जिप्सम का जो प्रयोग करने से इसमें क्षारीयता और लवणीयता कम हो सकती है उसकी खुद की कोस्ट, ट्रान्सपोर्टेशन कोस्ट वगैरा मिल कर के इतना अधिक होता है कि उसके पेटे सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए भी बहुत कम प्रावधान रखे जाने की व्यवस्था जुट पाती है। इसलिए इस सम्बन्ध में इस योजना को आज हमने तैयार करके प्रस्तावित की है उसके तहत में जितनी अधिक से अधिक राशि हम ले सकेंगे और जितने ज्यादा व्यापक एरिया को हम लाभ पहुंचा सकेंगे उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी हम क्षारीयता और लवणीयता के ऊपर नियन्त्रण पा सकेंगे। लेकिन धन के अभाव के कारण हम उतने व्यापक तौर पर इसको नहीं ले पा रहे हैं जितनी व्यापक यह समस्या बनती जा रही है। खास तौर से भरतपुर और धौलपुर एरिया के अन्दर आम तौर से फ्लड से जो इनन्डेशन होता था उससे इसकी समस्या हल होती थी, जो पिछले कुछ वर्षों के अन्दर इस प्रकार की वर्षा का अभाव होने से और इस प्रकार का इनन्डेशन न हो पाने से यह और भी बढ़ती चली जा रही है। अंडर ग्राउण्ड वाटर भी चूंकि लवणीय है इसलिए समस्या और भी गम्भीर है। लेकिन इसके अलावा और कोई

(श्रीमती कमला)

प्रबन्ध और कोई वित्तीय व्यवस्था हो सके तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने भी माना कि भरतपुर जिले की लगातार तेजी से जमीन सैलाइन और अल्कलाइन होती जा रही है। वह किस तेजी से सैलाइन और अल्कलाइन हो रही है, वह एक साल में जो विधान सभा में मैंने इस सम्बन्ध में मुद्दे उठाये, उससे स्पष्ट होता है। 31-3-1987 को आपने ही मेरे काल अटेंशन का जवाब दिया, फिर आपने 9-11-1987 को मेरे काल अटेंशन का जवाब दिया और फिर 15-3-1988 को प्रभाकर जी ने मेरे एक काल अटेंशन के जवाब में बताया कि भरतपुर जिले की जो पांच लाख हैक्टेयर जमीन कृषि योग्य भूमि है उस भूमि में से 43 हजार 500 हैक्टेयर जमीन क्षारियता और खारेपन से प्रभावित हो चुकी है। अभी आपने जो अपने जवाब में बताया है और विधान सभा में भी आपने मेरे काल अटेंशन के जवाब में जो जवाब भेजा, उसमें बताया कि अब भरतपुर जिले में पिछले एक साल के अन्दर जो खारेपन और क्षारियता से जमीन प्रभावित है, वह एक लाख हैक्टेयर जमीन प्रभावित है यानि बहुत तेजी से भरतपुर जिले की जमीन को क्षारियता और खारापन निगलता जा रहा है। भरतपुर जिले में, सभापति महोदय, पांच लाख, सात हजार, पांच सौ उनसठ हजार कुल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 25 हजार 888 हैक्टेयर फोरेस्ट है, कुछ फेलो लैण्ड पड़ी है, कुछ ग्रोइंग लैण्ड है, कुछ करण्ट फेलो है। इस प्रकार से इस जमीन में से जो खेती के लिए जमीन बचती है वह 3 लाख 75 हजार, पौने चार लाख हैक्टेयर के करीब पड़ती है।

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंह जी, यह जानकारी तो मन्त्री महोदया को होगी। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरे समझ में नहीं आता कि समस्या का निदान कैसे होगा। यानि एक लाख हैक्टेयर में से 25 प्रतिशत से अधिक भूमि जिस जिले की पिछले कुछ सालों में अल्कलाइन और सैलाइन होकर बंजर हो जाये, वहां के लिये आप पचास हजार रुपया देकर और 25 हैक्टेयर जमीन के लिए आप रिक्लेमेशन प्रोग्राम लेकर चलें तो मैं नहीं समझता कि आप वहां की समस्या का निदान कर पायेंगे।

सभापति महोदय, यहां की भूमि में क्षारियता और खारापन होता ही क्यों है ? उसके दो प्रमुख कारण हैं—एक तो पूअर ड्रेनेज सिस्टम हो जिसके कारण पानी भरा रह जाये। कैपीलरी एफलसेंस एक्शन से जो जमीन के सोर्स हैं वह सोर्स जमीन के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाये और फिर पानी उड़ जाये, पानी इवोपरेट हो जाये और सोर्स वहां डिपोजिट रह जाये। एक कारण तो उसका यह है। सोइल को खतम करने का, सोइल को किस प्रकार से ट्रीट किया जाये, उसका सबसे बड़ा इलाज है कि सायल्स को लीज किया जाये, पानी से उनको जमीन के अन्दर बढ़ाया जाये और दूसरा है कि जो जमीन के ऊपर डिपोजिट हो गये, एक्यूमुलेट हो गये, उनको हम किसी प्रकार से फ्लश-आउट करें, वहां से पानी के साथ में उनको बहा कर ले जाये। यानि सायल ट्रीटमेंट,

(श्री यदुनाथ सिंह)

सायल मैनेजमेंट किस प्रकार से हम वहां का करें, यह मुख्य मुद्दा है ।

सभापति महोदय, मुझे दुख है, लगातार पिछले नौ-साढ़े नौ साल से इस विधान सभा में, विधान सभा के बाहर, मन्त्रियों को चिट्ठी लिखकर, परिपत्र देकर, डेपुटेशन लेकर और यहां तक आन्दोलन, अनशन और जेल भरो प्रोग्राम करने के बावजूद भी मैं इस समस्या को अभी तक सरकार तक ज़ोरदारी से या तो पहुंचा नहीं पाया हूं, इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है । लगातार जो बरसाती नदियां हैं उनके पानी को आप रोकते चले जा रहे हैं ऊपर अप स्ट्रीम में, मैं नहीं कहता कि ऊपर के किसानों का उस पर हक है कि नहीं, हक है उस पर लेकिन एक एरिया को आप डिप्राइव करते चले जायें और वह रेगिस्तान बनता चला जाये और दूसरे एरिया में पानी निकलता चला जाये । उससे इसका निदान नहीं होगा ।

आपने कहा कि नाबार्ड इसके लिये लोन देगा । इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ।

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप प्रश्न के रूप में पूछिये ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह आप सोइल मैप देखिये भरतपुर का, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेण्ट का सोइल मैप है । एक लाख हैक्टेयर बता रही हैं मेरे ख्याल से इसमें पचास हजार हैक्टेयर भी आपकी सेलिनिटी और एक्केलेनिटी से बची हुई जमीन नहीं है । कैसे निदान करें, यह क्या जवाब हुआ । पच्चीस हैक्टेयर का प्रोग्राम लेकर यह चल रहे हैं । पच्चीस हैक्टेयर जमीन । सभापति महोदय, उनके एग्रीकल्चरल की प्रोडेक्टिविटी कहां जा रही है ? हमारे यहां सारी पल्सेज पैदा होती थी....

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंहजी, जनरल डिबेट तो नहीं होगी इस विषय पर । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपके जो रेलेवेंट सजेशन्स हैं क्वेश्चन के रूप में पूछ लें आप ।

श्री यदुनाथ सिंह : एक लाइन का प्रश्न है मेरे भरतपुर जिले की जमीन में कैसे फसल पैदा होवे, इसका जवाब दिलवा दीजिए ।

श्री सभापति : आप इकट्ठे प्रश्न पूछ लीजिए । इकट्ठा ही जवाब दे देंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, आप देखिये प्रोडेक्टिविटी कहां गिरती चली जा रही है । हमारे यहां ऑयल सीड पैदा हो नहीं रहे, सरसों के अलावा, बाजरे के अलावा, गेहूं के अलावा, यानि वह बम्पर क्राप होती थी काटन की । बम्पर क्राप होती थी । थोड़े बहुत दिन पहले चावल की सारी पल्सेज पैदा होती थी, मूंगफली होती थी । कोई चीज जमीन में पैदा आज हो नहीं रही है । इसका क्या इन्तजाम है, बताइये आप ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदया, यह प्रश्न माननीय सदस्य ने पहले भी रखा है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आप इस सम्बन्ध में और जो सम्बन्धित विभाग हैं इरिगेशन

(श्री सभापति)

डिपार्टमेंट के बारे में भी आपने पहले उठाये थे। इस बारे में आप कोई निश्चित रूप से जानकारी दें कि सरकार इस समस्या का निराकरण किस तरीके से कर सकेगी।

श्रीमती कमला : वह और कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लेने दीजिए।

श्री नत्थी सिंह : अभी तो हम पूछेंगे।

श्री सभापति : सवाल पूछे जायें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : यही समस्या नहीं है, सभापति महोदय, अभी तो लैण्ड इरोजन हो रहा है। बहुत तेजी से दोनों तरह का लैण्ड इरोज़न हो रहा है। यहीं विण्ड इरोजन भी हो रहा है और वाटर इरोजन भी हो रहा है। जो एक हजार साल लगते हैं, सभापति महोदय, ढ़ाई सेण्टीमीटर जमीन को जो फरटाइल जमीन, जिस जमीन में पैदावार होती है, एक हजार साल में जाकर फरटाइल जमीन पैदा होती है। ढ़ाई सें. मी. की उस जमीन की तबाही हो रही है। वह जमीन कितने साल में पैदा होगी? यह रेगिस्तान हमेशा के लिये बन जायेगा। इसलिए यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, चुनौती है। सात लाख हैक्टेयर आपने पूरे राजस्थान में बताई कि अल्क-लाइन और सेलिनिटी से प्रभावित है। उसमें से एक लाख हैक्टेयर जमीन भरतपुर की प्रभावित है तो उस एरिया के लिये, आप बताइये, रोजी-रोटी का क्या साधन होगा? लैण्ड इरोजन हो रहा है, विण्ड इरोजन हो रहा है, पानी के साथ में सारी जमीन में इतना भारी कटाव हो रहा है। 25-25 टन प्रति हैक्टेयर मेरा अन्दाज है हर महीने में जमीन में से मिट्टी काटकर चली जा रही है। रेविन्स बन रहे हैं। बहुत जल्दी धौलपुर के नजदीक ही रेविन्स बन जायेंगे।

यह, सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि सबसे पहले तो आप वहाँ का डायग्नोसिस करवाइये। अभी आपका कोई सर्वे नहीं हुआ एग्रीकल्चर का। बहुत दिन से सोइल सर्वे नहीं है, सोइल मैप नहीं है भरतपुर का प्रोपर। एजेन्सीज को कहां से पैसा आवे? मैंने पिछले साल आई.सी.ए.आर. में एक पेपर में पढ़ा था, वह मैंने माननीय भूतपूर्व कृषि मन्त्रीजी को दिया। आपने सैलाइन सेण्ट का जो करनाल में वहां स्थान की बहुत आवश्यकता है आपने कहा कि वहां पर भ्रमणशील इकाई घूम रही है सोइल डायग्नोसिस के लिए। वह पूरा डायग्नोसिस, सभापति महोदय, नहीं कर पाती है। जब इतनी समस्या है कि वहाँ एक प्रोपर पूरी लेबोरेट्री होनी चाहिए दुर्गापुरा जैसी, जोधपुर जैसी। वहां किसान आंख मींचकर न तो उसको यह पता है कौनसी सैलाइन, अल्कलाइन जमीन है। हम कौनसे सीड का उपयोग करें। कितना खाद डालें, कौनसी क्राप्स हो सकती है जो इसको बरदाश्त कर सकती है। मुझे दुःख है कहते हुए कि राजस्थान जैसे प्रदेश में एक्सटैंशन सर्विसेज हैं, सभापति महोदय, वह कोई काम नहीं कर रही हैं।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

इनका ही जवाब दिलवा दें कि कैसे पैदावार रहेगी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदया अब कृषि मन्त्री हैं पर जब भरतपुर की समस्या, पानी की, खार की समस्या हमने उठायी थी तब यह सिंचाई मन्त्री इस सदन में थीं। यह भरतपुर भी गयी थीं और इन्होंने सारी समस्या को वहां नजदीक से देखा था जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठकर। आज इन्होंने कृषि मन्त्री के रूप में यह कहा है कि समस्या तो अत्यन्त गम्भीर है लेकिन हमारे पास धन और वित्त की कमी है इसलिए समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। हम एक अरसे से, माननीय सभापति महोदय, यह महसूस करते आये हैं और इस सम्बन्ध में आरोप भी लगाते आये हैं कि जब-जब पूर्वी राजस्थान का सवाल होता है तब यह सरकार हाथ खड़े कर देती है और यह कह देती है कि हमारे पास वित्त नहीं है, साधन नहीं हैं, जैसे हमें इन्होंने रामभरोसे छोड़ रखा हो। तो मेरा पहला सवाल कृषि मन्त्रीजी से यह है कि क्या हम राजस्थान का अभिन्न अंग हैं? यदि अभिन्न अंग हैं तो हमारी जो उपजाऊ जमीन नष्ट होती चली जा रही है, जिसमें खार बढ़ रहा है, यह आप स्वयं भी मानती हैं, उसके उपचार के लिए क्या आप अपने मन्त्रिमण्डल में इमरजेंसी बेसिस पर विचार कर विशेष फण्ड्स की व्यवस्था करायेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके? अभी आपने कहा कि यह बहुत महंगा पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि ग्रामीण बैंक से ऋण दिलायेंगे। लेकिन यह आप स्वयं मानती हैं कि यह समस्या का समाधान नहीं हैं, उससे छोटा किसान, गरीब किसान अपनी जमीन को नहीं बचा सकता। पहली बात तो मेरी यह है कि कृषि मन्त्रालय ने भरतपुर की समस्या का सर्वे करके, जैसा मेरे साथी माननीय यदुनाथ सिंहजी ने कहा, इस समस्या का क्या समाधान हो, वहां के तमाम किसानों को कान्फिडेंस में लेकर क्या कोई ऐसी योजना बनायेंगे टाइमबाउण्ड कि इतने समय में हम इस समस्या को बढ़ने से रोकेंगे? और जो समस्या हो गयी है उसको घटाने के लिए क्या करेंगे? दूसरा आप कहती हैं हरा चारा और जिप्सम ट्रीटमेण्ट के बारे में। उसमें रियायती दर पर जिप्सम 75 पर्सेण्ट मार्जिनल काश्तकारों को और 50 पर्सेण्ट दूसरों को देने की बात कहती हैं। यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। पूरी समस्या का समाधान कैसे हो, यह चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कही बाद ही बाद में। हमारे यहां इनण्डेशन सिस्टम था, राज के जमाने में सिंचाई का तरीका जो था वह खराब हुआ, समाप्त हुआ। उसमें अकाल राहत के तहत कुछ सुधार की बात आयी लेकिन आज भी स्थिति यह है इतना पैसा खर्च करने के बाद कि वह सारा बह जाता है।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

वहां पानी बरसात में आ भी गया तो यू. पी. में चला जायेगा। गंगा, जमुना और चम्बल के पानी की जो हम कहते हैं वह हम को मिल नहीं पा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि यह समस्या केवल कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है, कृषि विभाग तो इसका संरक्षण करे, देखभाल करे। असल समस्या है सिंचाई विभाग की, पानी की समस्या है। पानी हमको मिले, पानी वहां चले लेकिन पानी है ही नहीं। क्या आप अपने मन्त्रि-

(श्री नत्थी सिंह)

मण्डल में सिंचाई विभाग के साथ बात करेंगी कि भरतपुर को जमुना का पानी मिले, गंगा का पानी मिले और चम्बल की लिफ्ट योजना जो पीने के पानी के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख की भेजी गयी है और जो अभी विचाराधीन पड़ी है उन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र गवर्नमेण्ट से पास करायें, उन पर काम करायें। उसमें भी समयबद्ध कार्यक्रम करें वर्ना इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

सभापति महोदय, आप तो घण्टी बजा रहे हैं लेकिन हमने कई बार घण्टी बजायी इनकी, भरतपुर में इस समस्या को लेकर साढ़े छः हजार आदमी जेल गये हैं, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया है लेकिन इसके बावजूद आपने सोचा नहीं। अब भी नहीं सोचेंगे तो आप समझ लीजिए कि हमारा भी कोई दायित्व है। फिर कहेंगे कि चुनाव के साल में झगड़े कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कृषि विकास पर, ग्रामीण विकास पर यह सरकार 70 पर्सेण्ट खर्चा करती है। हम कहते हैं कि 50 पर्सेण्ट खर्चा करो, साधन आ जायेंगे।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री नत्थी सिंह : यह नीति विषयक प्रश्न है नीति बदलिये, नीति बदलने का निर्णय अपने मन्त्रिमण्डल में लीजिए और इस समस्या का समाधान कराइये। यदि आप इस पर ध्यान देंगी तो हमें कुछ राहत मिलेगी। सहानुभूति दिखाने मात्र से तो जमीन की खार मिटेगी नहीं, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सभापति महोदय, पिछले दो वर्षों में क्षार को रोकने की योजना के लिए जो रुपया भेजा गया था राज्य सरकार की तरफ से, वह क्यों वापस आ गया ? क्या उसका वहां कोई उपयोग नहीं था या वहां जमीन खराब नहीं दिखी विशेषज्ञों को ? क्या वजह थी वह रुपया सारा का सारा वापस आ गया ? सभापति महोदय, भरतपुर में सिंचाई के हिसाब से, जमीन के हिसाब से सरकार को आज दिन तक क्या यह पता नहीं लगा कि जब तक वहां बाहर से पानी नहीं जायेगा तब तक जो सैलाइन जमीन का है वह ठीक नहीं हो सकता ? लगातार किसी न किसी तरीके से बाहर के पानी को रोका जा रहा है। गम्भीरी नदी का रोक दिया, रूपारेल नदी का रोक दिया, गुड़गांवा में पानी आ नहीं रहा। राजस्थान सरकार क्यों नहीं इसको गम्भीरता से ले रही ? क्यों नहीं आप इसको फेस करते हैं ? हरियाणा के मुख्य मंत्री अनौपचारिक रूप से 2-3 बार भरतपुर में आये, जन सभाओं में उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान जब चाहे हम पानी देने को तैयार हैं। सभापति महोदय, पिछली बिजाई के वक्त में कामां और डीग के गांवों के लिए जो पानी आना था उसके लिए हम हरियाणा में ठेठ कलंजर हैड पर व्यक्तिगत हैसियत से गये। वहां इंजीनियर अपने आप सरकार के लिए तैयार रहते हैं कि जितना मर्जी पानी लीजिए। और हमारे इंजीनियर जो हमारे साथ थे उन्होंने इसमें असमर्थता दिखायी कि अगर दो सौ क्यूसेक्स पानी भी, जो नहर 400-500 क्यूसेक्स पानी के लिए है, अगर छोड़ दिया गया तो नहर टूट

(श्री सम्पत सिंह)

जायेगी जगह-जगह से। एक दूसरे इंजीनियर उनका हिस्सा बटा हुआ था....

श्री सभापति : कृपया प्रश्न पूछ लें, भूमिका न बांधें।

श्री सम्पत सिंह : यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो गुड़गांवा नहर आप बना रहे हैं वह नहर, जितना क्यूसेक्स पानी लेना आपकी हद में है, उतना पानी वहन कर सकती है? गंगा-जमुना का पानी जो भरतपुर के हिस्से के लिए वाजिब है क्या आप उसे ले सकते हैं? गम्भीरी नदी से जो पानी आना चाहिए, पाचना पर जो बांध बन गये, भरतपुर में बाहर से चारों तरफ से जो पानी आना चाहिए उसमें रोज-रोज कमी क्यों हो रही है?

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

मन्त्री महोदय, रूपारेल पर जब बाढ़ आती है तब तो पानी क्यों छोड़ दिया जाता है अलवर से? बाढ़ से जब पहले ही भरतपुर को नुकसान हो रहा है तो और ज्यादा नुकसान होगा। जब सूखा पड़ता है, पानी की जरूरत हो तो क्यों नहीं वाजिब हिस्से का पानी भी मिल पाता? सेण्ट्रल वाटर कमीशन को बार-बार लिख कर यह क्यों दे दिया जाता है सरकार की तरफ से कि इसमें भरतपुर जिले का पानी का हिस्सा कम किया जाय....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : और अलवर जिले को ज्यादा पानी दिया जाय। और अब तो हमारा एक तरह से ईजमैण्ट्री राइट बन गया।

श्री सभापति : कृपया बिराजें, कह चुके आप।

श्री सम्पत सिंह : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य यदुनाथ सिंहजी और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य नत्थी सिंहजी ने एक नहीं अनेक बार....

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री सम्पत सिंह : और चार साल से हमने भी जब आपको निवेदन किया। पिछली बार, मन्त्री महोदया, सिंचाई विभाग आप पर था, हम मानते हैं कि उस वक्त आप ने समस्या को गम्भीरता से लिया। मेरा सीधा एक ही प्रिंसिपल क्वेश्चन है, सभापति महोदय, मन्त्रीजी यह बतायें कि जब भरतपुर में बाहर से पानी की आमद होगी तभी खेती सम्भव है फिर क्यों उस पानी को कम किया जा रहा है? जो रिक्विजिट क्वाण्टिटी है, जिस वक्त तत्कालीन मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी गये थे, हमने कहा कि आप पानी क्यों नहीं देते....

श्री सभापति : भाषण न दें, प्रश्न पूछ चुके हैं आप। मन्त्री महोदया का उत्तर आने दीजिए।

श्री सम्पत सिंह : मैंने जैसा अर्ज किया, प्रिंसिपल क्वेश्चन यही है, मन्त्री महोदया, कि भरतपुर में बाहर से पानी आमद होने की जो बात है उसको आप क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं लागू करने की व्यवस्था करते?

श्री सभापति : मन्त्री महोदया।

श्री बृजेन्द्र सिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं भी पूछना चाहता हूं। भरतपुर जिले में पानी का स्तर दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है कि भरतपुर जिले की सारी नदियों, गम्भीरी, रूपारेल, उन सबको भरतपुर जिले से ऊपर रोक दिया गया। इससे पानी का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता हुआ चला जा रहा है। खास तौर से हमारे यहां सिस्टम था बांधों का। वह बांध बाढ़ से 1972 में टूट गये। उनकी ठीक तरह से मरम्मत की जाय तो वहां पानी का स्तर ऊपर आयेगा। भरतपुर में बाढ़ का पानी अगर स्टोर हो जायेगा तो पानी ऊपर बढ़ेगा। इससे ही पानी मीठा रह सकता है। हमारे यहां पानी जितना नीचे जायेगा उतना ही भरतपुर जिले का पानी खारी होता चला जाता है। इसके लिए मन्त्री महोदया कैसी और कब तक व्यवस्था करायेंगी। इन बांधों की भी मरम्मत हो। हमारे यहां कई बांध ऐसे हैं, जैसे घोरोली बांध है, उस बांध पर एक फोर्थ क्लास की तनख्वाह ही इतनी हो चुकी है कि बांध की मरम्मत का पैसा तनख्वाह में ही चला जाता है। कई बांधों में तो ऐसी स्थिति है कि उनसे सिंचाई का जो रेवेन्यू होता था उसका भी सरकार को घाटा हो रहा है। जो फसल अच्छी होती थी उस फसल का भी नुकसान हो रहा है।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया जाय कि 1972 की बाढ़ में जो बांध टूटे हैं उनकी मरम्मत करायी जाय। यह सिस्टम जो हमारे यहां पहले था, मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हित में इन बांधों की किसी विशेष प्रोग्राम से ठीक कराने की व्यवस्था की जाय। गम्भीरी नदी का पानी रोक रखा है, वह बाढ़ नियन्त्रण के लिए जयपुर में रोका गया था....

श्री सभापति : कह चुके हैं आप। खत्म करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह : उसको फिर रोक लिया। मैं माननीय मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हित में इन बांधों की पुनः मरम्मत करवायें, कोई विशेष प्रोग्राम से ठीक करवायें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया। (व्यवधान)

मैं आपका नोटिस नहीं ले रहा हूं। यह आपके एरिया का मामला ही नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है और राज्य सरकार भी जानती है कि भरतपुर की समस्या का निराकरण बाहर से आने वाले पानी से ही पूर्णतया सम्भव हो सकता है और उसके लिये जिस प्रकार पहले माननीय सदस्यों ने निवेदन किया था, दो तीन बातें देखने की थीं जो मैंने उस वक्त में सिंचाई मंत्री के नाते कुछ प्रयत्न शुरू किया। पहला यह है कि गुड़गांवा नहर का जो पानी भरतपुर में आता था वह नहर के अन्दर इस तरह बहनी चाहिये, बहुत सारी घास-फूस या जिसको हम वीडिंग कहते हैं वह आने से इतना ज्यादा पानी उसके अन्दर रुकने लग गया और नहर की मरम्मत

(श्रीमती कमला)

समय पर नहीं होने से नहर की हालत खस्ता होने से भी पानी इतना नहीं छोड़ा जा सका और दूसरी तरफ हरियाणा में जगह-जगह पर बड़े-बड़े पम्प सैट्स लगाकर के हमारा पानी बीच-बीच में लेने लग गये। यह तमाम मुद्दे जब मेरे ध्यान में उस समय आये तो मैंने हरियाणा सरकार से बात की और उनको यह पाबन्द किया कि आप और हम दोनों ज्वाइन्ट इन्सपेक्शन करें कि कहां-कहां आपके यहां पर हमारे पानी को चोरी से लिया जा रहा है। ज्वाइन्ट इन्सपेक्शन के लिये वह पहले तो टालते रहे लेकिन मैंने तकाजा बराबर रखा और ज्वाइन्ट इन्सपेक्शन मैंने करावाया और ज्वाइन्ट इन्सपेक्शन के आधार पर यह आइ-डेन्टिफाई हुआ कि हरियाणा में किन-किन पाइन्ट्स पर कितना-कितना पानी हमारी नहरों से जा रहा है जो बन्द होना चाहिये।

दूसरी तरफ मैंने यह प्रयत्न भी किया कि इस नहर की मरम्मत के लिये जो उनके अपने एरिया में करनी है उसके लिये हम पैसा देने के लिये तैयार हैं वह एस्टिमेट बनाकर दें। उन्होंने उसका एस्टिमेट इतना हायर साइड पर करके दिया जो उचित नहीं था। मैंने उनको वापस लिखा कि आपने यह ध्यान से तैयार नहीं किया है इसलिये बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ऊंचे स्तर पर इसका हायर साइड के अन्दर एस्टिमेट बनाया है आप मेहरबानी करके इसका प्रैक्टिकल एस्टिमेट बनाकर दीजियेगा, हम आपको पैसा देंगे और उसके लिये मैंने उसका प्रावधान भी रखा।

दूसरी तरफ मैंने गुड़गांवा नहर के नीचे जो और आगे जाकर नहर बननी थी उसके नेट वर्क के लिये भी अलग से पैसे का प्रावधान रखा और कोशिश यह की कि हम जल्दी से जल्दी इस नहर की जो समस्यायें हैं उनको हल करें और उसके पानी की जितनी क्षमता है उतने पानी को हम लाकर भरतपुर में दें। और प्रावधान उसके मुताबिक समुचित ढंग से किया। अब मैं आपको इतना ही कह सकती हूं कि इस प्रावधान के तहत में और जो कार्यवाही इनिशियेट हुई उसके तहत में अगर कहीं कमजोरी है, ढिलाई है तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी से बात करके और जो सम्बन्धित अधिकारी साइड के हैं उनसे सम्पर्क स्थापित करके इस बात की कोशिश करके उचित कार्यवाही सम्पन्न करवायी जा सकेगी।

जहां तक गंगा-यमुना के पानी का सवाल है, इसकी मीटिंग बड़ी मुश्किल से बुलायी जाती है। हमने इस सम्बन्ध में दो तीन बार तकाजा करके बहुत सालों से इसकी मीटिंग नहीं हुई मेहरबानी करके मीटिंग बुलायी जाय। एक मीटिंग बुलायी गई, उसमें हमने बहुत तकाजे के साथ में इसको कहा कि एक तरफ तो आप अपने बड़े क्षेत्र सिंचाई के बनाने के लिये तत्परता से वहां पर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे स्टेट का एक ऐसा हिस्सा है जो पीने के पानी के लिये तरस रहा है अगर आपका पानी इस जगह पर हमको नहीं मिलेगा, खेती और दूसरी सिंचाई यह तो बहुत सैकण्डरी चीजें हैं लेकिन इन्सान को जिन्दा रखने के लिये पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसलिये आप हमारी मांग और इस तकाजे को रखते हुए फैसला करिये कि

(श्रीमती कमला)

राजस्थान को पानी कब तक मिल जायेगा, भरतपुर में यह पानी कब तक पहुंचेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसा आम तौर पर दूसरी स्टेट्स का रवैया रहता है और भारत सरकार की मजबूरी रहती है कि अभी तक जिस तरह से वह पानी यहां लाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये या हो सकनी चाहिये वह नहीं हो पायी है और यह स्थिति जहां की तहां बनी हुई है। हम उस तकाजे को कम नहीं करेंगे बल्कि मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर, भारत सरकार के मंत्रीजी हैं उनके स्तर पर इस तकाजे को बनाकर रखेंगे और जो सम्भव हो सकता है उसको किये जाने की चेष्टा की जायेगी।

जहां तक इस क्षेत्र की नदियों के पानी के रोक-थाम का सवाल है, मैं इतना ही कह सकती हूं कि जो पहले बांधों का निर्माण हो चुका है उनको तो तोड़ा जाना उचित भी नहीं है और सम्भव भी नहीं है लेकिन आगे हम इस बात का ध्यान जरूर रखवायेंगे, रखवाने की चेष्टा करेंगे कि जो पानी आज भरतपुर जिले के अन्दर, धौलपुर जिले के अन्दर इन्हीं नदियों से आ रहा है और उसको रोकने से समस्या और भी गम्भीर हो सकती है उसकी पहले सरकार इस दृष्टिकोण से विश्लेषण करके, अन्वेषण करके ही उसकी स्वीकृति दे जिससे यह समस्या और ज्यादा न बढ़े। अब जो हो चुका है लवणीय और क्षारीय उसको इन व्यवस्थाओं के अलावा, जैसा माननीय सदस्य ने अभी इधर से कहा कि बहुत सारे बांध आज के वक्त इनन्डेशन स्कीम के तहत बने हुए थे, टूट गये उनको बनाने के लिये हमने बहुत व्यापक कार्यक्रम उस वक्त में तय किया था, उसके लिये धनराशि भी दी थी, बहुत से काम उसके तहत में भी हुए हैं...

श्री यदुनाथ सिंह : आपके हटते ही बन्द हो गये....

श्री नत्थी सिंह : आपके मंत्री पद से हटते ही सारा पैसा वापस आ गया....

श्री यदुनाथ सिंह : एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ।

श्रीमती कमला : मैं यह कोशिश करूंगी माननीय मंत्री महोदय से मिलकर, सम्पर्क करके कि जो प्रावधान किये गये थे उससे भी अधिक प्रावधान उन बांधों की मरम्मत के लिये, कुछ हमने यह भी योजना बनायी थी कि न सिर्फ यदाकदा इधर-उधर कहीं मरम्मत का काम किया जाय बल्कि उसको योजनाबद्ध तरीके से किया जाय। अगर एक जगह उसकी मरम्मत करने से आगे पानी नहीं रुक सकता है तो उसके बनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिये पानी रोकने की दृष्टि से जहां पहले बनाया जाना चाहिये उस प्रायोरिटी से भी हमने तय किया था। उसी दृष्टि से मैं सिंचाई मंत्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगी, तकाजा भी करती रहूंगी कि वह व्यवस्था वापस आपके यहां पर लागू की जाय।

अब अन्त में यह है कि जिप्सम ट्रीटमेण्ट की यह हमने नयी योजना आपके लिये बनायी है जो 38 लाख की है लेकिन वह बहुत कम है, उसमें कोई विशेष उपचार नहीं होगा। तीन जिले राजस्थान में ऐसे

(श्रीमती कमला)

हैं जिनमें भी भूमि क्षारीय और लवणीय बन चुकी है और आगे भी बनती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि भरतपुर और धौलपुर के लिये विशेष रूप से इस स्कीम को लागू करवायेंगे, मुख्य मंत्रीजी भी आपकी समस्या को जानते हैं और मैं तकाजा करके यह कोशिश करूंगी कि आपके यहां स्कीम मन्जूर हो।

इसके अलावा जो दूसरे हमारे जिलों की समस्या है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 7 लाख 33 हजार के करीब हमारे 26 जिलों के अन्दर लवणीय क्षेत्र बन रहा है और यह 1970 के पहले की रिपोर्ट है। 1970 के बाद यह क्षेत्र और बड़े होंगे। इसलिये राज्य की कुल समस्या को देखते हुए विशेष रूप से भरतपुर और धौलपुर की समस्या को देखते हुए हम इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बनाकर स्वीकृत करवायें यह हमारा दृष्टिकोण होगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे यह मैं आपको कह सकती हूं। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, एक क्लेरिफिकेशन चाहिये।

श्री नाथू सिंह : माथुर साहब के इलाके में है ...

श्रीमती कमला : माथुर साहब के इलाके में भी 1 लाख से अधिक क्षेत्र लवणीय है....

श्री नाथू सिंह : नहीं, मुख्य मन्त्रीजी से मत पूछना वह प्रज्यूडिस हैं भरतपुर से।

श्रीमती कमला : यह आपको कहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये। वह किसी से प्रज्यूडिस नहीं हो सकते हैं। वह पूरे राज्य के मुख्य मन्त्री हैं इसलिये कोई प्रज्यूडिस होने का सवाल ही नहीं है उनका।

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंहजी, माननीय मन्त्री महोदया ने काफी संतोषप्रद जवाब दे दिया, आश्वासन भी दे दिया, वह सक्षम भी हैं, चेष्टा करेंगी।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इन्हीं मंत्रीजी के कम से कम मेरे पास 2 दर्जन पत्र हैं। इन आश्वासनों से हमारी समस्या का निदान नहीं हो रहा है....

श्री सभापति : अब यह पुनः मंत्रिमण्डल में आ गयी हैं, पूरा प्रयास करेंगी....

श्री यदुनाथ सिंह : अब फिर हट जायेंगी तो गवर्नमेण्ट हट जायेगी, यह मंत्रिमण्डल का रोज-रोज रीसफल होता है, रोज बदलाव होता है इसके लिए भरतपुर की जनता जिम्मेवार नहीं है।

सभापति महोदय, मैंने गंगा-जमुना के इश्यू को नहीं छेड़ा था। मंत्री महोदया ने इस इश्यू को छेड़ा है बाकी की बात तो वह विषय सामने जब आयेगा तब उसकी बात करूंगा लेकिन आपने गुड़गांवा कैनाल के पैसे का हरियाणा गवर्नमेण्ट को चुकारा नहीं किया। जो पुराना इयूज है अपना हिस्सा न्यू ओखला बैराज में दिया नहीं है और उसी का नतीजा है कि 3210 क्यूसेक्स आज पानी बढ़ा, हमने उस पानी को बांधने का काम नहीं किया। यह तो छोड़िये आप भरतपुर फीडर का पैसा उत्तर प्रदेश को

(श्री यदुनाथ सिंह)

नहीं दे पा रहे हैं, वह मैन्टीनेन्स करते नहीं हैं, लिफ्ट चैनल्स की, इसलिये उन चैनल्स से पानी कैसे आवेगा। क्यों चैनल की मैन्टीनेन्स करेंगे वह ?

दूसरा विषय रहा आपका यहां से 2000 क्यूसेक्स पानी ज्यादा के. पी. डेम से निकल रहा है, 9 बार कैनाल घुस जाती है, राजस्थान में 9 बार वापस आ जाती है। उसके पानी को कैसे उपयोग करें इसकी कोई योजना नहीं है। सिंचाई मंत्रीजी यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भरतपुर का इनन्डेशन सिस्टम है जिसकी अभी मंत्री महोदया ने चर्चा की वह संसार का अपना अनूठा सिस्टम है, संसार में कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है....

श्री सभापति : माननीय यदुनाथ सिंह जी आप कह चुके हैं इस बात के।

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या करेंगे इसका अभी रेगुलेशन ठीक नहीं है, एक रेगुलेशन ठीक नहीं है इसका अभी एक दरवाजा आप बन्द कर दें और पानी अपनी मर्जी से कहीं चैनेलाइज कर दें....(व्यवधान) क्या करें हम। यह बताओ।

श्री सभापति : जो नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार काफी चर्चा हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह कहलवाइये कि यहां का रेगुलेशन सिस्टम कितने दिन में ठीक हो जायेगा। कैसे होगा पानी ?

श्री नत्थी सिंह : सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं। ये कहें कि अब के बरसात में पानी यू. पी. बहकर नहीं जाने देंगे। कहलवाइये इनसे।

श्री सभापति : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कृषि मंत्री से सम्बन्धित था। उन्होंने जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैंने इनसे निवेदन भी किया था कि यह आप सिंचाई मन्त्री के लिए रखें तो ज्यादा लाभदायक होगा क्योंकि मैं तो आपके साथ.... (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह सिंचाई मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : साहब जमीन खारी हो रही है। प्लेन हो रही है, सैलाइन हो रही है।

श्री डूंगरराम पंवार : सिंचाई मंत्री पर एक सिंचाई मंत्री और लगा दो।

श्री सभापति : सिंचाई मंत्री जी को भी जानकारी हो चुकी है। वे भी प्रयास करेंगे इसके बारे में।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या प्रयास करेंगे। इनको साढ़े नौ साल हो गये चिल्लाते-चिल्लाते। और जमीन दुगुनी-तिगुनी खारी हो रही है। अभी सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। वहां जाते हैं, बात करके आ जाते हैं आफिसर।

श्री बृजेन्द्र सिंह : आप सुनें तो सही। माननीय मन्त्री कुछ कह रहे हैं। आप बैठें तो सही।

श्री यदुनाथ सिंह : इस साल एक नया पैसा खर्च नहीं किया रेगूलेशन पर। एक दरवाजा ठीक नहीं किया।

श्री सभापति : यदुनाथ सिंह जी, कृपया आवेश में न आवें। सिंचाई मंत्री महोदय खड़े हैं, जवाब देना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय को कहने दें।

श्री शीशराम ओला (सिंचाई मन्त्री) : सभापतिजी, श्रीमती कमलाजी ने जो योजनायें बनायी थीं और किन्हीं कारणों से, जैसे माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, वे सारी योजनायें रद्द हो गयीं या वापस विथड्रा हो गयीं। मैं इस बात को देखूंगा कि जो-जो योजनायें कमलाजी ने स्वीकृत की थीं उन सब योजनाओं को दुबारा हम शुरू करेंगे उनकी स्वीकृति देंगे और जहां कहीं गुड़गांवा नहर से और कहीं से भी पानी भरतपुर को मिलना था, वह जितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिला, वह पूरा मिले, यह भी हम चेष्टा करेंगे। यू. पी. में पानी राजस्थान का बहकर जा रहा है, उसकी सब जांच करवाकर यह व्यवस्था करेंगे कि पानी न जाय। वैसे 17 तारीख को विभाग की डिमाण्ड आ रही है। ज्यादा उचित होगा कि सब बातें उस वक्त कही जायं और मैं उनका उत्तर दूंगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, एक अन्तिम बात रह गयी है।

श्री सभापति : माननीय सम्पत सिंहजी, कोई अन्तिम बात नहीं रही है। बैठें आप। कृपया बिराजें। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की बात के सम्बन्ध में मैं एक क्लेरीफिकेशन लूंगा।

श्री सभापति : आप क्लेरीफिकेशन सिंचाई विभाग की जब चर्चा हो, तब मांग लें।

श्री सम्पत सिंह : आपकी बड़ी मेहरबानी हो, एक क्लेरीफिकेशन रह गया।

श्री सभापति : कोई क्लेरीफिकेशन नहीं रहा है। चर्चा समाप्त हो गयी है। माननीय सम्पत सिंह जी। बिलकुल नहीं। कृपया बिराजें। (व्यवधान)

समिति के प्रतिवेदन का उप-स्थापन। श्री हीरालाल देवपुरा। माननीय सम्पत सिंह जी, बिराजें।

श्री सम्पत सिंह : वहां जो भरतपुर अलवर रियासत का ही अनुबंध था, मेहरबानी करके उसी को ही बदस्तूर रिव्यू किया जाय और वह दूसरे प्रान्तों से बात करने की नहीं है।

श्री सभापति : सम्पत सिंह जी बिराजें। माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है, पर्याप्त है।

जनलेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

समिति के प्रतिवेदन का उप-स्थापन। माननीय विद्या जी जनलेखा समिति के 33 वें प्रतिवेदन को उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : समापति महोदय, मैं सदस्य जनलेखा समिति 1989-90 वर्ष 1983-84 के लिए भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजकीय आयुर्वेदिक 'रसायन शाला' फार्मेसी विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 72 पर समिति का 33 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

याचिकाओं का उप-स्थापन

श्री सभापति : याचिकाओं का उप-स्थापन। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मैं दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित जोधपुर जिले के ग्राम गजसिंहपुरा, नेवरा, नाडासर, को विश्व बैंक परियोजना के तहत पेयजल योजना में लाभान्वित किये जाने के विषयक एक याचिका उप-स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र शास्त्री।

श्री महेन्द्र शास्त्री : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं : 7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित साबी नदी के कारण ग्राम पंचायत बदलने के विषय में, दूसरी, 7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित राजकीय उच्च मार्ग संख्या 8 में नीमराणा तिराहे से काली पहाड़ी से वाया भोजपुरी बीजवाड़ा चौहान तक सड़क निर्माण करवाने के विषय में।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान मांग संख्या 36–सहकारिता मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई, सहकारिता मंत्री, मांग संख्या 36 सहकारिता पर विचार एवं मतदान हेतु मांग प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47 करोड़ 8 लाख 49 हजार तक की राशि जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी शामिल है, प्रदान कर दी जावें।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री इन्द्र सिंह पूनियां (सादुलपुर) एवं

श्री रेवतराम चौधरी (श्री डूंगरगढ़) :

1. चूरू जिले की सहकारी समितियों में व्याप्त विभिन्न प्रकार के घोटालों पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

प्रो. केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

2. सहकारिता के माध्यम से हर पंचायत हैड क्वार्टर पर सस्ते दर पर आवश्यक

(श्री शोपत सिंह)

वस्तुओं के वितरण कराने हेतु चर्चा के लिए।

3. सहकारिता में फैले व्यापक भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

4. विभाग द्वारा नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को बीज-खाद बुवाई के लिए विशेष ऋण उपलब्ध नहीं कराने से हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

5. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

6. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में सहकारी उपभोक्ता भण्डरों की वितरण व्यवस्था उचित नहीं होने पर दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

7. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के व्यवस्थापकों द्वारा की जा रही धांधलियों पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

8. झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

9. झुन्झुनू जिले में व्यवस्थापकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जबर्दस्त धांधली एवं गड़बड़ियां करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

10. केशवराय पाटन चीनी मिल में विभिन्न प्लांट शुरू किये जाकर वर्ष भर मिल नहीं चलाये जाने पर भी किये जा रहे पूंजी विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए।

11. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल के अस्थाई सीजनल मजदूरों का बकाया वेतन वर्ष 1987–88 का अभी तक भुगतान नहीं करने पर भी इसमें किये जा रहे पूंजी विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए।

12. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में शराब का प्लांट लगाने एवं क्षमता बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

13. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल को रिफाइनरी का लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. सहकारिता के आधार पर संचालित उद्योगों को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

15. किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध

(श्री परसादीलाल मीणा)

नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

16. जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्र शेखर (खैरथल) :

17. राजस्थान में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारी घोषित न करने से हड़ताल की स्थिति बनने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

18. बिजौलिया क्षेत्र में प्रभावी नेताओं द्वारा झूठी सहकारी समितियां बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

19. राजफेड के फतेहनगर प्लांट को 1984-85 में 17 लाख तथा 1987-88 में 40 लाख की हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को संरक्षण देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

20. राजफेड ग्राइस प्लान्ट की 84–85 तथा 85–86 में प्रबन्ध संचालक द्वारा निजी पार्टियों को लीज पर देते समय अनुबन्ध में निर्धारित बैंक गारन्टी नहीं लेने से 1.8 लाख रुपये की हानि हो जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

21. राजफेड द्वारा 81–82 में एन. सी. सी. एफ. को भेजी चने की दाल की राशि 1.31 लाख अभी तक वसूल नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

22. राजफेड की वर्ष 81-82 की ऑडिट रिपोर्ट में एन. सी. सी. एफ. को भेजी चने की दाल में हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराये अधिकारियों के विरुद्ध में मामला दर्ज नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

23. 1981-82 का श्रीराम इण्डस्ट्रीज पर 1.04 लाख रु. की वसूली नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट को राजफेड के प्रशासक एवं रजिस्ट्रार द्वारा सक्षम नहीं होते हुए रद्द कर देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

24. राजफेड के वर्ष 1981-82 में अलवर शीतागार में कृषि जिन्सों की राशि में 3.83 लाख के गबन के मामले को दर्ज नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

25. हनुमानगढ़ सहकारी स्पिनिंग मिल के पूर्व प्रशासक एवं वर्तमान रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 1984-85 की ऑडिट रिपोर्ट

(श्रीमती विद्या पाठक)

स्वयं के विरुद्ध होने पर निरस्त करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

26. राजफेड की 1981-82 की ऑडिट रिपोर्ट के अनेक मामले अभी तक दर्ज नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

27. राजवूल के 1986-87 में मांस सप्लाई में 45 लाख का नुकसान हुआ परन्तु 9 माह से जांच रिपोर्ट पर मुख्य अंकेक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

28. राजवूल द्वारा 1986-87 में मांस सप्लाई में हानि के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

29. रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग द्वारा मई, 1988 में आडिट रिपोर्ट के आधार पर मामले दर्ज करने पर रोक लगाने पर चर्चा के लिए।

30. राजफेड का 1981-82 का ऑडिट करने वाली चार्टेड अकाउन्टेट फर्म जिसकी रिपोर्ट रद्द कर दी गई थी, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

31. राज्य में राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थाओं का गत 10 वर्षों से चुनाव नहीं करवाना तथा प्रशासकों को लगाये रखने पर चर्चा के लिए।

32. साधारण सभा की पूर्व स्वीकृति के राजफेड के संचालक मण्डल द्वारा 1981-82 में उपनियम के विरुद्ध फतेह नगर प्लान्ट को 60 लाख की हानि पहुंचाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

33. वर्ष 1982-83 से राजस्थान उपभोक्ता संघ का ऑडिट से बकाया चले जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

34. राजफेड के प्रबन्ध संचालक ने 1985-86 में 2000 गांठों का निर्यात लाइसेंस निजी पार्टी को बेचकर राजफेड को 6 लाख का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

35. सरकार के निर्णय के बावजूद राजफेड ऑडिट शाखा को, रजिस्ट्रार (कार्यकारी) शाखा के नियन्त्रण से मुक्त नहीं कराने पर चर्चा के लिए।

36. सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा रा. क्र. वि. संघ की वार्षिक बैठक (साधारण सभा की) नहीं बुलाकर सहकारी कानून का उल्लंघन करने पर चर्चा के लिए।

37. राजफेड की 1984-85 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सोयाबीन प्रोजेक्ट, कोटा के महा-प्रबन्धक की नियुक्ति

(श्रीमती विद्या पाठक)

गलत होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाकर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

38. टोंक सैन्ट्रल बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक के धन का दुरुपयोग करने व लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाने की कई बार शिकायत सरकार को की गई, पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

39. उप संयुक्त पंजीयक, उदयपुर संभाग के कार्यालयों में अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. उप संयुक्त पंजीयक, उदयपुर संभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहकारी समितियों द्वारा अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिए।

41. उप संयुक्त पंजीयक, उदयपुर संभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ऋण देने में अनियमितता एवं गबन होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

42. सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को दिये गये कर्ज माफ कराने हेतु चर्चा के लिए।

43. गजसिंहपुर सहकारी ऑयल मिल के घाटे में चलने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

44. विभाग द्वारा जिला श्री गंगानगर में गोदामों (भण्डार) का पेमेन्ट चुघ एन्टरप्राइजेज द्वारा ठेकेदार को चार साल से नहीं किये जाने पर की जा रही विनियोजन राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) :

45. उदयपुर जिले की धरियावद पंचायत समिति की सहकारी समितियों में हुए घोटालों की ऑडिट द्वारा जांच कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामधन (राजगढ़) :

46. राजस्थान सहकारिता की बकाया राशि की वसूली न होने पर चर्चा के लिए।

श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) :

47. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की सहकारी समिति द्वारा विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) :

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

48. सहकारिता में अवधि पार ऋण तथा गबन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

49. सहकारी संस्थाओं में हुए गबन के विचाराधीन मामलों के निपटारा न होने पर चर्चा के लिए।

50. सहकारी संस्थाओं में अंकेक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये गबन पर चर्चा के लिए।

52. सहकारी संस्थाओं में हुए गबन की प्रभावी वसूली नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

53. कानून के विरुद्ध सहकारी संस्थाओं में प्रशासकों की अवैध नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिए।

54. सहकारी आन्दोलनों में लोकतन्त्रीय एवं स्वावलम्बी व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) :

55. जवाहर नगर निर्माण सहकारी समिति लि. दिवाकारी में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण गबन कर्त्ता के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिए।

56. मुलतान नगर गृह निर्माण सहकारी समिति दिवाकारी में 35 लाख रुपये के गबन के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिए।

57. गृह निर्माण सहकारी समितियों में व्याप्त भयंकर घोटालों पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

58. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर में हो रहे जबर्दस्त घाटे पर भी विभाग द्वारा दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) :

59. ब्यावर में अरबन को-आपरेटिव बैंक की स्थापना हेतु विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

60. नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की 31 मार्च, 1989 की बैलेन्स शीट में दिये जाने वाले ब्याज को सम्मिलित नहीं किया गया और लेने वाले ब्याज को दिखाकर झूठा प्रोफिट दिखाने पर की जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

61. नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा 31 मार्च, 1989 को बनाई गई बैलेन्स शीट फर्जी बनाने पर चर्चा के लिए।

62. विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

63. सहकारी सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति के फैसलों को घोषित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

64. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ की आडिट रिपोर्ट के साथ दिये गये आडिट सर्टिफिकेट संघ द्वारा बदल देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

65. केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर द्वारा व्यवस्थापकों के वेतन रोकने व उनको वेतन वृद्धियां नहीं देकर मनमानी कार्यवाही करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

66. नागौर सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक भवन नागौर के गोदाम को दुकान के रूप में गलत रूप से किराये पर देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

67. केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर द्वारा गलत रूप से ऋण वितरण करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

68. सहकारी बैंक द्वारा संचालक मण्डल के निर्णय के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

69. नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक की डेगाना ब्रान्च में कार्यरत सहायक कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध बलात्कार का मामला थाने में दर्ज होने के बाद विभागीय कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

70. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ग्रामीण, बीकानेर के विरुद्ध भयंकर शिकायतें होते हुए भी उन पर कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

71. कार्यकारी निरीक्षक, बीकानेर ग्रामीण सहकारी समिति का सेवा अभिलेख सन् 1972 से पूर्ण नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

72 नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यकारी अधिकारी द्वारा गाड़ियों का दुरुपयोग करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

73. शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव राज्य सरकार द्वारा बार-बार घोषणा करने पर भी नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

74. भरतपुर स्थित उप-रजिस्ट्रार के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जनता द्वारा अनेक शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(श्री नत्थी सिंह)

75. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी कदम नहीं उठाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. सहकारी समितियों के समय पर सही प्रकार आडिट नहीं कराने की दोष पूर्ण व्यवस्था में सुधार नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :

77. विभागीय अधिकारियों द्वारा ऋण वसूली के समय किसानों के साथ मारपीट व उनकी औरतों की बेइज्जती करने पर चर्चा के लिए।

78. सहकारिता विभाग द्वारा मनमाने ढंग से वसूली करने पर चर्चा के लिए।

79. सहकारिता के तहत किसानों की सही रूप से समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा कर खुशहाली बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

80. कोआपरेटिव सोसायटियों द्वारा किसानों के नाम झूठा ऋण उठाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

81. सहकारिता विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

82. पंचायत समितियों में पदस्थापित सहकारी प्रसार अधिकारियों द्वारा सहकारी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर वसूल की गई नगद और ब्याज की राशि का नाबार्ड तक एक ही माप-दण्ड बनाने पर चर्चा के लिये।

84. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर में बैंक एवं समिति स्तर की मांग में विषय अन्तर की 248 लाख रुपये की राशि का समायोजन करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

85. अल्पकालीन ऋण के अग्र भाग "अ" एवं अग्र भाग "ब" की ऋण नीति पुनः निर्धारित कर भाग "अ" में राशि बढ़ाने तथा भाग "ब" में खाद, बीज की राशि कम करने पर चर्चा के लिए।

86. गबन घोटाले की राशि पर नाबार्ड द्वारा ब्याज लगाना बन्द कर देने पर चर्चा के लिए।

87. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

88. ग्राम सेवा सहकारी समिति की सीमा कम कर हर एक ग्राम पंचायत पर

(श्री रमजान खां)

समितियां गठन करने पर चर्चा के लिए।

89. दो हजार रुपये के अल्पकालीन ऋण पर अधिकतम दो हजार रुपये तक ही ब्याज लेने की नीति पांच हजार रुपये अल्पकालीन ऋण तय कराने हेतु चर्चा के लिये।

90. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर नाबार्ड द्वारा प्रायोगिक परियोजना अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा चयन कर अकृषी पर दी गई ऋण राशि का समय-समय पर अपैक्स बैंक जयपुर से पुनर्भरण की राशि का भुगतान नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. वसूली में प्राप्त सम्पूर्ण राशि को अपैक्स बैंक में ब्याज के खाते में जमा कराने पर रोक न लगाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अजमेर में समितियों से प्राप्त असल राशि में की गई वसूली राशि को अपैक्स बैंक में भी असल में जमा नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर):

93. सहकारिता के आधार पर बांसवाड़ा जिले की सहकारी जनता दुकानों द्वारा नियन्त्रित गेहूं का कोटा व शक्कर आमजनता को न बांटकर ब्लैक में बेचने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. बांसवाड़ा जिले की वीरपुर, अवापुरा नन्दा छोटी व दरेल खेड़ा व डली पाड़ आदि लैम्पसों में तेल, कपड़ा, केरोसिन रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

95. बांसवाड़ा जिले के सभी लेम्पस स्थायी तौर पर नहीं चलने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. बांसवाड़ा जिले में अवधि पार ऋणों की वसूली से आम जनता में असन्तोष फैलने पर चर्चा के लिये।

97. बांसवाड़ा जिले के (सभी) लेम्पस में काश्तकारों को अल्पकालीन ऋण अभी तक उपलब्ध नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर):

98. सहकारी समिति द्वारा खाद-बीज समय पर उपलब्ध नहीं होने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन):

99. गांवों में अधिक से अधिक गृह-निर्माण सहकारी समितियां बनाकर आवास समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

100. गृह-निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवास सुविधा दी जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

101. कमजोर बैंकों के पुनर्वास एवं शहरीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

102. राजस्थान फाइनेंसिंग हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा मकान के निर्माण हेतु दिये जा रहे ऋण में भेद-भाव, पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद अपनाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

103. विभाग में व्याप्त घोटालों की जांच एवं निर्दोष किसान तथा कमजोर वर्ग के नागरिकों के फर्जी कर्जों से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री केशरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़) :

104. मिर्जवास खेड़ी राड़ान सहकारी समिति लिमिटेड को पुनः चालू न करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

105. बीदास ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा धांधली करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

106. आई. आर. डी. में चयनित परिवारों को सहकारी बैंक लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रदत्त ऋणों से क्रय किये गये पशु मर जाने पर बीमा क्लेम दिलवाने में सहायता नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

107. ग्राम सेवा सहकारी समिति, महरोली तहसील श्री माधोपुर (सीकर) में हुए गबन पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

108. ग्राम सेवा सहकारी समिति, दिवराला तहसील श्री माधोपुर में हुए गबन पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

109. ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुडरू तहसील श्री माधोपुर (सीकर) में वर्षों पहले बनाये गये गोदाम में हुए गबन व गोदाम को पूरा नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

110. बालोतरा स्थित होलसेल भण्डार में कार्यरत कर्मचारी की हत्या के

(श्री चम्पालाल बांठिया)

पश्चात् आर्थिक स्थिति से अति कमजोर परिवार को बोर्ड द्वारा स्वीकृत सहायता नहीं दिलवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

111. राज्य में सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

112. राज्य सहकारी समितियों में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का कम प्रतिनिधित्व होने से सहकारिता के चुनाव पुनः कराने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. पुराने तथा छोटे अनुत्पादक ऋणों की वसूली बन्द नहीं करने एवं ऐसे ऋण समाप्त न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

114. बालोतरा भूमि विकास बैंक की नई गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न कठिनाई पर दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (आटोल) :

115. सहकारी समितियों द्वारा मई के महीने में खरीफ की फसल के लिये खाद व बीज वितरण में की गई गड़बड़ियों पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन महाराजा (अटरू) :

116. कोटा में गृह-निर्माण सहकारी समितियों की प्रगति के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

117. जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में निरन्तर हानि बढ़ने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

118. सहकारी सिद्धान्तों के विपरीत जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा आवंटित लक्ष्य से अधिक ट्रैक्टर ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त कर स्वीकृत करना, हिस्सा राशि एवं अन्तर राशि प्राप्त कर मनमाने तरीके से प्राथमिकता तय कर 5–6 माह बाद ट्रैक्टर ऋण देने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

119. ग्राम सेवा सहकारी समिति रलावता पंचायत समिति, चाकसू के भूतपूर्व पदाधिकारियों से लाखों रुपये की बकाया राशि वसूल न किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

120. ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दुल्हाक कलां पंचायत समिति, के पूर्व पदाधिकारी के विरुद्ध वसूली कार्यवाही नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर भी

(120)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

121. जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अस्थाई कर्मचारियों को राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त एवं खाली पद होते हुये भी उनको स्थायी न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

122. जयपुर मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा बस्सी शाखा कार्यालय नहीं बनाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

123. राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सहकारी समिति के गठन नहीं किये जाने के फलस्वरूप हो रही कठिनाई पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा ऋण वितरण, ऋण वसूली, उपभोक्ता भण्डारों का सुसंचालन बीज-खाद वितरण अधिक संतोषजनक ढंग से करने पर भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिये जाने पर दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में ऋण वसूल के समय विभाग की जीपों पर अधिक व्यय करने व बैंक वाहनों का दुरुपयोग व रख-रखाव पर अत्यधिक व्यय करने से हो रही हानि पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

126. जयपुर शहर में गृह-निर्माण सहकारी समितियों का सहकारिता के सिद्धान्तों से हटकर कार्य करने पर भी दिये जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

127. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. कोटा स्थित को-आपरेटिव बैंक में व्याप्त गुटबाजी व राजनीति के गलत आचरण करने से बैंक की साख गिरने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

129. कोटा जिले में सहकारी संस्थाओं की करोड़ों रुपयों की बकाया वसूली न करने एवं उक्त धनराशि में से बड़ी राशि डूबत खाते में चली जाने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

130. कोटा स्थित सहकारी संस्थाओं के चुनाव न करवाने बाबत चर्चा के लिये।

131. सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कुओं के लिए दिये गये ऋण पर ब्याज के बावजूद गरीब किसानों को जमीनें बेचने पर भी दी जाने वाली सहायता

(श्री दाऊदयाल जोशी)

राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

132. कोटा स्थित सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा लाखों रुपयों में खरीद कर भवन बनाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

133. कोटा स्थित भूमि विकाम बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

134. कोटा स्थित नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव प्रति वर्ष करवाने हेतु चर्चा के लिए ।

135. कोटा जिले के मेले गांव सहकारी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 6 लाख रुपये से भी अधिक के गबन करने व उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

136, कोटा जिले की क्षेत्रिय विक्रय सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

137. सहकारिता आन्दोलन को कर्मचारियों द्वारा राजनैतिक संरक्षण के कारण समाप्त कर देने पर चर्चा के लिए ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) :

138. कोई भी सहकारी संस्था यदि लगातार तीन साल तक आडिट व निरीक्षण नहीं करावे, उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कराने बाबत चर्चा के लिये ।

139. राज्य की सहकारी संस्थाओं का दिन प्रति-दिन घाटे की ओर अग्रसर होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

140. सहकारी संस्थाओं में गबन करने वाले व्यक्तियों पर सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

141. सहकारी बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकारी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं लिये जाने पर दिये जाने वाले सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

142. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र एक ग्राम पंचायत से अधिक पंचायतों तक रखने से हो रही असुविधा पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

143. सहकारी संस्थाओं में गबन, घोटालों की रोकथाम के लिए उनके आडिट आक्षेपों की पूर्ति के लिए ट्रीबुनल स्थापित करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) :

144. ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर प्रभावशाली लोगों का प्रभाव होने से

(122)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित व्यक्तियों के हो रहे शोषण पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

145. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को ऋण देने के नाम पर शोषण करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

146. शोषण से सहकारी समितियों में मुक्ति दिला कर के पिछड़े हुए किसानों एवं हरिजनों को उनका प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

147. सहकारी संस्थाओं के चुनाव हेतु 28 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति का एवं 30 प्रतिशत महिलाओं का किया जाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

148. सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का नियमानुसार आरक्षित कोटा पूरा नहीं करने में भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

149. सहकारी बैंकों द्वारा समय पर ग्रामीण किसानों को ऋण नहीं दिये जाने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

150. सहकारी समितियों द्वारा जीपों पर माइक लगाकर ऋण वसूली, कुर्की हेतु की जा रही कार्यवाही से ग्रामीणों में व्याप्त भारी असंतोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

151. किसानों को सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण सही समय पर दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

152. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि हेतु खाद-बीज उपलब्ध कराने में सहकारी विभाग की असफलताओं के बावजूद दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

153. ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा सस्ता अनाज एवं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं ग्रामों में उपलब्ध नहीं कराई जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

154. राज्य में सहकारी समितियों द्वारा चीनी, तेल, कपड़ा आदि समय पर नहीं उठाये जाने से कोटा तो लैप्स होता है ही जनता को भी सस्ती सामग्री प्राप्त नहीं होती, इस पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

155. सहकारी विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को व्यवस्थापक के पदों पर नियुक्ति दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

156. सहकारी विभाग में किराये की जीपें लेकर धन का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए।

157. सहकारी भण्डारों में जीवन रक्षक दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं होती है जिससे बीमारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

158. सहकारी समितियों में फैल रही अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर सदस्य वार खातों को सुधार हेतु अभियान नहीं चलाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

159. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण सहकारी समितियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनवाई जाकर जन-समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिए।

160. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल को मजदूर, अधिकारी, मशीन गन्ना एवं कृषक वर्ग सहित एक साथ सुव्यवस्थित एवं सहयोग से नहीं चलाये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

161. सहकारी संस्थाओं में सत्कार भत्ता के नाम से हो रहे अनावश्यक खर्चे पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने से हो रही हानि पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

162. केशवराय पाटन क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा वाहनों के दुरुपयोग को न रोके जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

163. ग्राम सेवा क्रय-विक्रय एवं केन्द्रीय बैंकों के सदस्यों की सदस्यता में अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं को विशेष रूप से भागीदारी नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

164. ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण एवं अस्थाई सेल्समैनों की नियुक्तियों की एक नीति बनवाई जाकर फैल रही आपा-धापी एवं भ्रष्टाचार को दूर नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

165. बूंदी जिले में बूंदी के आसपास अन्य सहकारी शुगर मिल बनाया कृषक को फसल का उचित लाभ नहीं दिलाये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

166. ग्राम सेवा सहकारी समिति के आन्दोलित व्यवस्थापकों के साथ सन्तोषजनक समझौता कर प्रदेश में समुचित व्यवस्था नहीं करने पर भी

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

167. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में राशनिंग वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधार कर जनहित में सहयोग नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

168. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल के अस्थाई सीजनल कर्मचारियों को वर्ष 1988 का बकाया वेतन अति शीघ्र दिलाया जाकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं करने पर भी दी जा रही सुविधा के औचित्य पर चर्चा के लिए।

169. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में गत्ता (प्लाण्ट) बनवाये जाने की अनुमति दिलवाने एवं मिल को हानि से नहीं बचाये जाने पर भी दी जा रही सुविधा के औचित्य पर चर्चा के लिए।

170. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल में डिस्टलरी प्लांट लगा कर हो रही हानि से मिल को न बचाये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

171. केशवराय पाटन विधान सभा क्षेत्र की सूनगर, बलकासा, कापरेन, चितावा, मायजा रड़ी आदि सहकारी समितियों में किये गये गबन की राशि की वसूली एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

172. केशवराय पाटन तहसील में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन की राशि पुलिस एवं कोर्ट द्वारा शक्ति से वसूल नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

173. पंचायत समिति स्तर की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का आरक्षित कोटा पूरा नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

174. सहकारिता में सभी की भागीदारी एवं उचित व्यवस्था हेतु ऋण वितरण एवं वसूली में व्यापक सुधार नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

175. सहकारी समितियों से लगाकर क्रय-विक्रय एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक तक अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण व्यवस्था प्रदान नहीं करवाई जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

176. ग्राम सेवा सहकारी समिति को हर समिति मुख्यालय पर कार्यालय गोदाम एवं कर्मचारी आवास सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाने पर भी दी

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

177. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव पांच साल में समयानुसार करवाये जाकर सहकार आन्दोलन को सफल न बनाये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

178. सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारी रूप में मान्यता दी जाकर इनमें व्याप्त असंतोष को दूर नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

179. सहकारिता में ऋण वितरण हेतु पंजाब पेटर्न को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. पंचायत समितियों में सहकार प्रस्ताव को लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

181. सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों द्वारा वसूल असल व ब्याज को अपेक्षा द्वारा मात्र ब्याज ही में जमा करने से हो रही असुविधा पर दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

182. चयनित परिवारों को सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण वापसी समय पर नहीं होने से उत्पन्न बैंकों की दयनीय स्थिति पर दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

183. सहकारिता के चुनाव समय पर नहीं कराने पर भी दी जाने व सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

184. व्यवस्थापकों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

185. डी.सी.बी. की शिवगंज (सिरोही) में शाखा नहीं खोलने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

186. सहकारी बैंकों द्वारा फर्जी ऋणों को माफ करने की स्थिति में दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

187. सहकारिता विभाग द्वारा आबू पर्वत पर विश्राम गृह बनाने की योजना बन कर क्रियान्वित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. सहकारी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सिरोही में नये वाहन को खरीदने की स्वीकृति नहीं मिलने से हो रही असुविधा पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

189. विभाग द्वारा सिरोही जिले में सहकारिता के माध्यम से मजदूरी प्रधान उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामलाल सोलंकी)

190. सिरोही जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक से व्यापारिक संस्थाओं को ऋण देने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

192. भूमि विकास बैंक, सिरोही की प्रस्तावित ऋण योजना शीघ्र स्वीकृत करने से हो रही असुविधा पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

1 3. सुभाष गृह निर्माण सोसाइटी, सिरोही द्वारा नाबालिग व क्षेत्र के व्यक्तियों को नियम विरुद्ध सदस्य बनाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

1 4. सुभाष गृह निर्माण सोसायटी, सिरोही में फर्जी सदस्यों की जांच के बावजूद नहीं हटाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

195. जोगापुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में फर्जी ऋण वितरण के दर्ज मुकदमें में राज्य कर्मचारियों का चालान करने की स्वीकृति नहीं दी जाने पर भी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

19 . ग्राम सेवा सहकारी समिति, अन्दोर में फर्जी ऋण वितरण के मुकदमें में राज्य कर्मचारियों का चालान करने की स्वीकृति न दी जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

197. अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र में सहकारिता द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की छूट दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. सिरोही सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहायता के अभाव में दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

199. सिरोही सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में रिक्त पदों को शीघ्र न भरे जाने से आ रही कठिनाई पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

200. विभिन्न सहकारी समितियों में कर्जों एवं जमा करवाये गये ऋण को माफ करने की घोषणा नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

201. सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की नियुक्ति एवं स्थायी की व्यवस्था नहीं करने से हो रही कठिनाई पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(श्री खंगारासिंह चौधरी)

202. 5 साल की अवधि के ऋण की खुली जांच एवं ऋण दाता से ऋण की सीमा पुनः तय नहीं करवाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

203. ग्राम सेवा सहकारी समिति केलवाद, बिसालिया खुर्द, कानूजा, कुशालपुरा, देवली कल्ला द्वारा प्रदत्त ऋणों की अविलम्ब जांच नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

204. सहकारी समिति के व्यवस्थापकों की नियुक्ति विभाग द्वारा ही करने की व्यवस्था नहीं करने पर दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

205. सहकारिता की चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

206. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पुनः सहकारी समितियों का गठन किया जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

207. निर्णित मामलों के ऋण की वसूली करने की व्यवस्था नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

208. सहकारी समितियों के चुनाव सहकार विभाग के अधिकारियों के अलावा ग्राम पंचायत चुनावों की तरह करने की व्यवस्था की जाने पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) :

209. दी नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., के चुनाव में भारी अनियमितता व धांधली बाजी होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

210. सहकारिता ऋण वसूली के समय ऋणियों का शोषण करने से उत्पन्न आक्रोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

211. सहकारी समितियों का ऑडिट समय पर नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

212. ग्राम सेवा सहकारी समिति, बाजवान को पुर्नजिवित न करने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

213. सहकारिता ऋण वितरण में भारी धांधलीबाजी व भ्रष्टाचार किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

214. मार्केटिंग सोसायटी गच्छीपुरा के घोटालों की जांच नहीं कराने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(128)

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) :

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

215. ग्राम सेवा सहकारी समिति, उदेई (कलां) गंगापुर सिटी के व्यक्ति द्वारा ऋण के नहीं लौटाने पर दिनांक 26-6-1989 को ऋण निरीक्षक, ऋण पर्यवेक्षक व व्यवस्थापक द्वारा तपती धूप में उसे मुर्गा बनाये जाने से व्याप्त असंतोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

216. ग्राम उदेई (कलां) गंगापुर सिटी के आई. आर. डी. पी. योजना ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा बैलों के लिये ऋण लेने, बैल मर जाने के बाद पंचनामा आदि समस्त पूर्तियां कर देने के बाद उसे बीमा राशि दिलाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

217. सहकारिता विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण कोटे को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. सहकारी विभाग के निरीक्षकों द्वारा गांव के निर्धन लोगों से ऋण वसूली के लिये पाशविक व्यवहार करने व उनकी सम्पत्ति को नीलाम कराने से असंतोष पर चर्चा के लिये।

219. सहकारिता विभाग में लगातार अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर कोई पाबन्दी नहीं लगा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220. पंचायत समिति, खंडार के ग्राम सेवा सहकारी समिति तलावड़ा के व्यवस्थापक द्वारा लाखों की हेराफेरी कर सरकार को धोखा दिये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

221. करौली उपखण्ड के अन्तर्गत कीरतपुरा सहकारी समिति के पूर्व व्यवस्थापक द्वारा की गयी हेराफेरी की शिकायत सुपरवाइजर द्वारा किये जाने के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

222. भूमि विकास बैंक जयपुर में ट्रैक्टर की हिस्सा राशि जमा करा लेने व नियमानुसार वरीयता के हिसाब से ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं कराने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

223. केन्द्रीय सहकारी बैंक बांसवाड़ा में वर्ष 1988 में लिपिक वर्ग की भर्ती में की गई अनियमितताओं पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

224. दीगोद को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी लि., में र.न. 1119 में उच्चाधिकारी व सोसायटी के सदस्यों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच व विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

225. मण्डावर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के दीर्घावधि से समिति के सदस्यों पर चले आ रहे ऋण की वसूली नहीं करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

226. भूमि विकास बैंक हिण्डोन द्वारा वैमनश्यभाव से कृषकों की पत्रावलियां समय पर नहीं निकाल कर समय पर पम्प सैट उपलब्ध नहीं करा पाने से उत्पन्न निराशा पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

227. भूमि विकास बैंक हिण्डोन द्वारा 10 से 20 जुलाई, 1988 को वाहनों पर 8 हजार रुपया खर्च कर मात्र 1860 रुपये की वसूली करने व वाहनों का दुरुपयोग करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

228. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में सहकारिता व लेम्पस द्वारा खाद्य सामग्री समय पर वितरण नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

229. सहकारिता द्वारा हर गांव में दुकान चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

230. किसानों का नगदी पैसा सहकारी समिति व लेम्पस में ही खाता खोल कर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

231. सहकारी समिति को ग्रामीण बैंक घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

232. ग्रामीण किसानों का अनाज सहकारी समितियों व लेम्पस् द्वारा ही खरीद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

233. किसानों का व्यापार सहकारी समितियों तक ही सीमित रखने की चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुधा (मण्डावा) :

234. सहकारी समिति कालियासर के भूतपूर्व अध्यक्ष के काले कारनामों पर चर्चा के लिये ।

235. गांगियासर सहकारी समिति के 1961 के बाद चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

236. गृह-निर्माण सहकारी समिति कालियासर द्वारा फर्जी कार्य करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

237. सहकारी समिति, कालियासर के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा पशु आहार में 85,000 रुपये का गबन करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती सुधा देवी)

238. बुनकर सहकारी समिति एवं श्रमिक ठेका सहकारी समिति कालियासर के डिफाल्टर के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिए।

239. सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने हेतु सहकारी केन्द्रीय बैंक को अधिक सहायता राशि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. जिन सहकारी समितियों में फर्जी भुगतान हुए हैं उनकी जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. ग्राम सहकारी समिति जहां नहीं हैं वहां समितियां गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. केन्द्रीय सहकारी बैंक में व्यवस्थापकों एवं कनिष्ठ लिपिकों के पद और सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर द्वारा अध्यक्ष को धोखा देकर फर्जी पेमेन्ट कर देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :

244. राजस्थान में सोसायटी के व्यवस्थापकों की हड़ताल में वाजिब मांगें मानने पर चर्चा के लिए।

245. भोपालगढ़ के ब्रांच मैनेजर को पुलिस थाना, भोपालगढ़ में गबन से संबंधित दर्ज मुकदमे में 18-3-1989 से 23-3-1989 तक सैण्ट्रल जेल में कैदी के रूप में रहने के बावजूद निलम्बित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :

246. राजस्थान में मैनेजरों (व्यवस्थापकों) के हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

247. जोधपुर जिले के व्यवस्थापकों को पुराना एरियर का भुगतान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) :

248. अपने हिस्से की खाद्य सामग्री को पूरा व समय पर उपलब्ध न कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

249. ग्रामीण उपभोक्ता योजनाओं में विभाग द्वारा उपभोक्ता सामग्री की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

250. सहकारिता के माध्यम से वितरण की जाने वाली कीटनाशक औषधियों को समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. आवासीय सहकारी गृह-निर्माण समितियों में घोटालों की जांच कराये

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

252. महिला सहकारी समितियों से भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

253. अनुसूचित जाति के श्रमिक ठेका सहकारी समितियों के लक्ष्य-घात होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

254. ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक उपभोग की नियन्त्रित मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

255. सहकारी क्षेत्र में राजस्व राज्य की विफलता की स्थिति पर चर्चा के लिए ।

256. सहकारी विकास कार्यक्रमों में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए ।

मांग संख्या 36–सहकारिता पर विचार

श्री सभापति : श्री रमजान खां ।

श्री रमजान खां : सभापति महोदय, मांग संख्या 36 में मैं अपने आपको शामिल करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा ।
(व्यवधान) जैसाकि सहकारी संस्थाओं में....

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, कल कालवी साहब ने उधर से ही चर्चा की थी कृषि की डिमाण्ड पर ।

श्री सभापति : आज भारतीय जनता पार्टी को ही आरम्भ करने दें ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, एक दिन इधर से, एक दिन उधर से, यह सिस्टम है आपका । नहीं, यह ठीक नहीं, साहब । जो परम्परा है उसको कायम रखा जाना चाहिए ।

श्री रमजान खां : सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं में लम्बे अन्तराल के बाद....

श्री सभापति : मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं । मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : जानकारी है न, कल कालवी साहब ने शुरू की थी । आज इधर से होनी चाहिए । सत्ता पक्ष से होनी चाहिए ।

श्री सभापति : अब मैंने उनका नाम पुकार दिया है । अब आइन्दा ध्यान रखूंगा ।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : चुनाव नहीं करने के कारण यह विभाग दल-दल में इतना फंस गया है कि इसका निकलना असम्भव तो नहीं परन्तु कठिन जरूर है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा जिन संस्थाओं के विशेषकर बैंकों के रोकड़ पोते भी अगर मिलान नहीं खाते तो ऐसे बैंकों से, ऐसी संस्थाओं से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के संबंध में कि यहाँ का इस बैंक का रोकड़ पोता भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के रोकड़ पोते से मेल नहीं खाता

(श्री रमजान खां)

है। थोड़ा बहुत भी अन्तर नहीं है। सभापति महोदय, यह अन्तर करीबन 248 लाख रुपये का है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अन्दर, अपने सदस्यों के अन्दर 659 लाख रुपये का ऋण मांगती हैं और बैंक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अन्दर 907.48 लाख रुपये मांगती हैं। इस तरह 248 लाख रुपये का विषम अन्तर किस तरह समाप्त किया जायेगा? यह बहुत ही विचारणीय विषय है, सभापति महोदय, जिस कारण से यह रोकड़ पोते मेल नहीं खाते। उसका मुख्य कारण है, सभापति महोदय, मैं एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का उदाहरण देना चाहूंगा। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति अपने सदस्यों से करीब 5 लाख रुपये मांगती है तो केन्द्रीय बैंक उसके अन्दर 7 लाख रुपये मांगता है। अब यह दो लाख रुपये का अन्तर आ गया है। इस तरह पूरे राजस्थान में 40 करोड़ रुपये का अन्तर आ गया है, सभापति महोदय, जिसका कहीं भी कोई अता-पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। इस 40 करोड़ रुपये के अन्तर को जब तक समाप्त नहीं किया जाता, तब तक सहकारिता के आन्दोलन को और तीव्र गति मिले इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार को कि उसका मुख्य कारण है, जो समिति स्तर के ऊपर ब्याज की और असल की राशि हम वसूल करते हैं जब हम केन्द्रीय बैंक के अन्दर जाते हैं उसको जमा कराने के लिए, हमारा व्यवस्थापक जाता है समिति का तो उस तमाम राशि का ब्याज ही जमा कर लिया जाता है चाहे वह असल की राशि ही क्यों न हो। उसका कारण है, केन्द्रीय बैंक की भी मजबूरी है क्योंकि अपेक्स बैंक और नाबार्ड बैंक सारा का सारा ब्याज पहले जमा करता है और उसके बाद में असल राशि जमा करता है। जब तक आप पूरा का पूरा ब्याज वहां पर जमा नहीं कराओ, वह असल राशि बिलकुल जमा ही नहीं करता है। इसलिए यह अन्तर धीरे-धीरे बढ़ता जायेगा। पूरे राजस्थान में 40 करोड़ रुपये की राशि हो गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दोषपूर्ण नीति में जब तक सुधार नहीं किया जायगा तब तक यह अन्तर भी बढ़ता जायेगा। अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक का अन्तर 148 लाख रुपये था सन् 1988 में, जो 1989 के अन्दर बढ़कर 248 लाख रुपये हो गया। तो इसके लिए एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो समिति स्तर पर असल और ब्याज वसूल किया जाय, वह नाबार्ड लेवल में असल और ब्याज के खाते में ही जमा किया जाय। तब तो यह दोषपूर्ण नीति समाप्त हो सकती है और जो यह विषय अन्तर पैदा हो गया है 40 करोड़ रुपये का, यह समाप्त हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, वरना यह इसी तरह बढ़ती रहेगी और सहकारिता की पैठ हमेशा-हमेशा चलती रहेगी।

मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं। लगातार हमारे प्रदेश में अकाल पड़ रहा है। लगातार अकाल की वजह से जिस छोटे काश्तकार ने अपने फसली ऋण के लिये एस. टी. लोन लिया, अकाल पड़ गया ऋण नहीं चुका पाया, उसके एम्पटी लोन के अन्दर कन्वर्शन हुआ फिर अकाल पड

(श्री रमजान खां)

गया, फिर उसका कन्वर्शन हुआ एम्पटी लोन में, फिर अकाल पड़ गया फिर उसका एम्पटी लोन में कन्वर्शन लोन में। तो ऐसा करते-करते एक मामूली से काश्तकार की राशि 25 से 23 हजार रुपये तक पहुंच गई। अब 25-30 हजार रुपये का ब्याज वार्षिक कम से कम 5 हजार रुपये होता है। सभापति महोदय, अब कोई भी छोटा-मोटा काश्तकार अपनी फसल को पैदा करे तो वह वसूली की राशि ज्यादा से ज्यादा 5 हजार से अधिक नहीं दे सकता। जब पांच हजार रुपये की वसूली होती है तो उसकी तमाम की तमाम वसूली ब्याज के अन्दर समायोजित कर ली जाती है। सभापति महोदय, आप विचार कीजिये, 30 हजार रुपये का ऋण क्या वह अपने पूरे जीवन भर में चुका सकता है? नहीं चुका पायेगा। इस तरह के काश्तकार इस अजमेर जिले के अन्दर 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं जिनकी ऋण की राशि 20 हजार रुपये, 30 हजार रुपये होगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि वह पाँच हजार रुपये से अधिक प्रति वर्ष चुका सके। इसलिये इस नीति के अन्दर भी कोई सुधार करना पड़ेगा। अगर आप राशि वसूल करते हैं तो आधा ब्याज और आधा असल के अन्दर उसकी वसूली होनी चाहिये ताकि धीरे-धीरे उसका कर्जा समाप्त हो वरना उसका कर्जा कभी भी, जिन्दगी भर समाप्त नहीं होगा। और वह तो सहकारिता विभाग के लिये एक कमाऊ पूत हो गया, कि कमाता है, ब्याज में दे देता है, कमाता है और ब्याज में दे देता है और असल की राशि वह कभी भी नहीं चुका पायेगा। यह मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 248 लाख रुपये का विषम अन्तर आ गया है अपेक्स बैंक हमारी माग में इसको शामिल करती है, को-ऑपरेटिव बैंक इतनी मांग देगी। अब विषम अन्तर को माँग में कहां से वसूल करके लावें इसलिये यह जो विषम अन्तर आ चुका है, इसको मांग की राशि में से समाप्त करने का मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

तीसरी बात, सभापति महोदय, जो गबन और घोटाले हो गये हैं, जिनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, धारा 74 के तहत जिनकी कार्यवाही चल रही है, जो खाकर के भाग गये हैं या मर गये हैं, उनके ऊपर भी आज तक लगातार अपेक्स और नाबार्ड बैंक ब्याज वसूल करने की बैंकों को हिदायत दे रही है और वह ब्याज वसूल किया जा रहा है। अब उस गबन घोटाले की राशि का किस ढंग से हम ब्याज दे पायेंगे, यह एक विचारणीय विषय है। यह गबन घोटाले की राशि मांग में भी शामिल कर ली जाती है और फिर कहते हैं कि 40 प्रतिशत की वसूली होनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गबन घोटाले की राशि की भी अगर आप 40 प्रतिशत की वसूली चाहते हैं तो इसको भी मांगों की राशि में से समाप्त की जानी चाहिये और इसका ब्याज हमेशा के लिये, जब तक

(श्री रमजान खां)

इसका निपटारा नहीं हो, तब तक इस गबन घोटाले की राशि का ब्याज भी समाप्त किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय, सरकार ने दो हजार रुपये की एस. टी. लोन राशि का उतना ही ब्याज लेने के बाद और अधिक ब्याज नहीं लेने की एक नीति निर्धारित की है। इसके लिये तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस दो हजार की राशि को बढ़ाकर के 5 हजार रुपये अगर कर दी जाये तो उससे राजस्थान के काश्तकारों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यह मेरा अनुरोध है।

एक और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में अपेक्स बैंक ने दण्डनीय ब्याज, जो एक प्रतिशत लिया जाता था, उसको बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया। लगातार अकाल के कारण इस दण्ड का काश्तकारों के ऊपर भार डालना, यह भी एक न्यायसंगत बात नहीं है। इसलिये इसको एक प्रतिशत ही रखा जाये, दो प्रतिशत नहीं किया जाये।

सभापति महोदय, एक बात और। फसली ऋण की सीमा 1972 में निर्धारित हुई थी और सन् 1972 के बाद आज 17–18 साल इस बात को हो गये, चार गुना महंगाई बढ़ गई और वह सीमा जो 1972 में निर्धारित की गई थी, वह आज भी वैसी की वैसी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अंगभाग अ के अन्दर और अंगभाग ब के अन्दर जो हमें राशि मिलती है इसका पुनर्निर्धारण किया जाये और यह राशि बढ़ाई जाये। जो राशि 3000 हजार रुपये खरीफ की फसल में दी जाती है वह कम से कम 5 हजार रुपये की जाये। रबी की फसल में नकद राशि 1 हजार तक दी जाती है इसको कम से कम दो हजार तक की बढ़ाई जाये।

एक बात और, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फसली ऋण के अन्दर नकद तो केवल 250 रुपये मिलते हैं, सिंचित जमीन के लिये और अंग भाग ब के अन्दर खाद और बीज की राशि 2200 रुपये तक रहती है मैक्सीमम। अब आप बताइये एक एकड़ में 250 रुपये तो नकद और 2200 रुपये का खाद और बीज लेने के लिये काश्तकार को बाध्य होना पड़ता है और जिसके अन्दर बाजार के अन्दर जो 200 रुपने का डी.ए.पी. का कट्टा 125 रुपये या 150 रुपये में बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसके लिये काश्तकारों को मजबूर नहीं किया जाये, नकद की राशि अंग भाग ए. के अन्दर बढ़ाई जाये ताकि काश्तकार अपनी मर्जी के मुताबिक अगर वह गोबर खाद का वह उपयोग करना चाहे, तो वह गोबर खाद का उपयोग कर सकता है और जो फर्जी बीज जो कई दिनों से सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों को दिये जा रहे हैं कृषि विभाग के तहत, अगर वह फर्जी बीज नहीं खरीदना चाहता और मार्केट में से कोई अच्छा बीज खरीदना चाहता है अगर आप उसकी नकद राशि की सीमा आप बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से अच्छा बीज देख करके काश्तकार अच्छा बीज खरीदेगा। इसलिये इस सीमा को

(श्री रमजान खां)

नकद में ज्यादा बढ़ाया जाये। अजमेर जिले की भौगोलिक स्थिति तो ऐसी है, सभापति महोदय, वहां पर अंग्रेजी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तो 80 प्रतिशत नकद दी जाये और जो भी आप सीमा बांधो, 20 प्रतिशत ही अगर खाद और बीज की सीमा रख दी जाये तो उसमें भी अजमेर जिले के काश्तकार खुश हो जायेंगे उसमें कहीं भ्रष्टाचार भी होता है वह भी मिट जायेगा। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका पुनर्निर्धारण करके इस दोषपूर्ण नीति को हटाया जाये।

एक बात आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले हर ग्राम स्तर के ऊपर एक सहकारी समिति हुआ करती थी। परन्तु पता नहीं किन कारणों से उस बात को तोड़ करके तीन-तीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का क्षेत्र एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति में नियोजित कर दिया जिसकी वजह से बहुत बड़ी कठिनाई आती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यवस्थापक जिसके पास साधन साइकिल है, और उस ग्राम सेवा सहकारी समिति का क्षेत्र कम से कम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी में है, अब आप विचार कीजिये, किस तरह तो वह ऋण बांटेगा, किस तरह वह वसूली करेगा, और किस तरह काश्तकारों से सम्पर्क करके विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी उनको करायेगा। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पूर्व की भांति हर ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति रखी जाये ताकि यह लोगों से और ज्यादा सम्पर्क किया जाये। वसूली के अन्दर और गति आये और ऋण वितरण करने के अन्दर भी सुविधा प्राप्त हो। कभी-कभी तो ऐसा होता है, सभापति महोदय, हमारे अजमेर जिले में तो व्यवस्थापकों की बहुत कमी है। इसलिये दो-दो ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर एक-एक व्यवस्थापक को रखना पड़ता है और 21 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अब आप बताइये कैसे इसकी वसूली होगी 21 किलोमीटर की दूरी पर? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के अन्दर कम से कम 35 व्यवस्थापकों के पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने के लिये हमको अनुमति दी जाये ताकि को-ऑपरेटिव को तेज गति प्रदान की जा सके।

आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के अन्दर हमारे को-ऑपरेटिव विभाग के एक्सटेन्शन ऑफिसर वहां पर मुकर्रर है। एक्सटेन्शन ऑफिसर पंचायत समितियों में को-ऑपरेटिव की कुछ भी चर्चा या उसका कुछ भी कार्य नहीं करते हैं और कम्पलीटली पंचायत समिति के बी. डी. ओ. के अन्तर्गत पूरा का पूरा काम करते हैं। उनसे पूछा जाये कि उनके पड़ोस में ग्राम सेवा सहकारी समिति और उसके व्यवस्थापक का क्या नाम है; जाना तो दूर, उस व्यवस्थापक का नाम भी नहीं जानता। इसलिये मैं आपके

(श्री रमजान खां)

माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन एक्सटेन्शन ऑफिसर्स को पाबन्द किया जाय कि जिस ड्यूटी के लिये उनको पंचायत समितियों के अन्दर नियुक्त किया गया है, उस ड्यूटी को वह पूरी तरह से निभायें और सहकारिता के अन्दर ही काम करें क्योंकि सहकारिता के लिये ही पंचायत समितियों में उनको नियुक्त किया है। मैं पंचायत समिति पीसांगन में एक-दो बार गया था, श्रीनगर भी गया था। मैंने सी. ओज. को कहा था सहकारिता के बारे में सरपंचों को जानकारी दो। सभापति महोदय, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि उन सी. ओज. को पंचायत समिति क्षेत्र का कुछ अता-पता भी नहीं है कि क्या गबन घोटाला हो रहा है, क्या ऋण वसूली हो रही है, क्या ऋण वितरण किया जा रहा है? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको पाबन्द किया जाये।

सभापति महोदय, कुछ तीन-चार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पिछले टाइम में 12 पाइन्ट प्रोग्राम में चयनित किया गया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, मंत्री महोदय से कि 12 पाइट प्रोग्राम में जो इन चार बैंकों को चयनित किया गया है, अगर इसकी क्रियान्विति इन बैंकों की कर दी जाये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन बैंकों के कार्यकलाप में सुधार हो जायगा और भविष्य में इनकी देखा देखी अन्य राजस्थान की बैंकों का भी अच्छा सुधार हो सकेगा। इसलिये 12 पाइन्ट प्रोग्राम, जिसमें हमारा अजमेर सहकारी बैंक भी शामिल है, आप लागू करने की शीघ्र कृपा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

सभापति महोदय, अन्त में एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सौभाग्य से भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 16 जिलों को नाबार्ड की परियोजना के तहत चयनित किया है, उसके अन्दर अजमेर जिला भी शामिल है। अजमेर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को नाबार्ड ने अलग से जीप, कर्मचारी और स्टाफ दे रखा है। वे बराबर मीटिंग करते हैं। पिछले ढाई साल से यह स्कीम चल रही है। बराबर नाबार्ड के अधिकारी आते हैं, प्रेरित करते हैं कि लोगों को लोन बांटो। उनकी माली हालत को सुधारो परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों में इतनी शिथिलता आ गई है कि ढाई साल के टाइम में केवल मात्र 50 लाख रुपये बांटे हैं। इसका मुख्य कारण, शीर्ष बैंक द्वारा जो राशि वितरित की जाती है नाबार्ड के तहत, उसका पुर्नभरण अपेक्स बैंक समय पर नहीं करता है। एक तरफ भारत सरकार यह कह रही है कि हमने अजमेर को चयनित किया है। हम राजस्थान में इसका उदाहरण पेश करना चाहते हैं किस ढंग से काश्तकार और गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, वे उद्योग धन्धे, फैक्टरी लगावें। वे अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं। इसके लिये वे करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं और हमारा अपेक्स बैंक उस राशि को जो भारत सरकार दे रही है समय पर उसका पुनर्भरण नहीं करता है, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका तत्काल पुर्नभरण किया जाये

(श्री रमजान खां)

ताकि इस योजना का अजमेर जिले में विस्तार करके गांव के गरीब लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

अतः में एक निवेदन और करना चाहूंगा। अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के चुनाव सबसे अन्त में हुए। इस बैंक की स्थिति बहुत ही खराब है। गत वर्ष इसकी वसूली अधिकारियों के भरोसे केवल मात्र तीन पर्सेन्ट हुई। सभापति महोदय, हमने इस वसूली को 20 पर्सेन्ट के आस-पास पहुंचाया है। हम आपको सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि अगले वर्ष 40 पर्सेन्ट के आस-पास वसूली को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक फसली ऋण का सवाल है गत वर्ष बहुत कम मात्रा में वितरण हुआ था। इस वर्ष हम ज्यादा करके तीन करोड़ के आस-पास ऋण वितरित कर देते। हमने 50 लाख रुपये की मांग की थी परन्तु अपेक्स बैंक ने रुपया समय पर नहीं दिया, 50 लाख की जगह 30 लाख रुपया दिया। बीस लाख रुपये मांगे तो 10 लाख रुपये दिये जबकि राज्य सरकार कह रही है कि फसली ऋण जिस काश्तकार को चाहिये, देओ। हमने तीन करोड़ की डिमाण्ड की थी, हमको नहीं दिये फिर भी दो करोड़ दो लाख रुपये का फसली ऋण इस बार दो महीने के अन्दर समय से पहले हमने वितरित किये हैं।

आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में, जो आज चर्चा के लिये मंत्रीजी ने रखी है, उसके सम्बन्ध में सहकारिता का स्वरूप क्या हो, सहकारिता आन्दोलन को कैसे सफल बनाया जाये, अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाये, आन्दोलन की सफलता के बीच में क्या रोड़े रहे, भ्रष्टाचार है या कोई अनियमितता रही, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखूंगा। सहकारिता का अर्थ है "एक सबके लिये, सब एक के लिये।" सहकारिता के माध्यम से कमजोर आदमी सब के साथ मिलकर ऊंचा उठ सकता है। पहले किसान का, छोटे लोगों का व्यापारियों के द्वारा शोषण होता था। खाद, बीज और अन्य जरूरत की चीजें देकर व्यापारी उनका शोषण करते थे। पहले उनको उधार देते थे। फिर फसल तैयार होने पर अपनी दी हुई रकम पर अधिक ब्याज लगाकर सारी फसल को उठा ले जाते थे जिससे काश्तकार का व्यापक स्तर पर शोषण होता था। इसलिये किसानों के लिये सहकरिता आन्दोलन को लागू किया गया। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सहकारिता आन्दोलन का स्वरूप कैसा होना चाहिये। जिस आशा से इस आन्दोलन को लागू किया था वह आशा सरकार की पूरी नहीं हुई। आज भी हर किसान को इससे लाभ नहीं मिलता है। इसका कारण है, हर किसान इससे जुड़ा हुआ नहीं है। उसको समय पर बीज, खाद नहीं मिलता है। उसको समय पर ऋण नहीं मिलता है। उसको कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। उदाहरण के

(श्री परसादीलाल मीणा)

तौर पर मैं आपको बताऊंगा। जब किसान के फसल का समय आता है, 30 जून को ऋण देना होता है, तो 30 जून के दो महीने पहले से व्यवस्थापक हड़ताल कर देते हैं। इससे न तो वसूली हो पाती है और न किसानों को ऋण दे पाते हैं। इससे किसान परेशान होकर व्यापारियों के चंगुल में जाते हैं। सरकार को यह निश्चित कर देना चाहिये कि मई और जून ये दो महीने ऐसे हैं जिसमें किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराना है। यदि सोसाइटी की वसूली नहीं होगी तो किसान को फसल के समय ऋण कैसे मिलेगा। इसके ऊपर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। व्यवस्थापक लोग मई और जून में हड़ताल क्यों करते हैं? बार-बार हड़ताल होती है। गत वर्ष भी हड़ताल हुई। मैं जयपुर जिले के सम्बन्ध में बतलाना चाहूंगा कि किसानों को गत वर्ष ऋण नहीं मिला और न इस साल। फिर इस आन्दोलन का, इस ग्राम सेवा सहकारी समिति का क्या अर्थ है? ग्राम सेवक क्यों हड़ताल करते हैं? इनको भी आप राजकीय कर्मचारी घोषित कर दें और जैसे पंचायत के सैक्रेटरी होते हैं वैसा ही स्वरूप दे दें। मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत है उसी प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समिति का स्वरूप बना देना चाहिये। गवर्नमेन्ट का सैक्रेटरी हो। जो व्यवस्थापक वहां रहता है वह दुकान के ताला लगाकर इधर-उधर चला जाता है, चाहे किसान दस दिन तक उसके पीछे-पीछे घूमे। इससे न कोई फायदा उठा पाता है। और न यह आन्दोलन सफल होता है। किसान को खाद, बीज दे दिया और उसको फसली ऋण नहीं दिया तो वह किसी साहूकार, व्यापारी के यहां से ले आयेगा। तो वह पहले उसको देगा। सोसाईटी वाले रह जायेंगे। न उसकी साख सीमा तैयार होगी और न उसको ऋण मिलेगा। मेरा यह सुझाव है कि इस आन्दोलन को महाराष्ट्र की तरह सफल बनाना है तो एक ही इकाई से किसान को ऋण मिले, तो इसको ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी बैंक का स्वरूप देना चाहिये। इसका एरिया दो, तीन पंचायतें, बीस-बीस गांवों को मिलाकर बनाया गया है। मेरा निवेदन है कि एक-एक किसान इससे जुड़े तो इसका स्वरूप ग्राम स्तर तक कर दीजिये।

मैं यह भी कहूंगा कि 'एक व्यक्ति एक पद' का सिद्धान्त सहकारिता क्षेत्र में लागू किया जाये जैसा कि पंचायत में है। एक व्यक्ति सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाता है, फिर डायरेक्टर बन जाता है, बैंक का चेयरमैन बन जाता है, फिर एम. एल. ए. बन जाता है, जिला प्रमुख बन जाता है तो वह इस आन्दोलन को अपनी पूरी शक्ति नहीं दे सकता है। जैसे पंचायती राज में, 'एक आदमी एक पद' होता है उसी प्रकार का संशोधन आप इसके विधेयक में लाइये। यदि इस आन्दोलन को चालू रखना है तो पंचायती राज का स्वरूप इसका बनाइये। चुनाव आयोग द्वारा इसके चुनाव कराइये। वही कायदे, कानून होने चाहिये। जैसे पंचायत का दफ्तर सुबह 10.00 बजे से शाम के 5.00 बजे तक खुला रहता है उसी प्रकार इसका दफ्तर खुले। मेरा निवेदन है कि 50 प्रतिशत किसान इस आन्दोलन में विश्वास नहीं करते हैं। इसका कारण यह

(श्री परसादीलाल मीणा)

है कि इसका स्वरूप ठीक नहीं है। इसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। इन सब बातों को ठीक करने के लिये सरकार को व्यापक स्तर पर कदम उठाने चाहिये चाहे आपको कानून में संशोधन करना पड़े, चाहे नये नियम बनाने पड़ें।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में बीस-बीस साल से, तीस-तीस साल से वसूलियां नहीं हो रही हैं। लोग दो-दो, तीन-तीन लाख रुपया खाकर बैठ गये। उनके खिलाफ कुर्की हो गई। मेरा निवेदन है कि जो लोग बीस-बीस साल से दो-दो, तीन-तीन लाख की वसूलियां रोक कर बैठे हैं उनसे आप सख्ती से निपटिये। ये प्रभावशाली लोग हैं। गरीब को तो सहकारी विभाग के अधिकारी मुर्गा बनाकर, ज्यादती कर वसूली कर लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों से वसूली क्यों नहीं करते हैं? जब अधिकारी वसूली करते हैं तो सरकार उनको स्टे दे देती है कि वसूली नहीं की जाये। इसके क्या कारण हैं? गरीब से वसूली की जा रही है क्योंकि वह अधिकारियों के पास नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने श्री गोपाल पटेल, दांतली वालों के ऊपर कुर्की के आदेश दिये। उसके ऊपर चार लाख रुपया बीस साल से बकाया है परन्तु राज्य सरकार ने आदेश दिये कि कुर्की न की जाये। अधिकारी मौके पर पहुंचे, उसके पहले राज्य सरकार ने स्टे दे दिया कि वसूली नहीं की जाये। क्यों नहीं की जायेगी? एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि इस आन्दोलन को सफल बनाना है और दूसरी तरफ आप बैंक द्वारा दिये गये ऋण को वसूल नहीं करने देते हैं तो किस प्रकार से बैंक साख सीमा को बढ़ायेगा और किस प्रकार से काम चलायेगा? किस प्रकार किसानों को ऋण देगा यदि उसकी वसूली नहीं होगी? मेरा निवेदन है कि आज बार-बार व्यवस्थापकों की हड़ताल होती है। आप क्यों नहीं एक सोसाइटी में ग्राम पंचायत की एक सैक्रेटरी दे देते। सरकार उसको तनख्वाह दे। ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था लागू कर देते हैं कि जिस प्रकार पंचायतों का काम चलता है वैसे ही चलता रहे। आज समस्या यह है कि सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें, गबन के हजारों मामले लम्बित पड़े हुए हैं। काफी समय से उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। नीचे से स्टे ले आते हैं। नीचे का फैसला ऊपर आ जाता है फिर सरकार में 10-5 साल तक पड़े रहते हैं इसके लिये मेरा सुझाव है कि यह जो सब भ्रष्टाचार और गबन के मामले हैं जितने भी आपके पास वह आप भ्रष्टाचार विभाग को भेज दीजिये जिससे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और आगे लोग डरें। यदि उस डिपार्टमेंट से ए. सी. डी. में भेजेंगे तो आगे लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे गबन और भ्रष्टाचार जैसे आन्दोलन में रोड़े अटकें।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज बैंकों में जो जिला सहकारी बैंक है उसमें आज एस सी., एस.टी. का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये वह भी जिस प्रकार के उसके नार्म्स हैं उसी के हिसाब से दिया जाना चाहिये। मैं जयपुर

(श्री परसादीलाल मीणा)

सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का उदाहरण दूंगा कि वहां केवल एक एस टी. का आदमी है। वह कोई 10 साल से एल. डी. सी. बना हुआ है। उसको आप शाखा मैनेजर क्यों नहीं लगाते हैं। उसका प्रमोशन क्यों नहीं करते ? इसी प्रकार एस. सी. के जो लोग हैं उनका प्रमोशन नहीं करते। आखिर इसको सहकारी स्वरूप तो प्रदान करो—सहकारी संस्था है, इसको व्यापक स्तर पर करें। इसी प्रकार भूमि विकास बैंक हैं। वहां ट्रैक्टर के लिये यदि कोई काश्तकार एप्लाई करेगा उसको एक साल तक तो ऋण ही नहीं मिलता जबकि उसकी हिस्सा राशि 40-50 हजार रुपये पहले जमा कर लेते हैं। उसके बाद एक साल तक ऋण नहीं दिया जाता है और ऋण देने के बाद उसका ड्राफ्ट दो-चार-छः महिने तक नहीं देते हैं तो उसको ब्याज का कितना नुकसान होगा। 50 हजार का 6 महिने तक कितना होता है। ऋण मंजूर नहीं करे। उसके बाद तीन महिने तक उसको ट्रैक्टर नहीं मिले। ऐसे जयपुर भूमि विकास बैंक के हजारों उदाहरण हैं जिसमें लोगों को ट्रैक्टर के लिए 6-6 महिने तक लोन नहीं दिया। उनको 6-6 महिने तक बैंक के चक्कर काटने पड़े तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री जी ऐसे किसानों के लिये आपके ट्रैक्टर या कोई भी कृषि यन्त्रों के लिये लोन लेना चाहे उसकी एप्लीकेशन के विदिन ए मन्थ उसको ऋण मिलना चाहिये और उसकी जो भी हिस्सा राशि जमा करने के बाद तो नहीं देने का सवाल ही क्या होता है फिर ये 6 महिने होते हैं और वे तकाजा करते हैं तो कह देते हैं भाई या तो आप अपनी हिस्सा राशि वापिस ले जाइये। आखिर 6 महिने का ब्याज देगा कौन। आखिर ये बैंक और सहकारी संस्थायें किसानों के लिए बनाई हैं या कोई व्यापारियों के लिये, डीलरों के लिये। आज यह हालत है सहकारी बैंकों में कि डीजल का कोई डीलर हुआ इंजिन का उसको चाहे सैंकड़ों फाइलें एक साथ ही दे जावो एक दिन में सारी फाइलें मंजूर करके निकाल देगा। किसान जो ट्रैक्टर लेना चाहेगा कोई डाइरेक्ट बिना डीलर के लेना चाहेगा उसको 6 महिने, एक साल तक ऋण नहीं मिलता है। इस प्रकार का जो इन संस्थाओं के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा हो गया है, उसको दूर किया जाना चाहिये जिससे वापिस से यह सहकारी आन्दोलन व्यापक रूप ले सके। मैं कहना चाहूंगा आज किसान के अलावा गांवों में कमजोर वर्ग के लोग भी होते हैं—हरिजन, गिरीजन या पिछड़े जो अपनी दुकान या छोटे-मोटे उद्योग धन्धे करना चाहते हैं उनके लिये भी सरकार को इस योजना को व्यापक रूप से लागू करना चाहिये और जो आज आपकी साख सीमायें है जैसा कि माननीय रमजान खां जी ने बताया कि वह बहुत पहले के नार्म्स वाली हैं। आज काश्तकार को खेती के लिये बहुत ही महंगे यंत्र, खाद और बीज खरीदने पड़ते हैं। आज एक काश्तकार को दो हजार रुपये, चार हजार रुपये या पांच हजार रुपये देते हैं उससे अब काम चलने वाला नहीं है। मेरा तो सरकार को यह सुझाव है कि काश्तकार का एक अकाउन्ट खोल देना चाहिये। सहकारी समिति में चाहे, उसका बिजली का बिल हो, चाहे उसका खाद हो, बीज हो या और भी खेती के लिये उसको

(श्री परसादीलाल मीणा)

औजार लाना पड़े, उसको बीच में खेती की कोई भी जरूरत पड़े वह सारी सुविधायें काश्तकार को एक ही जगह से देनी चाहिये। उसको ग्रामीण बैंक का स्वरूप देना चाहिये। ग्राम स्तर पर ऐसा स्वरूप देंगे तो यह आन्दोलन और आप जो यह समझते हैं गांवों में कि खेती के लिए समय पर बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, कृषि यन्त्र नहीं मिलते हैं तो ये सारी समस्यायें अपनी दूर हो सकती हैं और इसमें जो भ्रष्टाचार, गबन और अनियमिततायें होती हैं उसके लिये सरकार को व्यापक रूप से एक विधेयक लाना चाहिये और उसके जरिये जो यह कमियां-खामियां हैं इनको दूर करने के लिये सरकार को व्यापक रूप से कदम उठाने चाहिये। आज कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि फर्जी लोन दे दिया गया, ऋण लेने वाले को मालूम ही नहीं है और उसके नाम से ऋण उठा लिया। आज तो सरकार ने यह फोटो लगाने की बात की है, दूसरी भी बातें हैं पर जो पहले के लम्बित मामले पड़े हैं हजारों मामले ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। उनसे वसूली की जा रही है। ऐसे मामलों में जिन व्यवस्थापकों ने या जिन सहकारी समितियों के मंत्रियों, अध्यक्ष या पदाधिकारी ऐसे मामले जो लिये हैं उनको रोकने के लिये या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सरकार को सतर्कता से कार्य करना चाहिये और जिन लोगों के नाम से पैसा लिया ही नहीं उनके नाम लिख दिया। आखिर वे देंगे कहां से जब उन्होंने लिया ही नहीं, तो जो इस प्रकार के मामले हैं उन लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है उनको रोका जाना चाहिये। जिन लोगों ने अनियमिततायें की हैं या जिन लोगों ने इसमें किसी प्रकार भी भ्रष्टाचार किया है उन लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये और मेरा आपसे यह निवेदन है कि किसानों को समय पर ऋण देने के लिये और इसके लिये आपको चाहे कुछ भी करना पड़े 30 जून के पहले खाद और बीज उसको जितना भी पैसा चाहिये, जो पुराने नार्म्स हैं जैसा माननीय रमजान खां जी ने बताया उस आधार पर उसका काम नहीं चलेगा फिर उसको किसी सेठ और साहूकार के पास जाना पड़ेगा उधार लेने के लिये। आप इसको ऐसा स्वरूप दे दीजिये कि उसको साल भर जब तक अगली फ़सल आये तब तक किसी के घर नहीं जाना पड़े और जब उसकी फसल की बिक्री होगी, तब सारा वापिस ले लें उसमें क्या होगा कि फसल की बिक्री होगी तो केवल मात्र आप उसके अकाउन्ट होल्डर होंगे। वह सोसायटी में होगा तो केवल आपको पैसा दे देगा नहीं तो यह दूसरों को पैसा दे देगा और आप रह जायेंगे और न आगे आपको पैसा मिलेगा और न आपका यह आन्दोलन सफल होगा।

मेरा एक और सुझाव है एक व्यक्ति एक पद्धति जो मैंने पहले भी कहा है इसको ठोस रूप से लागू किया जाय चाहे आपको इसके लिये विधेयक ही लाना पड़े। क्या करते हैं कि लोग नीचे से ऊपर तक इन मामलों को भ्रष्टाचार या गबन सबको दबाते ही चले जाते हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो तुम्हारे सारे मामले रुकवा दूंगा, मैं डाइरेक्टर बन जाऊंगा, मैं वह बन जाऊंगा

१५२

(श्री परसादीलाल मीणा)

तो सब कुछ ठीक करवा दूंगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको पंचायत राज का स्वरूप देना चाहिये और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जिस प्रकार नगरपालिकाओं और पंचायतों का विधेयक लाये हैं उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि एक सहकारिता का भी विधेयक लायेंगे, इसके चुनाव भी चुनाव आयोग से कराये जायं। आज तो चुनावों में बड़ी धांधली होती है। प्रभावशाली लोग जो गांवों में होते हैं चुपचाप अपने इलेक्शन करा लेते हैं। वहां पर मंत्रीजी आप एक ध्यान रखिये कि वहां पर स्थानीय लोग इन्सपेक्टर या एल.आई. वगैरह नहीं लगे। वे क्या करते हैं कि उन लोगों से सांठ-गांठ करके फर्जी इलेक्शन करा लेते है और अपने परिवार जनों की अपने मिलने वालों की उस संख्या को बना लेते हैं जिससे न तो गरीबों का भला हो पाता है और न उसका उद्देश्य ही पूरा कर पाता है इसलिये इसके चुनाव भी चुनाव आयोग के द्वारा या पंचायतों के जैसे चुनाव होते हैं बाकायदा अधिसूचना जारी करके कराये जाने चाहिये। आज तो क्या होता है कि चुनाव अधिकारी अधिसूचना की प्रतिलिपि अपनी जेब में रखता है। चुपचाप जाता है और इलेक्शन करा लाता है। हजारों मामलों में फिर अपीलें होती हैं। गांवों में लोगों में फ्रैक्शन बढ़ जाते हैं जिससे इस आन्दोलन को सफल बनाने में बहुत कठिनाई होती है तो मैं चाहूंगा कि इसके चुनाव भी एक ऐसी पद्धति से हो जिससे हर आदमी को चुनाव में लड़ने का अधिकार हो। उसको यह पता हो कि यह हमारी संस्था है और इससे हमारा लगाव होगा नहीं तो कुछ लोग इसको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को सरकार को खतम करना चाहिये। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति जी, हमारे देश में लोकतान्त्रिक शासन पद्धति को अपनाया है और अब तो पिपुल्स रिप्रजनटेशन एक्ट में संशोधन करके हर राजनैतिक पार्टी के लिये यह निष्ठा रखने का प्रावधान कर दिया गया है कि लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद की जब तक सौगन्ध नहीं खावोगे तब तक आपकी राजनैतिक पार्टी, राजनैतिक पार्टी नहीं रहेगी।

जब हम इस तरह की लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को चलाना चाहते हैं तो सहकारिता की उसमें अपने आप बहुत भारी प्रभावी भूमिका होती है क्योंकि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तभी सफल होगी जब हमारा लोकतान्त्रिक, सामाजिक जीवन होगा और सहकारिता इसका मूल आधार है लेकिन मैं सहकारिता के और विषयों को छोड़कर हमारे जो शोषित, पीड़ित, दलित, साधनहीन लोगों के लिये जो इसका आर्थिक महत्व है उसके सम्बन्ध में ही कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मुझे इसमें कहने में कतई संकोच नहीं है कि आज भी सहकारी आन्दोलन जितना गरीब के पास, साधनहीन के पास, दलित और पीड़ित के पास पहुंचा है उतना कोई कर्ज देने वाली संस्था चाहे वह राष्ट्रीयकृत बैंक हो या कोई और हो नहीं पहुंच पाया है। यह हमारे रोज का अनुभव है कि जब राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा जाता है कि

(श्री नत्थी सिंह)

आप फसली ऋण दो, सब कन्नी काट जाते हैं। वे तो केवल उसमें दिलचस्पी रखते हैं कि ट्रैक्टर का लोन दे दें, पम्पिंग सैट का लोन दे दें, मशीन का लोन दे दें लेकिन जितना भी फसली ऋण गरीब को बीज के लिये, खाद के लिये और अपने और साधनों के लिये चाहिये वह केवल सहकारिता के माध्यम से ही गया है जितना गया है और वहीं पहुंचे हैं। यह बात सही है कि मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें हैं और जब वे इस देश में बोफोर्स और पनडुब्बी काण्ड जैसी चीजें घट गई तब तो आज चर्चा है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया हिन्दुस्तान में लेकिन फिर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सहकारिता में भी भ्रष्टाचार है लेकिन उसकी औसत कम इसलिये है कि उस पर हजारों आंखें होती हैं। भ्रष्टाचार वहीं ज्यादा होता है जहां आंख नहीं जाती, जहां देख नहीं पाते लेकिन यह जो भ्रष्टाचार होता है सहकारिता में वह हजारों आंखें देखती हैं इसलिये औसतन और इंस्टीट्यूशन्स से इसमें कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहकारी आन्दोलन में कमियां हैं और संयोग है या सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिला है सहकारी मंत्री बनने का जो सहकारी आन्दोलन से जुड़े रहे हैं तो मैं इन कमियों के विषय में कि इनको कैसे ठीक किया जाय, मंत्री महोदय से इस स्तर से कहूंगा कि आपने अनुभव भी किया है। अब देखिये कमियां जहां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो राज्य की दृष्टि का दोष है सहकारी आन्दोलन में बाधा, और राज्य की दृष्टि का दोष इसलिए है कि इसी राजस्थान में इस सहकारिता का इतना दुरुपयोग किया गया, 12 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए और सहारा किसका लिया गया—धारा 139 का। पूरी तरह गैर-कानूनी तौर पर। इसको चैलेन्ज भी करवाया गया था पर चैलेन्ज हमने एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया जो सत्ता पक्ष में सम्बन्धित था और इसको वापिस दबा दिया गया इसलिए अदालत में इसका टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरी मान्यता है कि धारा 139 की कतई मन्शा नहीं है कि आप चुनाव सम्बन्धी नियमों में कोई छूट दे दें, एक क्रम इन संस्थाओं को भंग कर दें और 12 वर्ष तक उनका चुनाव नहीं करायें जब कि एक वर्ष में चुनाव होना चाहिए।

अब मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, चुनाव भी हुए राजस्थान में तो आधे अधूरे मन से। अभी हमारे मित्र परसादीलाल जी कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री जी, अगर प्रधान मंत्री जी की स्तुति नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : कटेंगे तो भी हम तो स्तुति ही करेंगे।

श्री नत्थी सिंह : आप तो स्तुतिवाचक हो, मुझे कोई एतराज नहीं है पर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जनतान्त्रिक प्रणाली को आप जिन्दा रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि जनतन्त्र के जो नीचे के आधार हैं उनके साथ खिलवाड़ न हो। इस प्रदेश में पंचायती राज के साथ खिलवाड़ हुआ, 13 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए, 7 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए। इस प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, 12 वर्ष तक चुनाव

(श्री नत्थी सिंह)

नहीं हुए और चुनाव हुए भी हैं पर आज तक आपने सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये।

मैंने इसी सत्र में, सभापति महोदय, एक प्रश्न रखा था और उस प्रश्न का जवाब मुझे थोड़े दिन पहले मिला। कितना लचर जवाब दिया मैंने कहा आपने प्राइमरी को-आपरेटिव्ज के चुनाव करा दिये, आपने केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा दिये, आपने शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव क्यों नहीं कराये ? तो जवाब सुनिये, कितना बढ़िया जवाब है—जी हां, प्राथमिक सहकारी समितियों और शीर्ष सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम एक साथ ही अक्टूबर, 1986 में जारी किया था पर कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए न्यायालय से स्थगन आदेश आये और अलग-अलग समय पर चुनाव होने से सम्पूर्ण निर्वाचक सभा नहीं बनने के कारण शीर्ष संस्थाओं के चुनाव अभी तक नहीं कराये जा सके। इसी बीच प्राथमिक सहकारी समितियां अपने कार्यकाल का दो तिहाई समय पूरा कर चुकी हैं अतः उनके आधार पर शीर्ष संस्थाओं का चुनाव तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है और अधिकांश सहकारी संस्थाओं के चुनाव होकर नई समितियां बनती हैं उनके हिसाब से शीर्ष संस्थाओं का स्वरूप नहीं रहेगा अतः इस विषय से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है कि चुनाव करा लें और इसके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसके बाद हो सकेगी।

सभापति महोदय, कितना बढ़िया जवाब है। आप चुने हुए रिप्रजेंटेटिव नहीं लेंगे लेकिन आपके सरकारी अफसर आज एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं वह जनता के रिप्रजेंटेटिव हैं ? यह जवाब आपने दे कैसे दिया, आप देखें तो सही। सरकारी अफसर जो आज बैठे हैं वह क्या रिप्रजेटेटिव हैं ? और वह कह दें कि चुनाव नहीं करायेंगे। मैं कहता हूं कि बाई-इलेक्शन होते हैं ना, संविधान में पार्लियामेंट की एक सीट खाली हो जाय, असेम्बली की हो जाय। कभी यह तर्क दिया गया कि नहीं साहब, इनका कार्य-काल कम हो जाएगा, चुनाव नहीं कराये जाएंगे। मैं कहता हूं जितना भी समय रह गया है इनका चुनाव कराइये और चुनाव कराने के बाद ही वह रिप्रजेंटेटिव संस्था रहेगी। आप तो जानते हैं सरकार ने, रजिस्ट्रार ने संशोधन किया है कि कोई अध्यक्ष को आने की जरूरत नहीं है। कोई भी संस्था का सदस्य, प्रतिनिधि बनकर आ सकता है इसलिए यह कहना कि रिप्रजेंटेटिव नहीं है, कतई गलत है। यह बड़ी लचर दलील है। यह दिखाता है जनतांत्रिक मूल्यों में हमारी निष्ठा का अभाव। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस किसी ने आपसे यह जवाब दिलवाया है उससे दुबारा बात करिये और मैं चाहूंगा कि आप शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनावों की घोषणा करिये। तभी हम मानेंगे कि निश्चित रूप से लोकतंत्र में आपकी निष्ठा है। ठीक है, अभी कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने पंचायती राज के लिए घोषणा कर दी और नगरपालिकाओं के लिए भी और को-ऑपरेटिव की कर रहे हैं।

(श्री नत्थी सिंह)

इस साल में तो नये-नये विचार और सुझाव आयेंगे।

(3.15 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति पदासीन)

यह साल तो एक महत्वपूर्ण साल है लेकिन आगे रहेंगे या नहीं ? इसलिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए चुनाव विभाग नहीं बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराये जायें समय पर। किसी भी हालत में चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिए। यह व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। वह आज नहीं है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इसीलिए तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को दे देंगे।

श्री नत्थी सिंह : चार साल बाद होश आया है और अगली बार वह रहेंगे नहीं। आप चिन्ता क्यों करते हो, हम ही आयेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आप भी सहकारिता में रहे हैं और हम और आप और मंत्रीजी साथ-साथ रहे हैं, हमको अनुभव है। रजिस्ट्रार को कितनी शक्ति दे दी ? दुनियां के किसी कानून में इतनी शक्ति किसी को नहीं दी गई है और हम कहते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं, उसकी शक्ति को मानते हैं वहां भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन अलग-अलग शक्तियां हैं लेकिन इस को-ऑपरेटिव कानून में एक ही शक्ति है उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु और उसी में महेश है यानि जनक भी रजिस्ट्रार और पालनकर्ता और संहारक भी रजिस्ट्रार। इस तरह का प्रावधान जो दिया गया है वह बहुत गलत है। चुनाव आधा अधूरा हो गया है आपका। क्या हो रहा है, आप आये दिन अखबार में पढ़ते होंगे इस अध्यक्ष को धारा 36 का नोटिस दे दिया। आठ-दस नोटिस तो मैंने देखे हैं। किस बात के दिये जा रहे हैं ? चुनाव कराने के बाद हमारा नजरिया, सोच, विचार नहीं बदला। चुनाव में जो लोग आ गये हैं उनको काम करने दीजिए। गलती करते हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। अधिकांश नोटिस इस बात पर दिये गये हैं कि हमने अमुक व्यक्ति को, सरकारी अधिकारी को प्रबन्ध संचालक बना कर भेजा, अध्यक्ष ने लेने से इन्कार कर दिया और धारा 36 का नोटिस दे दिया। इनके बाइ-लॉज में लिखा हुआ है प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति रजिस्ट्रार की सहमति से वहां का संचालक मण्डल करेगा। यह बात तो तब आती जब संचालक मण्डल ने कोई नाम भेजा होता, पैनल भेजा होता और तब मना कर दिया होता तभी तो वह अध्यक्ष, वह संचालक मण्डल कह रहा है कि यह आदमी हमें नहीं चाहिए और आप थोप रहे हो उस पर जबरदस्ती कि यह आदमी लीजिए। नहीं लोगे तो धारा 36 की तलवार लटका देंगे। मैं कहता हूं मंत्रिवर, सारे कानून को बदलने की जरूरत है। जब यह कानून बना था, संयोग से मैं उस वक्त सदन का सदस्य था और माननीय मथुरादास जी माथुर मन्त्री थे। मैंने तब भी कहा था कि धारा 36 का सारा असर, सारे अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं, ट्रिब्यूनल को होने चाहिए। रजिस्ट्रार तो अभियोजन करता है, वह तो शिकायत करता है वही एक्शन लेता है और वही फैसला करेगा ?

(श्री नत्थी सिंह)

ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। इसलिए धारा 36 और 34 में चाहे जिसको हटा दिया जाता है इन दोनों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार अभियोजन करे लेकिन उसका फैसला और सुनवाई केवल न्यायाधीशगण को करनी चाहिए और किसी को नहीं तब तो चलेगा थोड़ा बहुत और नहीं तो आज भी हम सब कान पकड़ी छेली बने हुए हैं रजिस्ट्रार चाहे जैसे उठक-बैठक कर दे और जितना हम नीचे के स्तर पर अधिकारियों के पास जाते हैं उतना ही हमें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए सारे कानून में रजिस्ट्रार की पावर, संस्था के साथ किस प्रकार के होने चाहिए। धारा 139 का जो भारी दुरुपयोग हुआ है राजस्थान में यह सब कैसे बन्द हो इस सब पर आपको एक कमेटी बैठा कर विचार करना चाहिए और संशोधन करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं जहां गड़बड़ी हो वहां पर काम करो परन्तु 12 साल तक आपने सरकारीकरण किया। बारह साल में बैंकों की वसूली कम हुई, बैंकों का ऋण वितरण कम हुआ। बैंकों में खर्चा अधिक बढ़ गया पर आपने किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ धारा 73 का केस रजिस्टर किया क्या एक का भी? मैं चाहता हूं मंत्री महोदय, इस बात की जांच कराए। बारह वर्ष में जो गड़बड़ियां हुई, जो सरकारी अधिकारी सहकारी विभाग के थे जब कलेक्टर थे चैयरमैन या प्रशासक तब आपने किसी ने देखा कि गड़बड़ियां नहीं हुई? किसी ने नहीं।

सभापति महोदय, आपके जरिए मैं एक ऐसे प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिये, सहकारी संस्थाओं को सही रूप से चलाने के लिये सहकारी अधिनियम में प्रावधान है। सहकारिता की सर्वोच्च संस्था है वहां की साधारण सभा। सारा मामला कार्यक्रम से लेकर बजट तक का साधारण सभा के सामने लाया जाना चाहिये। इन 12 वर्षों में, मैं माननीय मंत्री महोदय कहना चाहता हूं, आप जांच करें, अनेक केन्द्रीय सहकारी बैंकों की साधारण सभा बिल्कुल नहीं हुई। सारे काम करते रहे, विभाग ने यह नहीं पूछा। साधारण सभा कह रही है, किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। सारे बजट वैसे ही चलते रहे जो गैर-कानूनी है मेरे अनुसार। तो क्यों नहीं किया गया, मैं कहना चाहता हूं आप करिये इसके लिये कौन जिम्मेदार थे। अगर सहकारी विभाग अपने अधिकारियों से कानून की पालना नहीं करा रहा है तो दूसरों से कैसे करायेगा? सहकारी अधिनियम में यह प्रावधान है धारा 30 और 31 में अगर कोई साधारण सभा नहीं बुलाता है तो जिसकी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ स्वयं रजिस्ट्रार नोटिस देकर साधारण सभा बुलायेगा, उसका सारा खर्चा उनसे वसूल करेगा। एक के खिलाफ भी नहीं हुआ। क्यों? आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने अधिकारियों की तरफ आप आंख भी नहीं उठा कर देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं भरतपुर का। अफसरों को बख्शने का, छूट

(श्री नत्थी सिंह)

देने का जो सोच है उसको बदला जाना चाहिये। भरतपुर का चुनाव बड़ी मुश्किल से हुआ। सरकार ने तो हटा दिया, जनहित में हमारे चुनाव नहीं होने चाहिये। फिर भी हम हाई कोर्ट में चले गये। सबसे बाद में हमारे चुनाव हाई कोर्ट से हुए।

एक माननीय सदस्य : सबसे बाद में तो हमारा हुआ।

श्री नत्थी सिंह : ठीक है, मानता हूं, मैं संशोधन करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं....

श्री सी. पी. जोशी : अच्छा रहा सबसे बाद में आपका हुआ, ठीक रहा। आपके अनुभव का लाभ हमको मिल सके इसलिये।

श्री नत्थी सिंह : अच्छा। मैं आपसे कहना चाहता हूं हुआ। उस चुनाव के समय सरकारी अधिकारियों का क्या रवैया रहा इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। क्या फैसला है ? एक वहां उप रजिस्ट्रार हैं जिसका मैंने कटमोशन भी दिया है, सवाल भी किया था। सभापति महोदय, फैसले के कुछ अंश पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने जो वोटर सूची बन गई, क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष मतदाता हो गये, उसको हटा दिया। बिना सुने हटा दिया। दूसरा अपने मन से किसी अन्य आदमी को नोमीनेट कर दिया, संचालक मण्डल फोर्स में नहीं था। हाई कोर्ट में गये वह। हाई कोर्ट ने कहा—

The present one is a case where elected Chairman has been deprived of the office without a fundamental compliance of these principles. We are shocked and surprised that this can happen in 1987, and whether the authority who passed the order was treating it as 1787 instead of 1987 looking two hundred years back."

इतना ही नहीं है।

"The fact that this has happend for an elective office is still more shocking. It should be known that a person who holds an elected office, represents certain constituency and it is after the election process that he is given such responsibility. Depriving him from that is a case of double jeopardy."

"The present case is of malafides where the petitioner who was to cast his vote in the elections as a voter has been deprived of that and the election process was sought to be rigged, which makes the situation worse. We feel that the words, which we have used are not strong enough to deal with the present situation."

और अन्त में कहा है, "In election process, fairness is the bedrock...."

(श्री नत्थी सिंह)

अन्त में कहा है कि यह सारा का सारा मामला मैलाफाइड का है इसलिये हम उनके फैसले को रद्द करते हैं। उसके बाद मैंने सवाल किया, पत्र द्वारा मन्त्रीजी के नोटिस में लाया, तत्कालीन रजिस्ट्रार के नोटिस में लाया, असेम्बली में सवाल रखा। लीवरेज दिया गया। क्योंकि किसी का तो फेवर किया होगा इलेक्शन के मामले में, हमारे तो खिलाफ ही होगा। इसलिये उसको प्रोटक्शन देना है। तो वह हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार श्री गोकुलसिंह परमार हैं। उसके बाद उनको यह मौका दिया गया आप जाइये, हाई कोर्ट में इसको एग्जूनरेट करवाइये। हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने फैसला नहीं बदला। उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए यह कहा कि इनके कंडक्ट के विषय में सरकार और रजिस्ट्रार जांच कराये। मैंने एक सवाल अभी उठाया था इनकी अनियमितताओं के सम्बन्ध में और इनकी शिकायतों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। जवाब मिला है मुझे लिखित में उसमें कहा गया है, "उप पंजीयक सहकारी समिति भरतपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने विभाग को प्राथमिक विवरण...." उस विवरण में यह जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हाई कोर्ट ने चाहा है कि सरकार और रजिस्ट्रार करे उसका विवरण कहीं नहीं है उनकी अनियमितताओं का। और है, यहां से पैसे ले लिये, वहां से पैसे ले लिये, वह भी जोइंट रजिस्ट्रार को भेज दिया। मेरा कहना है, ऐसी शिकायतों की जांच के लिये हैड ऑफिस में सेल होना चाहिये। जोइंट रजिस्ट्रार की भी मजबूरी है। रोज वहीं बैठना, रोज वहीं उठना, क्या करें, कब-कब तक सजा दे उस आदमी को। इसलिए हैड ऑफिस में होना चाहिये सैल, जो ऐसी शिकायतों की तुरन्त जांच करे और तुरन्त प्रभावी रूप से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय। तब तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा और तभी शुद्धिकरण आयेगा।

अब सरकारी समिति सुदृढ़ कैसे बने। कल कृषि मंत्रीजी कह रही थीं, हमारे सहकारिता सचिव हैं, वह कृषि सचिव भी हैं, उनकी भी योजना है, फार्म प्लान बने। कृषि मंत्री भी कहती हैं हरेक को समय पर बीज दिला देंगे, हरेक को समय पर खाद का इन्तजाम कर देंगे। कैसे दिला देंगे ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिये नहीं आ रहा है कि 26 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं उनमें से 11 बैंक ऐसे हैं, सभापति महोदय, जिनको साख सीमा नहीं मिली है नाबार्ड से। उनको साख सीमा अपेक्स बैंक दे। ताकि वह कुछ काम करें। जो चाहा जा रहा है, 16 जिले छांटे गये हैं हमारे विशेष उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उनमें यह सुविधा नहीं मिल सकती आज की तारीख में। कारण क्या हैं उसके ? अब शीर्ष सहकारी बैंक अपने फण्ड दे यह मान लिया तब भी साढ़े सात पर्सेन्ट से ज्यादा ब्याज सी. सी. बीज नहीं ले सकती। यह कानून बना दिया। यहां से अपेक्स बैंक ने कह दिया साढ़े सात पर्सेन्ट तो हम ही लेंगे आप से। क्या वह जीरो पर काम करेंगे ? वह बैंक कैसे चलेंगे। बन्द होंगे। भुगत रहे हैं, मैं खुद भुगत रहा हूं इसलिये कह रहा हूं। यह स्थिति आई क्यों ? मैं कहना चाहता हूं। एक बात बहुत कही जाती है।

(श्री नत्थी सिंह)

हमारे देश में एक बात चली है और सही चली है। जनता दल का मैं सदस्य हूं और हमारे जनता दल का यह चुनाव घोषणा पत्र है कि जो गरीब, शोषित, पीड़ित, अक्षम लोग हैं, दस हजार तक के हम कर्जे माफ करेंगे। जब कभी यह बात उठती है तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं यह बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, बड़ी गड़बड़ी का काम कर रहे हैं। अच्छा, हम तो कर रहे हैं, आपने क्या किया? इन बैंकों की जो दुर्व्यवस्था आज है उसके पीछे राज की गलत नीयत, गलत दृष्टि है। कैसे? यह तो हमारे जनता दल की बात तो आपने कह दी लेकिन मैं कहना चाहता हूं, रिजर्व बैंक ने ओवर ड्यूज के लिए कमेटी बनाई थी उसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट यह थी कि जिस प्रदेश में तीन साल लगातार अकाल पड़े वहां का सीमान्त कृषक, वहां का लघु कृषक अक्षम हो जाता है, इस स्थिति में नहीं रहता है कि वह अपने ऋण की अदायगी कर सके और जिस प्रदेश में चार साल तक लगातार अकाल पड़े वहां के पूरे के पूरे किसान अक्षम हो जाते हैं, वह अपने ऋण की अदायगी नहीं कर सकते। इसलिये राज्य सरकार का दायित्व है कि वहां पर पूरे के पूरे ऋण माफ किये जायं। राजस्थान में चार साल से अकाल पड़ा है, हमारी लोकप्रिय सरकार, किसान, मजदूर हितैषी सरकार ने एक कदम नहीं उठाया इस विषय में कि इन ऋणों को माफ करे। इतना ही नहीं, मैंने इस सदन में सवाल उठाया था कि जहां लगातार अकाल पड़ रहा है वहां उनका कम से कम इन सालों का ब्याज तो माफ कर दें। तो कह दिया कि नहीं, हमारे पास साधन नहीं हैं, इस बात पर अभी विचार ही नहीं कर रहे। साधन आपके पास कब आयेंगे, कैसे आयेंगे। मैं कहना चाहता हूं, साधन लाने के लिये आपकी नीति दोषी है और नीति इसलिये दोषी है, आज ग्राम पर, खेती पर, किसान पर 17 पर्सेन्ट खर्चा पूरे हिन्दुस्तान के, पूरे राजस्थान के बजट का है। हम कहते हैं जब तक 50 फीसदी केन्द्र का, राजस्थान का बजट ग्रामीण विकास में, खेती के विकास में नहीं लगेगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए आप नीति को बदलिये। नीति बदलने के लिये इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिये इस तरह की बातों को पूरा कीजिये। आज हालत क्या है, ओवर ड्यूज बढ़ गये। आप भी जानते होंगे, माननीय सभापति महोदय, नतीजा यह हुआ है जो पैसा वसूल होकर जाता है, मूलधन किसान देता है, सदस्य देता है, सारा का सारा ओवर ड्यूज के इन्ट्रेस्ट में जमा कर लिया जाता है। नतीजा यह हुआ कि इम्बैलेंसेज बढ़ रहे हैं। बैंक चाहते हैं हमारा इतना रुपया है। सहकारी समितियों को सदस्यों से रुपया लेना नहीं। अकेले भरतपुर में चार करोड़ 53 लाख का इम्बैलेन्स है। इस तरह करोड़ों रुपये के इम्बैलेन्सेज पूरे राजस्थान में हैं। यह कैसे दूर हों? इसके लिए सरकार को सामने आना पड़ेगा। सरकार भारत सरकार से बात करे। सरकार नाबार्ड से बात करे। यह इम्बैलेन्सेज हटने चाहिये। यह इम्बैलेंसेज कहा है, यह ब्याज पर ब्याज लगाते चले गये हैं, रुपया देना ही नहीं किसी को। गबन कर लिया लोगों ने। धारा 74 के तहत आपने फैसला दे दिया फिर भी उस

(श्री नत्थी सिंह)

पर ब्याज लगा रहे हैं। सदस्यों के मूलधन को ब्याज में जमा करा रहे हैं। आपने एक आदेश निकाला कि भाई, इसको क और ख के नाम पर खातों में लगा दो। हमने कहा, उनका ब्याज बन्द करो। अब उपचार शुरू हुआ। लेकिन हमने तो कर दिया, सी.सी.डी. ने लेकिन अपेक्स बैंक बन्द नहीं करे क्योंकि उनको नाबार्ड नहीं करता है। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? वह तो और नुकसान में जायेगा। सरकार को हिम्मत के साथ ऐसे विषयों पर फैसला लेना होगा और फैसला लेकर इन बीमारियों को दूर करना होगा। सरकार केवल पेट देखकर अपने दायित्व से मुकर नहीं नहीं सकती है। इस तरह की एक बात मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय। पिछली बार इस प्रदेश में एक थोड़ी सी सुविधा मिली थी किसानों को और वह थी फसल बीमा योजना की। पूरी फसल का बीमा नहीं वह दो हजार तक का जो ऋण लेते हैं उनकी फसल बीमा योजना थी। उसमें एक तिहाई केवल राज्य सरकार को देना पड़ता था। कई करोड़ रुपये राजस्थान के किसानों को उससे फायदा हुआ लेकिन हमारी सरकार ने इस योजना को यह कह कर बन्द कर दिया कि 8 करोड़ रुपया नहीं है। जबकि 2/3 भारत सरकार देती थी। तो फिर आप कैसे दावा करते हो कि हम किसान, मजदूर के हित चिन्तक हैं। कतई नहीं है। आप केवल वाणी से उनका पोषण करना चाहते हैं कर्म से नहीं। इसलिए कर्म और वाणी का अन्तर मिटाइये, कथनी और करनी का अन्तर मिटाइये। मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगा और निश्चित रूप से यह फसल बीमा योजना केवल कर्जे के लिए नहीं किसान की पूरी फसलों के लिए लागू होनी चाहिए और उसका दायित्व आपको लेना चाहिए। सबसे दीनहीन, साधनहीन को यदि आप सुरक्षा नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा इस देश में। इसलिए यह स्थिति नहीं बदलेगी तो काम चलेगा नहीं।

दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता था, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि भई यह हड़ताल हो गई। ठीक बात है उनकी मांग थी व्यवस्थापकों की कि हमको बैंक का कर्मचारी बनाया जाय और उनके समकक्ष वेतन दिया जाय। बैंकों की मीटिंग मंत्रीजी ने बुलवायी उसमें विचार हुआ। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है? आज भी जो व्यवस्थापक हैं उनको वेतन देने में सहकारी बैंक तो मरे पड़े हैं, अकेले भरतपुर बैंक 86 लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट लिए चुका रहा है, सवा सोलह पर्सेण्ट ब्याज देता है अपेक्स बैंक को। इसके लिए जरूरी है उनको वेतन भी ठीक मिले। सहकारी समितियां चलानी है तो उनके वेतन स्तर को सुधारना चाहिए। आज केवल आथोरिटी बैंक बना दिया, उनके पास कुछ नहीं है, केवल नाम की है। उस 12 साल के कार्यकाल में एक मे चार-चार व्यवस्थापक एक ही क्रम में बर्खास्त कर दिये। हाई कोर्ट से, लेबर कोर्ट से फैसला आ रहा है एक-एक लाख रुपया एरियर्स का मांग रहे हैं। वह कहां से देंगे। इसलिए मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा, सरकार को खुद और भारत सरकार को यह फैसला करना होगा कि उनके वेतन सुधारें और जितना सुधार हो उसका आधा वेतन राज्य सरकार

(श्री नत्थी सिंह)

भारत सरकार की मदद से भेंट करें। आधे वेतन में सी. सी. बी., ग्राम सेवा सहकारी समिति, अपेक्स बैंक और नाबार्ड का हिस्सा होना चाहिए। यह जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हालत सुधरेगी नहीं। आपने किया क्या है अब तक ? आज तक हालत यह हो रही है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे को-आपरेटिव आँफिसर थे, कमिश्नर थे, रजिस्ट्रार भी थे, राज गोपाल साहब, वह सुधारना तो चाहते थे, चुने हुए प्रतिनिधियों को पर उसमें सुधारते-सुधारते उन्होंने एक आॅर्डर कर दिया और सब कुछ बना दिया व्यवस्थापक को, बस्ता भी उसके पास रहेगा और आज स्थिति यह हो गयी कि प्रबन्धकारियों का कोई कण्ट्रोल नहीं है। आज भी व्यवस्थापक प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष को ही हटा देता है। इस सारे में सुधार की जरूरत है निश्चित रूप से और सुधार नहीं लायेंगे तो स्थिति नहीं बदलेगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसान को, सदस्य को सुविधा कब मिलेगी ? जब उसकी उपज का सही मूल्य मिले और राजस्थान में चाहे पूरे हिन्दुस्तान में जो एक कल्पना की गई थी कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियां जो बनेगी वह इसलिए बनेंगी कि किसान का माल लेकर के और उनको कर्जा देंगी 65 पर्सेण्ट तक उनकी उपज पर और जब भाव अच्छे होंगे तब शेष 35 पर्सेण्ट का करेंगे आज कोई सहकारी समिति राजस्थान में क्रय-विक्रय की यह काम नहीं कर रही हैं सिर्फ खाद के ऊपर जिन्दा हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नत्थी सिंह : पांच मिनट और। अभी हमारे कृषि मंत्री महोदय, भारत सरकार ने कहा कि हम परीक्षण के तौर पर कुछ जिलों को लेंगे। राजस्थान जब पिछड़ा प्रदेश है क्यों नहीं पूरे के पूरे राजस्थान में योजना लागू की जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर के विषय में कहा कि जो कमजोर बैंक हैं उनको सुदृढ़ कैसे किया जाय। चार बैंकों के मामले आपके पास गये उनमें अजमेर के साथ भरतपुर भी है। आपने कहा है सवाल के जवाब में कि हमने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। पर सभापति महोदय, जैसे हम भरतपुर के पानी के बारे में और क्षार के बारे से कहें, केवल सिद्धान्ततः स्वीकार करने मे और केवल मीठे वचनों से तो तृप्ति होगी नहीं। आपको तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आर्थिक प्रावधान करना पड़ेगा, उनको सही लाइन पर लाना पड़ेगा। नहीं तो किसान से जो आप उपज बढ़ाना चाहते हो और तो कोई उसे देता नहीं और सहकारी संस्था भी सक्षम नहीं रहेगी, वह भी दे नहीं पायेगी किसान को तो आखिरकार वह अपनी फसल बढ़ाने के लिए ऋण कहां से लायेगा। इसलिए जरूरी है कि इसको आप करें।

इसके साथ-साथ दो-तीन बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी यहां पर एक सवाल उठा था, ग्राम सेवा सहकारी समिति को एक बार जबर्दस्ती जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अधिकार हैं रजिस्ट्रार को। दो तरह का प्रावधान है, कानून में। एक तो वह स्वेच्छा से अमलगमेशन हो एक दूसरे से मिले और एक है स्वेच्छा आपकी नहीं है।

(श्री नत्थी सिंह)

तो रजिस्ट्रार अपने आर्डर से अमालगमेट कर देगा इससे अच्छी सोसाइटी भी बुरी होगी, बिगड़ेगी। आज दो-दो, तीन-तीन पंचायतों में एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसका कैसे काम चलेगा। यह जरूरी है जैसा आपने एक घोषणा भी की है कि एक ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति को रखिये लेकिन उसके साथ-साथ मेवाड़ में 12 सूत्री प्रोग्राम बनाया है वहां भी देखिये, वे कहते हैं कि तीन लाख की सोसाइटी को वाइबल मानेंगे। अभी तो हैं ही नहीं। 50 हजार तक के आप व्यवस्थापक को देते हो उससे नीचे नहीं। इसलिए इसको भी रिवाइज कराइये, एक लाख से ज्यादा अभी राजस्थान की स्थिति नहीं है, एक लाख का लेन-देन अगर कोई सोसाइटी करती है तो उसको वाइबल माना जाना चाहिए और उसके आधार पर यदि तीन लाख कर दिया तो मूवमेण्ट ठप्प हो जायेगा। एक और बात चल रही है आज कल, चर्चा। चर्चा क्या चल रही है, सभापति महोदय, मैं, हम सब, सब सहकारी आन्दोलन में थे, राजस्थान भूमि विकास बैंक में थे, राजस्थान शीर्ष सहकारी बैंक में भी थे, बड़े जोर से चर्चा चली थी कि लोंग टर्म और शोर्ट टर्म इस सबको एक बार दिया जाय। उस वक्त स्वर्गीय दांते साहब जिन्दा थे, वे उस विचार के पीछे थे, उनसे हमारी बहुत बहस हुई, अनेक बार नहीं बीसियों बार बहस हुई, कमेटी बनी, मीटिंग हुई और फैसला हुआ नहीं। उससे नुकसान होगा अगर यह कर दिया, एक ही यदि ट्रेक्टर का लोन दे दिया तो वह सहकारी समिति डूब जायेगी। तो जल्दी मत करिये। आप शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा नहीं रहे हैं, वहां चुने हुए प्रतिनिधि को पूछ नहीं रहे और लोंग टर्म, शोर्ट टर्म को आप एक कर दें तो मेस हो जायेगा, गड़बड़ी हो जायेगी इसलिए धीरे से सोचिये, ठण्डक से सोचिये, चुनाव करवाइये, चुने हुए प्रतिनिधि से विचार-विमर्श कीजिये तब ही इस पर विचार करिये इससे पहले जल्दी में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिये।....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक बात मैं और कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। हां, यह जो आप करना चाहते हैं। आपने कैफ्किार्ड की योजना बनायी है। कैफ्किार्ड की सोसाइटियों में आपने यह सुविधा दी है कि शॉर्ट टर्म के साथ लोंग टर्म लोन भी देंगे पर उस कैफ्किार्ड सोसाइटी को मजबूत तो बनायें आप। आप तो 10 हजार की सब्सिडी दे करके दूर हो जाते हैं। एक सहायक को 10 हजार की सब्सिडी दे देंगे उससे काम नहीं चलेगा। कैफ्किार्ड सोसाइटी के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे ग्राम का बैंक हो जायेगा, मिनी बैंक का एक विचार है और मिनी बैंक का मुख्य काम है वह वहां डिपोजिट्स भी रखते हैं लेकिन अभी उनकी स्थिति नहीं है। तो उनको मजबूत किया जाय।

दूसरा, जो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है, ऑडिट की, यह ऑडिट सिस्टम इतना खराब है, इस सहकारिता के ऑडिट सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे मालूम है 10-10 साल से एक ऑडिटर एक ही सोसाइटी में बैठा है। मैं ऐसे केसेज जानता हूं। जहां ऑडिटर ने और व्यवस्थापक ने मिलकर एक-एक सोसाइटी में

(श्री नत्थी सिंह)

10-10 खाते अपलोपित कर दिये, 10 खाते ही नहीं है इससे तो वह अपने आप ही डूब जायेगी संस्था। एक साल में दो खाते गये और हर साल ऑडिट होता है, ऑडिटर हर साल ऑडिट करके सही कर देता है लेकिन बैंक के अधिकारी को कागज नहीं मिलते इसलिए ऑडिट सिस्टम बनायें। एक ऑडिटर किसी भी हालत में 2 वर्ष से ज्यादा नहीं है उनका ग्रुप होना चाहिए तीन-तीन, चार-चार आदमियों का जो निरन्तर बदल-बदल कर को-आपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करें, वही ऑडिट नहीं करते रहे। जब तक सुधार नहीं आयेगा जब तक गलतियां नहीं पकड़ी जायेगी और उसके साथ धारा 73 के केसेज....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बस एक बात मैं कहूंगा, धारा 73 के हजारों केसेज जो पड़े हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र कराइये, ज्यादा स्टाफ लगाइये। इतने दिनों से लाखों और करोड़ों के गबन घोटाले के जो मामले हैं, पड़े हैं चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक फैसला होता नहीं, तारीख बदली जाती हैं और उस पर हमारा ब्याज बढ़ता चला जाता है। इसको दूर करिये। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून में संशोधन करिये और यह जो आपने 47 करोड़ 8 लाख 50 हजार की अनुदान की मांग की है वह बिल्कुल नाकामी है। मैंने जो बातें कही हैं.... (व्यवधान) उनको पूरा करना चाहिये नहीं तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। यह आपकी तनख्वाह में और रुटीन के मामले में चला जायेगा इसलिए उसको बढ़ाइये और लड़िये मंत्रिमण्डल में कि यह बहुत कम है। इस सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए, बैंक को मजबूत बनाने के लिए जो हमारी क्रय-विक्रय सोसाइटी है वह सक्षम बनेगी, इससे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए इसको आप बिल्कुल बदलियेगा और ज्यादा प्रावधान करिये ताकि धन के अभाव में सहकारी आन्दोलन पंगु नहीं हो। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुरुष एक हाथ से बजाते हैं ताली और महिलाएं....

श्री हरिमोहन शर्मा : आप कर दो ना यह काम पूरा।

श्री अश्क अली टाक : आप इसमें सहयोग दो ना।

श्री सभापति : पुरुष एक हाथ से बजाते हैं व महिलाएं दो हाथ से बजाती हैं क्या बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप एक हाथ से बजा कर बता दो। मैं चैलेन्ज करती हूं कि आप एक हाथ से बजा कर बता दो।

श्री पी. पी. जोशी : महिला पान खाकर आयी है और भाषण भी दे रही है। (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, आपने गलत इन्टरप्रेट किया है, यह महिलाओं में से पुरुष हैं।

श्री सभापति : मुझे भी ऐसा ही लगता है। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : मैं सहकारिता की मांग पर अपने विचार सदन के के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का एक अपना सिद्धांत रहा है और सिद्धांतों के आधार पर ही कांग्रेस चलती है। कामरेड हैं, चीन का ख्याल आ गया होगा, कोई सिद्धांत नहीं है, वैसे ही मार दिया।

श्री सभापति : इसीलिये चल दिये यह।

श्री डूंगरराम पंवार : कांग्रेस का शुद्ध उच्चारण करो, कांगारेस।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रजातंत्रीय समाजवाद लाना कांग्रेस का मूल सिद्धान्त रहा है और उस सिद्धांत की स्थापना, मैं चाहता हूं कि उस सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए इस देश में समाजवाद कैसे आये, समाजवाद की स्थापना कैसे हो, समाजवाद के सिद्धान्तों के आधार पर गरीब से गरीब तबके तक, जन-जन तक हम कैसे पहुंचें और उनको कैसे लाभ पहुंचायें, इसीलिये कांग्रेस ने यह एक सहकारिता का माध्यम चुना है। हिन्दुस्तान की एक अपनी संस्कृति रही है और दुनियां को एक गुरु के रूप में हमने हमेशा शिक्षा और दीक्षा दी है और इसीलिये—"उदारचरितानाम् वसुधैव कुटुम्बकम्" यह सारा संसार एक है, उदार चरित्र वालों के लिये यह सारा देश एक है, उस सिद्धान्त के आधार पर और कांग्रेस के सिद्धाँतों के आधार पर हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके लिये भी हमने सहकारिता का एक माध्यम चुना है। जिन लोगों का न तो लोकतंत्र में विश्वास है, न प्रजातंत्र में विश्वास है, लेकिन प्रजातंत्रीय तरीके से चुन कर आने के बाद जो लोग प्रजातंत्रीय मूल्यों को समाप्त करना चाहते हैं और जो नेता जिन-जिन देशों से लगाव रखते हैं, जहां प्रजातंत्र की मांग करने पर गोलियों से भून दिया जाता है, अगर वह नेता प्रजातंत्र की बात समझायें, तो न उनके समझने की आवश्यकता है और न उनका विश्वास है। यह प्रजातंत्र की आड़ लेकर सदन में पहुंचते हैं इसलिये इनका जो डिक्टेटरशिप पर विश्वास है, यह उसी पर चलेंगे, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का शताब्दी वर्ष है।

श्री डूंगरराम पंवार : डिक्टेटरशिप से भी गया-गुजरा है, जो मुंह से कुछ कहे, शांति-शांति और इधर से गोलियां बरसावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पीछे बैठे-बैठे क्या कमेण्ट्री करते रहते हैं दिन भर।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इस देश को समाजवाद के सिद्धान्तों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस महामानव को अगर आज हम याद नहीं करेंगे, तो इस सहकारिता के इस विचार या बहस करना, मैं समझता हूं, अधूरा रह जायेगा। हिन्दुस्तान

(श्री हरिमोहन शर्मा)

में इस सहकारिता के क्षेत्र को जन-जन तक पहुंचाने के लिये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को दिशा दी, उन्होंने एक योजना दी और उन्हीं के कार्यकाल में यह सहकारिता के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करने के लिये हम सहकारिता के सिद्धान्त को जन-जन तक पहुंचा पाये। हम हमारे सिद्धान्तों की पूर्ति के लिये चाहते हैं कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले, किसान जो गांव का, दूर-दराज का रहने वाला है, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों को कैसे अपना जीवन यापन और अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिये, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिये किस प्रकार से ऋण को आसान तरीके से व्यवस्था करके उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायें ? हम हमारे सिद्धान्तों की पूर्ति के लिये चाहते थे कि किसान को किस प्रकार से उपज का पूरा मूल्य मिले, उसके लिये हमने क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना की, हमने सहकारिता बैंक की स्थापना की, हमने भूमि विकास बैंक की स्थापना की। ग्राम में रहने वाले उस गरीब तबके को निश्चित और निर्धारित दर पर, उचित मूल्य पर उपभोग में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति हो, यह हमारी पार्टी के सिद्धान्तों के अनुरूप हमने समाजवादी रास्ते को अपनाते हुए सहकारिता के माध्यम से निर्धारित दर पर उन लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का संकल्प लिया और इसी प्रकार हमने शहरी क्षेत्र में भी उस गरीब तबके के लोगों को ऋण की सुविधा करवाने के लिये, उनके लिए अपना धन्धा करने के लिए हमने अरबन बैंक की स्थापना की और अरबन को-ऑपरेटिव बैंक और अरबन बैंक के माध्यम से हमने जन-जन तक, जो पिछड़ी जनजाति है, उनको ऋण देने की व्यवस्था की। हम हमारी पार्टी के लक्ष्य के अनुसार सहकारिता के माध्यम से निरन्तर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मैं मेरे पूर्व वक्ता की इस बात से सहमत हूं कि सहकारिता आन्दोलन और सहकारिता के माध्यम से ही, यही एक ऐसा आन्दोलन है, जिससे हमने सबसे पहले गरीब के झोपड़े में दस्तक दी है। जहां विरोध पक्ष के माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं, निश्चित रूप से आमतौर पर विरोधी पक्ष किसी अच्छी बात को हमारे सदन में मानते नहीं हैं, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बात को भी माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य तो अच्छी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जनता दल के नत्थी सिंहजी अच्छी मान रहे हैं, तो हम यह मानते हैं कि हमने अच्छा किया है, इसलिये अच्छी मानते हैं, उनका प्रजातन्त्र में विश्वास है इसलिये अच्छा मानते हैं। और आपका डिक्टेटरशिप में विश्वास है, आपको अच्छी बात मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसलिये माननीय सभापति महोदय, यह निर्विवाद....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इसलिये कि यह भी अपनी पार्टी के ही हैं।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि कांग्रेस कल्चर के आदमी हैं, कांग्रेस कल्चर भी समाजवादी कल्चर है।

श्री शोपत सिंह : अभी उत्तरी कोरिया में गये थे आपके यूथ कल्चर वाले, देख लो कैसी है कांग्रेस की कल्चर ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : गरीब नहीं हैं, इसलिये नहीं मानते हैं।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : शोपत सिंहजी की पार्टी का तो न माई का पता, न बाप का पता, कहां की है, क्या नहीं पता नहीं है, इनकी पार्टी का।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इन बातों की हमने स्थापना की और इस सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से गरीब तक पहुंचाये, उसको आर्थिक सम्बल दें, समाजवाद की स्थापना करते हुए समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके उनको अपनी उपजा का उचित मूल्य दिलवाया, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाई, यह हमारा मूल लक्ष्य था, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। निस्संदेह सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने दो साल पहले सहकारिता की सभी संस्थाओं के और प्राथमिक स्तर पर करीब-करीब सभी समितियों के, बैंकों के चुनाव करवाये, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं और इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भी डेमोक्रैसी में और डेमोक्रैटिक सैटअप में पूरा विश्वास है, अगर आप इस आन्दोलन को और गति देना चाहते हैं, तो आपको निर्विवाद रूप से, निश्चित रूप से जो सैण्ट्रल सोसायटीज हैं, जो अपेक्स बैंक और जो राजफेड हैं और उपभोक्ता हैं और जो अन्य स्टेट लेवेल की सोसायटीज भी हैं, इनका निश्चित रूप से आपको चुनाव करवाना चाहिये, दो साल निकल गये। लेकिन इस तीसरे साल में भी मैं चाहूंगा कि यह अगर आपने इनके चुनाव करवा दिये, तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की गति और तेज होगी। मैं यह भी सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि गत बारह सालों में जिन-जिन संस्थाओं में प्रशासक बैठे हुए थे उनके कार्य करने के तरीके को आप देख लीजिये और आपने चुनाव करवाये हैं, उस चुनाव करवाने के बाद जो डेमोक्रैटिक सैटअप में इन बैंकों में पदाधिकारी बैठे हैं, आज तक इन संस्थाओं में बैठे हैं, उन 12 साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा और इन दो साल का अगर आप लेखा-जोखा देखेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि चुनाव के बाद इन संस्थाओं में पिछले दो सालों में जो डेमोक्रैटिक सैटअप से जो इलेक्टेड पर्सन और जन प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से उन संस्थाओं की ओर ध्यान दिया है और उनके प्रशासकों के काम करने के तरीके में और उनके काम करने के तरीके में स्पष्ट अन्तर आप अपने विभाग में देख सकते हैं। और उसके आधार पर आप शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। अनेक आरोप सहकारिता पर लगे हैं, भ्रष्टाचार, गबन और अन्य किसी भी प्रकार के आरोप लगे हैं, आरोप जितने लगे हैं, उतने हैं या नहीं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि सहकारिता में काम करने का जो सैटअप है, उसमें भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, उसके लिये माननीय मंत्री महोदय, आपने एक अभियान चलाया था। सरकार ने एक अभियान चलाया था, चौपाल पर इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके इस बात का पता लगाया था कि सहकारिता में कहां-कहां भ्रष्टाचार है और उनके दस्तावेजात तैयार किये गये, उन दस्तावेजात तैयार करने के बाद आज तक जिस गति से हमको भ्रष्टाचार को जो अंकुश लगा करके करना चाहिये था, मैं इस

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बात से सहमत हूं कि उस गति से काम नहीं किया गया और जिस भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाये थे, उनको रोकने के सक्रिय रूप से प्रयास नहीं किये गये, आडिट रिपोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ गबन के आरोप हैं, और इनके अलावा भी आपके उस अभियान में जिन लोगों के लिए आपने पता लगाया था, सरकार को सक्रिय होकर के तत्काल उनके खिलाफ काम करना चाहिये था, ताकि यह कानून साफ-सुथरा रह सके और इमानदार आदमियों को काम करने के लिए मनोबल बढ़े, उनको पारिश्रमिक मिले और अंकुश लगे....

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र में आपने अनेक कारखाने लगाये और सहकारी क्षेत्र में जो कारखाने आपने लगाये, जिस समय आपने लगाये थे उस समय जो आपका उद्देश्य था, उन उद्देश्यों की पूर्ति क्या इन कारखानों के द्वारा की जा रही है ? क्या जो उद्देश्य सहकारी विभाग के थे उनके अनुसार ये कारखाने चल रहे हैं और अगर नहीं चल रहे हैं तो इनके क्या कारण हैं ? चाहे कोई भी सेट-अप ले लो चाहे आप सहकारी शुगर मिल, केशोराय पाटन ले लो, चाहे अभी इसी वर्ष में आरम्भ होने वाला जो सोयाबीन प्रोजेक्ट है आप उसको ले लो, चाहे आप विभिन्न क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की राइस मिल ले लें, मुझे ऐसा लगता है कि इन कारखानों/उद्योगों की तरफ राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण ने आज तक नहीं सोचा कि जो क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा राईस मिलें, आइल मिलें लगाई गई हैं वे वर्षों से बन्द है और उनके कर्मचारी आज तक उन सहकारी समितियों में कार्यरत हैं तो उनको चलाना है या नहीं, उनको बेचना है या उनको चलाना है, आज तक सहकारी विभाग ने किसी भी स्तर पर इस बात का विचार नहीं किया और इससे करोड़ों रुपयों की लागत की जो मशीनरी है डम्प पड़ी हुई है, करोड़ों रुपये उसमें उलझे हुए हैं और उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। सहकारी शुगर मिल, बून्दी में हैं, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सहकारी शुगर मिल की स्थापना के कारण....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें। श्री थानसिंह जी, प्लीज टेक योअर सीट।

श्री हरिमोहन शर्मा : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सहकारी शुगर मिल की स्थापना से किसानों के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। अगर सहकारी शुगर मिल की स्थापना नहीं होती तो किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। लेकिन सभापति महोदय, बूंदी का सहकारी शुगर मिल आज तक आठ करोड़ के निरन्तर घाटे में हैं। उसमें जबसे वह चला है आज तक एक वर्ष भी लाभ नहीं हुआ है। आठ करोड़ के घाटे में वह संस्था चल रही है। अभी-अभी एक प्रश्न के जरिये सहकारी विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी और उसमें कारण बताये गये हैं कि किन-किन कारणों से वह सहकारी शुगर मिल नुकसान में जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है–

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उन्होंने लिखा है कि कर्मचारियों की अत्यधिक भर्ती के कारण यह सहकारी शुगर मिल नुकसान में है। किससे कह रहे हैं वे ? आज तक उसमें प्रशासक रहे हैं, जन-प्रतिनिधि उसमें चुने नहीं गये हैं, खुद रहे हैं। सरकार उसका सारा मैनेजमेंट कर रही है और आज कारण बता रहे हैं कि हमने ज्यादा कर्मचारी रख लिये थे। किसकी जिम्मेदारी है, कौन रेस्पोन्सिबल है, कौन इसका जिम्मेदार है ? क्या कभी प्रशासनिक स्तर पर, ऊंचे स्तर पर कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात सरकार ने सोची ? मेरा ख्याल है कि नहीं सोची। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि सहकारी शुगर मिल के क्षेत्र में कुछ खाण्डसारियां चल रही हैं और इस कारण हमको गन्ना पूरा नहीं मिल पाता। कहना तो उनको यह चाहिए था, प्रयास तो यह करना चाहिए था कि उस क्षेत्र में पूरा गन्ना पैदा करवायें और उसको प्रोत्साहन दें। लेकिन उन्होंने जवाब दिलवाया कि यहां पर खाण्डसारियां चल रही हैं इसलिए हमको गन्ना नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हीं मिल मैनेजमेंट के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज को उन स्थानों पर लगाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट खुद ने जारी किया है। एक ओर खुद उनको लगवाने के लिए स्वीकृत दिलवा रहे हैं, एक ओर उद्योग विभाग को आप खुद लिख रहे हैं कि आप इनको दे दो और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि इस कारण हमको नुकसान हो गया। तीसरी बात जो वे बता रहे हैं कि गये साल में जो मिल नहीं चला था—उसमें अकाल पड़ने के कारण बता रहे हैं कि इस साल में हमारा नुकसान हुआ। सभापति महोदय, इन्होंने बताया है कि अकाल पड़ने के कारण एक साल हमारा मिल बन्द रहा इसलिए हमारा नुकसान बढ़ गया। जिस साल अकाल नहीं पड़ा ऐसा कौनसा साल था कि जिसमें आपने फायदा उठाया हो ? कोई एक ऐसा वर्ष नहीं और सैन्ट्रल गवर्नमेंट की कस्टडी में दे दी तो चार करोड़ रुपये का लोस उन्होंने करके दे दिया, आठ करोड़ का टोटल नुकसान हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह मिल कैसे फायदे में चले। आप बार-बार एक्सपेरीमेंट करते हैं। अगर कोई जन-प्रतिनिधि यह कहें कि यह सरकारी अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, यह गलत काम कर रहा है तो उच्च स्तर के प्रशासकीय अधिकारी नहीं सुनेंगे और अगर मिल का मैनेजमेंट ठीक काम करें, कोई एम. डी. ठीक काम करें तो सरकार एक्सपेरीमेंट करेगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्सपेरीमेंट करेगा अरौ कॉपरेटिव डिपार्टमेंट एक्सपेरीमेंट करेगा और जो अच्छा काम करने वाला एम. डी. है, हर डेढ़ साल में बदल देंगे। फिर नया आयेगा उसको एक साल पढ़ने में लगेगा कि मिल कैसे चलानी है। इस तरीके से न तो वह मिल फायदे में आ सकती है और मैं तो कहता हूं कि सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उस मिल को ठीक प्रकार से कैसे चला सकते हैं ? अगर नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए या बेच देना चाहिए ताकि करोड़ का नुकसान और अधिक आगे न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह

(159)

(श्री हरिमोहन शर्मा)

भी निवेदन करूंगा कि सोयाबीन प्रोजेक्ट कोटा में है, अभी अपने शैशव काल में आरम्भ हो रहा है। हमने अखबारों में पढ़ा कि शैशव काल में ही उसमें पचास लाख रु. का नुकसान है और उस पचास लाख के नुकसान को आगे जाकर किस प्रकार से हम पूरा करेंगे और क्या-क्या स्थितियां हैं, मैं समझता हूं माननीय सहकारिता मंत्रीजी दुबारा उस क्षेत्र में, कोटा में जायेंगे और इन सारी बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको प्रोफिट में ला सकते हैं और किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में वह लाभ में कैसे आये, इस मामले में सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे, योजना बनाये ताकि हम इन उद्योगों को किस प्रकार लाभ में ला सकते हैं इन सब बातों पर विचार करे। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कॉपरेटिव अरबन बैंक्स राज्य में काम कर रहे हैं। अनेक स्थानों पर कॉपरेटिव अरबन बैंकों की स्थापना हुई है और अधिकांश कॉपरेटिव बैंक बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं और जिसमें बूंदी का भी कॉपरेटिव बैंक है जिसकी एक साल पहले स्थापना की गई। एक साल भर पहले जिस बैंक की स्थापना की गई और उस बैंक का बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर, जिसको 3 साल के लिए रजिस्ट्रार ने मनोनीत किया, एक साल में एक लाख की शेयर केपीटल से चलने वाले अरबन कॉपरेटिव बैंक के पास आज करीब पन्द्रह लाख रुपये की डिपोजिट्स हैं, विद इन ए इयर, और दो सौ आदमियों के करीब उसने छह और आठ महीनों में लोनिंग किया है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हो सकता है उच्च स्तर पर सहकारिता के अधिकारी, चाहे वे रजिस्ट्रार स्तर पर हो, चाहे सचिव स्तर पर हो, वे डेमोक्रेटिक माइण्ड के हों लेकिन हमारा काम छोटे-छोटे अधिकारियों से पड़ता है, रजिस्ट्रार जोइण्ट रजिस्ट्रार लेवल के अधिकारियों से। वे ऐसी-ऐसी धमकियां बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स को देते हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो हम आप पर 74 की कार्यवाही करेंगे। आप इस्तीफा दे दो, हम यह करेंगे और वह करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे बूंदी जिले में मार्केटिंग सोसायटी केशोरायपाटन एक ए ग्रेड संस्थान है जो प्रोफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी प्रकार केशव क्रय-विक्रय सहकारी समिति है जो प्रोफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके मैनेजमेंट ने किसी अधिकारी को गाड़ी मांगने पर नहीं दी तो दूसरे दिन ही उसको नोटिस दे दिया कि तुम गाड़ी का दुरुपयोग करते हो, उनको गाड़ी दे दी तब तो दुरुपयोग नहीं है। जो संस्थाएं क्लॉस रन करने वाली हैं उसमें भी प्रशासकीय स्तर पर इस प्रकार के अधिकारी, अपने डिक्टेटराना जो अधिकारी होते हैं और जो सहकारिता का मूवमेंट चल रहा है उसमें जो बाधा उत्पन्न करते हैं, माननीय सहकारिता मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रशासन पर कन्ट्रोल करके ऐसे अधिकारियों को, जो सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले हैं और उनका आपस में सामंजस्य बैठावें ताकि सहकारिता क्षेत्र में

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चलने वाला आन्दोलन फले-फूले और यह आगे बढ़े। माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक और बोल देता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं-नहीं। फिफ्टीन मिनट। फिफ्टीन टू टवन्टी। तीस ये बोले हैं...

श्री सी. पी. जोशी : नत्थी सिंहजी हैं। वे तो पिता-श्री हैं कॉपरेटिव मूवमेंट के। उनके सामने मुकाबला कर रहे हो क्या, गॉड फादर हैं कॉपरेटिव मूवमेंट के।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आखिरी में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने केडर आथोरिटी बना रखी है और केडर आथोरिटी में जो आपको गवर्नमेंट का शेयर देना है, वह आपने आज तक नहीं दिया तो केडर आथोरिटी समाप्त कर दो वह चल नहीं पा रही है और उसके अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि केडर आॅथोरिटी के तहत जो राज्य सरकार को योगदान देना चाहिए वह उसको देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि एस. एल. डी. पी. से स्प्रींकलर्स की कीमत तय की जाती है किसानों के लिए कि वह किस भाव में बिकेगी। माननीय सभापति महोदय, एक वर्ष में दो बार तो उनकी कीमत बढ़ा दी गयी है और उसकी जो सेल प्राइज है उसको रिवाइज कर दिया गया है और तीसरी बार उसको और किया जा रहा है। मैं सहकारिता मंत्रीजी से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कीमत बढ़ाने से पहले हमारे किसान उपभोक्ताओं के हित भी सोचें। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) **:** माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के मार्फत शोषण विहीन समाज की कल्पना की गयी थी मगर आज जो सहकारिता का स्वरूप राजस्थान में नजर आता है। ऐसा लगता है कि सहकारिता के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबों का शोषण, इससे ज्यादा बहुत कम स्थानों पर हो पाता है। आज स्थिति यह है कि 20 हजार से अधिक सहकारी समितियों में एक लोन शेयर केपिटल आदि के रूप में

(श्रीमती विद्या पाठक)

करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं और जिसको निकालने की कोई उम्मीद भी नहीं है और वास्तव में देखा जाय तो उसका रिकार्ड भी कोई एप्रोपियेएट स्थानों पर उपलब्ध होना मुश्किल है । कुछ वर्ष पूर्व प्रतापनगर स्थित उप पंजीयन कार्यालय में आग लगी । जिसमें सत्यापन लेखा आडिट सर्वे, सहकारी विभाग के छोटे-बड़े कर्मचारियों के विरुद्ध 74 के केसेज आदि की भी कुछ फाइलें जल गयी थी । यह सोमवार को पता लगा कि आग लग गई है और जब पहली बार जाकर देखा तो ताले टूटे हुए थे और कुछ कागज अस्त-व्यस्त पड़े हुए थे । आश्चर्य यह है कि उस मकान में बिजली की फिटिंग भी नहीं थी । याने की शोर्ट सर्किट से आग नहीं लगी । कुछ कागज मेन्युपुलेट करने के लिए इस तरह की आग लगी । उसकी जांच भी हुई और किसी जूनियर आफिसर को सस्पेण्ड कर दिया गया और उस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई ।

जहां एक ओर इस तरह भ्रष्टाचार को हस-अप करने की कोशिश की जाती है । दूसरी तरफ ग्रामीण लोगों की बिजली की मोटरें, बिजली की मशीन, उनके मीटर तक जब्त कर लिये जाते हैं और मेरे पास एक व्यक्ति आया था यह कहने के लिए नहीं की कुर्की तो हो चुकी है, सिर्फ यह कहने के लिए आया था कुर्की कर ली है तो उस मशीन को ऑक्शन करके मेरे एकाउण्ट में पैसा जमा करा दिया जाय । इसका मतलब यह है कि उसमें भी देरी होती है । जिसकी कुर्की की गयी है उसके अकाउण्ट में समय से पैसा जमा करा दिया जाय। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सहकारी की मास पब्लिसिटी भी नहीं हुई है वरना एक तरफ महिला को-ऑपरेटिव्स की फोरमेशन होती और इस क्षेत्र में महिलाएं भी काफी आतीं ।

मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि फसल बीमा बन्द करना कृषक के साथ बिल्कुल अन्याय है । वह भी जब विशेष तौर से आज भी लगभग ढ़ाई करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों का सरकार में जमा है और उसका ब्याज खा रही है । पिछले साढ़े तीन साल से यह योजना बन्द कर रखी है तो किसानों का जो शेयर मिला हुआ है उसका ब्याज खाना भी बन्द करें, उसका ब्याज खाने का सरकार को क्या अधिकार है ?

फिर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सहकारी संस्थाएं जो सरकार के सीधे संरक्षण में हैं वह अनेक स्थानों में बीमारियां बांट रही हैं । उदाहरण के तौर पर जयपुर में डेयरी का जो दूध आ रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं कि जयपुर डेयरी कैसा दूध सप्लाई कर रही है ? इससे बीमारियों का न होना असम्भव है होना तो कोई दिक्कत नहीं है । इसी तरह क्रय-विक्रय संघ ने अभी कुछ समय पूर्व बहुत पुरानी और गन्दी मिर्चें मास स्केल पर सेल की है । माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि नवम्बर, 1988 में सरकार ने घोषणा की थी कि सहकारी संस्थाओं में शीर्ष संस्थाओं के चुनाव करा दिये जायेंगे और उसमें राजस्थान क्रय विक्रय संघ, उपभोक्ता संघ आदि के चुनाव । जनवरी, 1989 तक

(162)

(श्रीमती विद्या पाठक)

जायेंगे। अब जुलाई, 1989 है परन्तु इन संस्थाओं के किसी के चुनाव होने के कोई अंदेशे भी दूर-दूर तक नहीं हैं। स्थिति यह है कि राजफेड और हाउसिंग फाइनेंसिंग सोसायटीज में प्रशासक ही रजिस्ट्रार हैं, स्वयं बैठे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बाकी में आई.ए.एस. आफिसर लगे हुए हैं। यह उन्हीं संस्थाओं में इण्टर चेन्ज होते रहते हैं, आते-जाते रहते हैं। इसकी वजह से यह प्रशासनिक हैड भी होते हैं और कभी ट्रांसफरिंग आथोरिटी भी होते हैं तो उस स्थिति में उनके खिलाफ जो छोटा आडिटर है वह क्यों केसेज निकालेगा क्योंकि कई बार यह उनके ट्रांसफरिंग आथोरिटी भी होते हैं और जब कभी भी होते हैं तो विडिक्टिव भी होते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं उदाहरण के तौर पर 86 में 46 निरीक्षकों के तबादले सिर्फ इस वजह से हुए कि उन्होंने इतनी इनकन्विनियेंट रिपोर्ट पेश की जो कि प्रशासकों को और अधिकारियों को पसन्द नहीं आयी। उसकी हाईकोर्ट में रिट भी हुई और उसमें स्टे भी हुए। चुनाव का जहां तक प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट लेबल के सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक्स के चुनाव हुए। क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हो गये, उसमें इलेक्टेड लोग हैं, यह जनरल बाडी के मेम्बर्स हैं परन्तु आश्चर्य होगा कि हर वर्ष जो जनरल बाडी की मीटिंग होनी चाहिए वह अब तक नहीं बुलायी गयी है। यही नहीं राजफेड तक में जिसमें प्रशासक स्वयं रजिस्ट्रार है वहां भी वर्षों से 1981 के बाद आज तक मीटिंग नहीं बुलायी गयी है परन्तु यह अधिकारी लोग इलेक्टेड बाडी को फेस करने में अपने आपको सक्षम नहीं पाते हैं। फिर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरे भ्रष्टाचार के जो रेवेन्यु अधिकारियों ने खोला है को-आपरेटिव में तो यह मई, 88 में जो तत्कालीन रजिस्ट्रार थे और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत आई. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध जो घोटालों के किस्से उभरकर आये तो उन्होंने एक परिपत्र और आदेश निकाला और उसके अनुसार 74 धारा में दर्ज कराने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जो कि सहकारी अधिनियम, 1965 के अनुसार 74 हेतु प्रभावित मामले जांच हेतु 74(1) में रजिस्टर कराने आवश्यक हैं। अब इसके अनुसार क्या हुआ, सभापति महोदय, इस पर आब्जेक्शन किया परन्तु इसके बाद भी यह परिपत्र निकाला गया। उसके पीछे मंशा क्या थी और उसका प्रोविजन क्यों रखा था? यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इसके अनुसार 74 में निकाले गये मामले उनको पहले उस समिति में पुटअप किये जाने चाहिये थे।

(4.10 अपराह्न)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और इस समिति के सदस्य कौन-कौन थे? यह समिति जो बनायी गयी उसमें संबंधित सहकारी समितियों के एम. डी. और संयुक्त रजिस्ट्रार जो निश्चित रूप से होने थे अब उनके खिलाफ तो शिकायत हो और यही उसके बोडी में हो तो वह किस तरह से अलाऊ करेंगे, यह समझने की बात है। यदि एम. डी. ही दोषी है तो वह कमेटी में क्यों निर्णय देंगे और इसका एक उदाहरण आपको देती हूं, आपको बताना चाहती हूं

(श्रीमती विद्या पाठक)

कि इसका मिस यूज कैसे हुआ? 1981-82 की राजफेड की रिपोर्ट मार्च, 88 में जारी की गयी। उसमें 25 लाख के घोटाले निकले, जिनको 74 के अन्तर्गत रजिस्टर करना प्रस्तावित था। वहां के भूतपूर्व एम.डी. एक सहायक रजिस्ट्रार और अन्य उच्चाधिकारी भी शामिल थे। उनके खिलाफ केसेज बने थे। मई, 1988 के ऑर्डर के तहत 7 लाख के करीब केसेज तो रजिस्टर हो चुके थे और उसके बाद आज दिन तक रिपोर्ट पेण्डिग है और उसके अवधिपार हो जाने की पूरी सम्भावना है। तो यह जो इस तरह का आर्बिटरेरी ऑर्डर है और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाला ऑर्डर है इसको तुरन्त प्रभाव से, मंत्री महोदय इसको विथड्रा करें। जो उदाहरण मैंने बताये है उसको देखते हुए आप इसको विथड्रा करेंगे मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उन्होंने आडिट करवाना शुरू किया सी. ए. से हमें एक ही बात नजर आती है कि इनके जो कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं उनको फेवर करना है या फिर भ्रष्टाचारों को छिपाना है। इसके अतिरिक्त वरना इतना बड़ा लवाजमा है विभाग में इसको और अच्छा बनाये मगर बाहर के लोगों को, चार्टेड एकाउन्टेन्टस् को इसमें लाने की क्या आवश्यकता थी। परन्तु इनकी अपनी कन्वीनेन्स के लिए भी चाहिए। राजफेड का एक उदाहरण के लिए बताती हूं कि राजफेड का 1981-82 का आर्डर चार्टेड एकाउन्टेन्ट से करवाया गया। 25 लाख के मामले तो उस ऑडिट में आये ही नहीं। जब एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के सिलसिले में उसका एकाउन्ट देखा गया, पता लगा कि एफ. आई. आर. इसमें दर्ज हो नहीं सकती जब तक कि पर्टीक्यूलर इन्फोरमेशन जो चाहिये वह नहीं आ जाती। इसलिये दुबारा विभागीय स्तर पर ऑडिट करवाया गया और उसमें 25 लाख के गबन निकले तो इस तरह से उन केसेज को कैन्सिल करने के लिये, उन पर पर्दा डालने के लिए यह प्रथा है, या कुछ लोगों को फेवर करने के लिये, यह सहकारिता की भावना के बिल्कुल विपरीत है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सहकारी ऑडिट जो है यह रजिस्ट्रार के नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिये। अगर इसका फेयर डीलिंग हमको चाहिये, अगर मंत्री महोदय आपकी ऐसी मंशा हो कि इसमें सहकारिता की भावना के साथ फेयर डीलिंग और परफेक्ट डीलिंग भी हो तो यह जरूरी है कि सहकारी रजिस्ट्रार जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हैड है उनके नियन्त्रण से सहकारी आडिट को अलग किया जाना जरूरी है और यह सीधा सहकारिता सचिव के अन्तर्गत होना चाहिये। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ए.जी. होना चाहिये, विभागाध्यक्ष जो है वह ए. जी. होना चाहिये। आई. ए. एस. को, जो कभी किसी संस्था का प्रशासक होता है, कभी रजिस्ट्रार और चीफ ऑडिटर उस पर आक्षेप क्या निकालेगा क्योंकि यह उसकी ट्रासफरिंग ऑथोरिटी भी होता है। फिर मैं उदाहरण के तौर पर कुछ बताना चाहूंगी जैसे गंगा नगर सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ उसमें श्री चारण कलक्टर होने के नाते वहां के प्रशासक भी थे अब इसके बाद वह रजिस्ट्रार बनते ही उन्होंने जो गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल थी उसकी एक रिपोर्ट कैन्सिल कर दी और पुनः ऑडिट के आदेश दे दिये हैं क्योंकि उसमें उनके विरुद्ध

(श्रीमती विद्या पाठक)

आक्षेप था और यह प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि जो वहां करता था वह यहां पर आकर जिस पोजिशन में आ जाता है वह चाहता है कि रिपोर्ट कैन्सिल कर दी जाये या रिपोर्ट चेन्ज कर दी जाये। तो इस पोजिशन को अवॉइड करने के लिए ऑडिट सैक्शन का इंडिपेण्डेण्ट ओटोनोमस ए. जी. के अन्तर्गत और सचिव के स्तर पर होना उचित होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मुख्य अधीक्षक लेखा सेवा विभाग के होते हैं। ये भी लेखा सेवा विभाग के न होकर इनको भी इंडिपेण्डेन्ट रूप में ए. जी. के एजेन्ट के रूप में काम करना चाहिये। उदाहरण के रूप में मैं यह कहना चाहूंगी कि वर्तमान मुख्य अधीक्षक मि. एस. एस. जैन जो आर. सी.डी.एफ. और अन्य संस्थाओं में 1981-82 और 1986-87 तक प्रतिनियुक्ति पर रहे उनके कलिग होने के नाते उनके साथी लेखा सेवा अधिकारी के विरुद्ध क्या लिखेंगे, जबकि उनके विरुद्ध इस तरह के चार्जेज कुछ निकले हैं। अतः भारतीय लेखा सेवा के अधिकारी हो बजाय राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के और ये इस तरह का प्रपोजल 13-5-1981 को श्री राजेन्द्र जैन कमेटी ने भी ऑडिट को स्वतन्त्र करने की सिफारिश की है। 13-8-1981 को आयुक्त फाइनेंस कमीशन ने इससे सहमति व्यक्त की है और मुख्य मंत्री ने भी इसको फंडामेण्टली इसे एग्री किया है और आपके विभाग ने इसको अभी लागू नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनिट और उपाध्यक्ष महोदय, सोयाबीन प्रोजेक्ट जिसकी अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे दो करोड़ के घाटे से तो यह शुरू ही हुआ। मार्च, 1989 के बजट में सी. एम. ने इसकी बड़ी चर्चा की है और इसको बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बताया है। परन्तु राजफेड के तत्वाधान में यह होने वाला जो प्रोजेक्ट है यह 2 करोड़ के लोस से तो अभी शुरू हुआ है, यानी अभी कमीशन नहीं हुआ है। काम शुरू नहीं हुआ है मगर करोड़ के लोस से इसका बिगनिंग हुआ है और इसका प्रोडक्शन जनवरी, 1988 को हो जाना चाहिये था यह अभी तक नहीं हुआ है। इसका भवन जो 6 करोड़ 70 लाख का बनना था बढ़ते-बढ़ते 10 करोड़ रुपये कीमत आ गई और अभी तक वह भवन बन कर तैयार नहीं हुआ। इसके लिए 1987-88 में 24 हजार टन सोयाबीन खरीदा और इसके लिये बैंक से 9 करोड़ रुपया उधार भी ले लिया। परन्तु प्लाण्ट चालू नहीं होने की वजह से सितम्बर, 1988 में 10 हजार टन सोयाबीन टेण्डर द्वारा बेच दिया। इसकी बिक्री, जो बेचा है उससे चार-पांच माह पूर्व हो गई होती तो प्रोफिट में बिकता मगर लोस में बिका यह वहां के अधिकारियों की सूझ-बूझ के अभाव में। परन्तु राजफेड के तत्कालीन एम. डी. की दूरदर्शिता के कारण इसमें 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसकी रजिस्ट्रार श्री एम. सी. परिहार ने जांच भी की और उन्होंने उच्च अधिकारियों को दोषी भी बताया परन्तु कार्यवाही आज तक कोई नहीं हुई। प्लाण्ट देरी से लगने का क्या कारण है यह आपने सोचा ही नहीं, प्लाण्ट देरी से लगने का कारण यही है कि इसका निर्माण कार्य ऐसी कम्पनी को दिया गया है जो अब तक

(श्रीमती विद्या पाठक)

सिर्फ शुगर बनाने का अनुभव रखती थी और यह कम्पनी जो नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., पूना है इसको तेल मिल का अनुभव है ही नहीं, आपने इसको यह प्रोजेक्ट दिया उसकी वजह से भी इसके बनने में देर हो रही है और यही एक वार्निंग आप समझ लीजिये या आगाह करना आप समझ लीजिये राजफेड की जालौर, मेड़ता, झुन्झुनूं और गंगानगर, बीकानेर आदि के लिये आप जो मूंगफली और सरसों के तेल का प्लाण्ट लगाने जा रहे हैं उसका भी वर्क इसी पूना वाली कम्पनी को दिया है और उसका भी यही हाल होने वाला है क्योंकि फिर इसका भी अनुभव इस कम्पनी को नहीं है मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब दूसरे प्लाण्ट लाभ में चल सकते हैं तो राजफेड के प्लाण्ट लाभ में क्यों नहीं चल सकते मगर माउण्ट आबू आदि में शुरू से ही नुकसान दे रहे हैं और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर का एक आइस प्लाण्ट, 1984–85 और 1985–86 की बिना बैंक ने गारण्टी लिये कान्ट्रक्ट पर आइस प्लान्ट दे दिया। आइस प्लान्ट ठेकेदार बीच में ही भाग गया और उससे उसकी वसूली भी नहीं हुई इससे ढ़ाई लाख का नुकसान हो गया और दोषी अधिकारी जो इसके लिये कोजल फेक्टर थे जो इसके लिये ऑडरिंग अथोरिटी थे उनके विरुद्ध क्या जांच हुई है यह आप देखें। फिर एक उदाहरण और देना चाहूंगी भेड़ ऊन फैडरेशन है इसने 1986–87 में भारतीय सेना को मीट सप्लाई करने का ठेका लिया इसके बिना कोस्टिंग किये, बिना दर दिये उन्होंने इसकी कीमत दे दी मगर इन्होंने बीमार, कमजोर और हल्के वजन के पशु लिये तो इससे 20 लाख का नुकसान हो गया और फैडरेशन पूरी सप्लाई भी नहीं कर पाया और आर्मी के साथ जो आर्बिट्रेशन में आर्मी के ही व्यक्ति थे उनके आर्बिट्रेशन में जब यह केस तय हुआ तो 35 लाख का जुर्माना वह विभाग देगा और आपका भेड़ ऊन फैडरेशन देगा तो ऐसे कहीं व्यापार चलते हैं? किसी भी साउन्ड लाइन्स में बिजनिस भी किया जाता है, तो फंडामेन्टल्स पर तो किया जाता है आपके विभाग ने तो सबको तिलांजली दे रखी है। इसकी जांच सरकार ने की और दोषी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्रय-विक्रय सहकारी संघ को एक्सपोर्ट का लाइसेन्स ही बेच दिया जिसको पहले यहां सदन में उठाया था इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक हैड कर के, समाप्त करती हूं। आपके यहां एक हजार इन्सपेक्टर अस्थाई है जिनमें से कई तो 1952 और 1962 के हैं ये अभी तक परमानेंट क्यों नहीं किये गये जबकि आपके पास तीन सौ परमानेंट पद रिक्त हैं। फिर निरीक्षकों की सिनियरिटी 12 वर्ष में चार बार बदल दी गई ये कैसा डिसीप्लेन है, कैसा तरीका है प्रशासन का? 1963 में जो परमानेंट इन्सपेक्टर थे उनकी तिथि बदल कर 1967 कर दी गई। यह कैसे नार्म्स में फिक्स होता है और ये प्रशासन के तरीके कैसे चला रखे हैं इसलिये यह एक क्लोज्ड यूनिट बन गया है सहकारी विभाग इसको खोल कर रखिये। माननीय मंत्री महोदय, यह केस हाई कोर्ट में गया और

(श्रीमती विद्या पाठक)

विभाग इसमें हार गया सहकारी विभाग के विरुद्ध उसके अधिकारियों के 23 मुकदमें हाई कोर्ट में 4 ट्रिब्यूनल में और कितने ही कन्टेम्ट्स चल रहे हैं। 1986 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....मैं अभी समाप्त कर रही हूं। 1986 में सहकारी विभाग में आर. पी. एस. सी. में 266 पोस्टें निरीक्षकों की दी और कहा कि इन्टरव्यू हो। इण्टरव्यू के जस्ट पहले 1687 में इनके इम्तहान हो गये, आर. पी. एस. सी. ने लिये। इण्टरव्यू के कुछ समय पहले 1988 में ये कैन्सिल कर दिये गये। यह कहकर कि पोस्ट नहीं है, खाली नहीं है। पोस्ट थी ही नहीं। बिना इसकी पूरी जानकारी के ऐसा कौन अधिकारी है जिसने यह कार्यवाही की। बिना पोस्टों के आर. पी. एस. सी. को 266 पोस्टों के लिये कैसे लिख दिया गया ? फिर हाई कोर्ट में जब यह केस लेकर गये जो अपीयर हुये थे और जो पास हुये थे इम्तहान में तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको एक चांस कम से कम दिया जाये। आप आश्चर्य हैं देखिये हाई कोर्ट के प्रति इनकी आस्था कितनी सी है केवल एक निरीक्षक के लिए यह हाई कोर्ट की वह फारमेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो यह कैसे कामापलाज हैं ? कोई भ्रष्टाचार भी हो तो किसी तरह से सरफेस पर न दीखे मगर आपका विभाग तो बिल्कुल सरफेस पर ही भ्रष्टाचार कर रहा है। गृह-निर्माण समितियां जयपुर के लिये, राजस्थान के लिये हेडेक बन गयी हैं। इन पर न ऑडिट का नियन्त्रण है न कार्यकारी शाखा का, न रजिस्ट्रार का, न इनके रिकाडर्स हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन इन्होंने कम कर दिया, बन्द कर दिया फिर भी लोन लाइसेंस पर एक समिति बिक रही है। कई हैण्डस चेन्ज कर रही है, उनके मैम्बर्स चेन्ज हो जाते हैं और कन्ज्यूमर्स, जो उसके मैम्बर्स हैं वह बिचारे कष्ट पाते रह जाते हैं तो यह भी को-आपरेटिव विभाग इस पर नियन्त्रण करें। समितियां खरीदी और बेची जा रही हैं उदाहरण के तौर पर बस्सी सीतारामपुरा भी महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति, खरीदने के बाद रजिस्ट्रार चुनाव करवा देते हैं, इसमें आपके विभाग के रजिस्ट्रार हैं मन्त्री महोदय, सुन लीजिये, वह चुनाव करवा देते हैं और जो प्लाट्स खरीदते हैं उनको पदाधिकारी बना देते हैं। समस्त सदस्य और पदाधिकारी बदल दिये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मीणा जाति के लोगों की सहकारी समिति, मीणा कालोनी को पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने खरीदा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं यह उदाहरण मैं आपको इसलिये दे रही हूं कि आप इसकी जांच करवा लें। जे. डी. ए. प्लाट्स रेगूलराइज नहीं करते और इस तरह सोसायटीज भ्रष्टाचार पनपाने में एकमात्र एकछत्र राज्य किये हुये हैं, गृह निर्माण समिति के घोटाले छिपाने के लिये तत्कालीन मुख्य अंकेक्षक ने 1986-87 में पुनः ऑडिट के आदेश दिये थे और उनको क्लीन चिट भी दे दी। संयुक्त गृह निर्माण समिति, माननीय मंत्री महोदय, चाहे तो आप नोट फरमा लें। तो इसको 1986–87 में पुनः ऑडिट के आदेश दिये और उसमें क्लीन चिट दे दी गई परन्तु उसको कैन्सिल करना पड़ा क्योंकि किसी तरह से उनकी ऑडिट के जो रीजनल आब्जक्शन थे वह फिर सरफेस पर आ गये। इस तरह क्लीन चिट देने वाले जो आपके अंकेक्षक थे श्री निर्मल

(श्रीमती विद्या पाठक)

मुखर्जी, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह कुछ इन्सटान्सेज हैं, माननीय मन्त्री महोदय, मैं चाहूंगी कि आप इस विभाग को फिर से री-ओरियण्ट और री-आर्गेनाइज करिये। इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा विभाग, अच्छा आइडिया बट वेरी पूअर इम्पलीमेंटेशन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण तोसावड़ा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता के ऊपर सदन के अन्दर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसी के बारे में मैं मेरे विचार भी सम्मिलित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का मतलब है साथ-साथ कार्य करना अर्थात् (व्यवधान)

मेरा निवेदन यह है कि आज सहकारिता जिसके ऊपर हम सभी सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वह साथ-साथ कार्य करने की एक स्थिति है। कौन व्यक्ति किस क्षेत्र के अन्दर किस स्थिति से किस भावना से कैसे विचार लेकर और उस कार्य करने की प्रणाली से साधारण जनता को क्या फायदा होता है उसे हम सहकारिता कहते हैं। चाहे वह गृह निर्माण की भावना हो, चाहे वह खेती की भावना हो, चाहे किसी व्यापार की भावना हो, चाहे किसी जमीन खरीदने या और किसी चीज की भावना हो, दूध बेचने की भावना हो, अर्थात् जिसके अन्दर सह होकर के कार्य करें कई मैम्बर मिलकर के उसको सहकारिता की बात कही जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा हिन्दुस्तान एक ऐसी संस्कृति में पला है जहां पर हर परिवार ही सहकारिता है क्योंकि हमारे यहां पर संयुक्त परिवार शुरू से है। इसलिए वह भी एक सहकारिता का अंग है और हमारा हिन्दुस्तान का रहने वाला नागरिक जन्म से ही सहकारिता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता है। माता-पिता का परिवार, अपने दादा का परिवार, अपने भाई का परिवार, खुद का परिवार एक सहयोग से चलता है। उसी की एक नवीनतम प्रणाली हमारे देश के अन्दर हमारे नेताओं ने लाकर के इस प्रकार से स्थापित कर दी कि कोई व्यक्ति कमजोर होता है, कोई व्यक्ति धनवान होता है यदि वह साथ मिलकर के कोई कार्य करे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो वह बड़ी आसानी से और सरलता से होता है। हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने हमारे देश को सहकारिता की भावना दी और उनके दिमाग में एक ऐसी भावना आयी कि हमारे देश के अन्दर रहने वाले किसान जो आपस में लड़ा करते थे, कोई कार्य अच्छी तरह से हुआ नहीं करता था, उन खेती के अन्दर कार्य करने वाले किसानों को भी सहकारिता में खेती करने की एक भावना पैदा की। जो व्यक्ति कम जमीन के मालिक हैं और पास-पास में यदि उनके खेत हैं तो एक दूसरे को सहयोग देकर के एक दूसरे के साथ मदद करते हुये खेती के अन्दर भी काम करें। अब तो हमारे किसान भाइयों के कई ट्रेक्टर्स हो गये लेकिन जब हल चलाया करते थे उस समय मैंने खुद ने देखा है, मैं तो खुद एक किसान का लड़का हूं, मैंने खुद ने खेती की है, हम गांवों के अन्दर इस समय जब बरसात का समय आता था,

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान के पास यदि बैल और हल नहीं होता था और दूसरे किसानों के पास पड़ौसियों के बैल और हल होता था तो एक रोज एक खेत को बो दिया जाता था दूसरे रोज दूसरे खेत को बो दिया जाता था इस तरह सहकारिता और मदद की भावनाओं से अपने आस-पास के पड़ौसी किसानों को बहुत अच्छी मदद करके टाइम पर फसल को बो दिया जाता था। इसको भी सहकारिता कहा जाता है लेकिन आज उसको कानून की दृष्टि में एक एक्ट बनाकर हमारे यहां रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित करके कई इन्सपेक्टर्स, कई असिसटेंट, रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटियां जो हर गांवों के अन्दर बना दी हैं उनके सहयोग से आज कार्य बनता जा रहा है। हमने सहकारिता का एक एलान किया, आह्वान किया हमारे देश के अन्दर....

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : यह क्लास नहीं है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरा निवेदन यह है कि आज सहकारिता आन्दोलन के अन्दर और सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर कई प्रकार की परेशानियां हमारे सामने आ करके उपस्थित हो गयी। पुराने जमाने में हम महाजनों से ऋण लिया करते थे और उस ऋण को चक्रवर्ती ब्याज से चुकाया करते थे लेकिन आज की समस्या बड़ी भयंकर है, किसान सोसाइटी से ऋण लेता है उस ऋण की किश्तें और उसका ब्याज देने के साथ-साथ वह दुगुना और चौगुना हो जाता है। समस्या यह आती है कि हमने सहकारिता आन्दोलन इसलिए शुरू किया था, समितियां इसलिए बनाई थी कि हमारी गरीब जनता और साधारण किसान को फायदा मिलेगा लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान जब ऋण लेता है उसका दुगुना ऋण होने के पश्चात् भी और ब्याज दुगुना लेने के पश्चात् भी उनके सामने वही की वही समस्या बनी रहती है। इसलिए आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से और हमारी सरकार से मेरा एक निवेदन है कि इस प्रकार का एक प्रावधान स्थापित करके कि जो किसान या सहकारी समिति का सदस्य या मजदूर सहकारी समिति से ऋण लेने के पश्चात् यदि उसका ऋण का मूलधन डबल हो जाता है, ब्याज चढ़ कर तो उसका ऋण माफ कर देना चाहिए। यदि वास्तविकता देखी जाय तो वह मूलधन के बराबर ब्याज दे ही देता है, जितना देना चाहिए था उसने दे दिया। उसके बाद किसान को ऋण मुक्त कर दिया जाय तो बड़ी भारी स्थिति इस देश के अन्दर पैदा हो सकती है, इस प्रदेश के अन्दर पैदा हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन समितियों के अन्दर जो व्यवस्थापक हमारे यहां स्थापित किये गये हैं उनको एक जगह दो साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जिस सोसायटी के अन्दर वह दो साल रह जाते हैं धीरे-धीरे उस गांव के लोगों से जानकारी कर लेते हैं, सारी स्थिति को समझ लेते हैं। उसके बाद साधारण किसान के नाम पर, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, सोसाइटी से स्वतः ही ऋण ले लेते हैं और उसका अंगूठा लगा कर या यदि हस्ताक्षर करना जानता है तो झूठे हस्ताक्षर करके वह व्यवस्थापक लाखों की सम्पत्ति बना लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

महोदय, लाखों की सम्पत्ति बनाने के बाद कई प्रकार की जायदाद खड़ी कर लेते हैं। जब ऋण चुकाने की स्थिति आती है, उसके पास नोटिस जाते हैं तो वह किसान, जिसने ऋण नहीं लिया, सोसाइटी के ऑफिस को भी नहीं देखा, बैंक के दर्शन भी नहीं किये, उस नोटिस को लेकर घूमता है और यह कहता है कि मैंने तो ऋण लिया ही नहीं। हम बार-बार उसके अंगूठे के निशान की या हस्ताक्षर की तो जांच करवा नहीं सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम जन-प्रतिनिधि हैं, प्रत्येक जन-प्रतिनिधि के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं। जो कानून बना है वह तो बना हुआ ही है। फिर उसके ऊपर कोर्ट में केस चलता है। हमारे यहां रजिस्ट्रार महोदय के यहां से लोन इन्सपेक्टर और तो और पुलिस की मदद से उनकी सम्पत्ति कुर्क करता है, नीलाम करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की स्थिति तो तब आती है जब कोई निर्दयी कर्मचारी किसी क्षेत्र में पहुंच जाता है और यहां तक कह देता है ऋणी व्यक्ति को कि आपके पास यदि कोई साधन—बैल, भैंस या गाय नहीं हैं तो आप अपनी औरत के पैरों की कड़ियां, हाथों के गहने उतार कर दे दीजिए हम उसको नीलाम करेंगे, उसको कुर्क करेंगे। बड़े खेद की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब गरीब के साथ इस ढंग का अन्याय होता है वह भी असत्य। यदि सच्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी औरत के गहने कोई कर्मचारी मांगे वह भी गलत ऋण के चुकारे के रूप में तो क्या दयनीय स्थिति उसकी होती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सम्पत सिंह : हरियाणा की तरह कर्जे माफ कराओ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं, वह गलत है। हरियाणा में कोई कर्जे माफ नहीं किये, बिल्कुल असत्य है।

श्री सम्पत सिंह : फिर कहते ही काहे को हो ? वैसे ही आपकी बात....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : यह तो सुझाव हैं मेरे, कोई जरूरी है कि हम आपका कहना मानें।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय को आपकी कोई बात अपील नहीं कर रही।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सदस्य, यह कोई जरूरी नहीं है कि हम आपका कहना मानें। यह तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारे नेताओं को सुझाव हैं। मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं। यह हरियाणा नहीं है राजस्थान है। यह हमारे घर की बात है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : रघु यादव ने जयपुर में प्रेस कान्फ्रेंस में स्टेटमैण्ट दिया है कि कोई कर्जे माफ नहीं हुए हरियाणा में। वहां के एम. एल. ए. यहां जयपुर में आकर कह रहे हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि माफ कर दिये ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसको तो निकाल दिया पार्टी से, वह तो लगायेगा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चार्ज। वहां 241.50 करोड़ रुपये के ऋण माफ हुए हैं।

श्री सम्पत सिंह : रघु यादव अभी दो कदम नहीं चले हैं वह क्या लांछन लगायेंगे। अभी तो वह नौसीखिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके झुन्झुनू में तो असर पड़ना चाहिये कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : स्टाप इट प्लीज।

श्री सम्पत सिंह : आपकी पार्टी के राजमंगल पाण्डेय क्या कह रहे हैं, नहीं सुनते क्या आप ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप। जयकृष्णजी, बोलें आप।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सवाल यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। सवाल तो इस बात का है, माननीय सदस्य ने कहा कि वहां को-आपरेटिव की वसूलियों में हरिजनों की औरतों के जेवर, पैरों की कड़ियां, हाथों की चूड़ियां मांगते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कहने दें इनको। आप क्यों बोल रहे हैं ? जब टर्न आये तब बोलियेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक तरफ तो कथनी यह है दूसरी तरफ करनी क्या है आपकी ? कथनी और करनी में कितना अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जयकृष्णजी, बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो मन्त्री बोले हैं अभी, रघुनाथजी विश्नोई और गोविन्द सिंहजी गुर्जर।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आपको जवाब जरूर देना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जवाब नहीं दे रहा। यह आपने सरकारी स्तर पर कहा क्या कि हरियाणा में कर्जे माफ नहीं हुए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं हरियाणा का मंत्री तो हूं नहीं, मैं तो राजस्थान गवर्नमेण्ट का मंत्री हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको हरियाणा का कभी मानूंगा भी नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप बोले और आप बोले....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : विपक्ष के नेता महोदय, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैंने तो हरियाणा के एक माननीय सदस्य यहां आये थे और उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस की। उस प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, वह आपकी सूचना के लिए मैंने अर्ज किया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो कहा मैंने सुन लिया। आप दो राज्य सरकार के मन्त्री हैं, अगर सरकारी स्तर से आप यह कह रहे हों कि कर्जे माफ नहीं हुए तो बात दूसरी है। व्यक्तिगत स्तर पर आप कुछ भी कहें, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो उनका स्टेटमेण्ट बता रहा हूं जो उन्होंने कहा एम. एल. ए. साहब ने कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सरकारी स्तर पर नहीं कह रहे हैं न ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हम कुछ नहीं कह रहे।

श्री शोपत सिंह : अलवर के भाषण में कई आंकड़े दिये हैं....

श्री शिवराम शर्मा : विपक्ष के नेता महोदय कहेंगे कि कर दिये तो हम तो मान लेंगे, हमको क्या एतराज है। आप फर्मा देंगे वह मान लेंगे हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अभी सुन लेना मैं बता दूंगा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज लगातार पांच वर्ष से राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र दूदू में इस समय भी 71 गांवों में बड़ा भयंकर अकाल है। वहां न पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न अनाज की व्यवस्था है। ऐसे गांवों के अन्दर भी वसूली करने के लिए कर्मचारी जाते हैं। अभी करीब 8-10 रोज पहले ही मैंने खुद ने ही हमारे बैंक के एम. डी. साहब को टेलीफोन करके बताया कि वहां जीपें घूम रही हैं, लोगों को नोटिस दे रही हैं, चैलेंज कर रही हैं कि आप या तो हमको ऋण चुका दीजिए अन्यथा आपका जो भी सामान, भैंस, भेड़, बकरी होगा, लेकर चले जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जिस क्षेत्र में इतना भयंकर अकाल है कि खाने-पीने-पहनने का ही साधन नहीं है, ऐसी जगह तो ऋण जरूर रोक देने चाहिए। मेरे दूदू क्षेत्र की यह बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सोसाइटीज के अन्दर जो खाद दिया जाता है, बीज दिया जाता है वह किसी काम का नहीं है। पता नहीं उसमें कोई मिलावट है, कोई और चीज है या झूठा, गलत, डुप्लीकेट बीज बनाया जाता है। मंत्री महोदय, यदि उसकी जांच विशेष रूप से करवायी जाय तो वास्तविकता सामने आ जायेगी और सामने आने के बाद हम किसान को जो फायदा देना चाहते हैं वह आसानी से दे सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दस मिनट तो बीच में लोगों ने ही बोलने में ले लिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट तो बीच में इण्टरप्शन था बाकी 15 मिनट हो रहे हैं आपके।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इतना-सा टाइम तो मुझे दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये आपके।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नहीं हुए, साहब। पांच मिनट और दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : 4.25 पर आपने शुरू किया है। I know that. You continue.

(172)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़ी भयंकर स्थिति है। सोसाइटीज गेहूं-चीनी वितरण का काम करती हैं गांवों के अन्दर लेकिन कई समितियां इस प्रकार कमजोर पड़ गयी हैं कि वह साधारण व्यक्ति को न चीनी ले जाकर वितरित कर सकती हैं, न गेहूं ले जाकर वितरित कर सकती हैं और न केरोसिन ले जाकर वितरित कर सकती हैं। कई पंचायतों और गांवों के अन्दर सोसाइटीज मौजूद होने के बावजूद भी आज तक वहां पर चीनी नहीं बंटी है, कैरोसिन नहीं बंटा है। कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं लाने के लिए। मेरा निवेदन यह है मंत्री महोदय, कि ऐसी जगह इन्क्वायरी करने के पश्चात् जो सोसाइटीज इस प्रकार फेल हो चुकी हैं, किसी प्रकार का साधन गरीबों को नहीं बांट सकतीं, उनकी जगह या तो दूसरी सोसाइटीज स्थापित करने की कोशिश करें या प्राइवेट डीलर्स को छूट दे दी जाय कि वह बन्द करके इस प्रकार की चीजें ले जाकर जनता में वितरित कर सकती हैं। वहां काफी परेशानी है। सोसाइटीज खुद तो वहां की जनता को चीनी-अनाज, कैरोसिन और कपड़ा वगैरह ले जाकर नहीं देती हैं और यदि कोई प्राइवेट डीलर तैयार होता है तो उसके लिए और आड़ फंसा देती हैं, रोक लगा देती है कि हम आपको नहीं लाने देते हैं, राजनैतिक टसल ऐसी फंस गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम हमारे क्षेत्र के अन्दर, प्रान्त के अन्दर साधारण जनता को सोसाइटी के द्वारा, इन समितियों के द्वारा, इन संघों के द्वारा, बैंकों के द्वारा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, फायदा देने की कोशिश करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं....

श्री सम्पत सिंह : मंत्रीजी को कहो कि वह पश्चिम बंगाल, केरल वहां जाकर देख कर आये फेयर शाप्स के सिस्टम को....

श्री उपाध्यक्ष : आज कल आपको क्या हो गया बीच-बीच में इन्ट्रप्ट बहुत कर रहे हैं ? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में ?

श्री शिवराम शर्मा : आप क्या यह उम्मीद करते हैं कि यह सही बात कहेंगे ? (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज यदि हम इन समितियों का अच्छी तरह से विकास करें, इनके अन्दर कौन-सी कमजोरियां हैं उनको दूर करें तो वास्तव में स्थिति है वह बहुत अच्छी है, सहकारिता के अन्दर काम करने की भावना का जो विचार है वह बहुत अच्छा है, इसको लेकर आगे बढ़ें तो वास्तव में हमारी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों का आसानी से भला कर सकती है। इसके आधार पर जितना सहकारिता के अन्दर चलायें वह चला सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महेन्द्र शास्त्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महेन्द्र सिंह शास्त्री बोलिये ताकि इनकी असलियत का पता लग जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने महेन्द्र सिंह नहीं बोला, महेन्द्र शास्त्री बोला है।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो रही है, यह आठवीं विधान सभा अपनी उम्र के ढलान पर है और इस सदन में सहकारिता के सम्बन्ध में पूर्व में भी बड़ी निष्ठा से, बड़े संकल्प से हमने कुछ बातें कहीं हैं, आज इस विश्वास के साथ कुछ बात कहना चाहते हैं कि आज जो मंत्रीजी हैं वह सहकारिता से जुड़े हुये हैं। मन्त्रीजी तो पहले भी सहकारिता से जुड़े हुये थे लेकिन अब जो मंत्रीजी हैं वह विशेष रूप से सहकारिता से जुड़े हुये हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सहकारिता को जानते भी हैं।

श्री सम्पत सिंह : अब सहकारिता मंत्रीजी से जुड़ी हुई है।

श्री महेन्द्र शास्त्री : सहकारिता मंत्रीजी से जुड़ी है सम्पत सिंहजी का संशोधन मुझे स्वीकार है।

इसके साथ ही यह जो वर्ष है यह चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में गांव की चर्चा, दीनहीन की चर्चा, गरीब की चर्चा, शोषण विहीन समाज की चर्चा हम सब की जुबान पर रामबाण की तरह क्या हम सबकी जुबान पर वेद वाक्य की तरह से मौजूद है। कोई भी राजनैतिक लोग जब भी चुनाव की रणभूमि में उतरेंगे तो शोषण विहीन समाजवाद के साथ-साथ दीनहीन गरीब उसकी सेवा इसका चोला-चोगा पहन कर वहां जायेंगे।

सहकारिता की जो स्थिति है इसके सम्बन्ध में पूरा का पूरा एक दर्शन है और वह दर्शन इस देश की जमीन के साथ, इस देश की समाज व्यवस्था के साथ, इस देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ, इस देश के संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना यह पड़ता है कि गांधीजी का नाम लेने वाले लोग, कांग्रेस के नाम पर कुछ कहने वाले लोगों ने बड़ी दम्भता के साथ यह बात कही है कि कांग्रेस की रीति-नीति और लक्षण की यह बात है। पर इस बात को कहने वाले लोग निश्चित रूप से इस सहकारिता के साथ पूरी तरह से विमुख होकर आचरण करते हैं।

आज हमारे सामने तीन अनिवार्य बुराइयां हैं—नेता, नौकर और बिचौलिये और इन तीनों अनिवार्य बुराइयों से हम इस सहकारिता के आन्दोलन को भी विमुक्त नहीं कर सकते हैं इसलिये भ्रष्टाचार की चर्चा और भ्रष्टाचार के साथ-साथ व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की चर्चा सहकारिता के आन्दोलन में बहुत तेजी से कही गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तीन आर्थिक व्यवस्थायें प्रचलित हैं—एक निजी क्षेत्र है एक हमारा राजकीय क्षेत्र है और एक सहकारी क्षेत्र है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की जितने गबन, जितने भ्रष्टाचार जितने घोटालों की चर्चा की गयी है अगर हम राजकीय क्षेत्र वाले और निजी क्षेत्र वाले उपक्रमों को देखें और उनमें होने वाले घोटालों को देखें तो उनके अनुपात में यह सहकारिता में बहुत नगण्य है लेकिन क्योंकि यह आम आदमी

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

से जुड़ा हुआ है इसलिये इसकी चर्चा सबसे अधिक होती है।

इसके बाद मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि 35 साल हो गये यह 1965 में कानून बना था, 10 साल में एक युग बदल जाता है, 10 साल में एक व्यवस्था बदल जाती है और आज 35 साल पुराने उसी कानून के तहत हम इस सहकारिता को पुनर्जीवित करना चाहे, पुनर्जीवन डालना चाहते हैं। यह बहुत कठिन बात है, मेरे पूर्व वक्ता कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही थी कि यह कानून 1965 में बनाया गया था इस सम्बन्ध में पूरी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें जो शक्तियाँ, जो तौर-तरीके प्रदत्त किये गये हैं उनको पूरी तरह इन्कार तो नहीं किया जा सकता है लेकिन उनमें पूरे सशोधन की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने एक कमेटी बनायी थी, दो वर्ष तक सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था, वह कमेटी बनी रही पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस समाजवादी सरकार की व्यवस्था में एक दिन भी उस कमेटी की बैठक में सम्मिलित होने का अवसर हमको नहीं मिला। अब भी एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी को बने हुए भी 6 महीने हो गये पर आज तक उसकी भी कोई मीटिंग नहीं हुई। मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या सरकार की नीयत है, यह शोषण विहीन समाज, यह राजीव गांधी के लोकतंत्र की बात, यह कांग्रेस के अन्दर कहने वाले गांधीजी के लोग इस बारे में निष्ठा और आस्था रखते हैं क्योंकि वह इस नीयत से वह जुड़े हुये हैं कि इस देश में हमको सहकारिता को आन्दोलन के रूप में चलाना है? क्या इसी निष्ठा और विश्वास के साथ राज करने वाले पार्टी में है? मेरा पहला नीतिगत प्रश्न है कि आप अपनी नीयत साफ कीजिये। क्या सरकार की नीयत है वह सहकारिता आन्दोलन को चलाना चाहती है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नीयत को साफ करना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र शास्त्री : नहीं चाहते हैं उसका प्रमाण है साहब मेरे पास। मैं विपक्ष के नेता महोदय की बात को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूं कि प्रमाण यह है कि 12 साल तक यहां प्रशासक रहे, चुनाव करवाये लेकिन लूले-लंगड़े करवाये और आज चर्चा कर रहे हैं कि जब इस देश के संविधान में संशोधन हो जायेगा तब जाकर यह चुनाव करोगे। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता है हमारी सरकार को चुनाव कराने का अधिकार ही प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा ढोल पीटा गया, पंचायती राज के चुनाव का संविधान में संशोधन कर दिया गया। क्या सार्थकता है? यहां पर 13 साल तक जब आपने पंचायती राज में बराबर चुनाव नहीं करवाये तो क्या आवश्यकता थी, अब संविधान संशोधन की। आप होली-दीपावली की तरह से सहकारी समितियों और पंचायतों के चुनाव कराना चाहें तो संविधान में कहां आपत्ति आई हुई थी, कहां आंच आई हुई थी? पर जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा हमारे लोग सक्षम नहीं होंगे, हमारी सरकार सक्षम नहीं होगी और वह कुछ नहीं कर सकेगी।

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है, हमारा जो सहकारिता का क्षेत्र है निश्चित तौर से उसमें कमजोरी है, निश्चित तौर से उसमें बुराइयां हैं, निश्चित तौर से उसमें सुधार हो सकता है और यह गांव के आदमियों से जुड़ी हुई बात है। इसमें पहला सुधार तो यह आवश्यक है कि कानून में संशोधन किया जाय ताकि प्रभावी तौर से रिकवरी की जा सके, कानून में संशोधन किया जाय कि जो हमारे साढ़े 14 करोड़ रुपये की अपीलें रजिस्ट्रार महोदय के यहां पिछले 10-12 सालों से पड़ी हैं उनका तुरन्त फैसला किया जाय, कानून में संशोधन किया जाय कि धारा 34 और 36 की तलवार हर समय चुने हुए लोगों पर न लटकती रहे। निश्चित तौर से धारणा तय की जाय कि बीमार आज इस अवस्था में पहुंच गया है, जब तक इसमें नये खून का संचार नहीं किया जायेगा यह बीमार किसी प्रकार से नहीं बचेगा। आज जब शरीर विज्ञान कहता है कि जब बीमार की यह स्थिति हो जाय कि बीमार को कोई दवा असर नहीं कर सकती तो नया खून लाकर देना होगा। आज सहकारिता का आन्दोलन कहें, सहकारिता का विभाग इसको कहें, आन्दोलन कहें जो कुछ भी कहना चाहे पर इस क्षेत्र में नये खून की आवश्यकता है। पर जब भी जिक्र आता है सरकार कहती है कि वित्तीय संकट है, सरकार कहती है कि वित्तीय संकट उपस्थित हो रहा है। आज 40 करोड़ रुपये का अन्तराल है, आज 14 करोड़ रुपये के मुकदमे लम्बित पड़े हुए हैं, इसके अलावा बैंकें जितनी काम कर रही हैं उन सबकी हालत खस्ता है, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की हालत खस्ता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता राज्य सरकार से हम 20 पर्सेण्ट का किसान को ऋण नहीं दे सकते, हम उसको बीज ठीक नहीं बेच सकते, हम वक्त पर उसको बीज उपलब्ध नहीं करा सकते, जिस खाद की आवश्यकता होती है उस खाद को उपलब्ध नहीं करा सकते तो फिर क्यों इतना बड़ा पहरा बढ़ने दिया, किसलिये इतनी बड़ी संख्या अफसरों की....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सदन की राय से एक घण्टे के लिये बढ़ायी जाती है।

मांग संख्या 36 सहकारिता पर अग्रेत्तर चर्चा

श्री महेन्द्र शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज गांवों में जो सहकारी समितियां काम कर रही है वह पूरी तरह से किसानों को सुविधायें दे सकती हैं लेकिन उनके साथ कठिनाइयां कहां खड़ी होती हैं इतना बड़ा-बड़ा क्षेत्र सोसाइटीज का है, उस क्षेत्र को

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

ग्राम पंचायत क्षेत्र तक सीमित किया जाना चाहिये, कानून में संशोधन होना चाहिये, सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र को छोटा किया जाना चाहिये, चुनाव की व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिये।

इसके साथ ही किसानों की उपज का प्रोसेशन है, किसान की उपज का विक्रय क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से, उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं उनको सामग्री उपलब्ध कराने के लिए होना चाहिए इसके अलावा गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चालू किये जानेचाहिये।

अब गांव के पूरे समाज को एक सहकारी समिति पूरी तरह से पूर्ण बना सकती है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा और खास तौर से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 12 साल में जितने सर्कुलर विभाग ने निकालें हैं, हो सकता है कि विभाग वालों को पूरे सर्कुलर्स की एक पुस्तक बनवा लीजिये तो आप पायेंगे कि पहला सर्कुलर्स दूसरे के खिलाफ है, दूसरा पांचवें के खिलाफ है, पांचवां सातवें के खिलाफ है और यह भी पायेंगे कि पूरा का पूरा को-आपरेटिव एक्ट उन सर्कुलर्स के तहत पंगु बन गया है। उसमें यह भी पायेंगे कि जो उप नियम बनाने की जो प्रथा चालू की गयी है, उप नियमों का जो मोडल बाई लाज स्थापित किया गया है उन मोडल बाई लाज को अगर आप देखेंगे तो एक बाई लाज की पहली धारा दूसरी धारा के खिलाफ है, दूसरी चौथी के खिलाफ है उसका कारण यह है कि यह सब एक्सपर्टस द्वारा बनाये गये हैं और उन विद्वानों और एक्सपर्टस ने उन्हें किस तरह से प्रयोग किया है यह भगवान जाने हम चुने हुए लोग जब से आये हैं। हमारे सामने एक मुश्किल है एक सर्कुलर पहली बार आया कि यह जो स्थापना हुई हैं। अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थापना में स्थापित हो गया तो आप सब के सब धारा 74 के तहत पनिश किये जाओगे, धारा 36 के तहत हटा दिये जाओगे। बहुत अच्छा साहब। क्यों करें तो। परन्तु नहीं कि यह गलती हो गयी। दूसरा फिर आ गया कि वैसे ही रहने दो। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सर्कुलरों के जरिए आज सहकारी विभाग को चलाया जा रहा है। इसकी कोई न कोई समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए इसके बिना रास्ता नहीं निकलेगा। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता था सहकारिता के क्षेत्र में यहां सदन में यह बात तय हुई, मंत्रीजी के चैम्बर में यह बात तय हुई। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ कि जितने मुकदमे धारा 74 के तहत आज की तारीख में पैंडिग हैं उनका निर्णय करने के लिए एक विशेष अतिरिक्त रजिस्ट्रार की कोर्ट की स्थापना की जायेगी। जो प्रतिदिन उन मुकदमों को सुनेंगी और प्रतिदिन उन मुकदमों को सुनकर उनके फैसले दिये जायेंगे। उन मुकदमों को भी आप दिखवायें माननीय मंत्री महोदय कि प्रशासक के काल में डिग्री हो गयी सन् 1975 में और सन् 1987 तक 12 साल तक उस डिग्री के अन्तर्गत कोई

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

एक्जीक्यूशन नहीं हुआ और एक्जीक्यूशन नहीं होने से स्थिति यह हो गयी कि आज वह डिग्री भी निरर्थक हो गयी। तो हम यह चाहते हैं एक बात कही गयी है सदन में हमारी कांग्रेस पार्टी का बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बना दिया है, यह भी बना दिया है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह गबन घोटाले किसने किये। यह सब काम तो आपने किये, बनाने वाले भी तो आप ही हो और यह घोटाले का काम किसने किया ? यह भी वहीं से कहीं न कहीं से हुआ होगा। आज हम वसूली की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं। सदन के साथ मिलकर के वे भी उन्हीं की देन हैं जिनकी देन समिति है उन्हीं की देन घपला है। (व्यवधान)

उस सीरियस अवस्था का तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अन्वेषण करेंगे, उसका थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे कि इन दोनों अवस्थाओं को मिलाने की क्या स्थिति होगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियों का जो आज की तारीख में ढांचा है और उसमें जो कार्य प्रणाली है। जो कर्मचारी कार्यरत हैं। यहां सभी सदस्यों ने व्यवस्थापकों पर चिन्ता व्यक्त की, उनकी हड़ताल पर भी चिन्ता व्यक्त की। मैं व्यवस्थापकों की बात नहीं कह रहा हूं। क्रय-विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी कार्यरत हैं, व्यवस्थापक नहीं दूसरे कर्मचारी, उपभोक्ता भण्डारों में कर्मचारी कार्यरत हैं, भूमि विकास बैंक में कर्मचारी कार्यरत हैं, गृह निर्माण सहकारी समितियों में कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके साथ आपकी जो दूसरी उद्योग समितियां हैं उनमें कर्मचारी लगे हुए हैं। इन सब समितियों में जो सब कर्मचारी लगे हुए हैं। इनके सम्बन्ध में नियम 41 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार महोदय कब तक कानून बनाते रहेंगे। कभी कोई चिट्ठी लिख देंगे, कभी कोई चिट्ठी लिख देंगे। कहीं न कहीं तो आपको यह बात ठहरानी पड़ेगी। माननीय मंत्री महोदय पूछ रहे थे हम लोगों से जब आपने मीटिंग बुलायी कि कहीं न कहीं तो तय करो कि यह किसके कर्मचारी हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस पूरे सहकारी आन्दोलन में कहीं न कहीं तो तय करो कि कानून क्या हैं, नियम क्या है, उप-नियम क्या हैं और एक्ट क्या हैं। कहीं न कहीं तो रुको। नहीं तो आज सहकारी व्यवस्थापकों की स्थिति है कल दूसरे गृह निर्माण समिति वाले आयेंगे और तमाम जो उद्योग समितियां हैं उन वाले आयेंगे। उनकी स्थितियां क्या होंगी ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी का काम, यह ठीक है। बैंक में निश्चित तौर से इस सहकारी आन्दोलन में फील्ड में काम करने वाले और दफ्तर में काम करने वाले में बड़ा अन्तर है। एक 10 बजे से 5 बजे तक बैठता है उसकी बहुत बड़ी तनख्वाह है। एक 10 बजे से 24 घन्टे काम करता है, उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है और उसका कारण यह है कि ये समितियां आटोनोमस बाडी हैं। आज हमारी स्थिति यह हो गयी है उपाध्यक्ष महोदय, कि सहकारी बैंकों में गांव की, आम आदमी की हिस्सा पूंजी लगी हुयी है। जिन सहकारी

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

बैंकों में लोगों के डिपोजिट हैं, डिपोजिटर्स जमा किया हुआ है। अगर हमारा खर्चा इसी तरह बढ़ता रहा तो वह पूंजी जो हमने अंशदान के रूप में एकत्रित की है वह तो समाप्त हो ही चुकी और हमारी स्थिति यह आ जायेगी कि हमारे डिपोजिटर्स का पैसा भी हमारे पास देने के लिए नहीं होगा और हमारे सहकारी आन्दोलन को बहुत बड़ी कालिख लगेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में चाहे वह व्यवस्थापक हो, चाहे वे दूसरे कर्मचारी हों हमको निश्चित रूप से कोई न कोई नियम बनाकर के और इस लोकतन्त्र की स्थिति के साथ उसकी आमदनी के साथ उनको जोड़ना पड़ेगा वह तभी सम्भव है जब सरकार का हस्तक्षेप कम हो। इस सारे आन्दोलन में एक खून का प्रवेश हो और गवर्नमेंट और राज्य सरकार के माननीय मंत्री सिर्फ 48 करोड़ की अनुदान मांगों के साथ न चलें, इसके साथ यह प्रोवीजन होना चाहिए बजट में कि जब यह मानकर चलते है कि हम देश के किसान का हित कर रहे हैं, हम मान कर चलते हैं कि हम गांव के किसान को उसकी उपज बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि उसको गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठायें। सहकारिता हमारा एक मात्र माध्यम है तो मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, राज्य सरकार बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सहकारिता के लिए क्यों नहीं रखती। इस सहकारी आन्दोलन में नया धन और नया रुपया क्यों नहीं जुटाया जाता, इसके साथ उपेक्षा का व्यवहार क्यों किया जाता है? अगर हम मानते हैं, यह हमारे देश की आज की नियति है, गांव और गांव के किसान को उठाना चाहते हैं और आपको अगर इस बात का फैथ है कि आपके प्रधान मंत्री जो कुछ कह रहे हैं, सचमुच नेक-नियति से कह रहे हैं तो आपसे फिर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जो गांव के जन-जीवन को बहुत ऊंचा स्तर दे सकता है और देश की सारी बीमारियों को मिटा सकता है इसलिए आप इस माध्यम को स्वीकार करके सरकार से पैसा लीजिए। यह अनुदान की राशि जो गांवों में आप बिखेर रहे हैं और ये जो आप वोट बटोरने की नीयत से जवाहर रोजगार योजना का शगूफा छोड़ रहे हैं। जब तक गांव के आदमी के पेट में रोटी और उसकी आँखों में तभी चमक पैदा होगी जब आप इस स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो आज दुबारा से इस कानून पर विचार किया जाय, नियम उप-नियमों में संशोधन किये जायं, इन कर्मचारियों की व्यवस्था को स्थगित किया जाय, कार्य क्षेत्र को एक समिति तक बढ़ाया जाय और इसमें नये ब्लड का ट्रान्स-फ्यूजन किया जाय। सहकारिता पर आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द मीणा। (अनुपस्थित)

श्रीमती सुधा (अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सहकारिता

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की मांग पर आज चर्चा कर रहे हैं। सहकारिता एक जीवन दर्शन है और इसका आम जन-जीवन से सीधा सम्बन्ध है। राजस्थान प्रदेश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति रही है, वहां सहकारिता आन्दोलन का विस्तार एक समस्या थी। सामन्ती चट्टानों पर सहकारिता के बीज अंकुरित करना वह कोई साधारण बात नहीं थी परन्तु पण्डित जी जैसे दूरदृष्टा ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर इस देश को दिशा-निर्देशित किया और उसका यह परिणाम है कि सहकारिता का आन्दोलन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला गया और राजस्थान में लगभग सभी गांव और ढाणियों तक यह आन्दोलन पहुंच चुका है। जब कोई आन्दोलन बहुत तेजी से बढ़ता है उसको बढ़ाने और विस्तार की ओर हमेशा निरन्तर ध्यान जाता है। उसके साथ-साथ कुछ कमियां रहती हैं, कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं और आन्दोलन में जब कभी प्रभावित लोग होते हैं शोषक और साहूकार। वे नहीं चाहते कि ऐसा आन्दोलन गांवों में पैदा हो इसलिए निहित-स्वार्थी तत्व भी इस आंदोलन में बड़े तौर से बाधक रहे हैं। आज समस्या इस बात की है कि जिस लक्ष्य से इस आन्दोलन की शुरूआत की गयी। उस समय की परिस्थितियां और स्थितियाँ दूसरे प्रकार की थी और आज की स्थिति दूसरी प्रकार की हो गयी। अभी कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी धारा 74 के मामलों की, गबन के मामलों की। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों को जो पैसा मिलता है वह रिजर्व बैंक से आता है और उसके बाद भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी उसमें से कुछ न कुछ अंश देती है परन्तु कुल मिलाकर के पिछले कुछ वर्षों के आप सारे आंकड़े संकलित करायें तो करोड़ों रुपये आज भी बैंकों के माध्यम से जो बंटा हुआ है वह सब उलझ रहा है। उसके कारण बहुत साफ हैं। कई जगह हिसाब-किताब रेकार्ड गायब हो गया, कई जगह अंगूठे लग गये और किसानों को पैसा नहीं मिला, कई जगह एक दूसरे पर डालकर के दस्तख्त करवा लिये। वे कहते हैं उसके पास है, वे कहते हैं उसके पास है। इस तरह यह पैसा करोड़ों की तादाद में राजस्थान में उलझा पड़ा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस आन्दोलन को हमने एक अच्छा आन्दोलन माना है। उसके साथ-साथ ये विकृतियां पैदा होने के बाद भी प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं हुई। कई बैंकों में, विभागों में फाइलें, कई जगह आप देखेंगे 10–10, 15–15 वर्ष से फाइलें पड़ी हुई हैं, उनका निष्पादन नहीं होता है। यह समस्या काफी गम्भीर है और इस तरह सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले जिम्मेदार नहीं है इसमें विभाग के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मैं उदाहरण के तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष मैंने एक प्रश्न पूछा था जहाजपुर तहसील के कुचलवाड़ा कलां ग्राम सेवा सहकारी समिति के गबन के मामलों में तो मुझे उत्तर दिया गया कि वहां कोई गबन नहीं और अभी 65 हजार रुपये तक की, एक महीना पहले व्यवस्थापक की जमीन नीलाम की जा रही है। उसी व्यवस्थापक जिसका गबन नहीं, मैंने दरख्वास्तें दी, प्रमाण दिये, उस आधार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पर प्रश्न पूछा और विभाग ने कह दिया कोई गबन नहीं। इसलिये मिली-जुली यह साजिश होती है। इसलिये विभाग को इस बारे में भी बहुत गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है। इसके साथ आज यह भी देखने की आवश्यकता है कि चार पचायतों में, तीन पंचायतों में एक सहकारी समिति है। तीन-चार पंचायतों में 10-12 गांव होते हैं। यह सहकारी समिति उनके लिये पूरे तौर पर खाद बीज की और दूसरी ऋण सम्बन्धी सुविधायें सुलभ नहीं कर पाती है। पण्डित जी ने कहा था हर गांव में एक स्कूल, एक पंचायत, एक सहकारी समिति। उस सिद्धान्त को, आज जनसंख्या बढ़ी है, गांव और ढाणी भी बढ़े हैं, ऐसी स्थिति में चाहूंगा कि पंचायत को इकाई मानकर उसके आधार पर फिर से सहकारी समिति को आधारित बनाना चाहिये और जहां-जहां पंचायत क्षेत्रों में हैड क्वाटर्स पर सहकारी समितियां नहीं है, वहाँ पुनः स्थापित करने के बारे में सोचने का मेरा अनुरोध है।

अब प्रश्न यह आता है कि सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार गबन घोटाले क्यों होते हैं। कुछ लोगों की नीयत तो खराब होगी, किन्तु व्यवस्थापकों को मानदेय या तनख्वाह जो भी मिलती है वह बहुत अपर्याप्त मिलती हैं, उनकी ड्यूटीज बहुत रहती हैं, वसूली की, रिकार्ड मेनटेन करने की खाद, बीज वितरण करने की। सहकारी समिति के व्यवस्थापकों की सेवा की भी गारण्टी नहीं और जो पैसा मिलता है वह भी कम मिलता है इसलिये भी प्रायः सोसाइटीज में गड़बड़ घोटाले ज्यादा होते हैं। मैं चाहूंगा कि व्यवस्थापकों को प्रशिक्षित करके उनको पर्याप्त तौर से वेतन दिया जाये, सुविधायें दी जायें ताकि वह निष्ठा के साथ इस क्षेत्र में काम कर सकें। सहकारी समिति में जब तक हम मार्केटिंग सोसाइटीज व्यवस्था को नहीं जोड़ेंगे उत्पादन से, गांव का किसान उत्पादन करे, ग्राम सेवा सहकारी समिति की मार्फत, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को पूरा पैसा मिल सके, कृषि उपज मण्डियां हैं वहां जोड़े तो तो वहां जोड़ दें वरना मार्केटिंग के आधार पर यह व्यवस्था जोड़ना बहुत आवश्यक है ताकि किसानों को उपज का पूरा लाभ मिल सके।

पिछले वर्षों में लगभग मेरा ऐसा अनुमान है 75 से 80 प्रतिशत तक परिवारों को हम सहकारी समितियों में ला सके हैं किन्तु उसके बाद कई परिवार बढ़ गये। अलग-अलग घरों में हो गये। तो वह सबके सब सदस्य कहीं नहीं बना पाये हैं। इन वर्षों में सदस्यों के बढ़ाने के कार्यक्रम में सहकारी विभाग भी दिलचस्पी नहीं ले पा रहा है और दूसरे भी नहीं ले पाते हैं। इसलिये हमको इस बात पर विचार करके जैसा दांते कमेटी ने पहले सिफारिश की थी उसके साथ-साथ पुनः एक पंचायत में एक सहकारी समिति बना करके जो सदस्य नहीं बन पाये हैं उन परिवारों को हम सदस्य बनायें, यह मैं खास तौर से अनुरोध करना चाहता हूं।

व्यवस्थापकों की सेवा की बात मैंने कही उसके साथ-साथ बैंकों में व्यवस्थापकों के भर्ती करने में बहुत बड़े घपले होते हैं, बहुत बड़ी अनियमिततायें होती हैं। पिछले

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दिनों हाई कोर्ट में एक रिट मैंने पढ़ी, भीलवाड़ा की। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वहां भर्ती में बड़ी विसंगतियां हुई, बड़ी अनियमिततायें रहीं और आरोप जो लगाये गये वह ऐसे आरोप थे जिसको देखकर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि विभाग के अधिकारी उसमें बैठते हैं अप्रशिक्षित व्यवस्थापक ले नहीं रहे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भीलवाड़ा बैंक का चैयरमैन कौन है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आपका ही मिलने वाला था कोई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे मिलने वालों का नाम भी कोई होगा ?

श्री रतनलाल ताम्बी : नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरी है यहाँ नाम लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम लेने की हिम्मत चाहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी: वह सारी हिम्मत विपक्ष के नेता महोदय को दे रखी है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि विभाग के अधिकारी जो वहां मौजूद है उसके बाद आपने, विभाग ने जो ट्रेनिंग दिलवाई, उनको भर्ती नहीं किया गया और अप्रशिक्षित व्यवस्थापक भर्ती कर लिया गया। कई वर्षों से सहकारी समिति में काम कर रहे थे, मैट्रिक थे, ग्रेजुएट थे उनका नहीं किया गया कहीं उनके रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया, एक परिवार के लोगों की भर्ती, वह हाई कोर्ट की रिट जब मैंने सारी पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि अधिकारी भी नियमों का पालन करने में पूरा सहयोग नहीं करते हैं, वह नहीं चाहते हैं कि नियमों के अन्तर्गत ठीक तरह से लोग आयें। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं चाहता हूं कि सहकारिता का आन्दोलन जो इन कुछ वर्षों में शिथिल हो गया, इनके कायदे कानून, नियम बहुत पुराने बने हुए हैं। आज के संदर्भ में उनका पुनरीक्षण करके फिर से कानून में संशोधन किया जाये ताकि सहकारिता के प्रति जनता में आस्था बढ़ सके, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ी देर ही बोलता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता पर विचार हो रहा है। सहकारिता हमारे ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और उसी से ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा विषय जुड़ा हुआ है लेकिन आज हम इसके उद्देश्य की तरफ देखते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी संस्था है लेकिन लक्ष्य की ओर जब ध्यान देते हैं तो आज यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है। केवल मात्र बार-बार इसके लिये कई प्रकार की घोषणायें की गई हैं कि हम सहकारिता के द्वारा समाजवाद ला रहे है, सहकारिता की भावना पैदा करके ग्रामीण विकास कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी सहकारिता की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु आता है

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

वह गबन और घोटाले का आता है । आपने सहकारिता के ऊपर जब-जब भी कोई कार्यक्रम देखा होगा तो इस बात का जरूर विवरण आया है कि सहकारिता किस प्रकार लूटपाट का एक अड्डा बना हुआ है, कैसा गबन और घोटाले का केन्द्र बना हुआ है । यह सहकारिता में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है । और यह कारण भी सही है कि अगर हम 1961 से 1985-86 के वर्षों के ऊपर अगर ध्यान दें तो इन गबन घोटालों के मामले और इनकी राशि की संख्या में जो वृद्धि हुई है, जैसे 1960 और 1961 में 293 गबन घोटालों की संख्या थी और जिनमें 4.36 लाख की राशि थी वह 1971-72 में बढ़ करके 1510 हो गई और गबन घोटालों की राशि 49.96 लाख रुपये तक पहुंच गई । और इसी तरह से यह राशि 30 जुन, 1981 को 2073 मामले बढ़ गये और इनमें 365 लाख 91 हजार के लगभग गबन घोटाले हो गये । इनके बाद में अगर हम देखते हैं तो 30 जून, 1986 को 5539 मामले गबन के थे और उनमें 848 लाख 96 हजार रुपये की राशि थी । इस प्रकार लगातार जो गबन की राशि बढ़ी है इनसे कुछ बिन्दु हमारे सामने आते हैं कि गबन की राशि, घोटालों की राशि लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार उन पर कितना निर्णय कर पाती है, और विभाग उनसे कितनी वसूली कर पाता है, इस बात का अगर हम मनन करते हैं तो हमको मालूम होगा कि इसका सबसे बड़ा जो कारण बना हुआ है उसमें काफी मामले आज भी निर्णित नहीं होने की संख्या में पड़े हुए हैं । काफी मामले, सारी कार्यवाही पूरी होने के बावजूद भी उनसे वसूली नहीं की जा रही है ।

आज हम सहकारिता की तरफ देखते हैं किस प्रकार व्यवस्थापक इन गबन घोटालों में लगे हुए हैं । आज किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के बारे में जानकारी चाहें तो मैं नीम का थाना की बता सकता हूं हमारे यहां 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, ऐसी कोई सहकारी समिति नहीं है जिनमें बहुत बड़ा गबन घोटाला है । काश्तकारों ने जब कोई बीज, खाद, कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने किसी प्रकार का लोन नहीं लिया फिर भी उनके ऊपर लाखों रुपये का गबन है और आज उनको खाद-बीज वगैरह कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है और हालत यह हो रही है कि वह इस सहकारिता के विकास से वंचित रह रहे हैं । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ बिन्दु माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तब तक सहकारिता का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता जब तक आप उन दोषी व्यक्तियों को जिन्होंने इसमें गबन किया है चाहे वह अधिकारी है, चाहे सहकारी संस्थाओं के हैं, चाहे वह निर्वाचित सदस्य हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करके वसूली नहीं करेंगे तब तक इस सहकारिता का विकास नहीं हो सकता यह इसी से जुड़ा हुआ है । जब तक इनका पूरा लेखा-जोखा, कौन-कौन आसमी किस प्रकार से है इनका ऑडिट अन्वेषण करवा करके जब तक ओपन नहीं करेंगे, गड़बड़ करने वाले जो दोषी लोग हैं उनको जब तक इस बात का मालूम पड़े कि किस प्रकार से यह सारे मामने निर्णित हैं उनमें सख्ती से कोई कार्यवाही होगी, तब तक लाखों की संख्या

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

में जिनकी पूंजी लगी हुई है, उसकी पूरी तरह से जानकारी तभी हो सकेगी....

अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। केवल मात्र यह कह कर कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है ऐसी अपनी बात करें तो यह कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पायेगी। मुझे एक बार अखबार पढ़ने का मौका मिला था। हमारे माननीय गृह मंत्री गहलोत साहब ने उदयपुर में इस सहकारिता को मधु-मक्खी के झुण्ड का उदाहरण दिया था यह कहा था कि यह गबन, घोटाला और भ्रष्टाचार का अड्डा है विकास की ओर नहीं ले जायेगा। इस प्रकार की भावना उन्होंने जतायी थी। इसके बावजूद सरकार ने आज तक इन भावनाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मुझे आशा है कि अब वे सरकार में शामिल हैं और सहकारिता के विकास में वे अपना पूरा सहयोग देंगे, जिससे ग्रामीण विकास में सहकारिता का सब से बड़ा योगदान हो सके। इसमें गांवों का बहुत बड़ा भला है जो इस सहकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। साहूकारी प्रथा से मुक्ति पाने के लिये इस सहकारिता के द्वारा वे अपना विकास करना चाहते हैं। इसके द्वारा उन्हें खाद, बीज और लोन की सुविधा मिलती है, वह मिले। इस सहकारिता का पूर्ण विकास हो इसमें आप मदद करें। आपने समय दिया इसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द मीणा।

श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कई अच्छे सुझाव दिये हैं। इस देश में सहकारिता लागू करने का एक ही उद्देश्य था, संविधान के अन्दर समाजवाद की जो कल्पना की गई थी, उसी का महत्वपूर्ण पहलू सहकारिता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में पहले जो शासन व्यवस्था थी वह राजा-महाराजाओं की और अंग्रेजों की थी। उस के अन्दर समाज में एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, ये दो वर्ग थे। उच्च वर्ग किसानों का, गरीबों का, शोषितों का शोषण करता था। वह कृषि के विकास, रोजगार के विकास के लिये कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराता था। उस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने सहकारिता आन्दोलन को चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहकारिता के माध्यम से गरीबों को रोजगार मिल सके, श्रमिकों को मजदूरी मिल सके, किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये साधन उपलब्ध हो सके। वैसे सहकारिता का संगठन आज इस बात को नहीं नकार सकते कि सहकारिता का आन्दोलन है वह बहुत अच्छा है, वह असफल हो रहा है यह बात नहीं कह सकते। सहकारिता ने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। हमें उन खामियों को सुधारना होगा। इस सहकारिता संगठन के अन्दर जो भूमि विकास बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक है उसके अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है और जो प्रतिनिधित्व है उसमें लघु-कृषक को साथ जोड़ने के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग चुन कर नहीं आ सकते हैं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन

(श्री मूलचन्द मीणा)

करूंगा कि आप भविष्य में कभी भी सहकारिता के चुनाव करावें तो उसकी कार्यकारिणी में विशेष रूप से एस.सी., एस. टी. के अलग बार्ड बनावें या, एक-दो सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के होने चाहिये ताकि वे अपनी वकालात कर सकें। लघु कृषक चुन कर आ जाते हैं इससे वे रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति के माध्यम से जो संगठन बनाये गये हैं, उसमें दो प्रकार की सहकारी समितियां हैं। एक एल. एस. एस. और जी. एस. एस. लेकिन कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सहकारी समिति नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति बने। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके चुनाव नियमित समय पर हों। इस सदन के अन्दर यह चर्चा रही कि सहकारी समिति में घोटाले, गबन, भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मंत्रीजी आपको यह ध्यान देना होगा कि जब सहकारी समिति के, इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए तब कर्मचारियों ने इन समितियों पर हावी होकर गबन, घोटाले किये। जब-जब इन समितियों के चुनाव हुए, ये गबन, घोटाले सामने आये। चुने हुए प्रतिनिधि जनता का भला चाहते हैं। सवाई माधोपुर जिले की सहकारी समिति के बारे में कहना चाहूंगा। मैं सवाई माधोपुर जिले के अन्दर 268 सहकारी समितियां हैं और 258 सहकारी समितियों में गबन हैं। दस सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें गबन नहीं हैं। ये गबन करने वाले कौन लोग हैं? ये सहकारिता के कर्मचारी हैं। या तो उन्होंने किसान के नाम से फर्जी कर्जा ले लिया है या किसान ने कर्जा जमा कराया तो सेक्रेटरी ने उसको जमा नहीं किया है। इस प्रकार के घोटाले हैं। एक निवेदन यह करना चाहूंगा, जिन सहकारी कर्मचारियों ने गबन किया है उस सम्बन्ध में आपके यहां से यह निर्देश निकाला गया है कि जो सहकारी कर्मचारी सेक्रेटरी या एल. आई. हैं, जिस किसी ने गबन किया है वह जितना गबन किया है उतना पैसा जमा करा दें तो फिर बहाल कर देंगे। ऐसे लोगों की तो आपको छंटनी करनी चाहिये। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक कमालपुरा सोसायटी है उसके अन्दर एक सेक्रेटरी ने 55 हजार रुपये का घोटाला किया। दो साल बाद उसको फिर बहाल कर दिया। दूसरी सोसायटी में लगा दिया तो वहां उसने एक लाख रुपये का घोटाला कर दिया। ऐसे लोग यदि सहकारिता के अन्दर रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसानों को सही लाभ मिल सकेगा। सहकारिता आंदोलन के माध्यम से उपभोक्ता को सामान मिल सके इसके लिए गांव-गांव में आपको दुकानें खोलनी चाहिये। सहकारिता के माध्यम से उपभोक्ता को सही सामान उपलब्ध होगा, सही रेट पर उपलब्ध होगा। व्यापारी वर्ग गांव के लोगों से उसी सामान पर दुगुना, तिगुना पैसा लेते हैं। क्यों नहीं सहकारिता क्षेत्र में गांव-गांव में सहकारी दुकानें खोली जावें। जिससे उपभोक्ता को लाभ मिल सके, सहकारिता का सदुपयोग कर सकें।

किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाया जाये, कैसे व्यवस्था करें, मुख्य उद्देश्य सहकारिता का यही है। खाद, बीज का जब प्रश्न आता है या तो किसान खेत में बीज डाल देता है उसके बाद सहकारी

(श्री मूलचन्द मीणा)

समिति के पास बीज आता है। खाद भी तब आता है जब किसान को उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी आवश्यक चीजों के लिए सहकारी समितियों को स्पेशल निर्देश दें कि किसानों को समय पर खाद, बीज मिले। जिस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, उसको लाभ समय पर नहीं मिल पाता है तो वह संस्थाएं क्या सफल होंगी। मंत्रीजी आप इस सहकारिता के सम्बन्ध में जानते हैं, किसानों से सम्बन्धित समस्याओं को भी जानते हैं....

किसानों की समस्याओं का और सहकारिता आन्दोलन को सही रूप में देखना है तो आपको इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। सहकारिता को असफल करने में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी परिवर्तित करना होगा, उनकी छंटनी करनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री मूलचन्द मीणा : सहकारी समितियों का जो ऑडिट है वह नियमित समय पर होना चाहिये। आडिट नियमित समय पर हो जिससे किसी प्रकार की राशि की गड़बड़ हो उसका पता लग सके इसलिये आडिट का विशेष ध्यान रखा जाय। जिस प्रकार पंचायत समितियों का व पंचायतों का आडिट होता है उसी प्रकार से इनका आडिट किया जाये। साथ ही आज व्यवस्थापकों की जो समस्यायें हैं उनको लेकर भी आन्दोलन हो रहे हैं। यह आन्दोलन की समस्या इसलिये पैदा हुई कि न तो बैंक इनको अपना कर्मचारी मानते हैं और न सरकार ही उनको अपना कर्मचारी मानती है। ऐसी स्थिति में इन व्यवस्थापकों की भी दयनीय स्थिति हो गई हैं। आप या तो इनको बैंक के कर्मचारी मानकर इनकी समस्याओं को दूर करें या पंचायतों की तरह जिस प्रकार पंचायतों के अन्दर सेक्रेटरी होता है निश्चित रूप से उसी प्रकार से इनकी व्यवस्था करें जिससे कि सहकारी समिति के अन्दर होने वाले कार्य सुचारु रूप से चल सकें और इस प्रकार की जो रुकावटें सहकारी आन्दोलन में आ रही हैं वह नहीं आवें।

सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक दो हैं। सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जिसमें हिण्डौन में भूमि विकास बैंक है उसमें अभी वसूली के लिए कार्यवाही की गई तो भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों ने 8 हजार रुपये अपने गाड़ी, घोड़े और वसूली करने के लिये चक्कर मारे और वसूल पैसे कितने किये 1843 रुपये ऐसे ही आपके इस सहकारिता के अन्दर कर्मचारी हैं तो मंत्री जी आप ऐसे कर्मचारियों का भी ध्यान रखें कि गरीब जनता का, सहकारिता से जुड़े हुए लोगों का जो पैसा है, वह फिजूल खर्च नहीं हो और सही कार्य हो, सही सदुपयोग हो। आपने जो समय दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मी नारायण किसान संक्षेप में कहेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारिता की मांगों पर विचार चल रहा है और मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि दरअसल में सहकारी समितियों में आज जो गबन और

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

घोटाले की बात चल रही है यह खाते-पीते व्यक्तियों के लिये हैं कहीं यह सहकारी समितियां नहीं बनी है। सहकारी समिति का जन्म ईश्वर ने इस धरती पर उस गरीब के घर से किया है। आज जो खाते-पीते व्यक्ति जो इस गबन और घोटाले में लग रहे हैं वह इस युग में भगवान से विमुख हो रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। जिस समय सहकारिता के आन्दोलन की शुरूआत हुई और जिस समय सहकारी समितियों का गठन हुआ, उस समय वह गरीब जुलाहों के घर से हुआ। मैं एक इस सम्बन्ध में कहावत बताता हूं—

देश ब्रिटेन सुना था तुमने जहां रात दिन कस्बा था

दीन जुलाहों की उन्नति का नहीं कोई जब रस्ता था

सबने थोड़ी राशि बताकर जमा कर लिया हिस्सा था

कायम कर लिया सहकारी भण्डार, जहां सब कुछ मिलता सस्ता था।

उस समय इस धरती पर सहकारी समितिनों का रजिस्ट्रेशन, गठन और शुरूआत हुई है। जिस समय किसी को कुछ नहीं मिल रहा था गरीब व्यक्तियों ने मिलकर इस प्रकार सहकारिता का आन्दोलन किया था। आज इस देश में हिन्दुस्तान में और राजस्थान में यह जो आन्दोलन चला है वह सिर्फ सहकारिता का आन्दोलन, इसलिये चला है कि गांव के गरीब, मजदूर के लिये सरकार कुछ करे ताकि उनकी रोजी-रोटी का कुछ रहे इसलिये किया। आज सहकारी समितियों से पूरे देश का हर व्यक्ति चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, चाहे उपभोक्ता भण्डार हो, चाहे कहीं डेयरी कोपरेटिव हो और चाहे कहीं गृह-निर्माण सहकारी समितियां हो, सारे देश के व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं इसीलिये आज जो भी है, अभी परसादीलाल जी ने कहा था एक सबके लिये और सब एक के लिये। इसको एक ईश्वरीय रूप दिया गया है और जहां गरीब बसते थे उस समय गरीब ने ईश्वर को याद किया तभी यह ज्ञान पैदा हुआ कि सहकारी समितियों का गठन करने का वह वास्तव में असली रूप है, ईश्वरीय रूप था। आज ईश्वर एक है और सबके लिये ईश्वर है सब में व्याप्त है इसीलिये इस सिद्धान्त को रखा था और इसीलिये इस आधार पर आज चल रहा है लेकिन आज ऐसे लोग विमुख के रूप में चल रहे हैं जिसमें गबन और घोटाले हो रहे हैं। आज जितनी कोपरेटिव सोसायटीज हैं, जितनी गरीबों को राहत मिलनी चाहिये उसके बजाय आज जितनी सहकारी समितियां और संस्थायें हैं वह तमाम घाटे में हैं और घाटे का एक मात्र उपाध्यक्ष जी, यही कारण है कि सहकारी समितियों के समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप देखिये कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कुछ वर्षों से, 6–7 साल से चुनाव नहीं हुए थे वहां बहुत बड़े गबन और घोटाले हो गये। 6–7 साल में दो तीन टर्म में जिस प्रकार चुनाव देर से हुए। आज ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अगबन घोटाले की प्रतिशत दिन-प्रतिदिन घट रही है। उनमें किसी प्रकार का अगर कहीं-कहीं मिल जाय तो गबन घोटाले बहुत थोड़े मिलेंगे वैसा नहीं तो उन गांवों की सहकारी समितियों में गबन, घोटाले कम हो रहे हैं।

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

आज जब घोटाले की बात उसी जगह पर चल रही है जहां लगातार वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। नीचे से चुनाव ग्राम सेवकों का होगा ऊपर से राज्य स्तरीय बैंकों का और राज्य स्तरीय संस्थाओं का चुनाव नहीं किया। आज उनमें बड़े-बड़े घोटाले की बात चल रही है इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनके चुनाव करना बहुत जरूरी है। संविधान में प्रावधान करके जैसे भी हो इनके चुनाव समय पर हों तो निश्चित रूप से किसी प्रकार के गबन, घोटाले नहीं होंगे, यह मेरी मान्यता है। इसके साथ ही नियमों में संशोधन करना चाहिये। नियमों और अधिनियमों में संशोधन करना चाहिये कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहे। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा तो निश्चित रूप से उस पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं रहेगा और किसी प्रकार के गबन-घोटाले नहीं होंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है आडिट आक्षेपों की सोसायटीज में पूर्ति नहीं होती है और सहकारी समितियों को खुद को अधिकार दे रखे हैं। इसी प्रकार से ही आज उनमें गबन-घोटाले हो रहे हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये अलग से एक ट्रिब्यूनल कायम होना चाहिये कि किसी भी सहकारी समिति का किसी स्तर पर, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, जिस केडर की सोसायटी है उसके लिये आक्षेपों की पूर्ति के लिये अलग से ट्रिब्यूनल स्थापित होना चाहिये और उसमें दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिये। अगर ऐसी व्यवस्था हो जायेगी तो निश्चित रूप से कहीं पर भी गबन की बात नहीं आयेगी क्योंकि दण्ड देने का प्रावधान हो गया। आज व्यवस्था यह है कि सहकारी समितियां खुद ही अपने गबन, घोटाले में जितना भी आडिट आक्षेप होता है उनकी पूर्ति का अधिकार खुद को दे रखा है। अब जो आदमी पैसे आयेगा वह खुद ही लीपापोती करके जवाब दे देगा और अधिकारियों से मिलकर राइट ऑफ कर लेगा। यह व्यवस्था आज है इसलिये इस व्यवस्था में बदलाव आना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह करना चाहिये किसी भी सहकारी समिति का चुनाव होने के बाद अगर संचालक मण्डल किन्हीं कारणों से सरकार भंग करती है तो प्रशासक जो नियुक्त किया जाय वह 6 महिने, या चुनाव, जो भी पहले हो उसी अवधि तक किया जाय। इसमें जो भी पहले अवधि खतम होती हो, चाहे 6 महिने हो या चुनाव हो। किसी भी संस्था का प्रशासक उसी समय तक रखा जाय। लम्बे समय तक जो प्रशासक जम कर बैठ जाते हैं रजिस्ट्रार महोदय, उनको नियुक्त कर देते हैं और कहीं 12 वर्ष तक उनकी कोई सुनवाई नहीं इसलिये यह प्रावधान होना चाहिये कि 6 महिने से अधिक नहीं होगा तो निश्चित रूप से 6 महिने में कोई गड़बड़ होने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार चौथा मेरा निवेदन है कोई भी सहकारी संस्था में लगातार जो गबन, घोटाले होते हैं कोई भी सहकारी समिति लगातार आडिट नहीं कराती है। कई सहकारी समितियों का 12–12 वर्ष तक आज भी आडिट नहीं

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

हुआ है। रजिस्ट्रार महोदय उनके इंसपेक्टर लगाते है। लोग जो प्रभावशाली हैं वे रिकार्ड लेकर गायब हो जाते हैं साहब क्या व्यवस्था करेंगे किसके पीछे पुलिस भगावोंगे। मेरा निवेदन है नियमों में संशोधन कर देना चाहिये और प्रावधान करना चाहिये कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सहकारी समिति का जिसका वह अध्यक्ष है, मंत्री है अगर वह लगातार 3 साल तक आडिट नहीं करवाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त माना जाना चाहिये। यह प्रावधान कर देंगे तो निश्चित रूप से उस रिकार्ड को लेकर उसके मुंह के सामने भागेंगे कि साहब आडिट कर लो कहीं इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त न हो जाय तो इसलिये यह ज्यादा आडिट न होने वाली उन सहकारी समितियों का किस्सा है जहां गृह निर्माण सोसायटियां हैं, श्रमिक ठेके हैं या कहीं खानों की सोसायटी हैं जिनमें व्यक्तिवाद है। एक व्यक्ति जिस पर अधिकार रखता है उन सहकारी समितियों में जितना आज हाउसिंग सोसायटी के लिये और खानों के लिये या श्रमिक ठेकों में और कहीं डेयरियों में घोटालों की जो बात आ रही है वह यही है कि इसमें आडिट नहीं करवाते हैं और रिकार्ड को दबा लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें यह प्रावधान होना चाहिये कि तीन साल में उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त मान लिया जाय आटोमेटिक तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई गबन-घोटाला नहीं आयेगा और उनको आडिट कराना ही पड़ेगा और जब आडिट होगा और इन्सपेक्शन होगा तो इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं रहती है....

इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है, को-आॅपरेटिव बैंक के जितने कर्मचारी हैं, सहकारी संस्थाओं के जितने कर्मचारी हैं उनको लोक सेवक की परिभाषा में आपने नहीं माना। मेरा आपसे निवेदन है, भूमि प्रबन्धक बैंक और को-आॅपरेटिव बैंकों में जो यह खुलेआम लोग रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पकड़ा है। जयपुर जिला भूमि विकास बैंक के ओम प्रकाश नगायच को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पकड़ा। पकड़ने के बाद उसमें एफ. आर. लग गई। रंगे हाथों वह पकड़ा गया था। यह कह कर लग गई कि यह सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यह भ्रष्टाचार इसलिये फैला कि उनको किसी बात की परवाह नहीं है। इसलिये यह प्रावधान करें, ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो व्यवस्थापक रखते हैं उनको न करो लेकिन कम से कम बैंकिंग नियम जिन बैंकों में लागू हैं, सहकारी संस्थाओं के बैंकों में वही नियम लागू हैं इन बैंकों और सहकारी संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं उनको लोक सेवक मानने का प्रावधान कर देना चाहिये ताकि यह नहीं हो।

एक दूसरा मेरा निवेदन है, जो ग्राम की सहकारी समिति है उसमें पंचायत और ग्राम सेवा सहकारी समिति का क्षेत्र भिन्न रखा है। आपने गांव का क्षेत्रफल और एग्रीकल्चर लैण्ड के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया और उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में दो-दो, तीन-तीन पंचायत हैं। इससे उन

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

लोगों को जानकारी नहीं है। एक पंचायत वाले वहां उनके जाते हैं, दूसरी पंचायत वाले चुनाव में महरूम रह जाते हैं। ऋण वितरण, वसूली, खाद और चीनी और कीटनाशक दवाइयों के लिये एक दूसरी पंचायत के लोग भटकते फिरते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक ग्राम सेवा सहकारी समिति, एक ग्राम पंचायत का प्रावधान कर देना चाहिये चाहे जमीन कम अधिक हो, यह मेरा आपको सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : इसके साथ-साथ हाउसिंग सोसायटी के गबन, घोटालों की बात रोज यहां चल रही है। माननीय उपाध्यक्षजी, एक और निवेदन है। टीनेन्सी एक्ट में आपने एक प्रावधान कर रखा है, वह है फ्रेग्मेंटेशन नहीं होगा। छोटे टुकड़े नहीं बढ़ेंगे। बड़े-बड़े शहर हैं, चाहे जयपुर शहर हैं उसके बीस किलोमीटर तक और छोटे कस्बे हैं बीस हजार की आबादी वाले उनके एक किलोमीटर तक चारों तरफ आप अगर जमीन के टुकड़े करने का टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान कर देंगे तो किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति का कोई आधिपत्य नहीं रहेगा और कहीं उसका एकाधिकार नहीं रहेगा। आप किसान को भी नुकसान में दे रहे हैं क्योंकि वह मजबूरन टुकड़े करते हैं, खुद तो अपनी बेच नहीं सकते। गृह-निर्माण सहकारी समिति को सस्ती कीमत में देते हैं। एक तरफ गबन, घोटालों की बात चल रही है, सोसायटी लोगों से बेईमानी कर रही है, दूसरी तरफ किसान, जिन्होंने जमीन को अपने कलेजे का कौर मान रखा है, के साथ धोखेबाजी करके....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज फिनिश इट।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : उसकी जमीन सस्ते भावों में सरकार बिकवा रही है। इसलिये यह प्रावधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरमाराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन मीणा।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : चुनाव न होने से और राजनैतिक प्रभाव से जो इस प्रकार होते हैं उन पर नियन्त्रण करना चाहिये ताकि वह व्यक्ति सहकारी समितियों का जो जमीन के हक को खाते हैं, वह भगवान के नियम और विधान से बेमुख होता है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन मीणा। संक्षिप्त में बिल्कुल।

श्री रामधन मीणा (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सहकारी समितियों के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि राजस्थान के गांव के किसान और मजदूर सबका हित दो संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति। ग्राम पंचायत को माननीय प्रधान

(श्री रामधन मीणा)

मंत्री श्री राजीव गांधी ने नियमों में संशोधन करते हुए काफी अधिकार दिये हैं। जो बीच के बिचौलिये, ठेकेदार थे उनको खतम करके अधिकार दिये गये हैं जब कि एक पंचायत में दस-पन्द्रह सदस्य होते हैं, और सहकारी समिति में ग्राम गांव का किसान जिसका सदस्य है, उसकी तरफ अभी तक निगाह उठाकर भी नहीं देखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सहकारी समिति में सैक्रेटरी के रूप में जैसे एक कर्मचारी है और वह कर्मचारी न सहकारी समिति का माना जा रहा है और न वह कर्मचारी राज्य सरकार का माना जा रहा है। वह कर्मचारी अपने आपको जिम्मेदार न समझ कर ही इतना गबन-घोटाला कर रहा है। यदि पंचायत के सैक्रेटरी की तरह ही उसको जिम्मेदारी दे दी जाय, मैं समझूंगा, उनको गबन-घोटाले करने की कोई नौबत नहीं आयेगी। सहकारी समिति को सिर्फ कर्जा देना और कर्जा चुकाना, इतना ही काम दे रखा है जिससे ग्राम जनता में नीरसता पैदा हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार पंचायत को अधिकार दिये हैं इसी प्रकार ग्राम पंचायत की सेवा सहकारी समिति को अधिकार दिये जायं। एक पंचायत हैडक्वार्टर पर सहकारिता की दुकान खोल दी जाय, उस सैक्रेटरी की पांच बजे तक ड्यूटी लगाई जाये। जैसे एक कर्मचारी की ड्यूटी होती है दफ्तर में, ऐसे ही दुकान खोल कर ड्यूटी लगाई जाय। बीज, खाद और दवाइयां, उपभोक्ता वस्तु की सारी सामग्री उसमें रखी जाय और सरकार की तरफ से जिस प्रकार विकास कार्यों में अनुदान दिया जाता है इसी प्रकार से 25 पर्सेण्ट या उससे ज्यादा अनुदान के रूप में उसमें दिया जाय ताकि उन लोगों की इस सहकारिता से भावना जुड़ी। आज सहकारी समिति कोई मीटिंग बुलाये तो उसमें कोई जाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं जाने को तैयार, कि समिति की मीटिंग में जाने से मिलेगा क्या? उसमें कोई हित नहीं रहा उनका। इसलिये उनका हित जोड़ने के लिये एक ही उपाय है कि सारी वस्तुओं को लेकर सैक्रेटरी को पाबन्द किया जाय वह डेली उस दुकान पर बैठे। हर ग्राम पंचायत पर एक सहकारी समिति होना जरूरी है।

महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। जो कर्जा सोसायटीज के जरिये किसानों को मिलता है, उसको चुकाते समय चाहे उसने आधा कर्जा दिया है, पहले पूरा ब्याज ले लेते हैं। ब्याज लेते-लेते इतना ले लेते हैं, मूल से दुगुना-तिगुना ब्याज ले लेते हैं। ऐसी नीतियां निर्धारित कर रखी हैं कि किसान पहुंचता ही नहीं है। यह ब्याज मूल के बराबर से अधिक दिया किसान ने वहां जो कर्जा है उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। महोदय, जो गबन, घोटाले कर रखे हैं, करोड़ों रुपये के मुकदमें जिनमें दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल से रजिस्ट्रार आफिस में चल रहे हैं, जोइन्ट रजिस्ट्रार से फैसला होकर यहां रजिस्ट्रार आफिस में आ गये, यहां से फैसला होकर फिर वहां चले गये, और वहां से होकर आगे गये, इसी प्रकार दस-पन्द्रह साल केसेज को हो गये हैं उनका यदि ब्याज जोड़ा जाय तो तिगुना और चौगुना हो जाता है। इस बीच का ब्याज का, उस सहकारी समिति

(श्री रामधन मीणा)

पर जो भार पड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामधन मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमें जो चल रहे हैं उनको शीघ्र ही फैसला करके वह राशि सिर्फ ग्राम सेवा सहकारी समिति की है, न कि किसी बैंक की है और न किसी और की है। किसानों से सारी वसूल होकर बैंक में जमा हो गई, सिर्फ सोसायटी की वह धनराशि है, यदि वह धनराशि वसूल करके सोसायटी में जमा हो जाय तो सहकारी समितियां खुशहाल हो जायेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस सिर्फ यही थोड़ा सुझाव है, सहकारी समितियों के कर्मचारी को जैसे पंचायत के कर्मचारी हैं ऐसा ही अधिकार दिया जाय तो यह रोजाना की हड़ताल खतम हो और उनको जिम्मेदारी दी जाय ताकि यह गबन घोटाले कम हों। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के सिद्धांत के बारे में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सदन में इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले, दोनों यह चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन सफल हो और इस आन्दोलन के माध्यम से समाज का शोषण बंद हो। चिन्ता इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाये। इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से, जब से राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन आरम्भ हुआ है हमने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की। सहकारी आन्दोलन का स्वरूप विकसित हो इस प्रकार का हमने अवसर नहीं दिया बल्कि इसके माध्यम से राजनीतिक लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाय इस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया।

उपाध्यक्ष जी, यदि इस आन्दोलन का लक्ष्य राजनीतिकरण हो जाय तो आप यह मानकर चलिए कि केवल इसमें ही उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता। वह आन्दोलन समय-समय पर जैसे उसका राजनीतिकरण हुआ उसी प्रकार से उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है। एक लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सके और उसमें राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा करें, नौकरशाही हावी हो जाय तो परिणाम यही निकलेगा जैसा राजस्थान राज्य के पूर्व राज्य मंत्री मूलचन्दजी मीणा ने कहा कि सवाई माधोपुर की 268 सहकारी समितियों में से 258 में गबन है। यह मैं नहीं कांग्रेस के भूतपूर्व राज्य मंत्रीजी ने कहा है ऐसी स्थिति में आप स्वयं अनुमान लगा लें कि हम किस स्थिति में पहुंच गये। 268 में से 258 में गबन ? यह कौनसा सहकारिता का आन्दोलन है ? कौनसा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं ? मेरी समझ में अब तक नहीं आया।

इसलिए उपाध्यक्ष जी, इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार पहले इस बात का फैसला करे कि क्या हम सहकारिता के आन्दोलन को स्वतंत्र करना चाहते हैं ? सहकारिता का आन्दोलन अपनी शक्ति और साधनों के आधार पर विकसित हो, क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस पर विचार करना चाहते हैं और ईमानदारी से विचार करने के बाद क्या हम इसे लागू करना चाहते हैं ? सहकारिता के माध्यम से राजनैतिक शक्ति आती है इसमें कोई सन्देह नहीं। हमने देखा कि राजस्थान के भू. पू. राज्यपाल स्व. बसन्त दादा पाटील सहकारिता के कारण से एक शक्तिशाली व्यक्ति बने। राजनैतिक क्षेत्र में भी उनका प्रभाव था और साथ ही सहकारिता के आन्दोलन में भी उनका प्रभाव था। उस प्रभाव के कारण उन्होंने प्रधान मन्त्री को चुनौती दी और उपाध्यक्ष महोदय, बसन्त दादा पाटिल को ही क्यों देखें, राजस्थान में हमारे आज के सहकारिता मंत्री जोधपुर में जब सहकारी बैंक के चुनाव हुए सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता की धरती से पैदा हुए। ज्ञान था सहकारिता का इसलिए इस बात की चिन्ता नहीं थी कि किसी को कांग्रेस का टिकिट मिले या नहीं मिले। इस बात की चिन्ता हो तो सहकारिता कैसे पनपेगी ?

श्री रघुनाथ परिहार : सहकारिता में टिकिट की बात कहां रही। सहकारिता में तो कोई पार्टी बेसिस पर चुनाव होते नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बात नहीं। यह आपने बहुत अच्छी बात कही कि सहकारिता में पार्टी टिकिट नहीं दिया जाता लेकिन पता नहीं यह कह कर आपने इन्हीं की सेवा कर दी।

श्री रामसिंह विश्नोई : वहां परसराम मदेरणा अध्यक्ष है, मैंने जो कुछ किया है, ठीक ही किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो किया, ठीक किया लेकिन उनको टिकिट ही नहीं दिया। आप लोगों पर तो आरोप यही था कि कांग्रेस के टिकिट वालों को आपने हराया था। आप तो मुक्त हो गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप चूक गये इसलिये मुझे फायदा हुआ इसका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुर्भाग्य है उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न यह था कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। चुनाव का सरकार ने कारण बताया कि चुनाव क्यों नहीं होते लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव तो आप कराये नहीं और वहां पर ऐसे व्यक्तियों को नोमिनेट कर दें जिनका उस धन्धे से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में उनका किसी प्रकार का योगदान नहीं। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि कई जिलों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनके अध्यक्ष कौन-कौन हैं ? नाम लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन सरकार यह समझे कि क्या उन लोगों को कैटल ब्रीडर्स के बारे में कुछ ज्ञान है, क्या खेती के बारे में उनको कुछ ज्ञान है, किसानों की समस्याओं के बारे में उनको ज्ञान है ? जिन लोगों को ज्ञान नहीं, केवल एक पोस्ट देकर सुविधा करने के लिए हम यदि लोगों को नोमिनेट कर देंगे तो उसका परिणाम यही निकलेगा जो आज निकल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया कि सरकार पहले अपना मानस बना ले कि यह आन्दोलन सफल हो।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष जी, गबन, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग—मैं इनका जिक्र करने के पहले निवेदन करना चाहूंगा कि को-ऑपरेटिव एक्ट में इन सब के रोकथाम की पूरी व्यवस्था है। कई माननीय सदस्यों ने संशोधन के सुझाव दिये, विचार किया जाय, लेकिन मैं यह मान कर नहीं चलता कि एक्ट में प्रावधान आज इस बात का नहीं है। हम गबन रोक सकते हैं, मिस-एप्रोप्रिएशन और धन के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के लिए एक्ट की धारा 68 से लेकर 74, इन 6 धाराओं का ईमानदारी से पालन कर दिया जाय तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में चोरी हो या या न हो, मैं नहीं कह सकता लेकिन चोर स्वतंन्त्र रूप से चोरी करता रहे इस प्रकार की छूट नहीं है।

मैं आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, आप जवाब तो देंगे लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं धारा 74 में आज तक कितनी जांच हुई, उसके कारण कितने लोगों को नोटिस दिये और कितनी रकम के दिये और उसमें से कितनी वसूल हुई? ताज्जुब की बात तो उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि धारा 74 में इसकी व्यवस्था है कि किसी आदमी के आचरण से, जवाब से, काम से यदि धन का दुरुपयोग हुआ है, सम्पत्ति का ह्रास हुआ है तो उसके अन्दर रजिस्ट्रार को अधिकार है, वह जांच करायेगा, जांच कराने के बाद उसको नोटिस दिया जायेगा, उसकी सुनवाई होगी और उसके बाद आर्डर देंगे कि कितने रूप से इस अधिकारी, कर्मचारी या सहकारी आन्दोलन के भागीदार से वसूल किये जायं। मैं, मंत्री महोदय, आपकी राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार के किसी एक परीक्षण पर परीक्षा लेना चाहता हूं कि सेक्शन 74 के इम्पलिमेंटेशन से आपको कितने पैसे मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि सहकारिता में 12 करोड़ का गबन है। उस गबन को किसने खाया? मुझे बता दीजिए इस गबन के मामले में किसी आदमी को सजा मिली हो तो? और सजा नहीं मिली तो मैं कहूंगा कि मंत्रिमण्डल गबन को प्रोत्साहन देता है और जिन्होंने गबन किया उनको संरक्षण देकर बचाने की कोशिश करता है। यह पैसा किसका है? जिस गरीब का भला करना चाहते हैं उसी का पैसा लेकर गबन करने वालों को प्रोटेक्शन दे दें। आप बताइये, सहकारिता के क्षेत्र में गबन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कितनी कार्यवाही हुई और धारा 74 में जिनको नोटिस दिये गये उनसे कितनी वसूली हुई और अन्त में बताइये कि 74 में आपने स्टे कैसे दिये? किन मामलों में स्टे दिये यह भी इस सदन में बताइये और स्टे देने का आपको अधिकार कहां है? रजिस्ट्रार कहता है कि इससे 5 लाख, 2 लाख वसूल किया जाय और मंत्री कहते हैं इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री को अधिकार कहां से मिला हुआ है? इस सहकारिता के क्षेत्र में गबन के मामलों को रोकने के लिए आपको कहां से अधिकार मिला हुआ है?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक बैरोमीटर से यदि सरकार का प्रशासन का पूरा परीक्षण किया जाय तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कहीं न कहीं लोग मिले हुए हैं। अभी सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी कि एक आडिटर एक जगह ऑडिट करता है और दूसरी जगह वही किसी सहकारी समिति में जनरल मैनेजर बनकर चला जाता है। ऑडिटर, मैनेजर और सुपरवाइजर–यह तीनों एक मिला-जुला षड्यन्त्र है। मैं गबन करूं और तुम ऑडिट करो और तीसरा आदमी, ऑडिट हुए बाद में आपको एक्शन लेना है, आप एक्शन मत लो। कई बार राजस्थान के मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर ने इस सदन में घोषणा की और घोषणा करने के बाद मुझे याद है ए. जी. को लैटर लिखा। उसमें उनसे मांग की थी कि सहकारी समितियों का ऑडिट ऑडिटर जनरल के नीचे चला जाय। ऑडिटर जनरल ने उनको वापिस चिट्ठी लिखी और कहा कि जब तक सेन्ट्रल एक्ट में कोई संशोधन नहीं होगा और संशोधन की जरूरत ही नहीं, जब तक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करायेंगे उस समय तक ऑडिट का अधिकार ए. जी. को नहीं मिल सकता। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप नये हैं, मुझे इस बात की थोड़ी सी वेदना है कि आप चाहे सब बातों को देख नहीं पाये होंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ए. जी. उसका ऑडिट नहीं करे, उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा लीजिए प्रधान मंत्रीजी घोषणा कर रहे हैं, पंचायतों में संशोधन लाकर कि पंचायतों के एकाउण्ट का ऑडिट ए. जी. करेंगे। को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में कौनसा बुखार आ रहा है जिसके कारण ए. जी. कर नहीं पायेंगे। कौनसा बुखार है? केवल एक ही बुखार है कि इसमें हमारे लोग ज्यादा फसेंगे, हमारे लोग ज्यादा गबन कर नहीं सकेंगे, हमारे लोग धन का दुरुपयोग कर नहीं सकेंगे और इसलिए जहां आवश्यकता है एकाउण्टेण्ट जनरल के अधिकार क्षेत्र में ऑडिट देने की वहां तो प्रधान मंत्रीजी को याद नहीं आया और पंचायतों की जो व्यवस्था सात जन्म भी नहीं कर सकते। मैं आज कहता हूं, ए. जी. ऑडिट करेगा पंचायतों का। सात हजार पंचायतों का ऑडिट करेगा एकाउण्टेण्ट जनरल जिसके पास स्टॉफ नहीं है, राजस्थान के इन कामर्शियल कन्सर्नस के एकाउण्ट्स की जांच करने का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आपके यहां कितने ऑडिट ऑब्जेक्शन्स पेंडिग पड़े हैं? क्या आपने उन ऑडिट आब्जेक्शन्स का डिस्पोजल किया है? आप हजारों की संख्या बता दें, लाखों की संख्या बता दें लेकिन कोई व्यवस्था है क्या इसकी? क्या उन ऑडिट रिपोर्टस को आप दीमक खाने से बचा सकते हैं? क्या उन ऑडिट रिपोर्टस के जो पन्ने फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं उन ऑडिट रिपोर्टस को जांच करने के लिए, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि समय नहीं है। अब मैं क्या कहूं। इन सारे ऑडिट रिपोर्टस को निकलवाकर कोई देखें, इन ऑडिट रिपोर्टस में कितना गबन है, कितना दुरुपयोग है, कितनी अनियमितताएं हैं. उन ऑडिट रिपोर्टस का कहीं डिस्पोजल नहीं हुआ है, ऑडिट रिपोर्टस का कहीं पता नहीं लगता, ऑडिट पैराज का कोई डिस्पोजल नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा है। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, गबन नहीं होंगे, घोटालें नहीं होंगे तो और होगा क्या। मैं इसी प्रकार कहना चाहता हूं....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय हो तो आधे घण्टे तक समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 36 सहकारिता पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मैं एक प्रश्न पर मेरे और प्रश्नों के साथ आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि क्या कहीं आपके रजिस्ट्रार के आफिस में, एडीशनल रजिस्ट्रार के आफिस में, डिप्टी रजिस्ट्रार के आफिस में कम्पाइल्ड स्टेटमेण्ट रखा जाता है? कितनी सहकारी समितियों के ऑडिट पैराज आज तक पेंडिंग पड़े हैं जिनका फाइनल डिस्पोजल नहीं हो सका? मैं समझता हूं कि इसका भी कहीं कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए हो रहा है कि सहकारी क्षेत्र में चुनाव की पद्धति से जो लोग बाहर आ जायें उनको ऊपर नहीं आने देते हैं। मैं आपको विश्नोई साहब एक बात कह सकता हूं कि अगर सहकारिता के क्षेत्र में चुने हुए व्यक्ति आयेंगे, मैंने पंचायती राज के सम्बन्ध में जब कहा था कि पंचायत में जब भैरूलाल जी सरपंच हो उस समय उनको अधिकार देने की कोई बात आये तो लोग कहेंगे सरपंच यह काम नहीं कर सकता और जिस समय यह पंचायत के मंत्री बन जाय तो सब मान रहे हैं। सरपंच के रूप में तो जनता उनको अयोग्य मानेगी लेकिन मंत्री के रूप में योग्यता आ गयी, हमारे यहां भी कई बैठे हैं जो सहकारी समितियों के अन्दर कहीं सदस्य, कहीं अध्यक्ष, कहीं उपाध्यक्ष, इस प्रकार के लोग रहे हैं। उस समय शायद हमने उनकी कद्र नहीं की लेकिन जो आज मंत्री बन गये तो सारे राजस्थान का सहकारीकरण करें। अब यह समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों के स्थान पर आप सरकारी आफिसरों को क्यों नियुक्ति करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के उदाहरण स्वरूप मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाऊंगा, केशोरायपाटन शुगर मिल्स, राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स, गंगापुर, स्पिनिंग मिल्स, भीलवाड़ा, गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़, गंगानगर आइल सीड प्रोसेसिंग मिल, गजसिंहपुर। तीनों में अब तक कुल मिलाकर 24 करोड़ रुपये का घाटा है। एक दो पैसे का घाटा नहीं है, 24 करोड़ रुपये का घाटा है।....

श्री शोपत सिंह : सोयाबीन की एक मिल और है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आगे आयेगा। अब यह 24 करोड़ रुपये का घाटा क्यों हुआ ? मैं पूछना चाहता हूं कि जहां सरकारी आफिसर लगे हुए हैं और कोई नहीं लगा हुआ है। भीलवाड़ा में एक बार देवेन्द्रसिंहजी को लगा दिया, उन्होंने मशीन खरीदी और कुछ हाथ साफ कर दिया, कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन ज्यादा लोग तो वहीं लगे हुए हैं जो सरकारी आफिसर हैं। सरकारी आफिसर हो चाहे प्राइवेट आदमी हो यह मिल्स घाटे में क्यों चल रही है ? यह मेरी समझ में नहीं आता। आपका उपभोक्ता संघ घाटे में, क्रय-विक्रय संघ घाटे में। कोई संस्था ऐसी है क्या आपकी जो संस्था घाटे में नहीं है और घाटे में नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन घाटे वाली संस्थाओं को या तो आप ठीक करो वरना चलाते क्यों हो ? इनको बंद करिये। चार दिन पहले यहां केशोरायपाटन मिल का सवाल आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं, यहां के माननीय सदस्य नाराज होंगे, शायद 1977-78 या 1978-79 होगा, इन दो वर्षों में कोई एक वर्ष होगा। यह अपनी लाइफ में केवल एक ही साल में प्रोफिट में चली है बाकी हमेशा घाटे में रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : 1974 की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी आप देख लेना।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके कार्यकाल में घाटे में था और आपने फिर केन्द्र सरकार को दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घाटा केन्द्र सरकार को, मैं बता दूं....

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे मालूम है वह घाटा आपके समय में था लेकिन आपने केन्द्र सरकार को दे दिया। ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सामने रखने की जरूरत नहीं है। जिस समय हमने चार्ज लिया था उसके पहले तो आप ही बिराजमान थे ना। यह सारा मामला गुड़-गोबर तो आप कर गये और बाद में इस बीमारी को अगर दूसरी जगह दे दिया तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपत्ति नहीं है लेकिन आपने जो कहा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय प्रोफिट में था। उपाध्यक्ष महोदय, अब भी इसमें घाटा हो रहा है। पिछली बार जिक्र आया था कि घाटा क्यों है। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सहकारिता क्षेत्र के प्रति यदि थोड़ी सी भी सद्‌भावना है, उत्तरदायित्व है तो आप मुझे बता दीजिये। पिछले साल केशोरायपाटन मिल को गन्ना मिला क्या ? गन्ना तो हमने दे दिया कैटल फीड में सारा गन्ना यहां से गया और गया कैटल कैम्पस में। इस गन्ने का मिठास तो इस शुगर फैक्टरी में तो नहीं निकला लेकिन कैटल कैम्पस ने झूठे बिल बना कर, झूठे वाउचर बना कर और ट्रान्सपोर्ट के नाम से कितने पैसे खाये। मैं आज विश्वास से कह सकता हूं, मेरे से ज्यादा रामसिंहजी को पता है। आज सरकार सहकारी क्षेत्र में कोई मिल सफलता की बात करना चाहती है तो मिल को गन्ना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं मिला और मिल में घाटा हुआ। यह जिम्मेदारी किसकी ? गन्ना खा गयी सरकार, गन्ने को खा गये कैटल कैम्पस और उनको चलाने वाले आदमी और सरकार उस समय समझती कि भई इसका भी आर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिस है, खर्चा होता होगा। अब वह मिल कहां से कर्जा चुकायेगी। उस खर्चे का किसी न किसी प्रकार से भरण-पोषण सरकार करती तो कुछ समझ में आता। अब उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सहकारिता के आधार पर चलने वाली बड़ी-बड़ी योजनाओं में आप निश्चित रूप से चुनाव कराइये। आज भी घाटा हो रहा है और फिर आगे भी घाटा होगा। लेकिन पब्लिक का आदमी घाटा करने के बाद में जब वह पब्लिक में जाता है तो उसको कुछ संकोच होगा और संकोच होता है तो वह डरता भी है लेकिन जो डरे नहीं और उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें कई आफिसर मैंने देखे हैं जो निष्ठा से लगे होते हैं, मेहनत से लगे होते हैं और इन मिल्स को घाटे से उबारना चाहते हैं लेकिन उनका तीन महीने में ट्रान्सफर, छह महीने में ट्रान्सफर, आठ महीने में ट्रान्सफर, किसी आदमी को वहां टिकने नहीं देते तो किस प्रकार से ये संस्थाएं पनपेगी। यह मेरी समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, इस बीमारी पर तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा।

दूसरा प्रकरण आता है बैंक का और बैंक के कर्जे का। सहकारिता की सफलता और सहकारिता द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है इसकी सफलता, इसका मापदण्ड एक है कि राजस्थान में मनी लैण्डर्स का बिजनेस खत्म हो या नहीं सहकारी क्षेत्र में जो सेवाएं हम जनता को दे रहे हैं, सामग्री के वितरण से, चीनी वितरण से, तेल वितरण से या अमुक चीज के वितरण से, ये जो सेवाएं हम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं क्या उस क्षेत्र में प्राइवेट बिजनेस खत्म हो गया। 40 वर्ष तक चीनी का बिजनेस को-ऑपरेटिव सोसाइटियों को हमने सस्ते मूल्य पर दिलवायी और वितरण कराया लेकिन क्या चीनी की दुकानें बद हो गयी। हम कर्जा दिला रहे हैं तो क्या मनी लैण्डर्स ने अपना काम बन्द कर दिया। मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मनी लैण्डर्स ने बन्द नहीं किया और जो व्यापारी हैं अपना व्यापार करते थे, उन्होंने भी इस काम को बन्द नहीं किया है। आज आपको याद होगा कि जनता शासन में एक भला काम हुआ था, आप लोगों ने भी तारीफ की थी....

श्री रामसिंह विश्नोई : केवल एक ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक नहीं कई भले काम हुए हैं। मैं इस क्षेत्र में कह रहा हूं, बैंक के मामले में एक काम आया था कि लैण्ड डवलपमेण्ट बैंक और सी. सी. बैंक, इन दोनों को एक कर दो, उस एक करने के कारण से जो किसानों से इन्ट्रेस्ट चार्ज होता है वह भी कम होगा और उसके कारण से....

श्री रामसिंह विश्नोई : नत्थी सिंहजी ने कह दिया, आप न कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो सरकार की बात कह रहा हूं। सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या किया। नत्थी सिंहजी के एतराज करने के बाद में हमने फैसला ले लिया। लेकिन आपने क्या किया? आज आंध्रप्रदेश की सरकार ने इन दोनों बैंक्स को एक कर दिया और यदि आप उनकी जानकारी कर लें तो वह कह दें ब्याज की रेट कम हो गयी और बैंक का खर्च कम हो गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : विचार करेंगे हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे एक्सपर्ट हैं महेन्द्र जी शास्त्री, वह बोल रहे थे कि बैंक्स डिपोजिट्स को खा जायेंगे। बैंक्स डिपोजिट्स को खा जायेंगे। यह स्थिति पैदा क्यों हुई, कितना खर्चा बढ़ गया बैंक्स का। मुझे मालूम है बूंदी का बैंक रिकवरी भी करता है, लेकिन रिकवरी करने के बाद में तनख्वाह चुकाने में ही वह पैसा चला जाता है, इसी प्रकार की स्थिति कई बैंक्स की है। अब यह स्थिति क्यों पैदा हुई? इस मामले में आप मुझे करेक्ट करेंगे, मुझे अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग तीन सौ करोड़ रुपये बैंक्स के बकाया हैं। पांच-दस करोड़ कम हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और तीन-सौ करोड़ में 40-45 करोड़ का इम्बैलेंस, जिसको लीगल टर्म्स में बैड डेट्स कहा जा सकता है, जिसको पता नहीं यह लोग क्या कहें, यह रुपये वसूल किससे करने हैं? इस रुपये को वसूल किया जा सकता है या नहीं। तीन सौ करोड़ में यदि पचास करोड़ रुपये के करीब बैड डेट्स है, यह सहकारी आन्दोलन को चलाने वालों और सहकारिता की व्यवस्था करने वालों की सारी एफिशिएंसी पर एक दाग है। लेकिन आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसके संदर्भ में जब हम कहते हैं कि भई कर्जा माफ करो, तो गोविन्द सिंह जी कहते हैं कर्जा माफ मत करो, विश्नोईजी भी कहते हैं कर्जा माफ मत करो, और सहकारिता मंत्रीजी भी कहते हैं कर्जा माफ मत करो। आखिर सहकारी बैंक कर्जा किनको देता है? किसानों को। और किसानों को कर्जा इसलिये देता है कि किसान मनी लैण्डर्स के चंगुल से निकले, खेती में विनियोजन करे, विनियोजन से उत्पादन बढ़ाये, और उस उत्पादन से देश की बहबूदी बढ़े। आज से दो साल पहले एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आयी थी। उस रिपोर्ट में था कि जिस देश में तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष खेती की पैदावार बढ़ेगी, वह देश पीछे नहीं रह सकता, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। हिन्दुस्तान में खेती का क्षेत्र प्रति व्यक्ति के हिसाब से एशिया में 63 पर्सेन्ट ज्यादा है। 63 प्रतिशत। खेती के क्षेत्र में कमी नहीं है, लेकिन तीन पर्सेन्ट जो एनुअल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होनी चाहिये, वह नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते, उसके भी कारण हैं। पिछले चार वर्षों में अकाल पड़ा, और विश्नोई साहब मुझे भी याद है, एक बार आप भी इस पक्ष के थे कि अकाल पड़ गया उस किसान से कर्जा किस बात का वसूल किया जाये? चार वर्ष तक अकाल पड़ा और सरकार ने जो बजट के साथ बजट-एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसमें लिखा है कि इन चार वर्षों में किसानों का लगभग दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। दो हजार करोड़ रुपये का किसानों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का नुक़सान। कौन से किसानों का ? जिन किसानों ने आपसे शोर्ट टर्म लोन लिया है, जिन किसानों ने आपसे यह कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद में खेत में बीज डाला, बीज के साथ खाद डाला, खेत की जुताई की, बुवाई की, भगवान ने वर्षा नहीं दी, बुवाई और जुताई भी बेकार गयी, खेत में डाला हुआ बीज बेकार गया, खेत में डाला हुआ खाद बेकार गया, खेत में की गयी मेहनत बेकार गयी, और किसान फकीर होकर बैठ गया। उस फकीर से वसूल करना चाहते हैं कि चार वर्ष का आप दीजिये। नहीं देंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, बैंक्स डूब रहे हैं, आपको दोनों में से एक का फैसला करना पड़ेगा कि किसान डूब रहा है इसकी चिंता सरकार को है या बैंक डूब रहा है, इसकी चिंता सरकार को है। बैंक को तो फिर पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, पर, किसान की कमर टूट गयी तो खड़ा नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज मजदूर, भूमिहीन मजदूर, छोटे काश्तकार, मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल लेबर, एस. सी., एस. टी. और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग, इनकी आबादी राजस्थान में दो करोड़ से कम नहीं है। आज दो करोड़ लोगों से हम कर्जा वसूल करेंगे ? उन दो करोड़ लोगों में, अगर आपको पैसा नहीं देंगे, तो आप उनके खेत नीलाम करेंगे, पशु और उपकरण नीलाम करेंगे। तो आप यह चाहते हैं क्या कि सहकारिता के कर्जे की मार्फत जो आदमी गरीबी की रेखा के ऊपर है उसको धक्का देकर गरीबी की रेखा के नीचे ला दिया जाये। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, यह कर्जा सरकार माफ करे या नहीं करे, कर्जा तो माफ होगा ही। आज आपको इस बात की चिंता नहीं है कि 40 करोड़ रुपये का जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, 40.12 करोड़ रुपये के गबन क्यों हुए ? मैं सब जानता था कि जब चालीस करोड़ रुपये के इम्बैलेंस के लिये राजस्थान की सरकार, जैसे गरीब किसान के खेत और उपकरण नीलाम करती है, ऐसे गबन करने वालों को भी बाजार में लाकर खड़ा कर दिया जाये। लेकिन वहां आपकी नजर नहीं जाती। चालीस करोड़ का इम्बैलेंस क्रिएट करने वालों के खिलाफ आपकी सरकार नहीं जगती. एक किसान ने तीन सौ रुपये का कर्जा ले लिया, पुलिस को लेकर चले जायेंगे, तहसीलदारजी चले जायेंगे, उसके हथकड़ी डालेंगे, उसका माल नीलाम करेंगे, यह दोनों चीजें नहीं चलेंगी। यह मैं खुद नहीं कहता उपाध्यक्ष महोदय,....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

थोड़ा सा किसानों का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा हो गया। कुछ शहर की बात करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं शहर की बात करूंगा। जब आप मौका देंगे तब। आप और मैं—दोनों शहर के हैं, थोड़ा-सा विचार कर लें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बात मैं अकेला नहीं कह रहा, ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया था, यह प्रस्ताव है 4-5 नवम्बर, 1988 इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रस्ताव मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता हूं, हमारे लिये गहरी चिंता की बात है कि निरन्तर चार वर्ष तक सूखे और बाढ़ के कारण देश के बड़े भाग के किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है, इसलिये सर्वथा वांछनीय है कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये, जिससे वह ऋणों के भार से राहत पा सकें। उनके पुराने कर्जों का ऐसा लेखा तैयार किया जाना चाहिये कि उन्हें कर्ज लेने का मौका दिया जा सके। यह मेरा नहीं है और इसी प्रस्ताव के आधार पर महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किये हैं, और इसके प्रीएम्बल को आप देखें तो यही लिखा है कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके आधार पर हम जो 258 या 252 करोड़ का कर्जा है, माफ कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती कि राजस्थान की सरकार क्यों नहीं करना चाहती। अभी चुनाव हुए थे, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, तामिलनाडु में चुनाव। तो तामिलनाडु में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र निकाला। मैंने 30 सितम्बर, 1988 को मुख्य मंत्रीजी को एक चिट्ठी लिखी कि तामिलनाडु में जो घोषणा पत्र निकाला है, क्या उस घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु आप सिद्धांततः स्वीकार करते हैं? मैं चार लाइन पत्र के पढ़ कर सुनाना चाहूंगा: प्रिय श्री माथुर साहब, तामिलनाडु विधान सभा चुनावों के संदर्भ में कांग्रेस (आई) द्वारा प्रकाशित घोषणा पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संदर्भ में आपकी सैद्धांतिक प्रतिक्रिया जानने हेतु यह पत्र प्रेषित कर रहा हूं, जिन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है, संलग्न टिप्पणी में उनका उल्लेख किया गया है, और इसके टिप्पणी नंबर 10 पर लिखा है—"All takabi loans to agriculturists and part of the entire Rs. 150 crore agriculture debt burden up to June 30, 1967 will be written-off."

यह मैं नहीं लिखता, यह प्रस्ताव पास हुआ है, जिनका आप रोज नाम लेते हैं दिन में बीस बार राजीव गांधी, उन्होंने इस घोषणा पत्र के आधार पर तामिलनाडु में बहुत भाषण दिये और शिवचरणजी माथुर भी भाषण देकर आये—"राज हमें दो कर्जा माफ।" जब तामिलनाडु में कर्जा माफ हो सकता है, शिवचरण जी वहां जाकर घोषणा कर सकते हैं, वहां तो उनके कहने से एक कौड़ी माफ नहीं होगी, लेकिन यहां अगर फैसला कर लें, तो पूरा का पूरा माफ हो सकता है, यहां मुख्य मंत्रीजी चुप क्यों हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे लिखा है:

"All penal interest will be completely waived."

मेरी समझ में यह नहीं आता है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री दो मुंहा कैसे हो गया? तामिलनाडु में कुछ बोलते हैं, राजस्थान में आकर कुछ करते हैं। यह तो समझ में आने वाली बात नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपने यह मान लिया न, कि कहने का मतदाता पर असर नहीं पड़ता है, जो आप लोग अब

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कहते हैं, न तो वहां असर पड़ा है और न यहां पड़ने वाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं, बड़े सम्भल-सम्भल कर बात कह रहे हैं। यह तो बिल्कुल सही है कि शिवचरण जी का वहां असर नहीं हुआ, क्योंकि गलत बात कही। एक बात, दूसरी बात कह रहा हूं, राजीव गांधी का भी वहां असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वहां गलत बात कही थी। यही तो बात है न, आप बिल्कुल पहचानते हो, इस बात के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। हरियाणा में कर्जा माफ हुआ ...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कुछ नहीं हुआ वहां भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा मैं बताऊं आपको। सरकार कह दे कुछ नहीं हुआ, मैं सारा विश्लेषण बता दूंगा। सरकार कहे कर्जा माफ नहीं हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : आज तो आप अपनी बात कहिये। सरकार वाली बात नहीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : देवीलालजी के खुद के चुनाव क्षेत्र की अखबारों में आती है नामजद लोगों की रिपोर्ट....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, शिवचरणजी माथुर की एक आदत है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि जब वे सरकार में होते हैं तो कुछ बोलते हैं और सरकार के बाहर होते हैं तो कुछ बोलते हैं। 1985 में जब वे सरकार से हटे तो इन्हीं राजस्थान के मुख्य मंत्री ने घोषणा की—किसानों के कर्जे माफ किये जायं—शिवचरण माथुर। और यह घोषणा है पन्द्रह अगस्त, 1987 की। मेरी समझ में नहीं आता कि मुख्य मंत्रीजी वहां घोषणा करें और यहां उसका पालन नहीं करें। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कर्जे का सवाल मैं ही नहीं कहता, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक कमेटी अपाइन्ट की थी—शायद डेट रिलीफ कमेटी-ओवर ड्यू कमेटी, ओवर ड्यू कमेटी एक अपॉइन्ट की थी। उस ओवर ड्यू कमेटी ने जो रिकमण्डेशण्स की उसके आधार पर आपने भारत सरकार को अपना फाइनेन्सियल मेमोरेण्डम पेश किया। आपने उसमें लिखा है कि ओवर ड्यू कमेटी ने ये-ये सुझाव दिये हैं, इन सुझावों का पालन करने के लिए हमें इतने करोड़ रुपये चाहिये, हमें इतने करोड़ रुपये दिये जायं और यहीं पर राजस्थान के मुख्य मंत्री कहने लगे कि अब की बार राजीव गांधी ने जो हमने मांगा है, वह दिया और नौ सौ करोड़ रुपये के लगभग हमको सहायता मिली है। मेरी समझ में नहीं आती कि पूरी सहायता भी ले ली, नौ सौ करोड़ रुपये की सहायता आपको मिली है, नौ सौ करोड़ रुपये आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ले लिये और किसान को आप राहत नहीं देना चाहते। ओवर ड्यू कमेटी ने सिफारिश कर दी, इनको तो छोड़िये लेकिन भजनलाल जी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करके इस मामले को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता। लाखों लोगों का मामला है और मैं समझता हूं कि अब ये माननीय सदस्य समय की बात नहीं करेंगे, सब इण्ट्रेस्ट्रेड हैं—कर्जा माफ हो। कोई इनमें से ऐसा नहीं है, सिवाय मंत्रियों के, एक मैम्बर मुझे कह दे जो नहीं चाहता हो—कर्जा माफ नहीं हो। तब चाहते हैं इसलिए सुनेंगे....

श्री नाथू सिंह : कहो भाई, है कोई आदमी....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मंत्री अगर कर्जा माफ करने की बात कह दे तो बहुत समस्या खड़ी होगी। कल ही कुर्सी जा सकती है। भजनलालजी ने जो उत्तर दिया उसके आधार पर मैंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, प्रभाकर जी उस समय मंत्री थे। उस चिट्ठी में मैंने लिखा था, उपाध्यक्ष महोदय, वह छोड़िये। भजन लालजी ने लोकसभा में कहा था कि कहां सूखा पड़ गया है, कहर पड़ गया है और जो टाइम पर पैसा नहीं दे सकते वे तीन साल की बजाय सात साल में देंगे और जहां तीन साल से ज्यादा सूखा पड़ गया है वे दस साल में देंगे। यह उनकी घोषणा थी। ब्याज की दर उन्होंने कम करने की बात कही थी, ब्याज की दर भी कम हो गई। यह प्रधानमंत्री के रेफरेन्स से कही जा रही है कि प्रधान मंत्री ने हैदराबाद के सम्मेलन में इस प्रकार का भाषण दिया। किसी हैदराबाद के लोक सभा सदस्य ने उनसे क्वेश्चन किया जिसके जवाब में वे बात कह रहे थे। भजनलाल जी आगे बोलें—वही मैं कह रहा हूं। सिम्पल इन्टरेस्ट का यह है कि जहां सूखा पड़ गया, कहर पड़ गया वहां पर बाकायदा चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिया जायेगा। अगर दस हजार रुपये ले रखे हैं और ब्याज होकर पच्चीस हजार हो गये तो पच्चीस हजार नहीं लिया जायेगा। जितनी असल रकम है उसके बराबर का ब्याज लिया जायेगा, उसके ऊपर का ब्याज माफ कर दिया जायेगा, हम बाकायदा आदेश जारी कर चुके हैं। मैंने 22-4-1989 को पत्र लिखा था, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार ने आपको आदेश दे दिये कि दस हजार रुपये तक जिन लोगों ने कर्जा ले लिया उनकी ब्याज की राशि दस हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने उसका पालन क्यों नहीं किया ?

श्री शोपतसिंह : दो हजार रुपये वालों के नहीं करते यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इसका पालन क्यों नहीं किया ? कौन सी समस्या है जिसके कारण आपने पालन नहीं किया। विचार यह करना पड़ेगा—यह सारी कार्य-वाही केवल इसलिए चल रही है कि गबन-घोटाले तो होते जायें, किसान के सर पर उनको लिखा जाता रहे, किसान को मार-मार कर उनसे वसूल किया जाय। आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपका राज है, भारद्वाज जी बैठे हैं इसलिए किसान का तो कुछ भला होने की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : किसानों के शुभ चिन्तक तो भैरोंसिंह जी ही हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, हूं। आप टाइम दिला दो, मैं बता दूंगा कि मैं कैसे शुभचिन्तक था। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय कि इसको राजनीतिक स्लोगन नहीं माने। आप यह समझो कि चुनाव लड़ने के लिए हम कर्जे माफ करने की बात कर रहे हैं। पिछले वर्षों में आपने दस हजार करोड़ रुपये का पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया। आये दिन हर उद्योग रुग्ण होता जा रहा है, रूग्ण उद्योगों को रियायतें देने की माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अभी चार दिन पहले घोषणायें की हैं। घोषणाओं में करोड़ों रुपया राजस्थान की जनता का जायेगा। रूग्ण उद्योग को पनपाने के लिए तो आप खड़े हो सकते हैं लेकिन रुग्ण गरीब के लिए आप रोटी का प्रबन्ध नहीं कर सकते ? रूग्ण मजदूर को आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते ? रुग्ण छोटे किसान के मुंह में रोटी नहीं पहुंचा सकते, इस प्रकार जो लैण्डलेस टिनेन्ट है वह रुग्ण हो गया, उसको पानी पिलाने की आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार वास्तव में है किसलिए ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आपकी घण्टी का मैंने अंदाज लगा लिया था उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां क्रोप इंश्योरेन्स किसान को नहीं है, जहां किसान को रिमेनेरेटिव प्राइसेज नहीं मिलती, उस किसान से इस प्रकार के कर्जे वसूल करने का सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह सही है कि आपके पास डण्डा है, आपके पास पुलिस है, ये सब प्रयोग करते रहिये, यह प्रयोग इतना रिएक्ट करेगा कि आपको स्वयं को पता लग जायेगा कि यह सरकार कहां टिकी हुई है और कहां नहीं टिकी हुई है ? मैं अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो बैंक में चालीस-बयालीस करोड़ रुपये का इम्बैलेन्स बैंक डेट, बारह करोड़ रुपये का गबन, हजारों फाइले आज ऑडिट की पड़ी हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों का गबन और दुरुपयोग पड़ा है और दूसरी तरफ गरीब किसान, जिसके पास रोटी नहीं है उसके डण्डे मार-मार कर कर्जा वसूल करने वाली सरकार चाहे विधान सभा में घोषणा कर दे, जनता इस बात का फैसला करेगी कि सरकार को एक कौड़ी पैसा नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां ठीक है, देख लेंगे। आज हमारे मंत्री बोल रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मांग पारित होने तक बढ़ाई जा रही है।

मांग संख्या 36–सहकारिता पर विचार

श्री रामसिंह विश्नोई (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–36, सहकारिता के सम्बन्ध में दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे यहां हाउस के अन्दर प्रस्तुत किये। करीब बारह माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, हालांकि बहुत कम माननीय सदस्य बोल सके लेकिन जो भी माननीय सदस्य बोले, वे सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुए थे इसलिए मैं इनके प्रस्तावों को, सुझावों को बहुत ही अहमियत देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सुझाव दिये हैं या कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो सुझाव दिये हैं, एतराज या जो भी सुविधा मांगी है, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर निर्णय हो और आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। सहकारी आन्दोलन एक जन आन्दोलन है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस प्रदेश के अन्दर अस्सी प्रतिशत जनता खेती करती है और पूरे देश का ढांचा मानसून के ऊपर निर्भर करता है जिसमें राजस्थान प्रदेश की हालत हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से और ही विचित्र हैं।

यहां बराबर चार-चार, पांच-पांच साल तक अकाल पड़ते रहते हैं और अकाल पड़ने के कारण लोगों की माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें बाध्य होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, गाय भैंस, खच्चर तक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उसकी सबसे प्यारी चीज होती है, जीने का साधन होती है।

हिन्दुस्तान की आजादी से पहले जितने चिन्तक थे और विचारक थे उन्होंने बताया, और बात भी सही है कि India is a rich country, inhabited by poor people. हिन्दुस्तान प्राकृतिक दृष्टि से तो बहुत मालदार है, दुनिया का एक बहुत ही महान देश है लेकिन यह गरीबों का देश है। यहां के 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और वे इतने गरीब हैं कि खेती करने वाले आदमी होने के बावजूद भी अमरीका से अनाज मंगाते थे। वह तो हिन्दुस्तान की आजादी से पहले की बात थी। घी, दूध हो या मक्खन हो, अनाज हो बाहर से आता था लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी के बाद काफी कुछ साधन हुए हैं और इस क्षेत्र के अन्दर आज हम दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके समकक्ष तो नहीं आये हैं लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। अब यह पिछड़ा हुआ देश नहीं रह गया है।

हमारे यहां यह भी कहावत प्रसिद्ध थी कि किसान कर्जे में जन्मता है, कर्जे में पलता है और कर्जे में ही मरता है और जो खेती करता है किसान उसको बचत कुछ नहीं है। खेती करने वाले जो माननीय सदस्य हैं वे सब जानते हैं मैं गंगानगर या अलवर, भरतपुर की बात तो नहीं करता हूं लेकिन जो कुएं से सिंचाई करते हैं या प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं उनके लिए खेती घाटे का सौदा हैं, नुकसान का धन्धा है, पशुपालन भी पूरी तरह से घाटे का सौदा है। इसमें किसान कभी नहीं पनप सकता है। चाहे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जितनी मदद दें। मदद देने के बाद चार-पांच हजार रुपये किसी स्त्रोत से अगर मिल भी जाते हैं तो जब खेती नहीं होती है तो जितना खर्चा किया हुआ होता हैं वह खराब हो जायेगा और किसान के उपयोग में नहीं रहेगा। यह स्थिति आज प्रदेश के अन्दर व्याप्त है और सहकारी आन्दोलन जिस भावना से अपने देश में शुरू हुआ। उसके फेल होने के कारण यही थे।

इसमें माननीय सदस्यों ने और विशेषकर हमारे विरोधी दल के नेता है उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, गड़बड़ घोटालों की बात की है, अनियमितता की बात की है, वाकई में इस देश के किसान और प्रदेश के किसान गरीब हैं अकाल पड़ते हैं उसमें मजबूरी से कुछ लोग जमा नहीं कराते हैं, कुछ आदमी जिनके पास पैसा नहीं होता है वह अनियमितता करने से चूकते नहीं हैं और जब वे अनियमितता करते हैं तो सरकारी अधिकारियों ने जो इसका दुरुपयोग किया है वह अलग चीज हो जाती है क्योंकि उनको मालूम है, किसान खुद कर्जे में फंसा हुआ है कर्जा वापस चुका नहीं पा रहा है उसका फ़ायदा उठाकर अधिकारियों ने गबन और घोटाले किये हैं, यह बहुत बड़ी बात थी। चूंकि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से सब तरह की सुविधाएँ देने के बाद भी जो गड़बड़ घोटाले हुए है, उसकी जांच नहीं हुयी, यह एक मुद्दे की बात है। बाकी किसान ने कमजोरी के कारण, अकाल के कारण पैसे जमा नहीं कराये, नहीं करा पाये उसको हम ज्यादा गम्भीर नहीं लेते हैं लेकिन जिनके पास साधन थे, जिसको इस कमाई के अलावा तनख्वाह मिलती थी, गड़बड़ की है उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए था, वह समय पर नहीं हो सका उसके कारण इनकी छवि समाज के अन्दर, प्रदेश के अन्दर और दूसरे प्रदेशों में धूमिल हुयी है। पिछले तीस चालीस साल के अन्दर जो कर्ज किसानों को मिलने चाहिए वे नहीं मिले। एक किसान पांच सौ, , दो हजार देकर उम्मीद करें, अपेक्षा करें कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा और आमदनी के स्त्रोत बहुत ज्यादा हो जायेंगे तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। किसान को खेती करने के लिए हल चाहिए, ऊंट चाहिए, बैल चाहिए, ऊंट गाडा चाहिए, बीज चाहिए, खाद है, नाना प्रकार की चीजें देने के बाद भी किसान के पास जब बरसात नहीं होती है तो उसकी सारी चीजें खराब हो जाती है और यही हालत हमारे यहां जो व्यवस्था है उसकी हुयी। शोर्ट टर्म लोन है, मिडियम टर्म लोन की हो, लोंग टर्म लोन की व्यवस्था है उसमें भी किसान को कुए खोदने के लिए ऋण देते हैं। आज कुआ खोदने के लिए एक लाख से कम में कोई कुआ नहीं खोदा जा सकता है। चाहे सीकर जिला हो, झुंझुनूं हो, भीलवाड़ा हो, नागौर या जोधपुर हो, कम से कम एक ट्यूब बैल को तैयार करने के लिए डेढ़ लाख दो लाख रुपये होते हैं तब जाकर तैयार होता है। दो लाख के बाद भी मीठा पानी और पर्याप्त पानी निकलता है तो किसान को कुछ वापस आमदनी के जरिये बनते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि 80 प्रतिशत कुवे खोदे जाते हैं; उनमें पहले तो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

भूमि विकास बैंक से पूरा पैसा नहीं मिलता हैं। 15-20, 25-30 हजार रुपया मिलता हैं। इसमें कुआ बनता नहीं है और कुआ बन जाता तो मोटर के पैसे उसके पास नहीं होते हैं, मोटर के पैसे होते हैं तो बिजली, के ट्रेक्टर के, मेड़बंदी में उसके पैसा की कमी रह जाती है तो किसान को दूसरे जरिये से पैसा लेना होता है। दूसरे जरिये से पैसा है तो किसान को परेशानी होती है और जब फसल होती है तो बैंक के तो चुका नहीं पाता हैं पर उसको, उस साहूकार को या बनिये को पहले देना होता है, क्योंकि वह 24 घण्टे उसके गांव के आसपास या घर के आसपास रहता है। वह संस्थाएं पूरा पैसा उसको नहीं दे पाती हैं इसकी वजह से यह होता है। शोर्ट टर्म लोन हो चाहे मिडियम टर्म लोन हो, लोंग टर्म लोन हो वह किसी भी पैसे को वापस चुकाने की स्थिति में नहीं रहता है। यही कारण है कि 15-20-25 साल पुराना आन्दोलन है, इसकी अच्छी छवि नहीं बन सकी, किसान पूरा पैसा जमा नहीं करा सके तो वह डिफाल्टी हो जाता है और डिफाल्टी हो गया तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका पूरा फायदा उठाया और उन्होंने किसान के मार्फत गड़बड़ी की और लाखों के गबन घोटाले किये हैं और इसमें देखेंगे तो 80-90 प्रतिशत उन अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने किये हैं जो उन सहकारी समितियों में माननीय सदस्य या चुने हुए आदमियों के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इसका पूरा दुरुपयोग किया। आज जो हमारी संस्थाएं हैं चाहे बैंक हों, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे गांव की सोसायटी हो करीब 80-90 प्रतिशत संस्थाएं हैं, मैं फैल तो नहीं कहता लेकिन वह कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। गांव के अन्दर सोसायटी है वह केवल लाख-पचास हजार रुपया देने के बाद पांच दिन में ऋण देने में लगे और पांच दिन बाद 360 दिन तक न तो उस व्यवस्थापक के पास काम है, न चुने हुए व्यक्ति के पास काम है, कुछ काम वहां पर शक्कर लाने का काम है वह भी तीन-चार महीने बाद शक्कर लाते हैं और ज्यादातर लोग ब्लेक में बेच देते हैं। मैं सबके नहीं कहता कुछ भले लोग हैं जो अच्छी संस्थाओं में काम करते है पर बाकी भारी दुरुपयोग करते हैं। यह स्थिति है जो हमारे प्रान्त में है। इसकी वजह से सहकारी आन्दोलन की छवि धूमिल हुयी है और अच्छा आन्दोलन, जनता का आन्दोलन होने के बावजूद भी हम अच्छी तरह से सफलता नहीं पा सके। आज हमारे प्रदेश के अन्दर 44 लाख सदस्य हैं, 44 लाख सदस्य परिवार हैं, लेकिन हम केवल 22 लाख सदस्यों को ही ऋण दे पाते हैं। उसमें भी 12 लाख तो ऐसे हैं जिनको ऋण तो दिया हुआ है लेकिन वापस नहीं दे पाते हैं इसलिए हम वापस नहीं देने के कारण उनको ऋण नहीं दे पाते हैं। 11-12 लाख सदस्य बचते हैं, जिनको ऋण दे पाते हैं और उसमें केवल 125 करोड़ रुपये का ऋण हम दे पा रहे हैं और 125 करोड़ रुपये तो कोई संस्था से भी ले सकते हैं यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पांच सौ, दो हजार से ज्यादा नहीं दे पाते हैं और जब पूरा पैसा किसान

(श्री रामसिंह विश्नोई)

को नहीं दे पाते हैं तो किसान की पूरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से इस आन्दोलन को कोई औचित्य नहीं है। हमारे प्रदेश के अन्दर सिर्फ यह एक मीडियम है, पैसे आते हैं और जब वापस जमा कराते हैं, तो या तो मेन्युपुलेशन करके या बैंक से लेकर 15-20 दिन में कर देते हैं या बनिये से लेकर जमा कराते हैं या किसी दूसरे से लेकर जमा कराते हैं और फिर समिति से किसान वापस प्राप्त कर लेता है। यह व्यवस्था अपने प्रदेश के अन्दर चल रही है जो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्षमा करें तो एक बात कह दूं। 100-125 करोड़ का बंटन होता है। आपको जानकारी होगी 82-83 से लेकर अब तक यह पैसा 100-120-125 करोड़ है। जबकि दूसरे राज्यों में 120 करोड़ से बढ़कर तीन सौ करोड़ तक पहुंच गये हैं जबकि हम उसी ऋण को बांटते चले आ रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने यह बात बतायी वाकई तीन चार साल से 80 से 125 करोड़ तक ही चल रहा है। जबकि बाजार में खाद और बीज, और अन्य जरूरत की चीजों के दाम बढ़े हैं। इसके बावजूद भी कर्जा देने की हमारी जो क्षमता है वह वही है उसकी वजह है कि नाबार्ड को जितना पैसा देना चाहिए वह नहीं दे पाये और नहीं देने से हमारी क्षमता बढ़ती नहीं है और हम नहीं दे पाते। 50 करोड़ रुपया आज हमारे बैंकों के अन्दर बिना हिसाब-किताब के है। मैं कोई गड़बड़ घोटाले की तो नहीं कहता लेकिन ऐसी अनियमिततायें हुई हैं जिसके अन्दर गांव की सोसायटी ने तो पैसे जमा करा दिये अपने जिले के बैंक को और जिले के बैंक को और जिले के बैंक ने अपैक्स बैंक को जमा करा दिया लेकिन कुछ हिसाब के अन्दर, टाइम के अन्दर होने से, अनियमिततायें होने से 40-45 करोड़ रुपये ऐसे हैं जो वाकई आज माफ होने की स्थिति में होने चाहिए लेकिन वह सुविधा या तो राज्य सरकार दे या बैंक सफर करें। तो जो सरकार सात सौ, आठ सौ रुपये अकाल में खर्च कर चुकी होती है उससे यह उम्मीद करे कि यह चालीस करोड़ भी दे देगी और किसानों का कर्जा भी माफ कर देगी आज यह स्थिति है नहीं। आज जो आपने बताया कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, तीन चार साल से अकाल है, किसान की माली हालत खराब है यह सारी बातें हम भी जानते हैं और इस तरह माफ करने के हम भी पक्ष में हैं। लेकिन क्या माफ करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने से क्या आगे बैंक चल पायेंगे? या किसान जिसने 50 हजार का लाख रुपये का लोन लिया है या जिस सदस्य ने को-ऑपरेटिव का जिसने लोन लिया हुआ है। 2 हजार का लिया, 5 हजार का लिया या 10 हजार तक आप माफ करते हैं तो 50 हजार वाला भी आपसे उम्मीद करेगा कि आज जब ये माफ कर दिया और आज हमारे विपक्ष के नेता यह कह रहे हैं, तो कभी ये भी आयेंगे तो जैसे हमारे देवीलाल जी ने झांसा दे करके जो सत्ता हथियाई थी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देवीलाल जी ने माफ किये हैं ...

श्री सम्पत सिंह : देवीलालजी ने गरीब का कर्जा माफ किया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिये माननीय सदस्य बैठे। आप छेड़ छाड़ न करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय यह मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, या मैं कोई देवीलाल जी या विपक्ष की कोई भर्त्सना नहीं करता लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप इस पर फिर विचार करें कि अगर किसानों के कर्जे या किसी भी संस्था के या उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने की प्रवृत्ति जब देश में फैलेगी तो लोगों में यह प्रवृत्ति घर कर जायेगी कि चाहे लाख लो या दस लाख लो चाहे टाटा और बिड़ला जिन्होंने करोड़ों रुपये लोन ले लिये हैं वह भी उम्मीद करेंगे कि हमारे भी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनके तो कर दिये, 10 हजार करोड़ आपने। सवाल तो गरीब का है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री रामसिंह विश्नोई : करने का कहां प्रश्न है, प्रश्न तो सिर्फ 10 हजार रुपये तक का और वह भी अनुत्पादक कर्ज जो चार साल अकाल में दिया और बीज, खाद बिल्कुल खतम हो गया उसका सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, नाथूसिंह जी बैठे।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे माननीय सदस्यों ने अभी....

श्री सम्पत सिंह : कर्जा वसूल भी नहीं हो रहा है, थाली लोटा तक उसका कुर्क कर रहे हैं और फिर भी कर्जा वसूल नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय मंत्री जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने जो कर्जा माफ कराने की प्रवृत्ति और उत्सुकता बताई है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम खुद जानते हैं, यह अपना देश है, चार पांच साल से अकाल पड़ रहा है अभी भी बरसात हुई नहीं है लोगों की हालत खराब है और जब कर्जा वापस देने की लोगों में क्षमता नहीं होगी तो कर्ज लेने की भी क्षमता नहीं रहेगी और वह कर्ज भी नहीं ले सकेगा। कोई तो रास्ता या उपाय होना चाहिए। यह सुझाव आपका वाकई में मान्य है, लेकिन हमको राजस्थान की प्रवृत्ति को देखना पड़ेगा। मैं इस स्थिति में नहीं हूं और न मैं सक्षम हूं कि मैं यह कर सकूं लेकिन मेरा मतलब यह है कि आज कोई भी सरकार जो इस स्थिति से गुजरती है जिस प्रदेश के अन्दर अपने जैसे नेता हों और जहां पर अकाल पांच-पांच साल तक पड़ते हों और कमाने वाले अपने किसान भाई जैसे हों उससे आप उम्मीद करो कि कर्जे माफ हो जाये यह मैं नहीं समझता। यह मामला ठीक नहीं है इसलिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, खेती के ऊपर भार कम करना पड़ेगा, किसान को अपने काम करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उसके बाद ही यह सब हो सकेगा इसलिए जो भी आपने प्रस्ताव रखे हैं, विचार दिये हैं और सुझाव दिये हैं हम उसकी कद्र करते हैं लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं है और न मैं इस पक्ष का आदमी हूं। इसमें केन्द्र सरकार भी मदद कर सकती है। आज जो भी स्थिति है वह केन्द्र सरकार ही कर सकती है। आज केन्द्र सरकार और मैं, अगर मैं प्रधान मंत्री का नाम लूंगा तो आप अभी उचकोगे और मैं ठीक कहता हूं प्रधान मंत्री का विचार है कि देश के अन्दर और विशेष कर अपने जो रेगिस्तानी इलाके, अकाल से ग्रसित इलाके या पहाड़ी इलाके जहां पर गरीब लोग बसते हैं, जहां अकाल पड़ते हैं जहां बाढ़ से क्षति हो जाती है वहां कोई न कोई उपाय करने के लिए वह विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार जवाहर योजना जो पंचायतों में लागू की है उससे थोड़ा बहुत लोगों में जागृति हुई है, लोगों में उसके प्रति एट्रेक्शन पैदा किया है वैसे ही सहकारिता के अन्दर भी मेरे ख्याल से विचार करेंगे और जो भी कमी है और आपने जो भी सुझाव दिये हैं मैं भी उस पक्ष का हूं लेकिन हम इतने सक्षम नहीं है कि हम इसके ऊपर विचार कर सकें। यह तो वही शक्ति जो केन्द्र सरकार के लोग हैं, अधिकारी हैं या मंत्री स्तर के लोग हैं या यह निर्णय राजीव गांधी ले सकते हैं। मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान सरकार इस स्थिति में नहीं है। आज बैंकों के ओवर ड्राफ्ट चलते हैं, आपको मालूम है कितना भंयकर अकाल है और उसके बावजूद हम बहुत कम पैसे खर्च कर सके इसकी वजह यही है कि आज जो लोग पैसे लेते हैं वह वापस जमा नहीं कराते। चाहे किसी भी सेक्टर में हो पैसा जमा कराने की प्रवृत्ति नहीं है इसलिए आज ऐसी बदतर स्थिति हो गई है। मैंने कुछ आपको, अधिकारियों को, एक महीने के अन्दर मैंने काफी चेयरमैन्स की भी मीटिंगे की, अलग-अलग साभंग के अन्दर भी मैं गया और वहां पर हमारे जो इलेक्टेड चेयरमैन्स है उनसे भी वार्ता की अधिकारियों से भी बात की है तो मेरे ख्याल से काफी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार कर सकते है यह बहुत जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दो-तीन महीने के अन्दर ही हम अच्छे परिणाम आपके सामने लाकर देंगे। अब एक तो माननीय सदस्यों ने कहा है मुझे एक-एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो सुझाव दिये हैं उसमें मैं भी इस पक्ष का हूं कि गांव के अन्दर पैसे देने का जो मीड़िया है ग्राम सेवा सहकारी समिति है वहां पर एक पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हो इस पक्ष का मैं हूं और मैं यह प्रयास करूंगा चाहे यह केबिनेट से हो चाहे मुख्य मंत्री स्तर से हो हम इसका प्रयास करके एक पंचायत को एक सहकारी समिति का बराबर का हिस्सा हो जिससे लोगों को सहूलियत हो क्योंकि एक किसान को, अपना खाद है, बीज है, शक्कर है कोई भी सामान लाने के लिए 10 कि. मी. जाना पड़ता है तो कोई भी भला किसान 10 कि. मी. नहीं जायेगा और उससे वंचित रह जायेगा, या 50 कि. मी. चला जायेगा, जोधपुर चला जायेगा, जयपुर जायेगा, उदयपुर जायेगा लेकिन उस सोसायटी के अन्दर नहीं जायेगा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जो 10 कि. मी. दूर पड़ती हैं इसलिए मैं भी इस पक्ष का हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो 5–10 जो सुझाव है वह सुझाव के रूप में नहीं है। यह सारे काम दो तीन महीने के अन्दर हो जाने है यह मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है एक ही खिड़की से लोन देने की। हालांकि डॉ० सिंह साहब ने इसका विरोध किया है लेकिन माननीय दूसरे सदस्य जो इस राय के हैं कि किसान को चाहे पांच सौ रुपये से लगा कर डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण किसान को अपने गांव के अन्दर जो भी संस्था हो उससे किसान को ऋण मिल जाना चाहिए और बहुत ही आसान तरीके से ऋण मिले किसान को चाहे हजार रुपये लो चाहे पांच हजार रुपये उसकी जैसी हैसियत है या जो भी चीज चाहे ट्रैक्टर तक का लोन किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से मिले यह व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। जो सहकारिता अभियान है जैसे राजस्व अभियान अभी मनाया गया था जिसे 28 अगस्त 29 सितम्बर के बीच में मनाने का हमने करीब-करीब तय किया है जिसमे जिसके अन्दर जितनी भी आप बता रहे हैं, काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं कहा लेकिन विपक्ष के नेता ने कहा कि 268 में से 258 सोसायटीज में, इन्होंने कहा तो इनको अच्छा तजुर्बा होगा लेकिन मेरा मतलब यह है कि गांव के अन्दर जहां पर सोसायटियां है तो वहां पर अभियान जब मनेगा, गांव में जायेंगे, अधिकारी लोग भी जायेंगे, चुने हुये आदमी भी वहां पर मौजूद रहेंगे तो गांव के अन्दर जो भी अनियमिततायें हुई है। किसान ने ऋण लिया या नहीं लिया या उसका वितरण किसने ले लिया कौन उस समय अधिकारी था, इन्सपैक्टर था, व्यवस्थापक कौन था, अध्यक्ष कौन था इन सारी बातों की जानकारी भी हो जायेगी और कितने नये सदस्य बनाने हैं और कौन ऐसा है जो किसान नहीं है, मजदूर नहीं है सारी बातों की जानकारी भी हो जायेगी और एक महीने तक यह अभियान चलेगा जिसमें जितने भी मेरे ख्याल में लाख, दस लाख, करोड़, दो करोड़, पांच करोड़ जितने भी गबन थे या जो असत्य किसानों को लिखे हुये हैं उसी मौके के ऊपर ही माफ कर दिये जायेंगे, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जायेगा। यह व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

एक अभी काफी माननीय सदस्यों ने जो सहकारी मिलें हैं, जो उद्योग हैं जो सहकारी सैक्टर में लगे हुये उपक्रम है वह घाटे में चल रहे हैं जैसे आपने केशोरायपाटन का बताया या माननीय सदस्या ने, जो विद्या जी ने कोटा का सोयाबीन का बताया वे मेरे ख्याल से घाटे में तो सारे ही चल रहे हैं। कहने की तो जरूरत ही नहीं है, वह सब आपने बता दिया है और मैं मान ही रहा हूं, सब मान रहे हैं तो इसका भी हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि यह केशोरायपाटन की कहने में तो कोई बात नहीं है यह साढ़े आठ करोड़ के घाटे में चल रहा है लेकिन यह साढ़े आठ करोड़ के घाटे में केशोरायपाटन की मिलें चल रही है। गवर्नमेंट को नुकसान

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हुआ है या सहकारी डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है लेकिन करोड़ों रुपयों का फायदा किसानों को हुआ है। वहां जो किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिला है, वह अपनी चीज़ को अच्छे दामों में बेच सकें, वहां पर एक अच्छा उद्योग खड़ा हुआ है, कुछ खण्डसारी मिलें भी काम करती हैं। यह प्रोग्राम तो बढ़िया है लेकिन हम इसको फायदे में नहीं ला सके इसके कुछ कारण हैं। कुछ तो इसकी क्षमता 1200 मैटिक टन की है, अगर 2500 मैट्रिक टन की हो जाती या इसकी जो चार महीने चलने की केपेसिटी वह 6 महीने का हो जाती है और इसकेसाइड में कोई सिस्टर उद्योग लग जाता तो यह फायदे में चल सकता था। आज साढ़े आठ करोड़ के घाटे में नहीं रहता। लेकिन कुछ तो अपन जानते हैं कि पैसा नहीं है। पैसा अगर सरकार के पास, डिपार्टमेंट के पास होता तो यह घाटे में नहीं होता। इन कारणों से यह हुआ, बाकी मेरे ख्याल से चाहे केशोरायपाटन हो चाहे सोयाबीन का हो, सोयाबीन का भी जो आपने बताया है बहुत ही बढ़िया उद्योग लगा है। उसमें प्रारंभ में जब काम शुरू करते हैं तो कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं, जी. एम. जो वहां पर लगा हुआ था उसने गड़बड़ की है। उसको भी वहां से हटाया गया है वहां पर जो लाखों मण सोयाबीन लिया था, खरीदने के अन्दर भी, वहां के लोगों ने जो सोयाबीन बोया था उसको खरीदना भी पड़ा और जरूरत भी नहीं थी क्योंकि चल नहीं रहा था तो खरीदा तो घाटा हो गया और आज वह हमेशा ही हजारों रुपये के फायदे में चल रहा है। मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि दो-तीन साल के अन्दर, अगर वहां अच्छा आदमी लगता है, कुछ व्यवस्था अच्छी होती है तो यह जो घाटा है वह भी पूरा हो सकता है यह कोई बड़ी बात नहीं है।

दूसरी जो बीमार मिलें हैं या जो भी संस्थायें चल रही हैं, मेरे ख्याल से उसमें जो भी नाबार्ड से बात करके कि इसमें कौनसी चीजें एड की जावें या कौनसी कमी इसमें दूर की जावे तो इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। इसके लिये हम एक कमेटी का गठन भी कर देते हैं जो सारी किस्मों में क्या-क्या सुधार होना चाहिए। वह इस तरह का हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमेटीज....

श्री रामसिंह विश्नोई : कमेटियां तो करनी पड़ेगी। आप जैसे आदमी जब काम करने वाले हो जायेंगे और आप जैसे आदमी काम करने वाले होंगे तो घोटाले तो होंगे ही होंगे हमारे को कमेटियां तो बनानी ही पड़ेंगी आप सुझाव तो अच्छे देते हैं लेकिन कभी-कभी पार्टी के लोगों के हितों में काम करने पडते हैं तो, ऐसे काम करने से घाटा होता है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घाटा पूरा करने के लिए भी मैं बता दूं एक तो गृह निर्माण सहकारी समिति से आप उधार ले लो, पैसे दे देंगे आपको और उसमें क़र्जा भी माफ हो जायेगा। यह मिलें भी जो घाटे में चल रही हैं उनका भी कर्जा पूरा हो जायेगा।

(212)

श्री रामसिंह विश्नोई : अपोजीशन साथ में बैठकर के बात करे तो घाटा तो हर एक चीज से पूरा हो सकता है। आप लोग बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। जब विधान सभा से बाहर रहते हो तो उस समय आपका एक्शन हमारा साथ देने का रहता नहीं है। यहां पर और अखबार में दोनों जगह आप अच्छे सुझाव देते हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन फील्ड के अन्दर आपके एक्शन अच्छे नहीं रहते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना सा ही फर्क है आप जैसा यहां बोलते हो बाहर नहीं बोलते। बाहर तो बिल्कुल सरकार की आलोचना करते हो और यहां तारीफ करने लग गये, मुश्किल तो यही हो गयी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे को सरकार में आने के बाद ही मालूम चला कि काम अच्छा हो रहा है। पहले तो मैं आपकी तरह भटकता ही रहा मुझे जानकारी ही नहीं थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्थापकों का मामला भी लम्बा दो-तीन महीनों से चल रहा है और हालांकि व्यवस्थापकों ने जो हड़ताल की है वह इन्होंने समय से पहले कर दी क्योंकि इनका एग्रीमेंट बैंक के साथ और विभाग के साथ किया हुआ था। इनकी पहले जो संस्था थी उससे पहले एग्रीमेंट हुआ था मार्च, 1990 तक उनको हड़ताल करने का या दूसरी मांग करने का कोई औचित्य था नहीं, लेकिन कल उसके बावजूद भी हमने उनको समझाइ भी की, उनकी बातें काफी हमने मानी भी लेकिन मेरे ख्याल से वह मामला बैठा नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मार्च में नहीं की, 26 अप्रेल से शुरू की है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं मैं मार्च का नहीं कहता हूं, मार्च 90 तक का इनका समझौता हुआ था। यह मैं कह रहा था। आज मेरी वार्ता उनसे हो गयी है और वह अपनी हड़ताल लेने के लिए राजी हैं और व्यवस्थापकों के लिये हमने दस-ग्यारह बैंको के चेयरमैन्स हैं, इसमें रजिस्ट्रार भी हैं कुछ टेक्निकल आदमी हैं इसमें, जो जानकारी रखने वाले आदमी हैं दस-बारह पन्द्रह आदमियों की एक कमेटी का हम गठन कर देते हैं आज या कल, आज ही घोषणा कर देंगे या उसके बाद में यह जो भी तय कर देंगे, इनको बैंक का कर्मचारी माना जावे या इनको ग्राम सेवा सहकारी समिति का माना जावे या जो भी संस्था हो, जो भी जहां भी इसको समझा जावे, किस तरह का इनका पे-स्केल हो, क्या हो, किस तरह का मामला हो सारी बातें जो भी यह तय करेंगे यह डिपार्टमेंट और यह बैंक सब बैठकर मान लेंगे और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और यह कार्य भी तीन महीने के अन्दर हो जायेगा तो व्यवस्थापकों का कहा पर क्या होना चाहिए, सारी व्यवस्था तीन महीने के अन्दर करने की हम व्यवस्था कर देंगे।

एक पुराने जो कर्जे माननीय सदस्यों ने बताये.... (व्यवधान) पुराने कर्जे जो वाकई में पुराने कर्जे हैं और जिन्हें किसान दे नहीं पाया। दो हजार तक के लिए तो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

अभी व्यवस्था की हुई है, विभाग नें व्यवस्था कर दी सरकार ने दो हजार रुपये जिस किसान ने लिये हैं तो दो हजार से ज्यादा चार हजार, दो हजार तो ब्याज और दो हजार मूल चार हजार से ज्यादा उसको देने की आवश्यकता नहीं हैं अगर होंगे तो सरकार उसको वहन करेगी वैसे ही इसको बढ़ाकर के पांच हजार तक करने का विचार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दस हजार तक करने का—

श्री रामसिंह विश्नोई : दस का भी चल रहा है लेकिन वह मुख्य मन्त्री से बात नहीं हुई। इसमें देखना पड़ेगा कितने पैसे देने पड़ते हैं कोई एक हजार दो हजार की होती तो आप और मैं ही दे देते, इसमें करोड़ों रुपये का सवाल है। इसमें कम से कम 23-23 करोड़ गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। इसलिये पांच हजार या दस हजार जो भी है उस किसान को जिसने पांच हजार या दस हजार लिये हुये हैं और तीन चार साल लगातार अकाल पड़ा है या पुराना कर्जा लिया हुआ है और वह किसी कारण से भर नहीं सका उसका हम मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे। यह भी एक विचार चल रहा है, उम्मीद है कि यह हो जायेगा।

एक बीमार बैंक हैं, जैसा आपने बताया है शायद 27 बैंक हैं, उसमें करीब 23 बैंक ऐसे हैं जो अब अगर उन्हें ऋण मिलता भी है तो वह वापस ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए नाबार्ड से बात हुई है। जो कुछ भी उपाय आपने बताये, पचास करोड़ रुपये का जो इम्बेलेन्स है या जो किन्हीं कारणों से ऋण जो यों ही लिख दिये गये है, कुछ कर्जे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट माफ कर देगी। यों करके मेरे ख्याल से 100-150 करोड़ रुपये सरकार उसको वहन करने की स्थिति में हों तो यह बैंकों की स्थिति भी सुधर सकती है, सोसायटी के पैरों पर खड़े होने की बात भी हो सकती है। इस तरह की बात करने के लिये भी यह मामला है।

एक जो अधिकारी लोग हैं, जो, पचास साल की आयु पार कर चुके हैं और जिन्होंने बहुत सेवायें की हैं कॉ-आपरेटिव डिपार्टमेंट में, गबन घोटाले वगैरह जो किये हैं उसके ऊपर भी हम इसकी एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर जो भी भ्रष्ट आदमी हैं, जिन्होंने इस विभाग को बदनाम किया, जिसने इस प्रोग्राम को जनता तक पहुंचने नहीं दिया, उन आदमियों को हम परमानेंट रिटायरमेंट करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी अधिकारियों को मालूम भी हो गया और या तो (व्यवधान)

आपका सहयोग मिलेगा तभी होगा, वरना आप किसी से मिल जाओगे तो हमारा काम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खतरा रहता है, अधिकारियों से मिल लेते हैं, मन्त्रियों को बहका देते हैं, और भी कुछ बता देते हैं और भी करते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है बाकी के सारे साथियों ने आज अच्छे सुझाव दिये हैं। आज इनके सुझावों को सुन कर मुझे वास्तव में सही स्थिति का मालूम पड़ा है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इन बातों पर यह कायम रहेंगे, मैं यह उम्मीद करता हूं। बाहर और अन्दर, दोनों जगह एक तरह कहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं।

पहले विथड्रावल की पावर्स व्यवस्थापक के पास रहती थीं। अब हम ने यह व्यवस्था की है, 5-4 दिन में ही यह आर्डर करने जा रहे हैं कि अध्यक्ष के भी उस के साथ साइन होंगे विथड्रावल पर। पैसे जमा करने के लिए या निकालने के लिए अध्यक्ष का का भी इन्वाल्वमैण्ट होगा। यह व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं।

एक दूसरा फसल बीमा का है या जो भी दूसरे सुझाव जो माननीय सदस्यों ने दिये हैं, कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन के ऊपर जवाब तो देंगे ही देंगे लेकिन उन में से जो अच्छे सुझाव हैं उन के ऊपर हम विचार करेंगे। इस में पुनः नयी जान लाने के लिए, इस को नया जीवन देने के लिए कि यह कैसे जनता का आन्दोलन बन सके, कैसे गरीब आदमी के घर तक इस का फायदा मिले, इस के लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जितनी भी अनियमिततायें हुई हैं, जो गड़बड़-घोटाले हुए हैं उन को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे और इस में कैसे सुधार कर सकते हैं, यह हम उपाय करेंगे। यही कहता हुआ जो डिमाण्ड है उस को पास करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आडिट के सम्बन्ध में नहीं बोले आप। That is a major factor.

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो बताया, वाकई करीब 10 हजार मामले लम्बित हैं। काफी लोगों ने तो स्टे प्राप्त कर लिये हैं, कुछ मामले ऐसे हैं। एक ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार सारा मामला देख रहा है, 10 हजार मामले हैं और 20 करोड़ रुपये अटके हुए हैं। हम ने यह तय किया है कि 2 एडिशनल रजिस्ट्रार विभाग में रखें, उन्हें पूरा स्टाफ सब देंगे। वह 2-3 महीने के अन्दर ही कि 20 करोड़ रुपये में कौन दोषी हैं, वसूल करने योग्य हैं या नहीं, या क्या होना चाहिए, पेशियां भी वापस जल्दी नहीं पड़े, निपटा देंगे। ऐसी व्यवस्था करने हम जा रहे हैं।

मांग संख्या 36 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47 करोड़ 8 लाख 49 हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

श्री हंसराज मिढ़ा : मेरे को एतराज है जी, मेरे को एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हो, हां कहें। जो विपक्ष में हों न कहें।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 17 जुलाई, 1989 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही अपराह्न 6·54 बजे सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 1989 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(२१८)

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अकलेरा में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय

338. श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोलने की मांग की जा रही है ?

(2) झालावाड़ जिला सत्र न्यायालय में तहसील अकलेरा एवं खानपुर के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और यह विचाराधीन मुकदमों का कितना प्रतिशत (%) है ?

(3) क्या यह सही है कि अकलेरा की अभिभाषक परिषद् ने भी इस संदर्भ में ज्ञापन दिये हैं ? क्या अकलेरा में उक्त न्यायालय के लिये पर्याप्त भवन भी उपलब्ध है तथा अभिभाषक परिषद् भी अपना भवन देने को तैयार है ?

(4) क्या सरकार की जानकारी में है कि तहसील अकलेरा के अन्तिम गांव एवं खानपुर तहसील के अन्तिम गांव के बीच कितनी दूरी है ? क्या उक्त तहसील के निवासियों को झालावाड़ में न्याय के लिये आना बड़ा मंहगा पड़ता है ?

(5) यदि हां, तो वहां की जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने की दृष्टि में अकलेरा में कब तक जिला सत्र न्यायालय बना दिया जायेगा ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिला सत्र न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, झालावाड में अकलेरा व खानपुर के 353 वाद विचाराधीन है जो कुल लम्बित प्रकरणों का 32 प्रतिशत है ।

(3) जी हां, ज्ञापन दिए हैं । अकलेरा में न्यायालय के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है । यह सही है कि अभिभाषक परिषद अपना भवन देने को तैयार है ।

(4) गांवों की अंतिम दूरी है 105 किलो-मीटर है जहां से झालावाड़ न्याय के लिए ही आना पड़ता हैं ।

(5) अकलेरा में धनाभाव के कारण अभी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

ग्राम पांचू में भूमि पर अनधिकृत कब्जे

339. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री चुन्नीलाल इन्दीलया)

(1) क्या ग्राम पांचू तहसील नोखा (बीकानेर) की गोचर जमीन पर अनधिकृत कब्जे किये हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा कबसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों ने प्रदत्त सम्बन्धित अधिनियमों की अनदेखी कर उक्त गोचर भूमि में आबादी भूमि के पट्टे वितरित किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब किस अधिकारी द्वारा किस नियम/अधिनियम के तहत ?

(3) सरकार ने इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने और पट्टे निरस्त करने बाबत क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां वर्तमान में ग्राम पांचू तहसील नोखा की गोचर भूमि पर 38 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया हुआ है। सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा गोचर भूमि में आबादी हेतु पट्टे जारी नहीं किये गये।

(3) जब गोचर में किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा आबादी हेतु पट्टे ही जारी नहीं किये गये तब उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

२१८

परिशिष्ट (क)

ग्राम पांचू तहसील नोखा की गोचर भूमि में अनाधिकृत कब्जा चोरियों की सूची

क्र.सं.	अतिक्रमी आसामीयान वल्दियत, जाति व साकित	खसरा नम्बर	रकबा काश्त सं. 2045	संवत्	अक्रिमण कब से
1	2	3	4	5	6
1.	जोराराम/किस्तुरा नायक	4019/661	2)		1982
2.	मोतीराम/किस्तुरा नायक	4019/661	2)		1982
3.	सुखा/किस्तुरा नायक	4019/661	2)		1982
4.	जगनाथ/किस्तुरा नायक	4019/661	2)		1978
5.	पूर्णाराम/किस्तुरा नायक	4019/661	2)		1978
6.	उमाराम/किस्तुरा नायक	4019/661	2)		1982
7.	मोहनराम/भैरूराम ब्राह्मण	4019/671	15)		1978
8.	हरचन्द तिला नायक	4019/661	8)		1980
9.	गुमानाराम/उदाराम नायक	4019/661	6)		1988
10.	कोजाराम/केशरा नायक	649नि	36)		1982
11.	सिदाराम/आसुराम ढोली	2646/655	15)		1978
12.	जेठाराम/आसुराम ढोली	2642/655	15)		1982
13.	अमानाराम/आसुराम ढोली	2746/655	15)		1982
14.	रेवन्तराम/हरजीराम नायक	2053/655	25)		1982
15.	अमरा/हीरा सांसी	3520/655	41)		1976
16.	धूड़ा/रीरा सांसी	3520/655	16)		1982
17.	मलाराम/जोगाराम नायक	3520/655	15)		1982
18.	खेताराम/मुकनाराम मे.	3828/623	45)		1982
19.	नवषलीबेवां/धनाराम सांसी	3828/623	60)		1976
20.	रावता/सावला सांसी	3828/623	40)		1982
21.	टीकूराम/हमीरा मे. हेमाराम/मगाराम मे.	3695/632	42)3		1976
22.	छगनाराम/सावला मर्ग	3468/633	25)		1976
23.	मोहनदास/रामचन्द पि. बद्रीदास साध	3558/ 3602/632	21)4		1988

1	2	3	4	5	6
24.	सुरजाराम/दुलाराम गर्ग	4021/633	43।।)3		1988
25.	चूनारान/मगना जाट	1860/669	9)		1988
26.	बंशीराम/नरसीराम पि. खेताराम नाई	1860/661	20)		1986
27.	आसाराम/भानाराम कुम्हार	1860/661	20)		1986
28.	डूंगरराम/झूमरराम जाण	4019/661	18)		1986
29.	रेवन्तराम/झूमरराम जाट कुम्भाराम/अर्जुन	4019/661	42।।)		1984
30.	रामचन्द्र/रतना जाट	4019/661	33)		1981
31.	जुमली पत्नि/मुस्ताक चूड़ीगर	4019/661	48)4		1982
32.	फूसाराम/मगनारा जाट	4019/661	15)		1988
33.	मलाराम/हड़मान नाई	647/	8)		1985
34.	भगाराम/मुकाराम मेघवाल	3302/316/2	29)		1978
35.	घेवरराम/सुगना मेघवाल	3869/310/70	37)		1984
36.	ओमप्रकाश/हजारीराम भंगी	3869/310/70	83)		1984
37.	जेठाराम/सुगनाराम मेघवाल	3869/310/70	53)		1978
38.	शिवलाल/हजारी भंगी	3302/316/2	35)		1984

नोट :—उपरोक्त आसामीयाज के खिलाफ L.R.A. की धारा 91 की कार्यवाही चलरही है। हर साल बेदखल करने की कार्यवाही की जाती है परन्तु हर साल कब्जा कर लेते हैं।

ग्राम मुकन्दपुरा नगरियावास की चरागाह भूमि

340. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट के ग्राम मुकन्दपुरा, नगरियावास आदि गांवों की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2, 11, 12, 13, 50/2, 56 का दिनांक 11 जून, 1965 को लक्ष्मण पुत्र हीरा, श्रीमती चन्द्री देवी आदि लोगों के नाम नियमितीकरण किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन लोगों के नाम उक्त चारागाह भूमि को नियमितीकरण किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चारागाह भूमि का आज तक भी रिकार्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है जिसके कारण किसानों को लगातार सन् 1965 के बाद भी पेनल्टी एवं जुर्माना देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत में किस-किस गांव में किस-किस व्यक्ति से कितनी-कितनी पेनल्टी अब तक वसूल की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भूमि का नियमितिकरण होने के बाद अमलदरामद नहीं होने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है ? यदि हां तो क्या उक्त भूमि का नियमन 1965 से मानते हुए जो पेनल्टी वसूल की गयी है उसे वापिस करने एवं शीघ्र रेकार्ड सुधारने की अपेक्षित कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चारागाह भूमि का नियमन नहीं किया गया। वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि प्रश्न में अंकित भूमि खसरा नंबर 2, 11, 12, 13, 50/2 व 56 स्थित ग्राम मुकन्दपुरा तहसील लालसोट सिवाय चक भूमि थी जिनमें से खसरा नम्बर 2 बी रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 56 रकबा 0.12 बिस्वा का नियमन दिनांक 10-6-1965 को निम्न व्यक्तियों को किया गया था:—

नाम व्यक्ति	ख. नं	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1. श्री लक्ष्मण पुत्र हीरा मीणा नि. मुकन्दपुरा	2	1	12
2. श्री अन्जन पुत्र बिरदा मीणा नि. मुकन्दपुरा	56	0	12

उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा नियमन की शर्तों के अनुसार शास्ति की राशि जमा नहीं कराने के कारण नियमन निष्फल/अर्थहीन हो गया। इसका राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया।

(2) चरागाह भूमि का नियमन नहीं किया गया था अतः उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि किसी ने अतिक्रमण किया

(राजस्व मंत्री)

है तो उसके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की जाकर पेनल्टी एवं जुर्माना का आदेश दिया गया है।

(3) ग्राम पंचायत लालपुरा के ग्रामों में वसूल की गई पेनल्टी की राशि की सूची वर्षवार, ग्रामवार एवं व्यक्तिवार (परिशिष्ट "ग") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नियमन की शर्त के अनुसार शास्ति राशि जमा नहीं कराई गई। अतः नियमानुसार शास्ति की राशि अदा न करने के कारण नियमन स्वतः ही निष्फल/अर्थहीन हो गया। अतः अमल दरामद करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है और न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। तदुपरांत प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित सिवायचक भूमि रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा को ग्राम पंचायत एवं आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से उपखण्ड अधिकारी, दौसा के आदेश दिनांक 12-7-1972 के द्वारा चरागाह में परिवर्तित कर दिया गया जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 14 द्वारा कर दिया गया। वर्तमान में भी रिकार्ड में यह भूमि चरागाह दर्ज है और इस पर अतिक्रमण होने पर नियमानुसार पेनल्टी वसूल की जाती है जिसे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बालोतरा में बस डिपो

341. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर-जोधपुर, जालोर-सिरोही, पाली, उदयपुर, शेरगढ़ तथा गुजरात राज्य तक की बसें बालोतरा से ही आती जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बसों का डिपो बाड़मेर, जोधपुर, जालौर होने के कारण बसों की मामूली खराबी, देख-रेख एवं डीजल-तेल आदि हेतु बालोतरा से 100 से 120 कि.मी. जाना पड़ता है एवं निगम पर अनावश्यक व्यय भार बढ़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार अनावश्यक व्यय भार समय की बचत एवं यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बालोतरा में जो मध्य में है, डिपो खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बालोतरा होकर जो मार्ग हैं, उन पर अधिकांश बस सेवाओं का संचालन बाड़मेर एवं जोधपुर आगारों द्वारा किया जा रहा है तथा कुछ सेवाओं का संचालन जालौर-फालना एवं सिरोही आगारों द्वारा भी किया जा रहा है। यदि बसों में यदा-कदा मामूली खराबी हो जाती है तो सम्बन्धित आगार कार्यशाला से यांत्रिक भेजा जाकर वाहन को ठीक करवाया जाता है। आवश्यक डीजल तेल इत्यादि वाहन को मार्ग पर भेजने से पूर्व ही सम्बन्धित आगार कार्यशाला में भरवा दिया जाता है।

(यातायात मंत्री)

(3) जी नहीं। वर्तमान में बालोतरा से केवल 3 वाहनें ही प्रारम्भ हो रही है, जिनकी व्यवस्था हेतु बालोतरा में पृथक से आगार की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम

342. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम इस वर्ष देर से आने के क्या कारण हैं और अब कब तक समस्त परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे ?

(2) क्या परीक्षा परिणाम देर से आने के कारण सत्र का समय बढ़ाया जावेगा।

उत्तर

(1) अध्यापकों की हड़ताल, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की एकेडमी एवं व्यावसायिक परीक्षाएं प्रथम बार होने तथा अनुत्तीर्ण छात्रों को पुरानी योजनानुसार परीक्षा सुविधा देने के कारण परीक्षाएं देर से प्रारम्भ हुई। इन कारणों से एवं बोर्ड कर्मचारीगण के असहयोग आन्दोलन एवं हड़ताल के कारण परिणाम घोषित करने में कुछ विलम्ब हुआ है। सीनियर हायर सैकण्डरी के लगभग सभी परिणाम घोषित हो चुके हैं एवं शेष परिणाम अगस्त के प्रारम्भ तक घोषित कर दिये जायेंगे।

(2) जी नहीं।

सिवाना क्षेत्र में मण्डी से आय

343. मोटाराम (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सिवाना क्षेत्र में कृषि उपज-मण्डी के माध्यम से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है तथा इस राशि का उपयोग किन-किन कार्यों हेतु किया जाता है ? विगत 3 वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के माध्यम से वर्ष 1983 में सम्पर्क सड़क समदडी बस स्टेण्ड से बाजार तक प्रस्तावित की गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्यों नही स्वीकृति दी गई है ?

(3) क्या सरकार इसे अब स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा के अन्तर्गत सिवाना गौण मण्डी यार्ड से विगत 3 वर्षों में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय निम्न प्रकार है:—

क्र.सं. वर्ष	आय
1986–87	105079.18
1987–88	110122.46
1988–89	96391.54

(कृषि मंत्री)

मण्डी समिति के अन्तर्गत जो आय होती है, उसका उपयोग नियमन कार्य सुचारु रूप से चलाने, संस्थान आदि पर व्यय मुख्यतया किया जाता है।

(2) जी हां। इस सड़क को मण्डी समिति के माध्यम से निर्मित कराने हेतु वर्ष 1983 में तत्कालीन विधायक महोदय विधान सभा क्षेत्र सिवाना द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(3) वर्तमान में कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

नीमका थाना में पर्यटन विकास

344. श्री फूलचन्द (नीमका थाना) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उपखण्ड नीम का थाना में पर्यटन विकास हेतु पूर्व वर्षों में किन-किन स्थानों का चयन किया गया था? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1987–88 वर्ष 1988–89 के बजट में स्थान गरोश्वर (नीम का थाना) में पर्यटन विकास की योजना के लिए प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो इस तहत के कितना खर्चा किया गया? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पूर्व वर्षों में उपखण्ड नीमकाथाना के गरोश्वर एवं बालेश्वर नामक पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु चयनित किया गया था।

(2) वित्तीय साधनों के अभाव में गरोश्वर के विकास हेतु वर्ष 1987-88 एवं 1988–89 के बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना सम्भव नहीं हो सका था। गरोश्वर एवं बालेश्वर नामक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में योजना प्रस्तावित है।

पूर्व सैनिकों की राजसेवा से निवृत्ति

345. श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति राजस्थान सिविल सेवा एब्जोर्प्शन ऑफ एक्स सर्विस पर्सनल रूल्स, 1959 के अन्तर्गत राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा चयन मण्डल से चयनोपरांत की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व सैनिकों को 55 वर्ष की आयु में इन सेवाओं से निवृत्त कर दिया जाता है? जबकि राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है?

(3) यदि हां, तो इस असंगति का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिकों की सेवा-निवृत्ति अब 58 वर्ष की आयु में की जाती है।

(3) असंगति का प्रश्न नहीं उठता है।

नगर परिषद् अजमेर क्षेत्र के गांवों की भूमि

346. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर सीमा के आस-पास लगने वाले 25 गांवों में राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1981 के पैराफैरी विषयक नियमों के अन्तर्गत सीमा आती है ?

(2) क्या ऐसे नियम के अन्तर्गत नगर परिषद् के पास आने वाली सीमा के अन्दर वर्षों से काश्तकारों के कब्जे होने के बावजूद उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाते ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन गांवों के काश्तकारों पर दफा 91 के नोटिस पिछले कई वर्षों से लगातार दिये जा रहे हैं जिससे उन्हें न्यायालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ता है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित नियम में संशोधन करके ग्रामवासियों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, नगर परिषद् अजमेर की सीमा के आस-पास लगने वाले 27 गांव राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक के प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1981 के अन्तर्गत पैराफेरी क्षेत्र में आते हैं।

(2) जी हां, राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ के लिये भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 प्रावधानों के अन्तर्गत दो लाख या अधिक परन्तु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के अन्दर नगरपालिका सीमाओं से 2 मील की परिधि के अन्दर नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर नियमानुसार सम्बन्धित अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के नियम 91 के तहत नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाती है।

(4) राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1981 में पैराफेरी के सम्बन्ध में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

225

वर्तमान स्थिति के अनुसार अजमेर नगर परिषद् सीमा में सम्मिलित ग्राम :

1. अजमेर
2. नोहर
3. कोटड़ा
4. चोरसियावास
5. खानपुरा
6. दोराई
7. समीची
8. बटुण्डी
9. लादुपुरा
10. मालपुरा
11. बड़गांव
12. परबतपुरा

राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार शहरी क्षेत्र सीमा में लगते हुए पैराफेरी क्षेत्र के ग्राम :–

1. कामड़
2. मेड़तिया
3. लीलाखेड़ी
4. साथीखेड़ा
5. मोरामणजीपुरा
6. सोहनपुर
7. हुमाका
8. सराधना
9. नाहरपुरा
10. मिर्जापुर
11. कालाना
12. लच्छीपुरा
13. बलवन्दा
14. होकरा
15. वाटिया
16. दांता
17. दायरा
18. लेदरिया
19. बड़लिया
20. नारेनी
21. बिरानीपुरा
22. मदारपुरा
23. रसूलपुरा
24. घुमरा
25. कादरदा भीनालाव
26. मोडागम
27. माकड़वाली

यातायात निरीक्षकों की नियुक्ति

347. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1988 में पथ परिवहन निगम द्वारा यातायात निरीक्षक व सहायक यातायात निरीक्षकों के पदों की भर्ती के लिए मांगे गये आवेदन-पत्रों में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

(2) क्या इन पदों पर नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ? अब कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी, यातायात निरीक्षकों एवं सहायक यातायात निरीक्षकों के क्रमशः 4, 919 एवं 17, 614 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं। न्यायालयों के स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 348

(स्थगित)

सपोटरा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक शालायें

349. श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार का विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के प्राथमिक विद्यालयों यथा (1) जाखोदा (2) राहिर बनीजरा (3) मोंगेपुरा (4) ग्रोंड (5) चन्देलीपुरा (6) लेडिया (7) थूमा (8) मरमदा (9) बहादुरपुर (10) ग्राडाडूंगर (11) नानपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का चालू वित्तीय वर्ष में इरादा है ?

(2) यदि हां, तो किस माह में क्रमोन्नत किये जाकर किस माह में चालू करवा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्रमांक 9 पर ग्राम बहादुरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय है। शेष उल्लेखित प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्तावों पर इस सत्र में अन्य प्रस्तावों के साथ प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करते समय गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) इस वर्ष जिन प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। उन पर शीघ्र विचार कर बजट प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

ग्राम खारा महेचा में टांकों का निर्माण

350. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या मुख्य (विशिष्ठ योजना संगठन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गंगाराम चौधरी)

(1) सन् 1987-88 अथवा 1988-89 में बाड़मेर जिले के खण्ड सिणधरी की पंचायत खारा महेचा के ग्राम खारा महेचा के निवासी हिमताराम पुत्र लच्छाराम मेघवाल, बगदाराम मेघवाल एवं पोकरराम पुत्र पूनमाराम कुम्हार को जीवनधारा योजना अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत टांकों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी व किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि कथित व्यक्तियों को ऐसी किसी राशि का भुगतान ही नहीं किया गया और न इन्होंने ऐसे किसी टांकों का निर्माण ही करवाया ?

(3) क्या यह सही है कि गत अभियान प्रशासन गांवों की ओर के दौरान पंचायत खारापार पर आयोजित बैठक के समय कथित व्यक्तियों ने इस प्रकार की शिकायत इन्चार्ज अधिकारी के समक्ष पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इन टांकों हेतु स्वीकृत राशि का सरपंच एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण ने दुरुपयोग किया है ?

(5) सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(1) सन् 1987–88, 1988–89 (संवत 2043, 2044) में बाड़मेर जिले के खण्ड सिणधरी की पंचायत खारा महेचा के निवासी हिमताराम पुत्र लच्छाराम मेघवाल, बगदाराम मेघवाल पुत्र कोजा मेघवाल को अकाल राहत में टांका निर्माण हेतु क्रमशः 4866.00, 4866.00 रु. राशि की स्वीकृति दी गई है। शर्तों की प्रति संलग्न है। पोकरराम पुत्र पूनमाराम कुम्हार को टांकों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई।

(2) जी नहीं। स्वीकृत टांकों पर कार्य करवाया गया है एवं भुगतान भी किया गया है।

(3) जी हां। गत अभियान प्रशासन गाँवों की ओर के दौरान पंचायत खारापार पर आयोजित बैठक के समय इन्चार्ज अधिकारी के समक्ष अनियमित की रिपोर्ट की गई थी। जिसकी जांच मुख्य अधिशाषी अधिकारी, बाड़मेर से कराई जा रही है।

(4) इन टांकों का निर्माण का भुगतान मस्टररोल के आधार पर किया गया है। निर्माण कार्यों में अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायत की जांच करवाई जा रही है।

(5) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर

क्रमांक/सहा/कार्य/88/2044 दिनांक : 10.1.88

प्रेषित :—

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, शिव/सिवाना/बालोतरा/बाड़मेर/धोरीमन्ना
सिणधरी/चौहटन/बायतु।

तहसीलदार, शिव/सिवाना/पचपदरा/गुड़ामालानी/बाड़मेर/चौहटन

विषय :—अकाल राहत में सामान्य एवं सामुदायिक टांका निर्माण की स्वीकृति।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सहा./87/18118 दिनांक 5.12.87 के अनुसार टांका निर्माण की तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत समिति एवं सामुदायिक टांकों की संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृति निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा की जाती हैं।

(1) टांका एवं आगौर निर्माण की श्रम मद की राशि की स्वीकृति पृथक-2 जारी की गई हैं। श्रम मद की यह राशि उक्त दोनों कार्य पृथक-2 रूप से पूर्ण करने पर देय होगी।

(2) टांका एवं आगौर निर्माण की कुल लागत की 50% राशि ही श्रम मद से देय होगी जो कि 5000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

(3) टांके निर्माण की सामग्री मद की राशि बैंक ऋण के रूप में सम्बन्धित बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष 50% सामग्री की सम्पूर्ण राशि कृषक स्वयं वहन करेगा।

(4) टांका निर्माण निर्धारित साइज एवं तकमीने के अनुसार ही पूर्ण करना होगा।

(5) टांका निर्माण हेतु सीमेन्ट के लिये 1500/- तक पंचायत समिति में जमा करवाने होंगे। जिसकी एवज में सम्बन्धित कृषक को मार्केटिंग सोसायटी अथवा पंचायत समिति से सीमेन्ट क्रय करनी होगी।

(6) विकास अधिकारी प्रत्येक टांका स्वीकृत कृषक/व्यक्ति का आवेदन पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में भरवाकर प्राप्त करेंगे। एक प्रति पंचायत समिति कार्यालय में रखी जावेगी। एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवा दी जावेगी। और एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जावेगी।

(7) प्रत्येक कृषक/व्यक्ति का टांका निर्माण का अनुबंध पत्र दो प्रतियों में भरवाकर एक प्रति तहसील कार्यालय में भिजवाते हुए दूसरी प्रति इस कार्यालय में भिजवायेंगे।

(8) जिन कृषकों के आवेदन पत्र एवं अनुबंध तहसील में प्राप्त हो जावे। उन काश्तकारों/व्यक्तियों को श्रम व्यय हेतु मस्ट्रोल तहसीलदार जारी करेंगे। मस्ट्रोल वहीं संधारित करेगा। इसकी देख-रेख पटवारी/गिरदावर करेंगे।

(9) तहसीलदार टांका निर्माण हेतु मस्ट्रोल जारी करते समय यह ध्यान रखेंगे कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत की निर्धारित श्रमिक सिलिंग सीमा से अधिक श्रमिक नियोजित नहीं होने चाहिये।

(10) पंचायत की निर्धारित, सिलिंग सीमा के भीतर टांकों के कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु मस्ट्रोल जारी करने में परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वाले कृषकों/व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावे।

(11) मस्ट्रोल पर सही श्रमिक नियोजन हेतु पटवारी/ग्राम सेवक एवं सरपंच के प्रत्येक मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर करवाये जावेंगे।

(12) प्रत्येक टांका निर्माण हेतु मस्ट्रोल पर 5 श्रमिक ही नियोजित किये जावेंगे।

(13) मस्ट्रोल पर लाभान्वित परिवार का केवल एक व्यक्ति ही रखा जावेगा। अन्य कार्डधारी परिवार में से एक व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से लगाये जावेंगे यदि लाभान्वित कृषक कार्डधारी परिवारों से नहीं हैं तो उस परिवार में से एक भी मजदूर नहीं लगाया जावेगा। और सभी श्रमिक अन्य कार्डधारी परिवारों से नियोजित किये जावेंगे।

(14) प्रत्येक कृषक को टांका खोदते समय पटवारी द्वारा ख. नं., स्थान एवं व्यास का ले आऊट भी मौके पर बतलाया जावेगा टांके का गलत ख. नं./स्थान/व्यास का निर्माण होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित पटवारी की होगी।

(15) टांका व आगौर निर्माण में तकनीकी सहायता एवं जांच का कार्य पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता सी. डी. द्वारा किया जावेगा।

(16) पंचायत समिति का कनिष्ठ अभियन्ता महीने में एक बार प्रत्येक टांके का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि टांके का निर्माण निर्धारित तखमीने डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार किया जा रहा है। वह अपने निरीक्षण के पश्चात् इस आशय की रिपोर्ट सम्बन्धित तहसीलदार को भिजवा देगा।

(17) टांका व आगौर निर्माण हेतु देय रकम राशि का भुगतान प्रति पखवाड़ा मस्ट्रोल के आधार पर किया जावेगा पटवारी प्रत्येक व्यास एवं गहराई के टांके के तकमीने के आधार पर प्रति पखवाड़ा नियोजित श्रमिकों को टास्क दर की गणना कर श्रमिक दर बाबत अपनी टिप्पणी मस्ट्रोल पर अंकित करेगा।

उदाहरणार्थ—15 फीट गहरे एवं 10 फीट व्यास के टाँके में 13 फीट खुदाई होगी और 2 फीट जमीन के ऊपर चुनाई होगी टांके की प्रथम 5 फीट खुदाई हेतु श्रम मद में 125/- रुपये अगले 5 फीट की खुदाई हेतु 140/- रुपये एवं अन्तिम 3 फीट की खुदाई हेतु 93/- रुपये कुल 358/- रुपये श्रम मद में भुगतान किये जावेंगे इसी आधार पर खुदाई हेतु कार्यरत श्रमिकों द्वारा सम्पादित कार्य की गणना की जाकर श्रमिक दर निकाली जावेगी। इसके पश्चात् टांके का पक्का चुनाई कार्य प्रारम्भ होने पर प्रत्येक आइटम की लागत का लगभग 47% श्रम मद में देय होगा। आगौर के लिये भी तकमीने के अनुसार गणना की जाकर श्रमिक दर निकाली जावे। हार्ड मिट्टी में सम्पूर्ण आगौर की लागत राशि श्रम में एवं साधारण मिट्टी में आगौर के कुल खर्चे की आधी राशि श्रम में देय होगी।

(18) टांकों के मस्ट्रोल उक्त जांच के पश्चात् प्रत्येक माह की 2 तारीख एवं 17 तारीख को पारित करने हेतु पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(19) मस्ट्रोल पारित करने के पश्चात् श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।

(20) इस कार्य हेतु श्रमिक दर अधिकतम 11/ रुपये ही देय होगी यदि श्रमिक दर 11/- रुपये से अधिक आती है तो शेष राशि लाभान्वित व्यक्ति स्वयं द्वारा वहन की जाती।

(21) टांकों के निर्माण की प्रगति के सुपरीविपण व भू. अभि. निरीक्षक अपने सर्किल के क्षेत्र के लिये जिम्मेदार होंगे और प्रत्येक टांके का निरीक्षण कर 10" का गड्डा खोद लिये जाने का प्रमाणीकरण मौके पर कर रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे।

(22) इसके पश्चात् प्रत्येक भू. अभि. निरीक्षक अपने क्षेत्र के टांकों की प्रगति हेतु प्रत्येक टांके का माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे और टांके का निर्माण निर्धारित अवधि में करवायेंगे।

(23) टांके का निर्माण 30 जून, 1988 तक पूर्ण करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कृषक व्यक्ति की होगी। निर्धारित अवधि में टांका पूर्ण नहीं करने पर सहायता मद से स्वीकृत श्रम मद की राशि कृषक/व्यक्ति से वसूल की जावेगी।

(24) टांकों की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रतिवेदन पूर्ण विवरण सहित सम्बन्धित तहसीलदार से प्राप्त कर इस कार्यालय में भेजेंगे।

प्रपत्र

ग्राम पंचायत	ग्राम	स्वीकृत टांकों की संख्या	चालू टांकों की संख्या	इस पक्ष में प्रारम्भ टांकों की संख्या
1	2	3	4	5

टांकों नियोजित	कुल सृजित मानव दिवस	पूर्ण हुऐ टांके	कुल व्यय ——— (देनदारियों सहित)	औसत मजदूरी दर	किस तारीख तक का भुगतान किया गया है।
6	7	8	9	10	11

बीकानेर जिले में फोग की लकड़ी

351. श्री उम्मेदसिंह (शिव) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ 6(39) राजस्व/ग्रुप-4/88/4, दिनांक 10-2-1987 से राजस्थान भू-राजस्व "वन उपज नियंत्रण और प्रबन्ध" नियम, 1960 के नियम 2 के लागू होने से अब जिला बीकानेर में फोग की लकड़ी काटी जाकर बीकानेर शहर के भट्टों व उद्योगों में जलाने हेतु नहीं लायी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर के ग्रामीण अंचल तहसील कोलायत व सर्वोदय बस्ती, बीकानेर में सैकड़ों कोयला भट्टे निर्बाध रूप से चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो फोग लकड़ी को काटने व शहर में आवक को रोकने के लिए कौन जिम्मेवार है इसे पूर्ण तथा चुंगी नाकों पर नाकेबन्दी कर क्यों नहीं रोका जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि फोग लकड़ी कटने से वन सम्पदा को भारी क्षति होने से गत वर्ष आंधियों में प्रायः सारी सड़कें व नहरें रेत से भरकर अवरुद्ध हो गई थी व खेतों में रेत चढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो फोग लकड़ी को काटने से रोकने के लिए विभाग ने अब तक क्या-क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (वन उपज का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध) नियम, 1960 क नियम 2 में दिनांक 10-2-1987 को संशोधन कर फोग झाड़ियों को वन उपज घोषित किया गया है। उक्त संशोधन के पश्चात् फोग झाड़ी को चोरी छिपे लाने के मामलों की रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(2) बीकानेर शहर की सर्वोदय बस्ती में कुछ भट्टे कोयले के है। इन भट्टों पर फोग की लकड़ी के आने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

फोग की लकड़ी बीकानेर शहर में आने की रोकथाम की जा रही है तथा पुलिस अधीक्षक एवं नगर परिषद् बीकानेर को चुंगी नाकों पर नाकेबन्दी करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) रेगिस्तानी जिला बीकानेर में हर वर्ष आंधियों से कहीं-कहीं सड़कों पर व नहरों में रेत आ जाती है तथा खेतों में भी रेत चढ़ जाती है किन्तु उसका केवल यही कारण नहीं है कि फोग की लकड़ी काटने से ऐसा होता हो। यह तो इस जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। फिर भी फोग की लकड़ी को काटने से रोकने के लिए समय-समय पर पुलिस व राजस्व अधिकारियों द्वारा चैकिंग की जाकर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

राजकीय महाविद्यालय गंगापुर में विज्ञान विषय

352. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर राजकीय महाविद्यालय, जिला सवाईमाधोपुर में विज्ञान विषय प्रारम्भ करने के बारे में समय-समय पर छात्रों, जनता व स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग की जाती रही है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री इसके औचित्य से आश्वस्त थे और उन्होंने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिये थे ?

(2) क्या सरकार का इस वर्ष वहां विज्ञान विषय प्रारम्भ करवाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1987 में मांग प्राप्त हुई थी। प्रकरण की जांच करने पर इसमें औचित्य नहीं पाया गया।

(2) इस वर्ष बजट में दस नये विषय खोलने का प्रावधान है। अत: अन्य प्रस्तावों के साथ गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

जैसलमेर में खडीन धोरे

353. **श्री मुल्ताना राम** (जैसलमेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में वर्ष 1987-88 एवं 1988–89 में विभागीय अकाल राहत व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत कितने खडोन धोरा बंधवाये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में बंधवाये गये धोरा पाली में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के बंधवाए गये हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अकाल राहत व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बंधवाए धोरों पाली की स्वीकृति कब-कब किससे ली गई ? क्या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई है ? यदि हां, तो आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में वर्ष 1987-88 व 1988-89 में विभागीय तौर पर (सिंचाई व भू-संरक्षण विभाग द्वारा) कोई खडीन। धोरा पाली कार्य नहीं करवाया गया। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 9 कार्य तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से 108 खडीन। धोरा पाली बंधवाये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त बंधवाये गये धोरा पाली में 6 खडीन केवल अनुसूचित जाति के लिए बंधवाये गये हैं। अन्य 17 खडीनों में अनुसूचित जाति के 34 परिवार एवं 4 खडीनों में अनुसूचित जनजाति के 7 परिवार लाभान्वित हुए है। जिनके सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति ली गई है। जिन-जिन अधिकारियों से स्वीकृति ली गई है उनकी स्वीकृति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में शैक्षिक सुधार

354. श्री हरीश कुमावत (नांवा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय कुचामन सिटी की स्थापना कुचामन सिटी में कब हुई ?

(2) क्या उक्त विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शैक्षिक सुधार हेतु डाइट में क्रमोन्नत करने की योजना थी और इसी योजना के अन्तर्गत उक्त विद्यालय को भी क्रमोन्नत कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, गढ़ी जिला बांसवाड़ा, बगड़ी जिला पाली आदि स्थानों पर जिला हैड क्वार्टर के अलावा उन्हीं स्थानों पर डाइट में क्रमोन्नत करने के बाद वहीं कायम रखा गया है ? यदि हां, तो कुचामन सिटी की इस विद्यालय को नागौर में क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है ।

(4) क्या कुचामन सिटी में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का क्रमोन्नत होकर डाइट में बनने पर कुचामन विकास समिति इस संस्था को निशुल्क 10 एकड़ भूमि देने व इसका नया भवन निर्माण न हो तब तक अस्थाई भवन डाइट के लिए उपलब्ध कराने को तैयार है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(5) क्या वहां की जनता की मांग को ध्यान में रखकर उक्त विद्यालय को वहीं रखने का सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, कुचामन सिटी में जुलाई, 1961 से लाडनूं (नागौर) से स्थानान्तरित कर, प्रारम्भ किया गया था, परन्तु 5-7-1969 को बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् पुनः 5-1-1973 से प्रारम्भ किया गया।

(2) जी हां। प्रत्येक जिले में मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में से एक ही विद्यालय को "डाइट" में क्रमोन्नत किये जाने का भारत सरकार का निर्णय है।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा सुझाये गये मार्ग दर्शक बिन्दुओं, भूमि की उपलब्धता एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोजनार्थ गठित टॉस्क फोर्स की अनुसंषा पर राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति द्वारा निर्णय लिये जाते हैं। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नागौर जिले के राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, कुचामन सिटी जो किराये के भवन में चल रहा था और जिला कलक्टर, नागौर द्वारा नागौर में ही 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करा देने से, एम्पावर्ड समिति ने नागौर में डाइट स्थापित करने का निर्णय लिया।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(4) जी हां। परन्तु विधिवत गठित टॉस्क फोर्स व एम्पावर्ड कमेटी के निर्णयानुसार भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है इसलिये कुचामन सिटी विकास समिति के प्रस्ताव पर राज्य सरकार कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार इस पर विचार करने में सक्षम नहीं है।

धोलपुर एवं डूंगरपुर में निर्माण कार्य हेतु ठेके

355. नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा वर्ष 1986 से 1988 के मध्य धोलपुर एवं डूंगरपुर में कुछ निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु ठेके दिये गये थे? यदि हां, तो कब-कब व किस-किस को कितने-कितने का किस-किस कार्य हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फर्में रजिस्टर्ड थीं? यदि नहीं, किन नियमों के अन्तर्गत ये ठेके दिये गये।

(3) क्या उक्त ठेका देने में निगम के निर्माण अनुभाग ने असमर्थता जाहिर की थी?

(4) क्या यह सही है कि 1986 के बाद निगम के कुछ सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति की गई थी? यदि हां, तो किस-किस व किसके स्थान पर? क्या यह तो क्या उसका औचित्य था?

(5) क्या एक अधीक्षण अभियन्ता का पद नया सृजित किया गया था? यदि हां, तो क्या उसका औचित्य था?

(6) क्या उक्त मामलों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) निगम में ठेकेदारों को पंजीकृत किये जाने की प्रथा नहीं है। निगम में प्रचलित प्रथानुसार निगम में कार्यरत ठेकेदार व अन्य संस्थाओं में पंजीकृत ठेकेदार अनुमानित लागत की 2% राशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करके निविदा भर सकते हैं। उपरोक्त फर्मस् के भागीदारों को निगम में कार्य करने का अनुभव था। अतः नियमानुसार ठेके दिये गये।

(3) जी नहीं।

(4) 1986 के बाद निगम के किसी भी सहायक अभियन्ता को पदोन्नति नहीं दी गई।

(5) जी हां। 1987-88 में अधीक्षण अभियन्ता का पद सृजित किया गया था उस समय उसका औचित्य था।

(6) कोई अनियमितता नहीं हुई, अतः जांच की आवश्यकता ही नहीं थी।

परिशिष्ट–अ

स्थान	कार्य का विवरण	कार्य आदेश का दिनांक	फर्म का नाम	अनुमानित राशि (लाख रुपये में)
डूंगरपुर	गोदाम निर्माण, सड़क व नाली निर्माण	25-2-1987	मैसर्स त्रिवेणी कन्स्ट्रक्शन्स	6.31
डूंगरपुर	चार दीवारी का निर्माण	2-11-1987	मैसर्स त्रिवेणी कन्स्ट्रक्शन्स	0.74
धौलपुर	चार दीवारी का निर्माण व मरम्मत कार्य	19-5-1986	मैसर्स स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	0.27
धौलपुर	गोदाम निर्माण, सड़क व नाली निर्माण	30-7-1987	मैसर्स अम्बिका एन्टरप्राईजेज	5.51

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 437 का विवरण

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ **परिशिष्ट–'अ"**

बकाया प्रार्थना-पत्रों की संख्या का ग्रामवार/वर्षवार विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	1979	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	कुल लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बऊ	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2	6
2.	पाननवा	–	–	9	–	–	1	–	1	4	4	–	19
3.	किनवसर	–	–	2	2	2	2	2	1	5	2	1	19
4.	कल्याणपुरा	–	–	4	–	–	–	–	–	7	1	–	12
5.	बिरोडो छोटी	–	1	–	1	–	1	3	2	–	2	–	10
6.	बासनी बेरस	–	–	–	1	–	–	1	1	5	5	–	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	खोरवा	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—	6
8.	पदमपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
9.	मंश्या	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	3
10.	रसूकावास	—	—	—	—	—	1	—	1	4	2	—	8
11.	भासू	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	—	7
12.	अन्तरोली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
13.	बागड़ो	—	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—	8
14.	अकारु गोदरा	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4
15.	बरांई	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	6
16.	खेड़ी डूक्या	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
17.	बतुनदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
18.	अमीरपुरा	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	7
19.	गोगासर छोटा	—	1	1	—	1	1	3	1	4	1	1	14
20.	भोलासर बड़ा	—	—	2	1	—	2	3	2	—	4	—	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	कंटेवा	–	–	1	1	–	–	1	–	4	6	2	15
22.	मातोवास	–	–	–	–	1	–	1	–	4	3	1	10
23.	भाटोद	–	–	–	2	6	–	1	1	3	9	3	25
24.	दोतासरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	हापास	–	–	3	1	2	–	1	1	1	4	1	13
26.	भौमा बड़ा	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	6
27.	ढाणी चन्दास	–	–	–	–	–	1	1	3	1	2	–	8
28.	ढाणी ललाना	–	–	–	2	–	1	–	1	1	2	–	7
29.	सुरतोद	–	–	2	–	–	4	1	–	1	5	1	15
30.	धोलास	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	7
31.	पोसानो	–	–	3	–	1	–	1	–	–	2	3	11
32.	जौगियों का बास	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3
33.	पिपलो	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	3
34.	कमवालो	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	कोरू	–	–	1	–	–	–	1	1	4	3	–	10
36.	मीरान	–	–	1	–	–	–	–	–	2	4	1	8
37.	सिगोला बड़ा	–	2	–	2	–	4	–	–	1	1	1	13
38.	बासनी (भोमा)	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3
39.	बाजरोलो	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	5
40.	दीवनजी का वास	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
41.	तोरोकी छोटी	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3	–	10
42.	पुनानी	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	4
43.	खेवा	–	–	3	1	1	1	–	–	2	5	1	14
44.	चैनपुरा	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	4
45.	सुतोद	–	–	–	–	–	2	–	1	8	5	1	17
46.	दोनवाजाटन	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
47.	मनासी	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
48.	तनवाली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.	चोचासी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
50.	कुमास जाटान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51.	जसुरासर	–	–	–	1	–	1	–	3	5	7	3	20
52.	दलमास	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	6
53.	पाटोदा	–	–	–	3	1	1	–	–	2	6	–	14
54.	अलकपुरा बागान	–	–	2	1	1	1	–	–	–	1	–	6
55.	शोभा	–	–	7	4	–	1	2	–	4	5	–	26
56.	जाजोंज	–	–	–	–	1	1	2	–	7	4	–	16
57.	गादोदा	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	–	7
58.	सिगोला छोटा	–	–	–	1	–	1	–	–	2	9	–	13
59.	गाना	–	–	3	2	–	–	–	–	–	6	–	11
60.	रुतोयानी माली	–	–	2	1	–	–	–	–	1	6	–	10
61.	विजयपुरा	–	–	1	–	1	–	–	2	7	8	–	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.	नासवा	—	—	—	—	—	3	3	2	2	9	4	23
63.	जाकला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
64.	तोरडा	—	—	—	—	1	2	2	3	1	2	—	11
65.	बिलुन्दा	—	—	2	—	—	2	1	3	6	4	—	18
66.	जालू	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	6
67.	गिरनिया छोटा	—	—	—	—	1	—	—	1	5	—	—	7
68.	गिरनिया बड़ा	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5	—	11
69.	कुमास जागोर	—	—	5	—	—	—	—	1	—	4	—	10
70.	रामसिंहपुरा	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3
71.	तुरकासियां	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	4
72.	ढाणी बजरांग	—	—	3	1	—	—	—	3	1	1	—	9
73.	हलियानी पट्ठा	—	—	1	1	—	1	—	2	3	3	—	11
74.	बाकरोन की ढाणी	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75.	ढाणी चारान	–	–	1	1	–	1	2	–	6	1	–	12
76.	बोचो	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
77.	ढाणी रोडरमरा	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	4
78.	तुनवा	–	–	1	7	–	3	–	1	4	5	–	21
79	शिवधारा	–	–	–	5	1	2	2	1	1	4	–	16
80.	बादलासी	–	–	–	3	–	–	1	–	3	4	–	11
81.	मनासी गोदान	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	3
82.	ढाणी क्रिपरम	–	–	–	–	1	–	3	3	7	–	–	14
83.	घरकाबास	–	–	6	–	–	–	2	4	8	5	–	25
84.	जोवाली	–	–	–	–	–	3	1	1	–	4	–	9
85.	रूलीयानी	–	–	3	6	2	1	–	2	9	6	4	33
86.	नांगल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2
87.	फिरडोली छोटी	–	–	3	1	–	–	–	2	1	–	–	7

२५३

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88.	जैतपुरा	–	–	2	–	–	–	–	–	–	5	–	9
89.	किरडोली बड़ी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
90.	तिरोकी बड़ी	–	–	–	–	–	–	1	1	–	13	–	24
91.	शिवरासों का बास	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	9
92.	कौमासी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
93.	लालासी	–	–	–	–	1	–	1	–	6	10	–	18
94.	किरवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	7
95.	बातरो	–	–	1	–	–	–	3	–	7	6	2	19
96.	यालसर	–	–	–	–	–	6	1	2	8	6	1	24
97.	नरोदरा	–	–	1	3	–	–	2	8	4	13	4	35
98.	दूदवा	–	–	–	–	2	–	1	3	10	9	2	27
99.	पोरजावास	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
100.	खैरीरादन	–	–	–	1	–	–	–	1	2	3	–	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101.	रैनावा	–	–	1	–	1	1	3	1	5	5	1	18
102.	बीडोली बड़ी	–	–	1	1	–	–	–	2	4	8	–	16
103.	बीदासर	–	–	–	–	–	1	1	–	4	2	–	8
104.	प्रतापपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	8
105.	जैदेवा	–	–	3	–	–	–	–	–	1	3	–	7
106.	खुरी छोटी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4
107.	खुरी बड़ी	–	–	–	–	–	3	7	6	7	8	–	31
108.	,, ,,	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	10
109.	बांगलिया का बास	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3
110.	माधोपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	10	8	1	20
111.	लिंगादिरा	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3
112.	सिंगोदिरो	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	5
113.	निचवा	–	–	–	2	–	–	1	–	1	3	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114.	गनेरी	–	–	–	1	1	–	2	–	2	3	–	9
115.	गिल्यासर	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	3
116.	मंमलूना	–	–	–	–	–	–	4	2	6	4	2	10
117.	जिलाली	–	–	1	–	–	–	1	–	1	2	–	5
118.	जाजौर	–	1	2	–	–	–	1	1	3	4	–	12
119.	कालवा	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
												योग :	1190

पंचायत समिति फतेहपुर

बकाया प्रार्थना-पत्रों की संख्या का ग्रामवार/वर्षवार विवरण

परिशिष्ट—"स"

क्र.सं.	ग्राम का नाम	1979	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	कुल लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	डेडो ढाणी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
2.	कोटिया	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
3.	जलेऊ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
4.	गोरास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
5.	नरसारा/हरदयालपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
6.	रसूलपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
7.	गोरिया छोटा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
8.	रघुनाथपुरा	—	—	5	1	—	1	—	—	2	2	—	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	बारी	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	4	
10.	नारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
11.	उडी	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
12.	मण्डेला बड़ी	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	4	
13.	मण्डेला छोटी	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	
14.	बीकमसर	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
15.	टोटावता बोरान	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
16.	टोटावता बड़ी	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
17.	करुंगाछोटा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	
18.	भाटोद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
19.	नूरपुरा भादोद	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	
20.	रिलेऊ	—	3	2	1	3	1	—	—	—	1	—	11	
21.	चौहास	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
22.	नसाबाऊ	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	बीबीपुर बड़ी	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	8	
24.	सांकोबास	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
25.	गेरधांतु छोटी	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	4	
26.	गेरधांतु बड़ी	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	
27.	करू गां बड़ा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
28.	रोरू छोटी	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	
29.	टीबा की ढाणी	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
30.	रोरू बड़ी	—	2	9	—	1	1	1	12	—	—	—	26	
31.	मांदूसर	—	7	1	1	2	—	1	—	—	—	—	14	
32.	मीमा छोटा	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	5	
33.	सातो की ढाणी	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	6	
34.	राजास	—	9	—	—	—	1	—	1	2	3	—	15	
35.	कण्डलाव	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
36.	कण्डलाऊ	—	—	1	2	—	—	—	3	5	2	—	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37.	मातरानाऊ	—	9	1	—	—	—	2	—	—	2	—	14	
38.	कालियानाऊ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
39.	चाचोबद बड़ा	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
40.	ढाणी रोडमल	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	
41.	रांशेलावाल	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	18	
42.	दीनारपुर	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
43.	रामसीशर	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	
44.	बागास	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	
45.	दारूदा	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
46.	गुंदरवास	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
47.	गारण्डवा	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	
48.	दाकाश	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	
49.	टेकलासर	—	—	3	—	—	—	2	—	2	3	—	10	
50.	ढाणी संडा	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51.	कायमसर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
52.	भांकरवासी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
53.	लांवद	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	
54.	टेडी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
55.	गौरया बड़ा	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
56.	बालोद बड़ी	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	—	5	
57.	डण्डानसरी	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
58.	रागियासर	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	1	7	
59.	उंडासर	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	7	
60.	बागरोदा	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	
61.	नादोपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	
62.	दोनवाला (दोरवानी)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	
63.	डबाडो	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	
64.	दाखलो	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65.	बालोद बरखान	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	
66.	बालोद छोटी	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	
67.	सादिनसर	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	5	
68.	तामोला	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	4	
69.	हीरना	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	
70.	अलापसर	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	6	
71.	खांगासर	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
72.	जयलालसर	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
73.	गरिडा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
74.	हरसावा छोटा	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
75.	हथवास	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	5	
76.	सरूपसर	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	
77.	नोनेऊ	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78.	बिसनेऊ	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	6	
79.	बालकवास	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	5	
80.	राजपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	
81.	बरास	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	
82.	भानुपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
83.	बिचाड़ी	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	
84.	अलवास	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	5	
85.	चुरिमियाम	—	—	2	—	—	—	1	1	2	1	—	7	
86.	नीमोकी ढाणी	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	
87.	रामगढ़ शेखावटी	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	2	12	
88.	बलराम	—	—	—	—	1	—	1	1	4	5	1	13	
89.	विसवा	—	2	3	1	—	—	—	—	5	5	—	18	
90.	बागेसर	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	51
91.	साँकू	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	—	7	
92.	डागरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
93.	तोलसवास	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
94.	ढाढणा	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	
95.	रोमासर	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	6	
96.	लाजसर	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
	कुल योग	3	11	63	73	23	14	16	33	81	101	8	450	

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 440 का विवरण

निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक : प. 1/ग्रुप-2/बजट/86-87/ दिनांक फरवरी, 87

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
डूंगरपुर ।

विषय :—मुख्य मण्डी प्रांगण को उदयपुर से जोड़ने हेतु 1.5 कि. मी. एप्रोच रोड निर्मित करवाने की स्वीकृति ।

प्रसंग :—आपका पत्र संख्या 15043–46 दिनांक 4.12 86

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के अन्तर्गत मुख्य मण्डी प्रांगण को उदयपुर सड़क से जोड़ने हेतु एप्रोच रोड 1–5 कि. मी निर्मित कराने हेतु 2·00 लाख की प्रशासनिक एवं 2.00 लाख (अक्षरे दो लाख रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 1986–87 के लिए प्रदान की जाती है ।

ह०/-
निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
जयपुर

क्रमांक 38044-50 दिनांक : 3-2-87

प्रतिलिपि :—

1. अधीक्षण अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर प्रथम ।
2. जिलाधीश, डूंगरपुर ।
3. अधिशासी अभियन्ता, राज राज्य कृषि विपणन बोर्ड, डूंगरपुर ।
4. सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, उदयपुर ।
5. सहायक विपणन अधिकारी सड़क निर्माण को निर्माण शाखा की डूंगरपुर मण्डी समिति की पत्रावली सं. 237 की कार्यालय टिप्पणी के अनुच्छेद संख्या 25 से 27 एम. पर दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में ।
6. गार्ड पत्रावली ।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 का विवरण

राजस्थान सरकार

ऊर्जा विभाग

क्रमांक प. 1 (69) उर्जा/89 जयपुर, दिनांक 11/5/89

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12/19/उर्जा/88 दिनांक 19/9/88 के संशोधन में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 78ए के अनुसरण में राज्यपाल महोदय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को यह नीति विषयक निर्देश देते हैं कि वर्ष 89-90 व भविष्य में आगामी आदेश होने तक कृषि के विद्युत कनेक्शन देने में निम्नलिखित क्रम में विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक प्रार्थीगण को प्राथमिकता दी जायेगी :—

वर्ष 1989-90 में दिये जाने वाले कृषि कनेक्शनों में प्राथमिकता :—

1.	रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत सामुदायिक एवं सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजनायें।	100
2.	भारत सरकार द्वारा अनुदानित फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई योजना (प्रति पंचायत समिति में दो कनेक्शन के हिसाब से)।	474
3.	भारत सरकार द्वारा अनुदानित "जलधारा" योजनान्तर्गत 30 सूखा संभाव्य पंचायत समितियों के लिये।	2500
4.	समाज कल्याण विभाग के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के प्रार्थीगणों को।	6000
5.	जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 23 पंचायत समितियों में (प्राथमिकता जनजाति के व्यक्तियों को)	1000
6.	अनुसूचित जनजाति के प्रार्थीगण (जनजाति क्षेत्र के अलावा)	3000

7.	सुरक्षा सेवा के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के लिये।	500
8.	ऐसे ग्राम जिनका विद्युतिकरण हो चुका है व जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं है (प्रत्येक में कम से कम दो कनेक्शन)।	2000
9.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन व्यक्तियों को ग्रीन कार्ड जारी किये गये हैं (परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत)।	1000
10.	विकलांगों हेतु।	300
11.	ऐसे ट्यूबवैल जिनमें बोरिंग भू-सतह से की गई हो।	1000
12.	एक पोल कनेक्शन।	5000
	योग क्र. सं. 1 से 12 तक	22874

क्रम सं. 3, 4 एवं 5 में प्राथमिकता 'जीवनधारा' योजनान्तर्गत दी जाएगी। शेष 7126 कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता निम्न प्रकार होगी :—

अधिक समय से लम्बित प्रार्थीगण को उनकी प्राप्ति की तिथि के अनुसार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस (First come first service) के आधार पर ग्रामवार प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को जो 6 माह की प्राथमिकता दी जाती है वह पूर्ववत्या दी जाती रहेगी।	7126
कुल योग	30,000

नोट :—

1. उपभोक्ता की प्राथमिकता आवेदन-पत्र जमा कराने की तारीख से निर्धारित की जाएगी।

(258)

2. उपरोक्त प्राथमिकता के आधार पर विद्युत मण्डल द्वारा रजिस्ट्रार का प्रारूप जारी किया जाएगा। सभी सहायक अभियन्ता कार्यालयों में प्राथमिकता जारी को जनसाधारण की सूचना हेतु पट्ट पर अवश्य लगाया जाएगा।

आज्ञा से,

ह०/–

(उमराव सालोदिया)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, मुख्य मंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, राज्य मंत्री एवं उप मंत्रीगण।
3. समस्त शासन सचिव।
4. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर को अविलम्ब पालना कर समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी करके पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने हेतु।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।
6. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था करें।

ह०/–

शासन उप सचिव

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 448 का विवरण

सूची "अ"

मकराना संभाग के अन्तर्गत स्थित 33 के. वी. सब-स्टेशनों का विवरण

क्र. सं.	प्रतिस्थापित 33 के. वी. सब-स्टेशनों का नाम	स्थापित क्षमता एम. वी. ए. में	वर्तमान भार एम.वी.ए. में	132 के.वी. सब-स्टेशन की दूरी (किलो मीटर में)		पचायत समिति का नाम
1	2	3	4	5		6
1.	मकराना	3.15	11.43	1.5	132 के. वी. जी. एस. एस. मकराना से	मकराना
2.	बिदियाद	3.15	6.173	8.0	132 के. वी. जी. एस. एस. मकराना से	पर्बतसर
3.	गच्छीपुरा	2.6	3.26	32.0		
4.	हरनावा	4.8	6.96	41.0		
5.	डेगाना	2.0	3.3	45.0		डेगाना

259

1	2	3	4		5	6
6.	नावां सिटी	4.1	4.5	39.0	132 के. वी. जी. एस. एस. फुलेरा से	नावां
7.	मारोठ	3.1	4.0	33.0	फुलेरा से	नावां
8.	कुचामन सिटी	5.0	3.5	2.0	132 के. वी.	नावां
9.	चितावा	6.7	7.64	20.0	जी. एस. एस.	नावां
10.	पांचवा	3.15	3.2	10.0	कुचामन सिटी से	नावां
11.	मादवा	3.2	3.25	13.0		नावां
12.	कोरंडो	4.1	4.45	8.0		नावां
13.	पर्बतसर	3.0	4.24	20.0	132 के. वी.	पर्बतसर
14.	बागत	4.1	5.19	26.0	जी. एस. एस.	,,
15.	मंगलाना	1.0	2.0	8.0	मकराना से	,,
16.	मिठारी	4.1	3.8	24.0		,,
17.	पीलवा	1.6	2.2	55.0	132 के. वी. जी. एस. एस. अजमेर से	,,

सूची "अ"

नागौर संभाग के अन्तर्गत स्थित 33 के. वी. सब-स्टेशनों का विवरण

क्र. सं.	प्रतिस्थापित 33 के. वी. सब-स्टेशनों का नाम	स्थापित क्षमता एम.वी.ए. में	वर्तमान भार एम.वी.ए. में	132 के. वी. सब-स्टेशन की दूरी (किलोमीटर में)		पंचायत समिति का नाम
1	2	3	4		5	6
1.	थावला	2.0	1.7	31.0	132 के.वी.	रिया
2.	भैरूण्डा	2.6	2.9	45.0	जी. एस. एस. अजमेर से	रिया
3.	हरसोर	3.1	4.03	58.0		डेगाना
4.	नागौर	1.6	2.5	3.0	132 के.वी.	नागौर
5.	खिनवासर	1.6	2.7	40.0	जी. एस. एस.	
6.	जोधियासी	1.6	2.3	35.0	नागौर से	मूण्डवा
7.	मूण्डवा	3.2	4.08	20.0		मूण्डवा
8.	सणकवास	1.0	3.2	40.0		मूण्डवा
9.	गज्जू	4.8	6.45	38.0		मूण्डवा
10.	डीडवाना	3.2	4.7	4.0		डीडवाना

1	2	3	4		5	6
11.	खाटू	3.15	5.3	50.0	132 के.वी.	जायल
12.	खुनखुना	3.2	4.3	29.0	जी. एस. एस. डीडवाना से	डीडवाना
13.	मूलासर	4.6	7.0	24.0		डीडवाना
14.	लाडड़िया	2.1	1.6	32.5		डीडवाना
15.	निमोद	4.1	5.42	36.0		डीडवाना
16.	नूका	2.6	3.0	30.0		डीडवाना
17.	धानकोसी	1.6	3.1	40.0		डीडवाना
18.	बकोलिया	1.5	1.68	20.0		लाडनूं
19.	लेडी	0.5	0.9	30.0		लाडनूं
20.	जेडरी	3.2	4.77	30.0		लाडनूं
21.	लाम्बा	4.7	5.3	22.0	132 के.वी.	मेड़ता
22.	मेड़ता रोड	8.2	6.9	18.0	जी. एस. एस.	मेड़ता
23.	लम्पोलाई	1.6	1.7	18.0	मेड़ता से	रिया

1	2	3	4		5	6
24.	पाडू	4.1	4.3	25.0		रिया
25.	रियांन	3.15	5.8	—		रिया
26.	बुटाटी	1.5	3.2	30.0		रिया
27.	कुचेरा	6.95	8.4	40.0		मूण्डवा,
28.	जसनसर	1.6	2.6	22.0		रिया
29.	अलनियावास	3.1	4.2	84.0		रिया
30.	गगराना	4.6	6.0	16.0	132 के.वी. जी. एस. एस. भेरूना से	मेड़ता,
31.	बोरून्दा	5.65	3.2	3.0		रिया

263

(२६५)

वर्तमान में लोड के अनुरूप सब-स्टेशन बनना प्रस्तावित है

सूची "ब"

33 के०वी० के प्रस्तावित सब-स्टेशन—1989-90

क्र. सं.	33/11 के.वी. सब-स्टेशन का नाम	दक्षता (एम.वी.ए.)	दूरी—स्थान (कि. मी.)	
1.	बीचवां	3.15	11.0	मकराना से
2.	जोल्यां	2 × 1.6	10.0	कुचामन से
3.	बोरावर	5.0	10.0	मकराना से
4.	मिन्डा	1.6	8.0	रेनवाल से
5.	गोगलाव	1.6	22.0	नागौर से
6.	इन्दावर	1.6	15.0	मेड़ता से
7.	मादवा	1.6	14.0	बिउयाड से

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 449 का विवरण

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की सूची

अनुसूचित जाति

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वेतन श्रृंखला	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	शंकरलाल घोलीवाल	चयन वेतन श्रृंखला	अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर
2	गोपाल दास	,,	भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर
3	कानसिंह रावल	,,	राजस्व अपील अधिकारी, सीकर
4	थान सिंह जाटव	,,	उप सचिव, गृह (यातायात)
5	रतनलाल बैरवा	,,	अति. निदेशक, भूमि एवं भवन कर (सीलिंग) कोटा
6	प्यार चन्द बलाई	,,	अति. निदेशक, कृषि (मार्केटिंग) जयपुर
7.	घीसा लाल वर्मा	,,	पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में
8.	देवीराम जोधावत	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर
9.	यादराम गौड़	,,	अतिरिक्त जिलाधीश, (विकास) सिरोही
10.	जगदीश प्रसाद	,,	उपायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जयपुर
11.	शंकर लाल वर्मा	,,	प्रशासक, नगर परिषद, अलवर
12.	बाबूलाल	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही

1	2	3	4
13.	नरिंगा राम यादव	चयन वेतन	अति. जिलाधीश (विकास) बांसवाड़ा
14.	राम प्रसाद	शृंखला	अति. जिलाधीश (विकास) टोंक
15.	नानक चन्द सोलंकी	,,	उप सचिव, बीस सूत्री कार्यक्रम
16.	अमर चन्द भट्ट	,,	अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर
17.	उदाराम कुड़िया	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली
18.	मूलचन्द	,,	पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा से
19.	कुमारी लक्ष्मी	,,	अति निदेशक, भूमि एवं भवन कर, जयपुर
20.	लालचन्द असवाल	,,	आयुक्त, नगर परिषद, जयपुर
21.	जगदीश प्रसाद चन्देलिया	,,	निजी सचिव, आयुर्वेद मंत्री
22.	गुलाब चन्द सिंदल	वरिष्ठ वेतन	उपायुक्त मरुस्थल विकास, जोधपुर
23.	मूराlाल मेघवाल	शृंखला	निलम्बित
24.	विजय राज	,,	उप निदेशक, भूमि एवं भवन कर, जोधपुर
25.	हनुमान प्रसाद बरूड़	,,	जिला रसद अधिकारी, गंगानगर
26.	पंकज मनु	,,	जिला आबकारी अधिकारी, कोटा
27.	श्रीराम वर्मा	,,	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., गंगानगर
28.	गुरुदयाल आर्य	,,	अतिरिक्त जिलाधीश, बाड़मेर
29.	अशोक कुमार सांवरिया	,,	जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
30.	नाथू लाल वर्मा	,,	उप निदेशक, आई.सी.डी.एस., भरतपुर
31.	शकुन चन्द सोंठवाल	,,	सहायक महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अलवर ।
32.	कल्याण सहाय वर्मा	,,	स्कीम ऑफीसर, जयपुर विकास प्राधिकरण ।
33.	भंवरलाल वर्मा	,,	अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर

1	2	3	4
	सर्वश्री		
34.	ओमप्रकाश	वरिष्ठ वेतन	जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
35.	माधोलाल भट्ट	श्रृंखला	जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
36.	भंवर सिंह सहवाल	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़
37.	एस. डी. भास्कर	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
38.	रामलाल ढाबी	कनिष्ठ वेतन श्रृंखला	सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर।
39.	श्रीराम चोरड़िया	,,	उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
40.	मदन सिंह काला	,,	उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
41.	नाथू लाल चौहान	,,	उपखण्ड अधिकारी, रायसिंह नगर
42.	मांगीलाल खींची	,,	उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
43.	पृथ्वी राज आर्य	,,	सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
44.	यादराम आर्य	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) जालौर
45.	भगवाना राम	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नदबई (भरतपुर)
46.	गंगासहाय वर्मा	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीग (मु.) कामां
47.	रामस्वरूप नरेनिया	,,	उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
48.	सूवालाल	,,	उपखण्ड अधिकारी, बाली
49.	अशोक यादव	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नावां
50.	सलविन्दर सिंह सोहता	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भरतपुर
51.	स्वरूप सिंह पंवार	,,	उपखण्ड अधिकारी, डीग, भरतपुर

1	2	3	4
	सर्वश्री		
52.	जगदीश चन्द देसाई	कनिष्ठ वेतन शृंखला	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) चित्तौड़गढ़
53.	रामनिवास	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रावतभाटा
54.	छीतरमल काला	,,	उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़
55.	बाबूलाल जाटावत	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) झुन्झुनू
56.	भंवरलाल नवल	,,	उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर
57.	पुसाराम पण्डत	,,	महिला, बच्चे एवं पोषाहार, सिवाना
58.	कैलाश चन्द वर्मा	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (कठुमर) अलवर
59.	सत्यप्रकाश बसवाला	,,	विकास अधिकारी, देवली
60.	रामनाथ चायल	,,	विकास अधिकारी, भुवाना (झुन्झुनू)
61.	चुन्नीलाल कायल	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दिगोद
62.	वेद प्रकाश	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मकराना
63.	भंवरलाल मेहरा	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (मु.) भीलवाड़ा
64	सुरेन्द्र कुमार सोलंकी	,,	विकास अधिकारी, सरदारशहर
65.	प्रेमचन्द बैरवाल	,,	विकास अधिकारी, बहरोड़
66.	नन्नूमल पहाड़िया	,,	प्रशिक्षणार्थी
67.	कैलाश वर्मा	,,	,,
68.	कुमारी प्रतिभा	,,	,,

२६९

1	2	3	4
	सर्वश्री		
69.	रामचन्द्र धीनवाल	कनिष्ठ वेतन शृंखला	प्रशिक्षणार्थी
70.	भीकालाल भाटी	,,	,,
71.	प्रकाश चन्द्र पवन	,,	,,
72.	भैंरू शंकर गर्ग	,,	,,
73.	सनवर मल वर्मा	,,	,,

अनुसूचित जनजाति

	सर्वश्री		
1.	आर. सी. जैफ	सुपर टाईम वेतन शृंखला	अतिरिक्त आयुक्त, यातायात, जयपुर
2.	प्रभाती लाल मीना	चयन वेतन	भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर
3.	कुरड़ाराम मीना	शृंखला	संयुक्त निदेशक, महिला बच्चे एवं पोषाहार विभाग, जयपुर
4.	डालुराम मीना	,,	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), भरतपुर
5.	रामजीवन मीना	,,	उप सचिव, पंचायत विकास विभाग, जयपुर
6.	बद्रीलाल मीना	,,	भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोंक
7.	सूरज मल मीना	,,	भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा
8.	हरिकृष्ण दामोर	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़
9.	भरत लाल वर्मा	,,	अतिरिक्त निदेशक, भूमि एवं भवन कर, जयपुर

(270)

1	2	3	4
	सर्वश्री		
10.	शिवजी राम प्रतिहार	चयन वेतन श्रृंखला	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), कोटा
11.	रामखिलाड़ी मीना	,,	सचिव, नगर विकास न्यास, गंगानगर
12.	रामनिवास मीना	,,	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), भीलवाड़ा
13.	रामेश्वरलाल जूनवाल	वरिष्ठ वेतन श्रृंखला	अतिरिक्त जिलाधीश, बारां
14.	श्रीनारायण ब्यादवाल	,,	अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्रोजेक्ट ऑफीसर, शाहबाद एरिया
15.	गजेन्द्र सिंह	,,	भू-प्रबन्ध अधिकारी, सी ए.डी., बीकानेर
16.	कालुराम कमलेश	,,	उपायुक्त, सी.ए.डी., कोटा
17.	रामगोपाल चीता	,,	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झुन्झुनू
18.	श्रीराम मीना	,,	अति. जिलाधीश (भू.रु.) अजमेर
19.	श्रीमती हंसा सिंह देव	,,	प्रोजेक्ट ऑफीसर, विश्व खाद्य प्रोग्राम, महिला बच्चे, जयपुर
20.	जगदीश प्रसाद मीना	,,	प्रोजेक्ट मैनेजर, एस. सी. डवलपमेन्ट कारपोरेशन, अलवर
21.	कालूराम कमलेश	,,	उपायुक्त, सी.ए.डी., कोटा
22.	धूड़ा राम मीना	,,	अतिरिक्त जिलाधीश, विजीलेन्स, गंगानगर
23.	भगवान सिंह मीना	,,	प्रोजेक्ट ऑफीसर, टी. ए. डी., बांसवाड़ा
24.	श्रीमती गीता सिंह देव	,,	उप निदेशक, महिला बच्चे एवं पोषाहार विभाग, बाड़मेर

1	2	3	4
	सर्वश्री		
25.	सूरजभान मीना.	वरिष्ठ वेतन श्रृंखला	क्षेत्रीय प्रबन्धक, आर. एस. आर. टी. सी., जयपुर।
26.	बुद्धराम मीना	कनिष्ठ वेतन श्रृंखला	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) टोंक
27.	कन्हैया लाल मीना	,,	उप परियोजना अधिकारी, कोटा सी.ए.डी., कोटा।
28.	जयनारायण मीना	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट, मेड़ता।
29.	शम्भू सिंह मीना	,,	उपखण्ड अधिकारी, भीम
30.	एम. आर. मीना	,,	विकास अधिकारी, देसूरी
31.	कुमारी शकुन्तला वर्मा	,,	सहायक आयुक्त, सहायता विभाग, जयपुर।
32.	हनुमान सहाय मीना	,,	सहायक आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
33.	रघुवीर सिंह मीना	,,	उपखण्ड अधिकारी. अकलेरा
34.	नारायण लाल	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महुवा।
35.	मूलचन्द मीना	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़।
36.	रामेश्वर दयाल	,,	विकास अधिकारी, सांगोद।
37.	बच्चू सिंह मीना	,,	विकास अधिकारी, बैर (भरतपुर)
38.	रमेश चन्द सोलंकी	,,	उपखण्ड अधिकारी, चूरू
39.	लक्ष्मीनारायण मीना	,,	विकास अधिकारी केशोरायपाटन
40.	कैलाश चन्द मीना	,,	विकास अधिकारी, धौलपुर
41.	बनवारी लाल मीना	,,	प्रशिक्षणार्थी

1	2	3	4
	सर्वश्री		
42.	रामदयाल मीना	कनिष्ठ वेतन श्रृंखला	प्रशिक्षणार्थी
43.	बाबूलाल मीना	,,	,,
44.	यज्ञमित्र सिंह देव	,,	,,
45.	छोटीराम मीना	,,	,,
46.	फूलचन्द मीना	,,	प्रोजेक्ट ऑफीसर, टी. ए. डी., डूंगरपुर।
47.	छुट्टन लाल मीणा	,,	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ बास

(273)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 452 की सूची

कुचामन सिटी व नावां सहायक अभियन्ता कार्यालय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कृषि विद्युत कनेक्शन वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 (जून, 1989 तक) की सूची

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव	भूमि का खसरा नं.	रकबा
1	2	3	4	5
उपखण्ड कुचामन सिटी				
1.	लालुराम/ईश्वर राम	लालास	87	—
2.	केसाराम/गोमाराम	पांचवा	164	26/3/4/1
3.	गणेशराम/धन्नाराम	भोलाल	111	4/
4.	पुसाराम/भोमाराम	गुगड़वार	49	21/
5.	भागीरथ/दूलाराम	,,	23	—
6.	जवानाराम/जीवणराम	टोडास	283	30/1
7.	नारायण मांगू/जोधाराम	राणासर	14	42/1/2/3
8.	प्रहलाद/भंवरलाल	इंडाली	160	6/
9.	अमरा/राजू	,,	22	6 एकड़
10.	कुम्भाराम/भैरूराम	खारेण्डी	73	—
11.	काना/दल्ला	पाचवा	—	8 एकड़
12.	मोहन/भंवरलाल	,,	493	—
13.	सिणगारी/गंगाराम	भोलाल	29	28/3/4/4
14.	हीराराम/जीवणराम	खारिया	—	—

274

1	2	3	4	5
15	बीणा/टोडा	परेवड़ो	—	—
16,	घासी/लालाराम	कुचामन सिटी	79	19/3/4
17.	मनसुख/बीजा	,,	87	15/
18.	गिरधारी/कामड़	मांवता	101	111/1/4/4
19	चन्द्रा/गुमाना	,,	109	75/1/4
20.	हनुमान/घन्ना	,,	—	10 एकड़
21.	नोपा/जोधा	चावण्डिया	63	15/3/4
22.	आशाराम/गंगाराम	कुकनवाली	—	—
23.	किशनाराम/चुन्नाराम	चितावा	—	—
24	सुजाराम/रामूराम	गुगड़वार	36	17/1/2
25.	नानूराम/हरनन्दा	आनन्दपुरा	306	2 एकड़
26.	सोहनलाल/परसाराम	राणासर	227	9 एकड़
27.	पेमा/हीरा	आसपुरा	110	—
28.	मांगू/लालाराम	लालास	115	12/1/2
29.	हरदेवा/मानाराम	लालास	51	—
30.	कानाराम कुम्भाराम	इन्दोका	318	33/1/2/1
उपखण्ड नावा				
1.	अमरा राम/चन्द्राराम	भूणी	124/1	68/
2.	आशाराम/हुक्माराम	शिम्भूपुरा	28	45/
3.	नाथूराम/नौलाराम	मांगलोदी	39/1	27/3/4
4.	इन्द्राराम/बोदूराम	पदमपुरासरगोठ	64	20/3/4
5.	चत्राराम/बालूराम	,,	63	16/1/2

(275)

1	2	3	4	5
6.	अमराराम/कालूराम	पदमपुरासरगोठ	129	34/3
7.	गुमानाराम/कामड	पांचोता	306	13/1/3/1
8.	पूसाराम/भैंरूराम	,,	220/1	14/3/4/1
9.	घीसाराम/पेमाराम	मारोठ	6	46/
10.	घीसाराम/चन्द्राराम	श्यामगढ़	244	14/3/3
11.	प्रेमपाल/नानूराम	रघुनाथपुरा	36,36/1	83/1/4
12.	पन्नाराम/सुआराम	बाबड़ी	4	20/
13.	भोमा/मुन्ना	सांगतगढ़	131	18/1/4/4
14.	नारायण/कज्जू	देवलीकलां	273	16/
15.	ईसरराम/डालूराम	लिचाणां	278	13/
16.	प्रतापराम/भगतोराम	कूणी	117	90/3/4
17.	भूराराम/सुआराम	महाराजपुरा	148	19/1/4/2
18.	किशनाराम/भोमाराम	देवलीकलां	263	16/

1989–90

1.	बक्षाराम/खेमाराम	सांवतगढ़	174	31/1/2/4

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 456 का विवरण

Copy of letter No. Nil dated 14·4·89 received from Dr. P K. Jain, President, R. J. S. Association, J-3, Nyaya Path, Gandhi Nagar, Jaipur, addressed to Hon'ble Shri Shivcharan Mathur, Chief Minister of Rajasthan, Jaipur.

You may be aware that all the twenty two Judges of the Rajasthan High Court have unanimously suggested the new RJS Rules in order to give effect to the State Government's decision to allow super time and selection grade scales to RJS Officers following the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India.

You may also be aware that Art. 235 of the Constitution and various rulings of the Supreme Court leave no room for doubt that the promotion of Judicial Officers exclusively vests in the High Court (Chief Justice V. Dikshitalu-AIR 1979 S. C. 193 paras 38, 42).

The Supreme Court has held in another case relating to Art. 235 that if the State Government's acts Contrary. to the recommendation of the High Court, the Government's order shall be invalid and liable to be quashed.

In yet another case (High Court V. Amal Kumar-AIR 1962 S. C. 1704 the Supreme Court of India has held that since the control and promotion is vested in the High Court, action by State Government in compliance with the High Court s recommndation cannot be challenged on the ground that the Government blindly followed the recommendation of the High Court.

Thus, it is clear that the Government ought to follow the High Court's recommendations in respect of promotion of Judicial officers and the rules relating thereto.

It is reliably learnt that some concerned administrative officials are tinkering with the Rules suggested by the Hon'ble

(277)

High Court without realising its grave consequences. Officers deliberately interfering with the Constitutional powers and duties of the High Court should realise that they are rendering themselves personally liable for the consequences of their actions.

I would like to bring it to your notice that the All India Chief Justices, Chief Ministers and Law Ministerss Conference held in New Delhi and inaugurated by the Hon'ble Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi unanimously recommended that higher grades and greater facilities must be provided to Judicial officers as the very nature of their duties is different and dignified. I do not know why the State Government, which was a party to it, should have any reason to go back on its commitment.

There is a simmering discontent amongst judicial officers of the State Over the hostile attitude of adm inistrative officers and inability of the Government to act positively and propmptly.

You can well appreciate how unfortunate it will be if the Government does not accept the suggested amendment in RJS rules relating to super time and selection grade scales to RJS officers to which the entire High Court has, after due deliberation, given its countenance. It will cause avoidable bitterness

I, therefore, request that the new RJS Rules be immediately approved by the Government in the form suggested by the Hon'ble High Court.

With regards.

परिशिष्ट-8 अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 457 का विवरण

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1988-89 में मदवार आय लाखों में

क्र. सं.	आय	लाखों में
1.	अनज्ञा पत्र शुल्क	
	(क) नवीन अनुज्ञा पत्र	0.01
	(ख) नवीनीकरण	0.03
	मण्डी शुल्क	22.45
3.	(ए) जमा धन पर ब्याज	0.06
	(बी) अ. अ. के पास जमा राशि पर ब्याज	,,
4.	फार्म पर्ची विक्रय	0.16
5.	विलम्ब शुल्क	0.03
6.	भवन किराये से आय	3.40
7.	ठेके से आय	0.10
8.	अन्य आय	0.06
9.	जुर्माना	—
10.	अंकेक्षण	—
अन्य प्राप्तियां :		
1.	परियोजना बैंक/ऋण	—
2.	केन्द्रीय सरकार से अनुदान	—
	1. ग्रामीण गोदाम	—
	2. हाट बाजार	—
	3. मण्डी प्रांगण विकास	—
	4. फल सब्जी मण्डी विकास	—
3.	जन सहयोग	—
4.	कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम की वसूली	1.10
5.	अमानते	—
6.	बोर्ड ऋण सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु	—
	योग :–	27.40 लाख

279

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची

विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्रमांक	न्यायालय का नाम	दिनांक : 30.6.89 तक लम्बित मुकदमों की सूची	
		फौजदारी	दीवानी
1.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर	668	1487
2.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा।	1865	558
3.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई।	847	1030
4.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा।	1047	1300
5.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं।	1760	436
6,	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक।	1556	1323
7.	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।	863	749

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 460 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

अकाल के कारण स्थगित राशि का जिलेवार विवरण

(लाखों रुपयों में)

DISTRICT	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
1. Ajmer	42.02	8.65	20.79
2. Alwar	0.22	1.17	7.65
3. Banswara	15.66	4.41	3.66
4. Barmer	85.72	12 42	101.13
5. Bharatpur	0 96	–	3.14
6. Bhilwara	28.99	10.02	34.55
7. Bikaner	33.53	9.11	33.52
8. Bundi	68.56	19.45	107.00
9. Chittor	24.45	21.26	4.31
10. Churu	22.18	9.59	34.02
11. Dholpur	–	0 72	4.31
12. Dungarpur	19 91	7.77	15 31
13 Ganganagar	5 35	7.27	43.56
14. Jaipur	100.67	33 52	38.67

1	2	3	4
15. Jaisalmer	22.47	3.66	13.15
16. Jalore	49.59	21.87	112.07
17. Jhalawar	30.61	11.28	31.40
18. Jhunjhunu	12.03	15.44	32 58
19. Jodhpur	118.70	21.54	76.36
20. Kota	5.06	54.66	117.41
21. Nagor	118.59	44.13	140.72
22. Pali	231.59	28.76	146.14
23. S. Madhopur	66.46	9 40	19.53
24. Sikar	10.88	9.92	34.70
25. Sirohi	14.53	6.80	22.62
26. Tonk	92 93	19.80	40.77
27. Udaipur	31.14	14.08	25.67
Rajasthan State	1252.30	387 61	1264.94

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 का विवरण

परिशिष्ट—1

परिवहन निगम के साथ अनुबन्ध पर संचालित वातानुलित वाहन उनको दी जा रही दर, आबंटित मार्ग, मालिकों के नाम एवं संचालन दिनांक दर्शाते हुए विवरण।

वाहन संख्या	आबंटित मार्ग	दरें	संचालन दिनांक	मालिक का नाम व पता
डीबीपी 1410	जयपुर-दिल्ली	3·50 रु. प्रति कि.मी.	2.12.88	श्री महेन्द्र शर्मा, पश्चिम विहार, नई दिल्ली।
डीबीपी 1487	जयपुर-दिल्ली	3.50 रु. प्रति कि.मी	2.12.88	श्री धर्मपाल शर्मा, पश्चिम विहार, नई दिल्ली।
डीबीपी 1445	जयपुर-दिल्ली	3.50 रु. प्रति कि.मी.	9.12.88	श्री जोरासिंह मान तिलक नगर, नई दिल्ली।
डीबीपी 833	जयपुर-दिल्ली	3.50 रु. प्रति कि.मी.	12.12.88	श्री हरेन्द्रसिंह मान, तिलक नगर, नई दिल्ली।

नोट—उक्त चारों वाहन वातानुकूलित सेवाओं के रूप में दिनांक 20.4.89 से संचालित हैं, इसके पूर्व सुविधा वाहन सेवा के रूप में संचालित रहीं हैं।

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 462 का विवरण

विधि रचना अधिकारियों के पदों पर अभी कार्य कर रहे व्यक्तियों के नाम और उनके द्वारा धारित शैक्षिक योग्यताएँ

क. सं.	नाम	शैक्षिक योग्यता
1.	श्री प्यारेलाल दवे	बी०ए०,एल–एल०बी०
2.	श्री कमलाकर ग. फड़के	बी०कॉम०
3.	श्री दिनेशचन्द शर्मा	बी०ए०,एल–एल०बी०
4.	श्री दिनेशचन्द गोस्वामी	एम०ए०,एल–एल०बी०
5.	श्री रामेश्वर दयाल	एम०ए०
6.	श्री श्यामबिहारी शर्मा	बी०ए०

वरिष्ठ विधि रचनाकारों के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के नाम और उनके द्वारा धारित शैक्षिक योग्यताएँ

1.	श्री विष्णुस्वरूप श्रीवास्तव	एम०ए०,एल–एल०बी०
2.	श्री प्रेमशंकर माथुर	मैट्रिक
3.	श्री शिवकुमार शर्मा	बी०ए०,एल–एल०बी०
4.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	एम०ए०,एल–एल०बी०
5.	श्री विरेन्द्रसिंह	बी०ए०,एल–एल०बी०
6.	श्री मनफूलसिंह	बी०ए०,एल–एल०बी०
7	श्री प्रभुनारायण मुद्गल	बी०ए०,एल–एल०बी०
8.	श्री सत्यनारायण शर्मा	बी०ए०,एल–एल०बी०
9.	पद रिक्त है।	

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट–1

नागौर जिले से नवीन मार्गों पर बस संचालन हेतु प्राप्त जनता की मांग एवं निगम स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण।

क्र. सं.	मार्ग का विवरण	मांग प्राप्ति की दिनांक	निगम स्तर से की गई/की जा रही कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	नागौर--मकराना वाया खांठू--तरनाऊ मार्ग पर बस संचालन प्रारम्भ करने बाबत।	जनवरी, 89	निगम द्वारा अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत 2 अनुज्ञा पत्र स्वीकृति हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जोधपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया गया है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु विचाराधीन है। अनुज्ञा पत्र मिलने के बाद संचालन सम्भव होगा।
2.	नागौर--जायल--खियाला मार्ग पर निगम बस सेवा संचालन हेतु	मई, 89	उक्तानुसार
3.	नागौर--मेड़ता वाया खाजवाना मार्ग पर निगम बस सेवा संचालन हेतु।	जनवरी, 89	उक्तानुसार
4.	नागौर–जोधपुर वाया मुण्डावा--भोपालगढ़ मार्ग पर निगम बस सेवा संचालन हेतु।	अगस्त, 88	उक्तानुसार
5.	मकराना--जयपुर डीलक्स बस चलाने हेतु।	मार्च, 89	डीलक्स बस हेतु वांछित सीधे यात्री भार की दृष्टि से सर्वेक्षण

285

1	3	4
		कराया जा रहा है। सीधा यात्री भार उपलब्ध होने पर इसी माह बस संचालन प्रस्तावित है।
6. नागौर से अहमदाबाद वाया कुमारी वाया जोधपुर होकर सीधी बस सेवा का संचालन करने बाबत।	अप्रेल, 89	यह अन्तर्राज्यीय मार्ग है जब तक गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य इस मार्ग पर बस संचालन हेतु समझौता नहीं हो जाता तब तक बस सेवा का संचालन सम्भव नहीं है।
7. नागौर-बम्बई, इन्दौर बस सेवायें चलाने बाबत।	जनवरी, 89	यह दोनों ही अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिन पर सम्बन्धित राज्यों के मध्य अन्तर्राज्यीय परिवहन करार के बिना वाहन संचालन सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 466 का विवरण

सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खोले गये केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	गांव का नाम	खोले गये केन्द्रों की संख्या	क्र.सं.	गांव का नाम	खोले गये केन्द्रों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	कातर बड़ी	1	20.	वैरासर	2
2.	गिरवरसर	1	21.	साण्डवां	5
3.	साजनसर	1	22.	सारंगसर	1
4.	रेडा	1	23.	ढिगारिया	1
5.	तेहनदेसर	1	24.	घन्टियाल छोटी	1
6.	कातर छोटी	1	25.	घंटियाल बड़ी	1
7.	अमरसर	1	26.	ईक्कर	2
8.	मावासर	1	27.	वेनाथा ऊमगी	1
9.	आंघवरसर	1	28.	वेनाथा जोगाविना	1
10.	वाढ़सर	2	29.	जैतासर	3
11.	लालगढ	4	30.	विदासर ग्रामीण	2
12.	जोगलाल	3	31.	ढंढेरू भामवल	1
13.	नोहडिया	2	32.	ढढेरू गोदाराज	1
14.	सडूबड़ी	1	33.	जोगकिया	3
15.	सडू छोटी	1	34.	धातरी	2
16.	आसरासर	1	35.	रणधीसर	1
17.	ऊंटालड़	2	36.	रेथियावास	1
18.	ईयारा	3	37.	चाण्डवास	3
19.	वम्बू	2	38.	सपेली	1

1	2	3	1	2	3
39.	वालेरा	1	65.	वाड	1
40.	कोडासर विदावतान	1	66.	गनोड़ा	1
41.	कोडासर जाटान	1	67.	डूंगरास आथुणा	1
42.	चरला	1	68.	गोपालपुरा	3
43.	लुहारा	1	69.	गुलेरिया	1
44.	डडवाना	2	70.	देवाणी	1
45.	पारेवड़ा	3	71	सुजानगढ़ ग्रामीण	1
46.	गोन्दूसर	1	72.	रायपुर	1
47.	गेडाम	1	73.	आवसर	2
48.	भाजिणा	1	74.	खालिया	1
49.	करेजड़ा	1	75.	टाड़ा	1
50.	ज्यांक	1	76.	भानिसरिया	1
51.	नव्वासर	1	77.	डूंगाराम-अगुणा	1
52.	वाधासरा आथुणा	2	78.	हरासर	2
53.	तेलाप	1	79.	राजियासर मीठा	1
54.	कानूता	2	80.	गाजियासर खारा	1
55.	मगरासर	2	81.	वामनिया	1
56.	वाधासरा अगुणा	1	82.	लालपुरा	1
57.	मूंदडा	2	83.	वडावर	2
58.	लिखमनसर	1	84.	जीनरासर	1
59.	जीली	1	85.	भोजलाई	1
60.	परावा	1	86.	वोगासर विदावतना	1
61.	मालकसर	1	87.	दुलिया	2
62.	खम्मा	1	88.	मींगणा	1
63.	निकंगा	1	89.	वोवासर चारामन	1
64.	सारोढिया	2	90.	हेमासर अगुणा	1

1	2	3	1	2	3
91.	मलसीसर	3	102.	तोलियारल	1
92.	कोठार	2	103.	ढांकावाली	1
93.	खदाया	1	104.	मालासी	1
94.	भीमसर	2	105.	साण्डन	1
95.	खोडा	1	106.	खाटियाकानिराम	1
96.	नोरंगसर	1	107.	व्यामा	2
97.	कोलासर	2	108.	शोभासर	4
98.	भांगीवाद	1	109.	गुडा बड़ी	2
99.	मुरडाकिया	1	110.	सालासर	3
100.	चारिया	2	111.	खारिया छोटा	1
101.	खुड़ी	2	112.	खारिया बड़ा	1

289

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 469 का विवरण

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के अधीन डिपोज की सूची

श्रेणी "अ" :—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा।

श्रेणी "ब" :—जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुन्झुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर एवं भरतपुर।

श्रेणी "स" :—चूरू, नीमकाथाना, पाली, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, ब्यावर, जालौर, शाहपुरा, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बहरोड़, करौली एवं बारां।

श्रेणी "द" :—टोंक, झालावाड़, धौलपुर, बूंदी, फुलेरा, दौसा, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, खेड़ली, नोहर एवं जैसलमेर।

श्रेणी "ई" :—बिलाड़, केकड़ी एवं डीग।

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 474 का विवरण

जिला झुन्झुनू में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, 1989

क्र सं.	पंचायत समिति का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	अलसीसर	100
2.	उदयपुरवाटी	100 (पहाड़ी क्षेत्र)
3.	झुन्झुनू	60
4.	नवलगढ़	40

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 484 का विवरण

सूची–"अ"

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में गत तीन वर्षों में जीरो इण्डस्ट्रीज का लाभ दिये जाने की सूचना

जिला बाड़मेर :

स्टोन कटिंग, टैक्सटाइल फिनिशिंग, प्रिन्टिग एवं डाइंग, पेपर बैग्स, आइस केन्डी, ग्वारगम, प्रिंटिंग प्रेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा सीलिकेट किस्म के उद्योगों को गत तीन वर्षों में निम्न लाभ दिया गया है :—

केन्द्रीय विनियोजन अनुदान :

कुल 20 इकाइयों को 6,13,328 रुपये का अनुदान उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण एवं अनुदान :—

राजस्थान वित्त निगम द्वारा 344 इकाइयों को 588.88 लाख रुपये का ऋण एवं इसमें से 180 इकाइयों को 55.76 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

जिला जैसलमेर :

राजस्थान वित्त निगम द्वारा विशेष रूप से शिल्पबाड़ी स्थापित करना तथा लघु एवं लघुतर इकाइयों को कम्पोजिट ऋण, उदाहरण स्वरूप आटा मिल एवं पत्थर काटने हेतु दिया गया है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण एवं अनुदान :

राजस्थान वित्त निगम द्वारा 92 इकाइयों को 131 02 लाख रुपये ऋण जिसमें से 18 इकाइयों को 10.27 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

केन्द्रीय विनियोजन अनुदान :

उद्योग विभाग द्वारा 20 इकाइयों को 1.27 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

291

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 485 का विवरण

सूची "क"

बीकानेर में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली तेल मिल में
अनुमानित लागत 1632 लाख रुपये का विवरण

1.	भूमि एवं भूमि विकास	35.20 लाख
2.	बिल्डिंग और सीड कार्य	214.30 लाख
3.	प्लाण्ट एण्ड मशीनरी	446.50 लाख
4.	अन्य फिक्स्ड असेट्स	110.00 लाख
5.	प्रारम्भिक खर्चे	245.00 लाख
6.	कन्टीनजेन्सी	246.80 लाख
7.	मारजिन मनी	334.00 लाख
	योग :	1631.80 लाख

(अनुमानतः 1632.00 लाख रुपये)

बीकानेर जिले में स्थापित पंजीकृत तेल मिलों की सूची

क. सं.		इकाई का नाम व पूर्ण पता	विशेष विवरण
1		2	3
1.	मैसर्स	लेखा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
2.	,,	सूरज तेल उद्योग, जोरावरपुरा, नोखा	कार्यरत
3.	,,	सुमित्रा उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल	कार्यरत
4.	,,	इण्डियन एजेन्सी, हनुमानहत्था, बीकानेर	कार्यरत
5.	,,	राणीसती दाल एण्ड ऑयल मिल, औद्यो. क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
6.	,,	चंदन ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
7.	,,	गोदार ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
8.	,,	गणेश ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, बी.के. स्कूल के पीछे, बीकानेर	कार्यरत
9.	,,	पारस ऑयल मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल	कार्यरत
10.	,,	रामकली ऑयल मिल्स प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल	कार्यरत
11.	,,	विष्णु इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
12.	,,	सिटी इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल	कार्यरत
13.	,,	ओझा ऑयल मिल्स, पुरानी लाइन, गंगाशहर	कार्यरत
14.	,,	सारड़ा ऑयल इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	कार्यरत
15.	,,	हरिकिशन इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	कार्यरत
16.	,,	नौलखा दाल एण्ड ऑयल मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	कार्यरत
17.	,,	श्याम दाल एण्ड ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	कार्यरत
18.	,,	जे. के. ऑयल मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	कार्यरत
19.	,,	बोथरा ऑयल एण्ड दाल मिल, गंगाशहर	कार्यरत
20.	,,	राजदीप ऑयल मिल, नथूसर बास, बीकानेर	कार्यरत
21.	,,	ए. आर. इण्डस्ट्रीज, पारीक चौक, बीकानेर	कार्यरत
22.	,,	शांति उद्योग, रथखाना कॉलोनी, बीकानेर	कार्यरत
23.	,,	हेमा ऑयल मिल, पुरानी गिनानी, बीकानेर	कार्यरत

1	2	3
24.	मैसर्स घनश्याम एण्ड कं. रोडा रोड़, नोखा	कार्यरत
25.	,, राजस्थान ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, नोखा	कार्यरत
26.	,, फरीद मोहम्मद तेली, ग्राम झझु	कार्यरत
27.	,, भीमराज भंवरलाल, ग्राम झझु	कार्यरत
[illegible]	,, महावीर ऑयल मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	कार्यरत
[illegible]	,, पारख ऑयल मिल, झझु	कार्यरत
[illegible]	,, इलाहीबक्श सुमानखां तेली, ग्राम झझु	कार्यरत
31.	,, नूर मोहम्मद गबरूदीन तेली, ग्राम हदा	कार्यरत
32.	,, नत्थु खां हसन खां तेली, झझु	कार्यरत
33.	,, बदई खां रिजाक खां तेली, ग्राम झझु	कार्यरत
34.	,, राज तेली घाणी, ग्राम झझु	कार्यरत
35.	,, अमरदीप अजीरन तेली, ग्राम दियातरा	कार्यरत
36.	,, हनुमान ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, लूणकरणसर	कार्यरत
37.	,, लक्ष्मी ऑयल मिल, लूणकरणसर	कार्यरत
38.	,, युसूफ बख्तावर खां, ग्राम महाजन	कार्यरत
39.	,, बशीर कमरूदीन तेली, ग्राम महाजन	कार्यरत
40.	,, जोईया ऑयल एण्ड दाल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	बन्द
41.	,, कैलाश एण्टरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
42.	,, एन. एच. इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
43.	,, दुर्गा ऑयल एण्ड जिनिंग फैक्ट्री, खाजूवाला	कार्यरत
44.	,, पालाना ऑयल मिल, ग्राम पलाना	कार्यरत
45.	,, अरूण फ्लोर एण्ड ऑयल मिल, नापासर	कार्यरत
46.	,, अग्रवाल मिल, खाजूवाला	कार्यरत
47.	,, रामदेव ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, जसरासर	कार्यरत
48.	,, हनुमान ऑयल मिल, उदयरामसर	कार्यरत
49.	,, ईशार पुत्र उस्मान तेली, नागौरी तेल घानी, ग्राम नाल	कार्यरत

(294)

1		2	3
50.	मैसर्स	उद्योग मन्दिर, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
51.	,,	श्री गणेश ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
52.	,,	बरड़िया ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
53.	,,	जुगल किशोर वनस्पति प्रोडक्ट, प्रा. लि., औ. क्षे., बिछवाल	कार्यरत
54.	,,	गणेश ऑयल एण्ड दाल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
55.	,,	मोदी ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
56.	,,	गोपेश्वर ऑयल मिल, गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर	कार्यरत
57.	,,	पुष्पा ऑयल एण्ड प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
58.	,,	बसु ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
59.	,,	रमेश दाल एण्ड ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
60.	,,	आसूराम राललाल ऑयल मिल, औ. क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
61.	,,	अभिषेक ऑयल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
62.	,,	किशन ऑयल मिल, कवलीसर मार्ग, नोखा	कार्यरत
63.	,,	नेशनल ऑयल एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत
64.	,,	कृष्णा एन्टरप्राइजेज, खाजूवाला	कार्यरत
65	,,	संजय ऑयल मिल औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
66.	,,	भरत उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
67.	,,	भवानी ऑयल एण्ड दाल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
68.	,,	डागा ऑयल एण्ड जनरल इण्ड., औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल	कार्यरत
69.	,,	लेखा उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर	कार्यरत

दिनांक 13 जुलाई, 1989

शुद्धि-पत्र

क्रम सं०	स्कम्भ	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
1.	101	फोलियो	प्रश्नोततर	प्रश्नोत्तर
2.	175	फोलियो	अन्तगत	अन्तर्गत
3.	181	17	भागव	भार्गव
4.	258	15	श्रीमती सुधा	श्रीमती सुधा देवी